खण्ड-525, अंक-07

शुक्रवार, 20 माघ, शक संवत् 1945

(दिनांक 09 फरवरी, 2024 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2024)

(खण्ड 525 में 08 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)

2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-86
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रेश पासवान के निधन पर शोकोद्गार	86-87
प्रदेश के अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों का फोन न उठाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	87
श्री अध्यक्ष द्वारा शोक संवेदना के समय लॉबी में बैठे सदस्यों को बातचीत न करने का निर्देश	87
प्रदेश के अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों का फोन न उठाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	88-89
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 ... (पुरःस्थापित)	89
उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित) ...	89
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	89-109
भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारतरत्न दिये जाने पर सदन की ओर से बधाई (जारी)	109-111
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	111
भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारतरत्न दिये जाने पर सदन की ओर से बधाई	111-112
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	112-114
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (पारित) ...	114-124
मा0 सदस्य द्वारा दिये गये नियम-103 के संकल्प की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्देश	124-125
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा ...	126-141
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक के साधारण चर्चा में दल के अनुसार बोलने की माँग	141-143
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	143-169
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में प्रतिभाग करने हेतु समय का निर्धारण	169

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा ...	169-199
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	199-204
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	204
नियम-103 के अन्तर्गत संकल्पों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण ...	205
जनपद-कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (अस्वीकृत)	205-206
प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (व्यपगत) ...	206
जनपद-गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रासिंग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प उनकी अनुपस्थिति में (व्यपगत)	206-207
जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमासिन ड्रेन आदि का पुनरुद्धार कराये जाने विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (वापस लिया गया)...	207-210
विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) की स्थापना कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (वापस लिया गया) ...	210-211
जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोहनी एवं कोरों क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चत कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (अस्वीकृत)	212-213

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर सुनिश्चत कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)	213
जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (वापस लिया गया)... ...	213-215
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी-91 में राजस्थान से सटे हुए 60-70 गाँवों में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माइनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (वापस लिया गया)...	215-216
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन, तहसील सदर, उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)	216
जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम कूकनगर ग्रंट में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)	216
जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत तहसील बीघापुर (पाटन) में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत) ...	217
प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (अस्वीकृत)	217-219

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी में मण्डौली माइनर एवं जहानपुर गूल का विस्तार एवं चौड़ीकरण राजस्थान सीमा तक कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (वापस लिया गया)...	219-220
जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (अस्वीकृत) ...	220-222
तहसील जसराना के कस्बा एका की सी0एच0सी0 केन्द्र को उच्चीकृत कर सौ शैय्या अस्पताल बनाया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा आगे के लिए (जारी) ...	222
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर स्थित ग्राम पंचायत ताजपुर को नगर पंचायत बनाया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा आगे के लिए (जारी) ...	222-223
बुन्देलखण्ड में संचालित स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों/महिलाओं एवं अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु बालिनी डेयरी के उत्पादों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर भी सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)	223
जनपद प्रतापगढ़ के युवाओं का रोजगार के अभाव में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी) ...	223
विधान सभा क्षेत्र-30, बिलारी में राजकीय गर्ल्स डिग्री कालेज बनाया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत) ...	223-224

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भाँति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)	224
बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (वापस लिया गया) ...	224-225
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)...	225
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)	225
जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (वापस लिया गया) ...	225-226
जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)	227
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	227-228
जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	228

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)	228-229
जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	229-230
जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)	230
प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भाँति समस्त सुविधायें प्रदान कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	230
जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	230-231
विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत) ...	231
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (वापस लिया गया)...	231-234

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झाँसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	234
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	234-235
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू, अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	235
विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)	235
विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम 'अंदावा की मडैया' को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत) ...	236
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुये सेन्ट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	236
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0, मोराना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)... ...	237
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	237

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)... ...	237
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	238
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (वापस लिया गया) ...	238-239
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना के तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	239
विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)...	239
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	239-240
जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा (वापस लिया गया)...	240
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं...	240-242
जनपद फतेहपुर के सांतोपीत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण शहीद सैनिक हसरत अली के नाम पर किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	242
मिर्जापुर के अन्तर्गत कोन ब्लॉक में बने पीपा पुल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	242-243
जनपद बलिया के बैरिया में सड़क का पुनर्निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	243
जनपद झांसी में गुरसराय ब्लॉक में धसान नदी पर सोनकपुर में लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	243-244

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में गोहन-माधौगढ़ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	244
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नदी के ऊपर कतिपय पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	244
जनपद लखनऊ के सेक्टर-4 विकास नगर में बिजली के तार बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	245
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम सभा कुकुआर में नाले का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	245
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	245-246
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	246
जनपद बस्ती के अन्तर्गत कप्तानगंज में फ्लाईओवर बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	246-247
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	247
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ग्राम सभा आलामऊ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	247
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा जोगापुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	248
जनपद प्रयागराज की महिला को फर्जी मुकदमे से न्याय दिलाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	248-249
जनपद चित्रकूट में श्मशान घाट बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	249
जनपद चन्दौली के सकलडीहा में अमिलाई माइनर पर सैदपुर सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	249
जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के अन्तर्गत टेला में विद्युत सब-स्टेशन बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	250

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के सलोन में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	250
जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	250-251
जनपद मथुरा के ग्राम बाघरा में कतिपय महाविद्यालयों की मान्यता रद्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	251
जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	251-252
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	252
जनपद बांदा के नरैनी में स्टेडियम बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	252
जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में कतिपय भूमि का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	253
विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में 63 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर के अधिस्टापन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	253
जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	254
जनपद अयोध्या में कतिपय विद्यालय को बिना सहमति बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	254
जनपद जालौन के विकास खण्ड डाकोर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	254-255
जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय अयोध्या में की गई निविदा में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	255
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में मार्ग एवं नाले के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	255-256
जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बने एयरपोर्ट के निकट फार्मा कम्पनी हब बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	256

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के अन्तर्गत ग्राम उकसी रायपुर में कच्ची सड़क को पक्का कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	256
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	256-260
नियम-301 की सूचनाओं को पढ़े जाने के सम्बन्ध में निर्देश ...	260-261
याचिकाओं का उपस्थापन	261
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	261-262
इंजी0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	262
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	262
श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	262
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	262
मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	262-263
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	263
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	263
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	263
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	263
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	263
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	263
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	264

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	264
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	264
श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	264
श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	264
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	264
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	265
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	265
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	265
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	265
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	265
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	265-266
डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	266
श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	266
श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	266
श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	266

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	266
श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	267
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	268
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	268
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	268
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	268
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	268
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	268
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	269
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	269

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	269
श्री सौरभ सिंह सोनू, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	269
श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	269
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	269-270
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	270
श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	270
श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	270
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	270
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	270
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	270-271
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271
श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	272
श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	272
श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	272
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	272
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	272
श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	272
श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	273
श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	273
श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	273
श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	273
डॉ0 मंजू शिवाच सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	273
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	273
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	274

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	274
श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	274
श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	274
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	274
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	275
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	275
श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	275
श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	275
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	275
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	275
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	276
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	276
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	276
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	276
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	276

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	276
श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	277
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	277
इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	277
श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भईया' सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	277
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	277
श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	277
डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	278
श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	278
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	278
श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	278
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	278
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	279
श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	279
श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	279

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	279
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	279
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	279
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं...	280
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम सभा खेड़ाजट से नगला देबिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	280
पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, अयोध्या में हुई अनियमित नियुक्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	281-284
जनपद फिरोजाबाद में बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य	284-285
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में आधुनिक बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य ...	285-288
जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामों के ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ के वित्तीय वर्ष 2010 से वर्तमान तक के अनियमित कार्यों की विशेष जांच दल गठित कर कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	288-294
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य	295-301
विधान सभा क्षेत्र-221, उरई, जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम रिनिया बड़ा गाँव एवं मड़ौका होते हुये उरई, जालौन मार्ग तक बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	301

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड सरोजनीनगर के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कम्पोजिट विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	301-302
ग्राम पंचायत मंगापुर, विकास खण्ड सांगीपुर, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य ...	302-303
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के कतिपय प्लाटिंग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	303-304
जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्मित पानी की टंकियों के निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेकानन्द पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य	304-305
नत्थियाँ	306-323

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2024

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-356

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
12. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
13. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
14. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
15. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
16. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
17. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
18. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
19. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
20. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
21. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
22. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
23. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
24. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
25. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
26. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
27. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
28. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
29. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
30. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
31. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
32. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
33. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
34. अरमान खान, श्री — लखनऊ
35. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
36. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
37. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
38. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
39. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
40. अशरफ अली खान, श्री — शामली
41. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
42. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
43. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
44. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
45. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच

46. आर0 के0 पटेल, डॉ0 जौनपुर
47. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
48. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
49. आलमबदी, श्री आजमगढ़
50. आशा मौर्य, श्रीमती सीतापुर
51. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री हरदोई
52. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
53. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
54. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
56. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
57. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
58. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
59. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
60. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
61. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
62. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
63. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
64. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
65. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
66. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
67. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
68. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
72. कैलाश, श्री चन्दौली
73. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
74. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
75. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
76. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
77. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
78. गुड़िया कटेरिया, श्रीमती औरैया
79. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
80. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
81. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
82. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
83. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
84. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
85. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
86. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
89. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जयमंगल, श्री महराजगंज
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जाहीद, श्री भदोही
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
100. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
101. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
102. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
103. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
104. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
105. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
106. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
107. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर

108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
111. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
112. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
113. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
114. दुधराम, श्री बस्ती
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
118. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
120. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
121. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
123. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
126. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
127. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
128. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
129. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
130. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
131. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
132. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
133. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
134. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
135. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
136. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
137. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
138. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
139. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
140. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
141. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
142. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
143. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
144. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
145. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
146. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
147. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
148. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
149. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
150. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
151. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
152. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
153. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
154. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
155. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
156. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
157. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
158. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
159. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
160. बाबूराम, श्री पीलीभीत
161. बाबूलाल, श्री आगरा
162. बावन सिंह, श्री गोण्डा
163. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
164. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
165. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
166. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
167. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
168. बेदी, श्री गाजीपुर
169. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा

170. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
171. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
172. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
173. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
174. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
175. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
176. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
177. मनीष रावत, श्री सीतापुर
178. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
182. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
183. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
184. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
187. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
188. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
189. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
190. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
191. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
192. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
193. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
194. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
195. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
196. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
197. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
198. मेघश्याम, श्री मथुरा
199. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
200. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
201. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
202. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
203. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
204. योगेश धामा, श्री बागपत
205. योगेश वर्मा, श्री खीरी
206. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
207. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
208. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
209. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
210. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
211. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
212. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
213. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
214. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
215. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
216. रवि शर्मा, श्री झांसी
217. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
218. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
219. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
220. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
221. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
222. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
223. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
224. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
225. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
226. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
227. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
228. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
229. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
230. राजमणि, श्री प्रयागराज
231. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
232. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
233. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं

234. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
235. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
236. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
237. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
238. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
239. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
240. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
241. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
242. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
243. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
244. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
245. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
246. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
247. रामकेश निषाद, श्री बांदा
248. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
249. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
250. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
251. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
252. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
253. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
254. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
255. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
256. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
257. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
258. राम सिंह पटेल, श्री प्रतापगढ़
259. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
260. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
261. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
262. लकी यादव, श्री जौनपुर
263. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
264. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
265. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
266. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
267. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
268. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
269. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
270. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
271. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
272. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
273. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
274. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
275. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
276. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
277. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
278. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
279. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
280. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
281. विपुल दुबे, श्री भदोही
282. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
283. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
284. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
285. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
286. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
287. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
288. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
289. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
290. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
291. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
292. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
293. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
294. शशांक वर्मा, श्री खीरी
295. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
296. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
297. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा

298. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
299. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
300. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
301. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
302. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
303. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
304. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
305. संग्राम सिंह, श्री बलिया
306. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
307. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
308. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
309. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
310. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
311. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
312. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
313. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
314. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
315. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
316. सभाकुंवर, श्री देवरिया
317. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
318. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
319. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
320. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
321. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
322. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
323. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
324. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
325. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
326. सुधाकर सिंह, श्री मऊ
327. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
328. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
329. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
330. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
331. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
332. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
333. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
334. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
335. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
336. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
337. सुरेश राही, श्री सीतापुर
338. सुशान्त सिंह, कुँवर बिजनौर
339. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
340. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
341. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
342. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
343. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
344. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
345. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
346. स्वामी ओउ्मवेश, श्री बिजनौर
347. हंसु राम, श्री बलिया
348. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
349. हरिओम, श्री कासगंज
350. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
351. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
352. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
353. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
354. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
355. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
356. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दया शंकर मिश्र 'दयालु') भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बेरोजगारी दर कम करने के दृष्टिगत बेरोजगार नौजवानों को होमगार्ड की ट्रेनिंग कराकर रोजगार से जोड़कर नियमित नौकरी देने विषयक

***1-श्री अभय सिंह-**

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी दर कम करने के दृष्टिगत बेरोजगार नौजवानों को होमगार्ड की ट्रेनिंग कराकर रोजगार से जोड़कर नियमित नौकरी देने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार एवं होमगार्ड राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति)-

जी नहीं। होमगाड्र्स विभाग द्वारा शान्ति व्यवस्था में पुलिस के सहायतार्थ आवश्यकतानुसार होमगाड्र्स स्वयंसेवकों की भर्ती के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बेरोजगार नौजवानों को होमगाड्र्स की ट्रेनिंग कराकर रोजगार से जोड़कर नियमित नौकरी देने का प्रावधान नहीं है।

होमगाड्र्स स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी पद है। वर्तमान में उपलब्ध होमगाड्र्स स्वयंसेवकों द्वारा पुलिस बल के साथ मिलकर समस्त कार्यों एवं दायित्वों को सकुशल सम्पन्न किया जा रहा है।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेरोजगार नौजवानों की भर्ती के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार न होने से बहुत निराश है। आप कभी भी गाँव में आइए, देखिए, सुबह-सुबह 04 बजे सैकड़ों लड़के आपको दौड़ते मिलेंगे कि हमको पुलिस, पी0ए0सी0 या फौज में भर्ती होना है। जब भर्ती नहीं हो पाती है तो उनको बहुत निराशा होती है। भर्ती कई सालों से निकली नहीं, अब जाकर निकली है और देखिए कितनी कम भर्ती में पचासों लाख एप्लीकेशन आ गये हैं। सबकी भर्तियां भी नहीं हो पाती हैं। नौजवान बहुत हताश और निराश है। अभी परसों एक नौजवान हमारे पास आया, हमने पूछा क्या हुआ भैया भर्ती का ? वह बोला, भर्ती नहीं हो पायी, ओवरएज हो गये हैं, नौकरी करने के लिए इजरायल जा रहे हैं। हमने कहा, वहाँ तो युद्ध चल रहा है तो उसने कहा क्या करें साहब, कम-से-कम बूढ़े मां-बाप को कुछ तो मिलेगा, कुछ तो खिलाएंगे-पिलाएंगे। यह स्थिति है कि नौजवान हताश होकर, यूरोप के जो मजदूर इजराइल छोड़कर चले गये हैं और हिंदुस्तान का नौजवान अपनी जान की फिक्र किये बगैर भी जाकर वहाँ मजदूरी करने को तैयार है, उससे उनकी रोजी-रोटी चल रही है। उस पर हमने मा0 मंत्री से क्वेश्चन किया था कि होमगाड्र्स में भर्ती कराने के लिए क्या व्यवस्था है ? तो

उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है, हम भर्ती नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा यह स्वयंसेवी संस्था है, लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ मानदेय पर भर्ती होती है, भर्ती उनकी की जाती है, जो किसी अधिकारी का कृपा पात्र होता है, कोई स्वच्छ, स्पष्ट और पारदर्शी नीति नहीं है। हमारा मंत्री जी से कहना है कि क्या मा0 मंत्री जी उत्तर प्रदेश के ऐसे नौजवानों को जो तैयारी कर रहे हैं और फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और किसी वजह से वह पुलिस, पी0ए0सी0 और फौज में भर्ती नहीं हो पाये हैं, अग्निवीर से भी वे कट गये हैं क्या ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर मानदेय पर, यदि मानदेय पर 20 दिन भी काम करेंगे तो 400 रुपये मिलता है तो 8000 रुपये पा जाएंगे तो भी उनका घर चलेगा, कोई स्वच्छ, स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाने का काम करेंगे कि नौजवानों को ट्रेनिंग देकर कैसे भर्ती कराई जाये ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

मा0 अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट जवाब दे दिया गया है कि इस समय होमगार्ड्स विभाग में भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि सीधे-सीधे बिना भर्ती के ट्रेनिंग कराकर उनको रोजगार से जोड़ा जाये। भर्ती जब होगी तो निश्चित रूप से उन नौजवानों को, जो भी भर्ती प्रक्रिया में आयेंगे, ट्रेनिंग कराकर भर्ती से जोड़ा जायेगा।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, क्या कोई स्पष्ट और पारदर्शी नीति है ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा है कि स्पष्ट और पारदर्शी नीति है कि कोई भर्ती नहीं होनी है। (हंसी)

श्री अभय सिंह-

थैंक्यू। (हंसी)

प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में

***2-श्री स्वामी ओउ्मवेश तथा डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार स्थानीय कम्पनियों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगारों को देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार मेलों के आयोजन, सेवामित्र पोर्टल, कैरियर काउन्सिलिंग, मिशन रोजगार, आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर, मॉडल कैरियर सेन्टर, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

सेवायोजन विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मा0 अध्यक्ष जी, यदि मैं आपको यशस्वी और तेजस्वी कहकर सम्बोधित करता हूँ तो आप कहते हो कि मक्खन लगाते हो। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप यशस्वी और तेजस्वी हो और जो है उनके लिए उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप ऐसे ही हो। जब मैं किसी माननीय को सम्मानजनक शब्दों से पुकारता हूँ तो आप कहते हो कि मक्खन लगा रहे हो, मक्खन लगाने से आपको क्या मिला ? मैंने कल आपको कई काम गिनवा दिये थे जो मक्खन लगाने से मिल गये। मान्यवर, देश की सबसे बड़ी आलीशान विधान सभा जिसके आप यशस्वी अध्यक्ष हो और मा0 योगी जी, उस सदन के मुख्य मंत्री हों और उस सदन के यशस्वी संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा हो कि स्वामी जी आपका कमण्डल खाली नहीं होने दूंगा।

भर दूँगा पूरा। मान्यवर, इसी विधान सभा के माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा, स्वामी जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपने पूछा कि किसका ? उन्होंने कहा, स्वामी जी, का।

श्री अध्यक्ष-

आपका सम्मान सब लोग करते हैं।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

उन्होंने कहा लिखकर भिजवा दो, बिजली घर बनवा दूँगा और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए ? मान्यवर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही गौरव की बात है। मेरे मुख से हर किसी के लिए सम्मानजनक ही शब्द निकलेंगे हमेशा। माननीय अध्यक्ष जी, भरथरी शतक में एक श्लोक आता है-

'ना जार जातस्य ललाट श्रृंगं, कुले प्रसूतस्य ना पाणि पदमम्,
यदा-यदा मुंचति वाक्य बाणं, तदा-तदा जाति कुलप्रमाण्।'

'ना जार जातस्य ललाट श्रृंगं' इसका भावार्थ है-जो अवैध सन्तान होती है, उसके माथे पर सींघ नहीं होती है। 'कुले प्रसूतस्य ना पाणि पदमम्' और जो वैध सन्तान होती है, खानदानी सन्तान होती है, उसकी हथेली पर कमल नहीं होता है। 'यदा-यदा मुंचति वाक्य बाणं' जैसे-जैसे उसके मुख से वाक्य निकलते जाते हैं, 'तदा-तदा जाति कुलप्रमाणम्' वे कुल का प्रमाण देते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

इसलिए हम तो सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, आप उसे मक्खन लगाना कहो या कुछ भी कहो।

श्री अध्यक्ष-

अयोध्या चल रहे हो कि नहीं ? अयोध्या चलोगे कि नहीं चलोगे ?

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

अध्यक्ष जी आपके साथ बात करने में बहुत ही मजा आता है, इसलिए करनी पड़ती है। (हँसी)

श्री अध्यक्ष-

कल चलेंगे अयोध्या ? फिर बाद में कहोगे कि हाथ नहीं उठाया।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

अभी हमारे साथी ने जैसा कहा कि 50 लाख नौकरी के फार्म भरे गए, फौज खड़ी हो गयी है, बेरोजगारों की। कैसे संभालोगे इसको और जो बेरोजगार हो जाते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, उनके हाथ में तमंचे आ जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे, उन्होंने अच्छा जवाब दे दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चाँदपुर क्षेत्र बिजनौर की चाँदपुर तहसील में वर्ष 2018 से 2023 तक कितने बेरोजगारों का पंजीकरण कराया गया है तथा कितने बेरोजगारों को वर्ष 2022-23 में रोजगार दिलाया गया है ? दूसरा प्रश्न-क्या माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिव्यांगजन बेरोजगारों को 2022-23 में रोजगार दिलाया गया है तथा वर्ष 2022-23 में दिव्यांगजन बेरोजगारों के पंजीकरण करने के लिए कितने कैम्प लगाये गये हैं तथा वर्ष 2022-23 में कितने दिव्यांग बेरोजगारों को आवास आवंटित किए गये हैं ? यह मेरे दो प्रश्न हैं, मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, केवल उसी के ऊपर उत्तर दीजिए।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न से हटकर अपनी विधान सभा और एक तहसील की चर्चा की है। मैं आपकी तहसील और आपकी विधान सभा में तथा आपके जिले में जितने बेरोजगार लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकृत अपने आपको कराया है, उसका विवरण मैं माननीय सदस्य के पास भिजवा दूँगा और जहाँ तक दिव्यांगजनों की बात है, तो दिव्यांगजन के जीवन को सरल करने के लिए सरकार दिन-रात तत्पर है, आरक्षण में भी हमने प्राविधान किया है और योगी जी, की सरकार ने उनको जो पेन्शन दी जाती थी, उसमें भी बढ़ोत्तरी की है। उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। आपने जो जिज्ञासा

व्यक्त की है, उसके समाधान हेतु भी आपको डिटेल में, बहुत विस्तृत तरीके से दिव्यांगजनों से सम्बन्धित आपने जो सूचना माँगी है, वह भी मैं उसको भिजवा दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह सवाल है। जब सरकार या सरकार के मंत्री, सरकार के लोग नौजवानों के बीच में जाते हैं तो 'युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति है', ऐसा कह करके दम्भ भरते हैं, लेकिन आज प्रदेश का 90 फीसदी नौजवान बेरोजगार गुजरात में जा करके मुम्बई की सड़कों पर जा करके टैक्सी चला रहा है। उत्तर प्रदेश का मजदूर कहीं पंजाब में भट्ठों पर मजदूरी कर रहा है। मान्यवर, आज सरकार ने जो जवाब दिया है कि उसकी दो प्रमुख जो योजनाएं हैं, बेरोजगारी को कम करने के लिए एक रोजगार मेले का जिक्र किया गया है, दूसरा आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पॉवर का जिक्र किया गया है। मान्यवर, यह पढ़ते हुए सदन में इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सरकार इस बात को खुद कह रही है कि उत्तर प्रदेश के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को आउटसोर्सिंग कम्पनियाँ खरीदती हैं और खरीद करके कहीं शासकीय विभागों को बेच देती हैं, कहीं प्राइवेट कम्पनियों को बेचती हैं।

मान्यवर, जवाब में स्पष्ट लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पॉवर उत्तर प्रदेश के शासकीय विभाग एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पॉवर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई मार्केट प्लस जेम की व्यवस्था लागू किए जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए हैं। मान्यवर, बेरोजगारों का यह हाल है, यह मेले तो जानवरों के लगते हैं, यहां नौजवान वस्तु बना दिया गया है कि उसे खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। आउटसोर्सिंग कम्पनियाँ क्या करती हैं, जितने पर खरीदती हैं, उतना उस बेरोजगार को भुगतान नहीं करती हैं। आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार राम सेवक कहीं लखनऊ के रोजगार मेले में आ रहा है, कहीं नोएडा के रोजगार मेले में जा रहा है, तो कहीं प्रयागराज के रोजगार मेले में जा रहा है, वह भटकता रहता है, तीन महीने इस कम्पनी के साथ काम करता है, तीन महीने उस कम्पनी के साथ काम करता रहता है और सरकार सबका आंकड़ा जुटा लेती है कि हमने एक वर्ष में इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मान्यवर, मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ, मैं आपकी चिन्ता से वाकिफ हूँ। मान्यवर, मेरा यह पहला सवाल है कि सरकार जब शासकीय विभागों में ही उनको रखना है तो कम से कम शासकीय विभागों में जो बेरोजगारों को लिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, चाहे वह श्रमिक के रूप में कुशल हों, अकुशल हों, या प्रशिक्षित हों, कामगार हों या एजुकेटेड पद पर उन्हें रखा जा रहा हो तो कम से कम उन्हें आउटसोर्सिंग कम्पनी के माध्यम से न ले करके सीधे संविदा

करा लें कि उनका शोषण न हो। मेरा प्रश्न है सरकार से कि क्या सरकार आउटसोर्सिंग कम्पनियों द्वारा चयनित या क्रय करने वाले श्रमिकों या अभ्यर्थियों को आधार से लिंक कराएगी। मान्यवर, हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार राम सेवक हर रोजगार मेले में भटकता रहता है और कम्पनियों में जा करके वहाँ पर अपना नाम दर्ज कराता है और सेवायोजन विभाग उसका डाटा ले करके अपना डाटा बढ़ाता है कि हमने उत्तर प्रदेश में इतने लाख लोगों को एक साल में रोजगार दिया है। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार या उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है कुशल-अकुशल, और कौशल प्राप्त जिनको हमने स्किल्ड किया है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है इत्यादि। ऐसे लोगों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी अथवा न्यूनतम मासिक मानदेय निर्धारित करने पर विचार करेगी कि इससे कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति को अगर कोई आउटसोर्सिंग कम्पनी ले जाती है और वह योग्य है और वह कितने पर काम कराएगी कुछ पता नहीं है। मेरा अन्तिम सवाल है कि क्या सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बी0टेक0, एम0टेक0 अभ्यर्थियों को जो जेम पोर्टल अथवा रोजगार मेले के माध्यम से जो अभ्यर्थी विभिन्न कम्पनियों में प्राइवेट कम्पनियों में चयनित किए जाते हैं या शासकीय विभागों के लिए वह चयनित किए जाते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर क्या उनका मानदेय अथवा वेतन निर्धारित करने का काम करेगी, जिससे उनके श्रम का शोषण न हो।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य कह रहे हैं कि रोजगार मेलों में आने वाले युवा जानवर की तरह हैं और आप जानवरों का मेला लगा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 में 234 रोजगार मेले उस समय की सरकार ने लगाये। पहले तो आप बतायें कि क्या आपने जानवर समझकर मेला लगाया और युवाओं को उसमें बुलाया। आपने वर्ष 2013 में 594 मेले लगाये तो क्या जानवर समझ कर नौजवानों को बुलाया ? क्या यह मानसिकता आपकी है ? आपने वर्ष 2014-2015 और 2016 में भी रोजगार मेले लगाये तो क्या आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जानवर समझते हैं ? आप पहले अपनी मानसिकता को ठीक करिए। मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ आप चिन्ता न करें आपकी सारी जिज्ञासा का मैं समाधान करूँगा, लेकिन आप अपनी मानसिकता को ठीक करिए। आपने 2012 से लेकर 2016 तक 2785 रोजगार मेले लगाए और 169075 युवाओं को निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया और जब योगी जी, की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेकर अब तक हमने 7342 मेले लगाये और 957436 नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया है। जहाँ तक आधार से लिंक करने वाली बात है। आउटसोर्सिंग पर हमारे जो लोग लग रहे हैं वह आप भी जानते हैं कि किसी कम्पनी के कर्मचारी हैं और उनका वेतन निर्धारण उनकी कम्पनी करती है।

हमारे यहाँ जिस भी शासकीय विभाग में आवश्यकता होती है जेम पोर्टल पर हम आवेदन लेते हैं और संविदा निकालते हैं और उस पर कम्पनियाँ पर्टिसिपेट करती हैं। वह हमको आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैन पॉवर सप्लाई करती हैं और उसके तहत हम उनकी सेवा

लेते हैं। जहाँ तक इनके न्यूनतम वेज की आपने बात की तो आप देख रहे होंगे कि आवकश्यता के अनुरूप, स्किल के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप विभिन्न कम्पनियाँ, विभिन्न विभागों में, विभिन्न पदों पर उनके अनुरूप उनको मानदेय दे रही हैं, लेकिन हाँ हमारी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जो हमारा मिनिमम वेज है उससे कम मानदेय किसी को न मिले। अगर आप मिनिमम वेज जानना चाहते हैं तो मैं आपके सामने इसे रखना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारे अकुशल लोग हैं उनको 10275 रुपये का मिनिमम वेज हम प्रतिमाह दे रहे हैं। उससे नीचे कोई नहीं दे सकता है। उसके ऊपर का तो उनको लाभ मिलेगा। उसके ऊपर उनको मानदेय चाहे जितना मन हो उतना ले लें और उनकी कम्पनी का जितना मन हो उनको दे दे, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करती है कि मिनिमम वेज से कम उनको मानदेय कहीं न मिल पाए। दूसरा हमारे जो अर्द्धकुशल श्रमिक हैं उनका 11303/- रुपये मासिक मानदेय निर्धारित है और हमारे जो कुशल कामगार हैं उनका 12661/- रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है उसके नीचे मानदेय उनको कोई नहीं दे सकता है उससे ऊपर ही उनको कोई सेवायोजित कर सकता है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह सही नहीं हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खरीदा और बेचा जा रहा है जैसा आपके जवाब में है। मैंने यह नहीं कहा कि...

श्री अध्यक्ष-

जवाब में कहाँ लिखा है कि खरीदा-बेचा जा रहा है जरा पढ़ाइये। आप कह रहे हो कि खरीदा-बेचा जा रहा है और ये जवाब में लिखा है तो आप प्लीज जरा उसको पढ़िए कि उस जवाब में कहाँ लिखा है कि खरीदा-बेचा जा रहा है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने यह मा0 मंत्री जी का जवाब पढ़ा कि यह क्रय और विक्रय किया जाए। यह उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को जानवर कहने वाली बात तो मा0 मंत्री जी के मुख से कही गई, मेरे मुख से नहीं कही गई। मैंने कहा कि वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खरीदा-बेचा नहीं जा सकता है, उनको रोजगार दीजिए, उनको नौकरी दीजिए। मान्यवर, अनुरोध है कि वह शब्द निकलवा दीजिए।

प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों की भांति सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने तथा उनकी वेतन वृद्धि करने विषयक

***3-श्री अनिल प्रधान तथा श्री अखिलेश-**

क्या होमगाड्र्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों की भांति सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने तथा उनकी वेतन वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी

बतायेगी कि होमगार्ड के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

होमगाड्र्स अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-59/2019/1834/पन्चानबे-19-46 रिट/15 टी0सी0 III, दिनांक 23-09-2019† द्वारा दिनांक रु0 06-12-2016 से होमगाड्र्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता, पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन 18,000/- को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रु0 600/- एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमन्य किया गया है। महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के साथ इनके दैनिक ड्यूटी भत्ते में भी परिणामस्वरूप स्वतः वृद्धि होती है। होमगाड्र्स स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी पद है, जिस पर राज्य कर्मचारियों के नियम व शर्तें लागू नहीं होती हैं।

वर्तमान में 40327 होमगाड्र्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा समस्त कार्यों एवं दायित्वों को सकुशल सम्पन्न किया जा रहा है।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। होमगार्डों के विषय में आपने मुझे महत्वपूर्ण अनुपूरक पूछने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, होमगार्ड आज हर जगह प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। चाहे वह कलेक्ट्रेट हो, चाहे डी0एम0 या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो उनकी सुरक्षा में लगे हैं। बैंकों की सुरक्षा में होमगार्ड लगे हैं। रात में जनता की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गली-चौराहों पर होमगार्ड लगे हैं, चुनाव ड्यूटी हो तो होमगार्ड लगे हैं अर्थात् जिस तरह का कार्य पुलिस करती है उससे इतर कार्य होमगार्ड नहीं करते हैं और जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया उन्होंने बताया कि यह स्वयंसेवी पद है। काम आप पुलिस के बराबर ले रहे हो, अगर उनके मानदेय बढ़ाने की बात या उनके हक और अधिकारों की बात होती है तो आप कहते हैं कि स्वयंसेवी पद है। अभी तो संज्ञान में आया कि आप उनको आपदा प्रबन्धन की भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं अर्थात् वह और बड़ा काम करेंगे, लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से होमगार्डों के सन्दर्भ में अनुपूरक पूछना चाह रहा हूँ। मान्यवर, मेरा पहला अनुपूरक है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 2019 में होमगार्डों का मानदेय 600 रुपये किया गया, जबकि माननीय न्यायालय ने यह निर्देशित किया था कि पुलिस कर्मियों के समान होमगार्डों को भी वेतन दिया जाय। जब 2019 में आपने लागू किया तो उस समय पुलिस कर्मियों का वेतन लगभग 750 के करीब था, आपने 600 लागू किया।

नोट :-† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-306-308 पर।

मेरा पहला अनुपूरक है कि जो माननीय न्यायालय का निर्देश था उसके अनुरूप जब 2019 में आपने 600 रुपये मानदेय लागू किया, क्या आप उसको 750 रुपये करने का काम करेंगे ? आपके जवाब में आया है कि जो 40327 होमगार्ड हैं उनको नियमित करने का काम करेंगे। मान्यवर, मेरा दूसरा अनुपूरक है कि जैसे कोई भी कर्मचारी 60 साल की सेवा करने के बाद जब वह रिटायर होता है तो कुछ उम्मीद करता है कि हमने इतने दिन तक सेवा की है। हमारे रिटायरमेंट के बाद कुछ-न-कुछ हमें सहयोग मिलेगा। मान्यवर, आप देखेंगे कि इस समय चाहे वह प्राइवेट संस्थान हो या कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, कोई भी हो उनका पी0एफ0 कटता है और होमगार्ड के 60 साल में रिटायर होने के बाद भी उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा यह अनुपरक है कि क्या जो हमारे होमगार्ड भाई हैं उनका भी पी0एफ0 काटकर 60 साल के बाद जब वह रिटायर होंगे तब उनको पी0एफ0 के रूप में सहयोग देने का काम करेंगे। आपकी अनुमति से मेरा एक आखिरी निवेदन है कि महीने में 30 दिन हमारे होमगार्ड काम करते हैं, उनका भी घर-परिवार है, उनके भी बाल-बच्चे हैं, खेती है, किसानी है, चाहे जाड़ा हो, धूप हो, गर्मी हो, हर परिस्थिति में यह काम करते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुपूरक है कि क्या इन होमगार्ड कर्मचारियों को भी महीने में 2-3 दिन नियमित छुट्टी या अवकाश देने का शासनादेश सरकार जारी करेगी।

श्री अखिलेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ा सीधा सा प्रश्न था होमगार्ड के जवानों के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से कि होमगार्ड के सिपाहियों से जब हम काम लेते हैं तो जिस तरीके से पुलिस के जवानों से ड्यूटी ली जाती है उसी तरह से होमगार्ड के सिपाहियों को भी लगाया जाता है। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जहां कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं या जब कभी भी संवेदनशील घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले उस मौके पर होमगार्ड के जवानों को ही लगाया जाता है तो माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न था कि अगर हम पुलिस के जवानों के बराबर इन होमगार्ड के जवानों से काम लेते हैं तो क्या जिस तरीके की सरकारी सुविधाएं पुलिस के जवानों को दी जाती हैं वही सुविधाएं होमगार्ड के सिपाहियों को भी दी जायेगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18000 रुपये 30 दिन का महीना मान करके होमगार्ड के जवानों को दिया जाता है और यह एक स्वयंसेवी संस्था है इसमें सरकार की सेवा शर्तें लागू नहीं होतीं। माननीय अध्यक्ष जी, हम मंत्री जी से यह पूंछना चाहते हैं कि जब सारी ड्यूटी उनके भर्ती होने के नियम-कानून उनके 60 साल बाद रिटायर होने के नियम-कानून सब कुछ पुलिस के जवानों के तर्ज पर किया जाता है, उसी तौर-तरीके से किया जाता है तो आखिरकार उन्हें सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है ? हम इसलिए कह रहे हैं कि आज की तारीख में होमगार्ड के जवान अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी न पाने के कारण मजबूरी में होमगार्ड की नौकरी स्वीकार करते हैं और जब यह बेचारे रिटायर हो करके घर को जाते हैं तो जीरो बैलेंस पर जाते हैं। उनके भी

बाल-बच्चे और परिवार हैं। 60 साल के बाद वह किसके सहारे रहेंगे, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या भविष्य में होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस के जवानों की तरह उनकी सेवा शर्तों, नियम-कानून और उनकी वेतन वृद्धि पर सरकार विचार करेगी ? धन्यवाद।

श्री धर्मवीर प्रजापति-

अध्यक्ष जी, धन्यवाद। 1962 के बाद केन्द्र सरकार द्वारा 1963 में पहले होमगार्ड की स्थापना की गई थी। मान्यवर, यह उसी समय से स्वयंसेवी संस्था है और 2017 के पहले होमगार्डों की 98711 संख्या थी और उस समय होमगार्डों को 35,000 ड्यूटी मिलती थी। आज हमारे पास 78,000 होमगार्ड हैं और शत-प्रतिशत हमारे होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलती थी। 2017 के पहले हमारे होमगार्ड को 375 रुपये मिलते थे। हमारी सरकार ने 2018 में उसे बढ़ा करके 500 रुपये किया और 2019 में 100 रुपये उसमें और जोड़े एवं 600 रुपये किया, प्लस महंगाई भत्ता भी उसमें जोड़ दिया। जब-जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तब-तब हमारे होमगार्ड के पैसे निरन्तर स्वयं अपने आप बढ़ेंगे। हमने यह व्यवस्था की है। अगर हम 2017 के पहले की बात करें तो एक-तिहाई ड्यूटी आपकी सरकार में मिलती थी तो उस समय भी चिन्ता हो जाती। 2018 में और 2019 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिन्ता की और दो बार उनका मानदेय बढ़ाया, साथ-साथ में महंगाई भत्ता भी जुड़ गया। जब-जब महंगाई भत्ते की वृद्धि होगी, तब-तब स्वयं अपने आप ही उनका महंगाई भत्ता बढ़ जायेगा। हमने होमगार्डों के परिवारों की चिन्ता की। 2017 से पहले उनको जो कपड़ा मिलता था, उस समय की वर्दी सबने देखी थी। अब हमारी सरकार सीधे 3,000 रुपये होमगार्डों के खाते में भेजती है और वह स्वेच्छा से अपनी वर्दी बनवाते हैं।

अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो 2017 से पहले जो सरकार थी, भगवान न करे कि किसी के साथ दुर्घटना हो, पहले अगर दुर्घटना में हमारे होमगार्ड जवान की मृत्यु हो जाती थी तो बीमा के माध्यम से उसके परिवार को 5 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती थी और उसमें बड़ी लम्बी प्रक्रिया थी, बड़ी कठिन प्रक्रिया थी और उसमें महीनों लगते थे। हमारी सरकार में आज की स्थिति में होमगार्ड का जवान जबसे भर्ती हुआ है और जब रिटायर होगा, चाहे वह घर पर है या ड्यूटी पर है, वह कहीं भी है, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हमारी सरकार 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि सीधे उसके खाते में दे देती है। इसके साथ-साथ हमने उनके परिवारों की भी चिन्ता की है। हमने बैंकों से बातचीत की है। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है। हमारा होमगार्ड का जवान बैंक में खाता खोलेगा, उसमें उसका एक रुपया नहीं कटेगा। वह केवल अपना ड्यूटी भत्ता लेगा और उसका प्रयोग करेगा। अगर वह कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो 35 से 40 लाख रुपये उसको ऐसी दुर्घटना में मिलेगा और सरकार के 5 लाख रुपये, उसके परिवार की चिन्ता करके हमने व्यवस्था की है। 2022-23 में 610 लोगों को हम यह व्यवस्थाएँ दे चुके हैं और 2023-24 में 429 लोगों को ये व्यवस्थाएँ दे चुके हैं, जो

5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। बैंकों के माध्यम से अब तक 41 होमगार्ड आश्रितों को 13 करोड़ 56 लाख 50 हजार की अनुग्रह राशि दे चुके हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे होमगाड्र्स का जवान हर समय चाहे बरसात, जाड़ा, गर्मी हो, हर चौराहे पर दिखाई देगा। यह चिन्ता हमें भी है, तभी हमारी सरकार ने यह व्यवस्थायें की हैं। कोविड काल में भारत ही नहीं पूरा विश्व बन्द था, उस समय जब श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा रहा था, तो होगमाड्र्स का जवान, स्वयं अपनी और अपने परिवार की चिन्ता किये बिना, उन श्रमिकों को घर तक छोड़ कर आया था, तब कहीं पानी की बोतल भी नहीं मिलती थी।

(विपक्ष के किसी सदस्य के बोलने का प्रयास करने पर)

यह हमने ही बढ़ाये हैं। इस समय हमारे होमगाड्र्स को 876 रुपये प्रतिदिन मिलता है। इस समय भर्ती की कोई प्रक्रिया हमारे पास विचाराधीन नहीं है।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न थे, पहला तो आपने अभी कहा है, यह अच्छी बात है, आप भी मानते हैं कि होमगाड्र्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मान्यवर, हमारा इतना भारी भरकम बजट है, जो होमगाड्र्स 24 घंटे काम करते हैं उनका वेतन अथवा मानदेय बढ़ाने में क्या हर्ज है। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था, क्या उनका पी0एफ0 कटाने पर सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी ? आपने वर्ष 1962 का जिक्र किया उस समय 8 करोड़ आबादी थी, आज 2024 चल रहा है तो 24 करोड़ आबादी है। जब आपने माना है कि वह बहुत अच्छे थे तो उनका मानदेय कम-से-कम डेढ़ हजार, दो हजार कर दीजिये। उनको आप ट्रेनिंग देकर एन0एस0जी0 कमांडों बना रहे हैं। जब वह वेतन मांगते हैं तो आप निचले स्तर के कर्मचारी का वेतन दे रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब वह पुलिस के समान सेवा कर रहे हैं तो कम-से-कम उनको भी लगे कि हमको भी सरकार द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है।

प्रदेश में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में वाहन दुर्घटनाओं तथा उक्त अवधि में दुर्घटनाओं के सापेक्ष मृतक आश्रित परिवारों को वाहन दुर्घटना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

***4-श्री सचिन यादव-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में वाहन दुर्घटनाओं तथा उक्त अवधि में उक्त दुर्घटनाओं के सापेक्ष मृतक आश्रित परिवारों को वाहन दुर्घटना के अन्तर्गत मिलने वाली 05 लाख रुपये की सहायता राशि का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि वाहन दुर्घटना के अन्तर्गत मृतक आश्रित परिवार को मिलने वाली सहायता राशि को दिये जाने के तय मानक क्या हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाहन

दुर्घटना से होने वाली मौतों में उपरोक्त के अतिरिक्त मृतक आश्रित परिवार की सहायता हेतु कोई अन्य योजना संचालित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

वाहन दुर्घटनाओं में मृतकों/घायलों के आश्रितों को 05 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिये जाने का कोई प्रावधान परिवहन विभाग के स्तर पर विद्यमान नहीं है।

परिवहन विभाग द्वारा केवल सार्वजनिक सेवायानों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक/घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम-30 एवं 31 में उद्धरित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी के स्तर से मृतक/घायलों के सम्बन्ध में जांच आख्या प्राप्त होने पर सहायता धनराशि आंवटित की जाती है।

उ0प्र0 मोटरयान कराधान (छठवां संशोधन) नियमावली, 2009 के नियम-30 की अनुसूची के आधार पर सहायता राशि प्राविधानित की गयी है, जिसमें संशोधन के अनुसार मृतक बस यात्री की दशा में रु0 40,000/- (चालीस हजार रुपये) तथा अन्य मृतक की दशा में रु0 10,000/- (दस हजार रुपये) आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 135 मृतकों के आश्रितों को रुपये 20.85 लाख एवं वर्ष 2022-23 में (दिसम्बर, 2022 तक) 58 मृतकों के आश्रितों को रुपये 12.20 लाख की आर्थिक सहायता आवंटित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, आपने मुझे वाहन दुर्घटना से मिलने वाली प्रश्न करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न लगाया था उसमें सरकार ने 5 लाख रुपये देने से साफ मना कर दिया है। 40 हजार रुपये सहायता राशि मृतक को देने की बात की है। व्हीकल टैक्स से जो रेवन्यू सरकार को मिल रहा है वह इसी बजट के अनुसार साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये मिल रहा है। कामर्शियल व्हीकल्स से जो टैक्स मिल रहा है उसकी आमदनी अलग है। बस किराये से जो रेवन्यू आ रहा है वह अलग आ रहा है। टोल टैक्स, डीजल, पेट्रोल इन सबसे जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वह अलग से आ रहा है। उसके बावजूद 5 लाख राशि को रिजेक्ट कर दिया है, 40 हजार रुपये देने की बात कही है। जो वाहन दुर्घटनायें एक्सीडेंट से होते हैं, उसके दो जो सबसे बड़े कारण हैं वह है रोड सेफ्टी मेजर्स न होना या ड्रंक ड्राइविंग। आप देखेंगे गाँव की रोडों पर कहीं पर भी व्हाइट लाइन नहीं है, सेन्ट्रल लाइन नहीं है, कोई

रोड सेफ्टी मेजर्स नहीं लिये जाते। जब लिये नहीं जाते, दुर्घटना हो जाती है तो सिर्फ चालक की गलती है। इसमें रोड सेप्टी मेजर्स की गलती है। जबकि सरकार रोड सेफ्टी मेजर्स का प्रचार भी करती है लेकिन उसको सड़क पर नहीं लगाना चाहती। ड्रंक ड्राइविंग से जो दुर्घटनायें होती है आबकारी की आमदनी 60 हजार करोड़ रुपये है। मान्यवर, शराब बेच कर 60 हजार करोड़ रुपये की आमदनी करते हैं लेकिन सहायता राशि देने में कंजूसी करते हैं। जहाँ पर हमारी जनता पर 5-6 तरह के अलग-अलग तरह के टैक्स इस बात पर लगाये जाते हैं कि वह रोड पर चलने का काम करते हैं या सरकारी व्यवस्थाओं की कामर्शियल व्हीकल्स पर चलने का काम करते हैं तो जब उनके साथ दुर्घटना हो जाये, जब उनको जरूरत हो सरकार के मदद की तब उनको 40 हजार से ज्यादा मिलना चाहिए। मान्यवर, बजट में 50 लाख रुपये का आवंटन किया है और 50 लाख रुपये का आवंटन करके खर्चा सिर्फ 12 लाख ही किया, इसी सहायता राशि पर, तो जो आप दे रहे हो वह भी पूरा नहीं दे रहे हो। 201 रिपोर्टेड इंसिडेंट पर, जिलाधिकारी को पूरा अधिकार है कि उस पर आख्या प्राप्त करके सबको दे दे। 201 रिपोर्टेड इंसिडेंट पर उन्होंने सिर्फ 45 लोगों का निस्तारण किया है। तो इतनी सेंसिटिव सरकार है, इतने सेंसिटिव अधिकारी हैं कि जो बजट सरकार ने दिया है उसको भी आप खर्च नहीं करना चाहते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पूछे गये अनुपूरक का जवाब आ जाय क्योंकि घुमा फिरा कर बात हो जाती है हम जनता के प्रश्न पूछना चाहते हैं और जनता को जवाब नहीं मिल पाता है।

श्री अध्यक्ष-

जवाब तो मा0 मंत्री जी देंगे, आपकी मर्जी का जवाब आये इसकी कोई गारण्टी नहीं है, क्या आप अपना जवाब भी तय करेंगे।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, जवाब नहीं तय करेंगे लेकिन जो प्रश्न पूछे हैं उन पर डायरेक्ट जवाब आये।

श्री अध्यक्ष-

आप डायरेक्ट पूछिये, आपने तीन मिनट तो भाषण दिया है, डायरेक्ट प्रश्न कहां पूछा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, मान्यवर, क्या सरकार मृतक जो पैसेंजर व्हीकल के साथ-साथ प्राईवेट व्हीकल के भी यात्री हैं क्या सरकार उनको सहायता राशि देने पर विचार करेगी। दूसरा, जो रिपोर्टेड इंसीडेंट सहायता राशि में होते हैं क्या उनको टाइमबाउंड किया जायेगा, जिससे कि अधिकारी लोग उनको पेंडिंग में न डालें और बजट का पूरा इस्तेमाल करें,

तो मान्यवर टाइमबाउंड किया जायेगा या नहीं और किया जायेगा तो प्रपोजल कब तक लाया जायेगा। पेंडिंग प्रकरणों पर जांच बैठा कर समय से निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जायेगी, यदि सरकार करेगी तो कब तक और नहीं करेगी तो क्यों नहीं ? 40 हजार की जो सहायता राशि है उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी या नहीं, क्योंकि उससे रेवेन्यू आपका कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का है। यह मेरे चार अनुपूरक हैं मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अनुपूरक पर डायरेक्ट जवाब दे दें।

श्री दयाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वाहन दुर्घटनाओं में मृतकों, घायलों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि दिये जाने का कोई प्रावधान परिवहन विभाग के स्तर पर विद्यमान नहीं है। परिवहन विभाग द्वारा केवल सार्वजनिक सेवायानों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक/घायलों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 एवं 31 में उद्धरित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी के स्तर से मृतकों/घायलों के सम्बन्ध में वाद संख्या प्राप्त होने पर सहायता धनराशि दी जाती है।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, फिर से स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है।

(मंत्री श्री दयाशंकर सिंह एवं सदस्य श्री सचिन यादव के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं हैं यह आपका अधिकार है लेकिन मैं मा0 मंत्री जी को कहूँ कि ये जवाब दीजिये, यह सम्भव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर सकता हूँ कि जवाब दें लेकिन क्या जवाब देंगे यह न तो मैं कह सकता हूँ और न आप कह सकते हैं।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि केवल मेरे अनुपूरक का जवाब दे दें।

श्री दयाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, 1997-98 में यह निर्धारित किया गया था कि 40 हजार और 10 हजार रुपया दिया जाय। 2009 में इन्हीं की सरकार थी उसको इन्होंने रिवीजन करके फिर से 40 हजार और 10 हजार किया। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगली बार जब आप सदन में आयेंगे तो मैं इसको कई गुना बढ़ाऊंगा, क्योंकि 27 साल से कुछ नहीं बढ़ा है, यह सही है, इसको मैं मानता हूँ लेकिन आपकी सरकार ने 2009 में रिवीजन करके 40 हजार

किया तो इसके दोषी आप हैं। जहां तक आपने दुर्घटनाओं के बारे में प्रश्न किया है तो मा0 पिंकी सिंह जी का प्रश्न आगे लगा है उसमें जवाब दे दूंगा।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, जो आवंटन था उस पर 12 लाख आपने यूज किया तो पूरा क्यों नहीं यूज किया, पेंडिंग के निस्तारण को टाइमबाउंड कर दीजिये क्योंकि आपका जो आवंटन है वह यूज नहीं हो पा रहा है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, क्लियरकट आश्वासन आ चुका है कि अबकी बार जब हाउस लायेंगे तो ज्यादा बढ़ा देंगे, जो आप चाहते थे वह तो हो गया, अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है।

श्री सचिन यादव-

ठीक है, मान्यवर, धन्यवाद।

श्रम विभाग में विगत 05 वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण तथा पंजीकृत बेरोजगारों को दिये गये रोजगार का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

***5-श्री मौहम्मद फहीम इरफान तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में विगत 05 वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों द्वारा पंजीकरण कराया गया तथा वर्तमान में पंजीकृत कितने बेरोजगारों को विगत पांच वित्तीय वर्षों में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन कर रोजगार दिलाया गया एवं वर्तमान में कितने शेष हैं ? क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

विगत 05 वर्षों में सेवायोजन पोर्टल पर 24,99,849 बेरोजगारों द्वारा पंजीकरण कराया गया है।

सेवायोजन विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से शासकीय विभागों एवं अधीनस्थ संस्थाओं हेतु जेम के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा एवं निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है।

रोजगार मेलों के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 9,50,042 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार मेलों के माध्यम से 1,32,000 जॉब सीकर्स को निजी क्षेत्र में चयन कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2023 तक 1,68,027 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मौ0 फहीम इरफान-

मान्यवर, मेरा प्रश्न प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने और अब तक सरकार द्वारा किये गये प्रयास को जानने विषयक प्रश्न था। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या न केवल बढ़ रही है बल्कि यह बहुत ही गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। इसका बड़ा सबूत 12 हजार महिला आरक्षियों के लिए 15 लाख आवेदन और 60 हजार पुरुष आरक्षियों के लिए 45 लाख से अधिक युवाओं का आवेदन करना है। आशा है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में अपनी कथनी करनी एक समान बनायेगी।

क्षमा चाहता हूँ कि मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से तारांकित प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इस सेवायोजन पोर्टल पर जो बेरोजगार आपने 24 लाख 99 हजार 849 के जो पंजीकरण मांगे हैं, उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2023 के मध्य जिन साढ़े 9 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गयी है, उनमें से सरकारी क्षेत्र में कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया है ? मा0 अध्यक्ष जी मंत्री जी बहुत होनहार भी हैं और बड़े भाई भी हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि यह सरकार प्रति वर्ष बेरोजगार पोर्टल पर पंजीकृत हो रहे बेरोजगारों के सापेक्ष, रोजगार देने की योजना बनाएगी ? मा0 अध्यक्ष जी क्या सरकार सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों को मासिक गुजारा भत्ता देगी ?

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी हम बहुत आभारी हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अनुपूरक करने का मौका दिया। महोदय हम सब इस विषय को हर सत्र में लाने का जो प्रयास करते हैं, उसका मात्र एक उद्देश्य होता है कि हम यहां सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ी है। हम सबने जानना चाहा था कि कितने लोग आपने 5 साल में दर्ज किये, तो मंत्री जी ने बताया कि 24 लाख कुछ हजार लोगों को हमने और फिर हमने जानना चाहा कि कितने गैर सरकारी, सरकारी, तो मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इतना रोजगार मेले के माध्यम से, लेकिन जो असल सवाल पर हम उत्तर चाहते हैं, कि आपने सरकारी नौकरियों में कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया ? महोदय पिछली बार भी जब हमने पूछा था, तो मंत्री जी ने उसका सीधा-सीधा उत्तर नहीं दिया और अबकी बार भी मंत्री जी ने सिर्फ रोजगार मेले का जिक्र किया। उस बार भी हम उसको प्रश्न में नहीं जोड़ पाए, कि जो आप रोजगार मेले आयोजित करते हैं, उसमें बहुत मेधावी छात्र भी जाने का काम करते हैं। यह सही है कि रोजगार मेले में आप प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रोजगार मेले में जो लोग जा रहे हैं, चयन तो कम्पनियां ही कर रही हैं, लेकिन इतना कम वेतन है कि उससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण कुछ ही महीने बाद अगर

वह आंकड़ा मंत्री जी मंगा लें मान्यवर, तो आंकड़ा जितना यह चयन करते हैं बाद में बस थोड़े से लोग रह जाते हैं, बाकी लोग कहीं न कहीं उस जॉब को छोड़ने का काम करते हैं। यह नहीं मान्यवर कि उनको नौकरी सरकारी सेवा में मिल गयी।

महोदय 5 साल का हमने माना था कि विगत दिनों देश में भयावह स्टेज से गुजरा। कोविड आया और आपने देखा होगा कि दुनिया देशों के जितने महत्वपूर्ण शहर थे चाहे गुजरात हो, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, कितने मजदूर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े। संसाधनों से, अपने पैरों से और भी कैस-कैसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यदि सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए प्रयास कर लेती तो आज इतनी बड़ी कठिनाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र के अन्दर, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता जो यहां का बेरोजगार युवक ऐसे शहरों में जाकर रोजगार की तलाश में है। तो उनका बहुत कुछ बचने का काम होता, लेकिन मान्यवर सरकार तो वन डिस्ट्रिक वन उत्पाद उसी से जुड़ी है। बापू ने कहा था कि अगर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर हम रोजगार से लोगों को जोड़ पायेंगे। अब तो इन्वेस्टर समिट है लेकिन उसमें भी आपका जो टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से लक्ष्य की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आज कोई उत्तर प्रदेश का घर नहीं बचा है जहां बड़ी तादात में बेरोजगार न हों। इसलिए हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि मंत्री जी इस महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न पर आप कोई न कोई योजना बनाइये, जिससे हम स्थानीय स्तर पर रोजगार देने में सफल हों। और आपके सरकारी विभागों में जो वैकंसियां हैं। पंचायती राज का सफाई विभाग आज इतना बड़ा है, आप उसको भरने का काम नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में अगर वार्ड ब्वाय, स्टाफ नर्स और चौकीदार की भर्तियाँ हो जातीं, तो आपके लाखों रोजगार उसमें समायोजित हो जाते। हमारा पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग तो इधर कुछ काम ही नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संग्राम यादव जी, प्रश्न पूछिए।

डा0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी और करेगी, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री मौहम्मद फहीम इरफान जी ने जो कहा है, पहले मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। आपने पूछा कि पिछले पाँच वर्ष में कितने लोगों ने सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अपने को पंजीकृत कराया है, तो हमने उसका उत्तर दिया है। आपने शेष लोगों

के बारे में जानना चाहा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हमारे पोर्टल पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कहीं निजी क्षेत्र में सेवायोजित हो गये या स्वरोजगार से अपने आपको जोड़कर बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर लिया, तो आप हमारे पोर्टल से हट जाइए, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जो लोग एक बार हमारे पोर्टल पर आ जाते हैं, वह और बेहतर अवसर की तलाश में हमारे पोर्टल पर बने रहते हैं। ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, आपको लगता है कि इतने लोगों ने ही अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, तो वह संख्या वहीं तक बनी है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को हम सेवायोजित कर दे रहे हैं, वह भी पोर्टल पर बने हुए हैं, वह हटे नहीं हैं, इसलिए यह संख्या आपको दिख रही है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संग्राम जी और मा0 फहीम जी ने जिस बात को कहा कि सरकारी विभागों में सरकार जो नौकरी दे रही है, वह सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 से लेकर 31 अक्टूबर, 2023 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज 43240, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ 31504, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज 5206, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज 4074, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विद्युत सेवा आयोग 8614, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ 155916, बेसिक शिक्षा विभाग 120554 लोगों को सेवायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों में हमने जो संविदा पर लोगों को रखा है, तो श्रेणी 'क' के 58, 'ख' के 153, 'ग' के 86900 और श्रेणी 'घ' के 928 लोगों को रखा है। कुल मिलाकर संविदा के आधार पर हमने 88039 लोगों को सरकारी सेवा में सेवायोजित करने का काम किया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी श्रेणी 'क' के 25, 'ख' के 815, 'ग' के 55194 और 'घ' के 47571 लोगों को, सब मिला-जुलाकर 103605 लोगों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित करने का काम किया है और 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजित करने का काम किया है।

मान्यवर, स्थानीय स्तर पर आपने जो रोजगार की बात कही है, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे सदन और प्रदेश के लोगों और अपने युवा साथी को भी अवगत कराना चाहता हूँ, कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है, उसका परिणाम है कि आज देश के अन्दर उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर 2.9 पर आ गया है और यह पूरे देश में सबसे बेहतर प्रयास है। इस तरह का प्रयास कभी किसी ने नहीं किया। अभी हम तो स्वरोजगार पर आये ही नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर हमने करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जोड़ा है। अगर आप आदेश देंगे तो मैं उसका भी डिटेल आपके सामने रख दूंगा।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 मंत्री जी, डिटेल में बता दीजिए।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कामगार आज इजराइल जा रहे हैं। इजराइल और भारत के जो हमारे सम्बन्ध हैं, वह उसको मजबूत और प्रगाढ़ कर रहे हैं। इजराइल के नव निर्माण में उत्तर प्रदेश का कामगार भागीदार बन रहा है। हमारे 5087 कामगार इजराइल जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस बात की सूचना भी पूरे सदन को देना चाह रहा हूँ। अगर आपका आदेश हो तो जो मा0 सदस्य संग्राम जी स्वरोजगार के बारे में कह रहे हैं, वह बता दूं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्नकाल है, डिबेट नहीं हो रही है।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, वह डिटेल मेरे पास है। आप कहें तो मैं स्वरोजगार के बारे में डिटेल भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप डिटेल भिजवा दीजियेगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में सर्विस प्रोवाइडर (कान्ट्रेक्ट बेस) भर्तियों के स्थान पर उक्त पदों पर स्थाई भर्ती तथा पूर्व से तीन वर्षों से कार्य कर चुके कार्मिकों को नियमित करने के सम्बन्ध में

***6-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्विस प्रोवाइडर (कान्ट्रेक्ट बेस) भर्तियों के स्थान पर उक्त पदों पर स्थाई भर्ती तथा पूर्व से तीन वर्षों से कार्य कर चुके कार्मिकों को नियमित करने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थानों में मैनपावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्ड सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सर्विस प्रोवाइडर और स्थायी भर्ती के सम्बन्ध में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो नियुक्तियां हो रही हैं, इसमें कर्मचारियों का

शोषण हो रहा है और मजदूरों जैसी उनकी स्थिति है। मा0 मंत्री जी ने अभी कहा है कि जो कुशल नहीं हैं, उन्हें 10,575, अर्द्धकुशल को 11,303 और कुशल को 12,666 देते हैं। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि जो इनके सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से सफाई कर्मी लिये जाते हैं, इनका 366 रुपये 14 पैसा निर्धारित है, स्थिति यह है कि उनके 30 दिन के स्थान पर 26 दिन का ही वेतन लगाया जाता है और वह भी 9,530 होता है, उसमें से पी0एफ0 भी काट लेते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर के लोग हैं, वह तो उद्योगपति बनते जा रहे हैं। अगर एक सर्विस प्रोवाइडर ने 1000 लोगों को नौकरी दी तो कम से कम उसे 10 परसेन्ट अतिरिक्त मिलता है, उसे 10 लाख रुपये प्रतिमाह मिल जाता है। वहीं कर्मचारी 8,000 रुपये पा रहा है और जो बिचौलिया/सर्विस प्रोवाइडर है, वह 10 लाख रुपये पा रहा है। इस मामले में मेरा इतना कहना है कि इन कर्मचारियों की मजदूरों जैसी स्थिति है। सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही भर्ती नहीं करता है उसके लिए या तो कोई सिफारिश होगी या जो काम करने वाला है, वह 20,000, 25,000 या 30,000 उसे देगा तब वह करता है और वह वेतन 8,291 रुपये पाता है। वह नौकरी 12 महीने के लिए पाता है, 12 महीने बाद वह पैदल हो जाता है। दोबारा नौकरी के लिए वह फिर से 25,000, 50,000 दे और सिफारिश कराये। स्थिति बड़ी खराब है। इतनी खराब है कि उनका जीवन दुश्वार है।

इसी तरीके से और भी जो कर्मचारी हैं, रसोईया 2000 पाते हैं, आशा बहू 3500 पाती हैं, आशा संगिनी 2500 पाती है, पंचायत सहायक 6000 पाते हैं, केयर टेकर 6000 पाते हैं, आंगनबाड़ी 6000 पाती है, सहायिका 2500 पाती हैं। जो मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि अर्द्धकुशल और कुशल उनसे भी बहुत कम वेतन है। मा0 मंत्री जी से मेरा इतना कहना है कि मा0 मंत्री जी सर्विस प्रोवाइडर दोहन कर रहा है, उद्योगपति बनता जा रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। वहीं पिछली सरकारों में जो गाँव में सफाईकर्मी हैं, वह उसी काम का 35,000 से 40,000 रुपये पा रहे हैं और उसी काम का जो हमारा सफाईकर्मी नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं में है, वह 8200, 8500 रुपये पा रहा है। बहुत अन्तर है, जीवनयापन मुश्किल हो गया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या सर्विस प्रोवाइडर की व्यवस्था को समाप्त करके सरकार मानदेय के आधार पर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? दूसरा संविदा या मानदेय कर्मी जो लगातार तीन वर्ष काम कर चुके हैं, उनको नियमित करने या सरकारी कर्मियों की भांति सुविधायें देने पर सरकार विचार करेगी ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो आप कुशल, अर्द्धकुशल के बारे में कह रहे हैं, उसी श्रेणी में क्या रसोइया, आशा बहू, आशा संगिनी, रोजगार सेवक, केयर टेकर, आंगनबाड़ी सहायिका को भी रखकर मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे ?

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, एक तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से जेम पोर्टल की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जिनको भी आवश्यकता होती है, वह जेम पोर्टल पर जाते हैं और वहाँ आउटसोर्स कर के अपनी जो माँग है उसके

हिसाब से पूर्ति करते हैं। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने की ऐसी कोई योजना हमारी नहीं हैं यह एक बात है। दूसरी बात जो आउटसोर्स का कर्मचारी आता है वह शॉर्ट टाइम के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर रख लिये तो वह हमने हमेशा के लिए रख लिया। हमारे विभाग को किसी भी विभाग को जितने देर तक आवश्यकता लिए वह आता है और उसी हिसाब से उसका मानदेय तय होता है। इसलिये वह बात भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और दूसरा जो तीन वर्ष हम काम कर लिये उसको सरकारी सेवा योजना में सरकारी सेवाओं में सेवायोजित करेंगे कि नहीं करेंगे यह आप जानना चाहते हैं तो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वह किसी कम्पनी के एम्प्लॉई हैं इसलिए हम उनको अपनी सरकारी सेवाओं में सेवायोजित नहीं कर सकते हैं।

प्रदेश में निर्मित एक्सप्रेस-वे श्रेणी मार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से जनहित में सड़क सुरक्षा नीति बनाने के सम्बन्ध में

***7-श्रीमती पिंकी सिंह, श्री शहजिल इस्लाम अंसारी तथा श्री जियाऊर्रहमान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्मित एक्सप्रेस-वे श्रेणी मार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से जनहित में कोई सड़क सुरक्षा नीति सरकार लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

शासनादेश संख्या 1575/30-3-2014-32एम/2013 टीसी, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा प्रदेश में 'राज्य सड़क सुरक्षा नीति' लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे सड़क दुर्घटना जो एक्सप्रेस-वे श्रेणी की सड़कों पर सड़क दुर्घटना पर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। आज प्रति घंटा उन्नीस व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं और लगभग तिरेपन व्यक्ति प्रति घंटा चोटिल और घायल होते हैं। आज बात करें जहां देश की और देश में उत्तर प्रदेश की तो आज उत्तर प्रदेश ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में पांचवे स्थान पर तथा अगर बात करें उस सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर की तो आज पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जहां डबल इंजन की सरकार चल रही हो जहां आपसी सामंजस्य के साथ इसको रोकने का काम करना चाहिए वहीं आज 2022-23 की तुलना में जो है अगर मृत्यु दर ऐसी दुर्घटनाओं पर हम बात करें तो 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जहां पर चोटिल हुए व्यक्तियों की अगर बात करें तो 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सरकार संवेदनहीन बनी हुई है।

मेरा प्रश्न एक्सप्रेस-वे श्रेणी के मार्गों पर लगातार हो रही दुर्घटना में कहीं न कहीं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के ऊपर था लेकिन हर बार की तरह यह परम्परागत तरीके से मा0 मंत्री जी का एक औपचारिक जवाब ही आया। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि

क्या मा0 मंत्री जी बताएंगे कि सड़क सुरक्षा नीति 2014 क्योंकि आज डिजिटल जमाना है और डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो 2014 की जो सड़क सुरक्षा नीति है उसकी वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप क्या सरकार संशोधन का आश्वासन सदन में रखेगी पहला प्रश्न यह है और दूसरा है कि क्या मा0 मंत्री जी ने जैसे अभी हमारे एक साथ के विधायक जी ने पूछा पांच लाख की बात हो रही थी लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा है कि आने वाले समय में एक अप्रैल से लगभग दो लाख रुपये ऐसी दुर्घटनाओं में देने का काम सरकार करने जा रही है। क्या इसकी सत्यता को भी मा0 मंत्री जी को तो सब जानकारी होगी क्या मा0 मंत्री जी बताएंगे कि सड़क दुर्घटना में दिये जाने वाला जो मुआवजा है उसकी समय-सीमा को निर्धारित करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया कर के आपस में बात मत करिये। अगर किसी को बात करना बहुत जरूरी है तो वह पीछे लॉबी में चला जाये। यहां पर ज्यादा आवाज आ रही है और पिंकी जी की कम आ रही है यह मेरा एक निवेदन है।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मान्यवर, तीसरा मेरा अनुपूरक है कि ऐसी जो घटनाएं एक्सप्रेस-वे श्रेणी की सड़कों पर हो रही है क्या वहाँ पर त्वरित या जैसे दुर्घटनाओं के व्यक्तियों के लिए त्वरित इलाज के लिए प्रत्येक ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर और अस्पतालों का इंतजाम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब मुझे नाम लेकर बोलना पड़ेगा और अगर नाम लूंगा तो किसी को आपत्ति होगी कि मेरी नाम क्यों लिया। एक मिनट मा0 मंत्री जी आप बैठ जाइए प्लीज। मा0 मंत्री जी जब सबका प्रश्न आ जाएगा तो एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। प्रश्न यही है और इसी प्रश्न से सम्बन्धित दो मा0 सदस्य और हैं। जब वह भी पूछ लेंगे तो मा0 मंत्री जी आप सबका एक साथ उत्तर दे दीजिएगा मेरा यह निवेदन है।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे तारांकित प्रश्न के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिये मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद पेश करता हूँ। मैं यह बताना चाहूँगा कि हर श्रेणी के मार्गों पर आए दिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और वाहन चालक उन मार्गों पर तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाते हैं, इसी वजह से खासकर एक्सप्रेस-वे श्रेणी के मार्गों पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। कोहरे के समय हालात और भी अधिक गम्भीर हो जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा, जनपद बरेली की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा में नैनीताल रोड स्टेट हाई-वे पर एक माह पहले एक गम्भीर दुर्घटना घटित हो

गयी थी, जिसमें एक ही कार के अन्दर एक ही परिवार के 07 लोग सवार थे जिसमें मासूम बच्चे भी थे, एक्सीडेंट के फलस्वरूप वह कार जल कर खाक हो गयी थी। मा0 नेता सदन तथा मा0 नेता विरोधी दल ने भी इस पर गहरी शोक-संवेदना प्रकट की है। पूरे प्रदेश और पूरे बरेली को इस घटना पर अफसोस है, क्योंकि यह घटना इतनी गमगीन थी कि जिसके कारण आज उनके घरों के चिराग जो रोशन थे वह चिराग बुझ चुके हैं और उनके घरों पर ताला लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

मान्यवर, यह प्रश्न भी है और मेरे क्षेत्र का मुद्दा भी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की जो दुर्घटना हुयी है तो क्या आपकी सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने का काम करेगी अथवा नहीं ? मेरा दूसरा प्रश्न भी इसी परिप्रेक्ष्य में है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार एक्सप्रेस-वे श्रेणी के मार्गों पर वाहन चालकों की सुविधा हेतु रख-रखाव एजेंसियों को विभिन्न प्रकार के संकेतक स्थापित करने हेतु निर्देशित करेगी अथवा नहीं ? इसी परिप्रेक्ष्य में मा0 मंत्री जी से मेरा एक और प्रश्न है कि क्या सरकार एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार अनियंत्रित होने के मानक तोड़ने पर स्वतः चेतावनी तथा उनके चालान किये जाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेगी अथवा नहीं ? पता नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई व्यवस्था है अथवा नहीं, लेकिन अन्य प्रदेशों में यह व्यवस्था है कि अगर हम लोग वाहन तेजी से चला रहे हैं तो उसकी वार्निंग आती है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार एक्सप्रेस-वे की श्रेणी के मार्गों का उच्च स्तरीय समिति द्वारा दोबारा निरीक्षण कराकर आज के परिप्रेक्ष्य में पुरानी नीति को संशोधित करने का प्रस्ताव रखेगी ? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री जियाउर्रहमान हैं ?

(सदस्य श्री जियाउर्रहमान के अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप उत्तर दे दें।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं पूरे पूर्वांचल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप पूरे पूर्वांचल का पूछना चाहते हैं जबकि यह प्रश्न पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। पूरे प्रदेश में पूर्वांचल भी आ जाता है। पूर्वांचल के लिये अलग नियम नहीं है। मा0 मंत्री जी, आप उत्तर दें।

***श्री दयाशंकर सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्या श्रीमती पिंकी सिंह जी ने कहा कि पिछले वर्ष से बढ़ोत्तरी हुयी है। यह आँकड़ा सही नहीं है। वर्ष 2021-22 से 2022-23 में आगरा और यमुना एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं में कमी आयी है। हम लोगों ने इस पर विशेष चिन्ता की है। इसके लिये मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है जिसकी प्रत्येक 03 महीने में एक बैठक होती है जिसमें कई विभागों के मंत्री और अधिकारी भी सम्मिलित होते है। सड़क सुरक्षा कोष एवं उच्च अधिकार समिति मा0 मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में इस कमेटी को गठित किया गया है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अधीन एक राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया गया है। जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है जो सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में महीने में एक बार बैठक करती है।

मान्यवर, हम लोगों ने अभी 44 इण्टरसेप्टर गाड़ियाँ जैसे कि स्कॉर्पियो है, आज आधुनिक मशीनों से लैस हैं, वह आपको एक्सप्रेस-वे पर देखने को मिलती होंगी। एक्सप्रेस-वे पर कैमरे लगे हुए हैं जिससे हाईस्पीड से चलने वाले वाहनों का तुरन्त ऑटोमैटिक प्रक्रिया द्वारा चालान हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि एक्सप्रेस-वे पर हाईस्पीड से गाड़ी चलाने वाले लोग कैमरे देखते ही स्पीड धीमी कर लेते हैं और फिर से स्पीड बढ़ा लेते हैं। इसके लिए हम लोग ए0एन0पी0आर0 कैमरों के माध्यम से चालान करने की कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें देखा जाता है कि आप इन कहां से हो रहे हैं और जब आउट होते हैं तो उसकी दूरी मानक के अनुसार है कि नहीं है, उस आधार पर चालान काटा जाता है। अभी मा0 सदस्य ने कहा तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 तक 8 लाख 53 हजार चालान किए हैं, जिनको अभी जीरो किया गया है। क्योंकि लोगोंको कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे जिससे लोगों को मुक्ति दिलाई गई है। अभी हमारे विभाग में एक ही आर0टी0ओ0 है जिससे हम लोग प्रशासन का काम लेते हैं, वी0आई0पी0 ड्यूटी लेते हैं। इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने हर जनपद में रोड सेफ्टी के लिए 75 आर0टी0ओ0 देने का आश्वासन दिया है। रोड सेफ्टी के लिए केवल एक आर0टी0ओ0 रहेगा, यह बहुत बड़ा विषय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा जो एन0एच0आई0 है, वह भी इस पर बहुत काम कर रही है। हर जगह उनकी एम्बुलेंस और कैमरे लगे हुए हैं। इस माध्यम से भी हम लोग चालान करते हैं, इसके लिए हमारे प्रवर्तन के दल अलग काम करते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इसको हम लोग चाहेंगे कि और बेहतर किया जाए। अभी पिंकी जी ने कहा कि हम पाँचवें नम्बर पर हैं, हम पाँचवे नम्बर पर नहीं, हम चौथे नम्बर पर हैं। लेकिन यदि आप आबादी की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है। 6 प्रदेशों के बराबर उत्तर प्रदेश है। फिर भी आप देखें कि हम लोगों ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। मैं मानता हूँ कि अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है जिसे हम लोग जारी रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस पर और सख्ती हो लेकिन जब ज्यादा सख्ती होती है तो आप ही लोगों की तरफ से आवाज आती है कि चालान ज्यादा कटने लगे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी न चालाये और इसमें आप लोग भी कोआपरेट करें। आप लोग भी हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर चलें ताकि आमजन भी इस बात को देखें कि जब हमारे जनप्रतिनिधि नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम भी इसका पालन करें।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वह भी हमारे ही मण्डल से हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे इस वक्त मौत का एक्सप्रेस-वे बना हुआ है। मेरे परिवार के दो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए जिनमें एक की तो जान चली गयी और एक कोमा में है। आये दिन वहाँ पर दुर्घटना होती है, जो वहाँ पर जो सेन्सर लगा हुआ है वह काम तो कर रहा है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो ट्रकें चल रही हैं, उनको लेफ्ट साइड चलना चाहिए लेकिन वह राइट साइड चल रहे हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा दुर्घटनायें हो रही हैं। मा0 मंत्री जी भी इसी एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो गाईडलाईन्स हैं उनको कितनी जल्दी फॉलो किया जाएगा और जो ट्रकें या गाड़ी वाले रूल तोड़ कर चल रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे और कितनी जल्दी सुरक्षा के इन्तजाम कर लिए जायेंगे ? बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दयाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग एच0एस0आर0पी0 के माध्यम से अभियान चला रहे हैं। कोई भी गाड़ी कहां है, उससे पता चलता है और उसको अनिवार्य रूप से कंट्रोल करने की कार्यवाही की जाएगी। इसे हम शत-प्रतिशत उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे है। सभी गाड़ियों पर एच0एस0आर0पी0 नम्बर हो और इसका हम लोग लखनऊ में एक कमाण्ड सेन्टर बना रहे हैं जिससे पता चलेगा कि कोई भी गाड़ी कहां पर है और कितनी स्पीड में चल रही है उसे लखनऊ से कंट्रोल किया जाएगा। आपने एक्सप्रेस-वे की बात उठाई है इस पर मैं कहना चाहूँगा कि वह एक्सप्रेस-वे अभी नया बना है, धीरे-धीरे हम लोग उस पर सारे सिस्टम लागू

कर रहे हैं। उस पर सबसे ज्यादा चलने वाला कोई व्यक्ति है तो वह मैं ही हूँ। इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहें हैं।

(इसी मध्य सदस्य, श्रीमती पिंकी जी के द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पिंकी जी अभी तक सिर्फ 6 प्रश्न हुए हैं।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मुआवजा देने की बात पूछी थी।

श्री दयाशंकर सिंह-

अगली बार उत्तर आ जाएगा।

प्रदेश की निजी चीनी मिलों में मजदूर हित की श्रम नीति बनाने के सम्बन्ध में

***8-श्री पंकज कुमार मलिक (अनुपस्थित)-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की निजी चीनी मिलों में मजदूर हित की कोई श्रम नीति है ? यदि हां, तो क्या चीनी मिल मजदूरों के लिए कोई वेतनमान वेजबोर्ड के अनुसार निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-02 की शासकीय अधिसूचना संख्या-1305/36-2-2022-08-2004-टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2022 द्वारा राज्य के निजी चीनी उद्योग के कर्मकारों हेतु वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01-10-2018 से लागू किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2022 की छायाप्रति संलग्न† है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में अकुशल श्रमिकों का श्रमिक कार्ड एवं कतिपय स्थानों पर बैठने एवं शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में

***9-श्री पंकज पटेल (अनुपस्थित)-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अकुशल श्रमिक जो प्रदेश के विभिन्न कस्बों, चौराहों आदि स्थानों पर इकट्ठा होते हैं ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर श्रमिकों के लिये श्रमिक कार्ड उक्त स्थान पर ही बनाने की सरकार की कोई योजना है ? क्या

---

† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-309-314 पर।

सरकार श्रमिकों के एकत्रित होने के चिन्हित स्थानों पर उन्हे बैठने व शौचालय की व्यवस्था पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दिहाड़ी श्रमिक जो विभिन्न कस्बों, चौराहों पर एकत्र होने वाले असंगठित कर्मकारों का उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा भारत सरकार की विकसित ई- श्रम पोर्टल पर ई-श्रम कार्ड बनाने हेतु प्रदेश के समस्त जन सुविधा केन्द्र, जन सेवा केन्द्र, ई-गवनेंस सेक्टर अधिकृत किए गये है तथा श्रमिक स्वयं भी अपने मोबाइल से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन करा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन हेतु विशेष कैम्पों का आयोजन किया जाता है। दिनांक 24-01-2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल 8,33,28,454 असंगठित कर्मकारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन दर्ज है।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की दैनिक समस्याओं के समाधान एवं उन्हें एक बेहतर स्थल उपलब्ध कराने जहाँ पर पेयजल, शौचालय एवं शेड की व्यवस्था के साथ-साथ अस्थायी प्रकार की सी0एस0सी0 सेन्टर भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना तैयार की गयी है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में

***10-श्री समरपाल सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की कोई योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

श्री समरपाल सिंह जी आप जरा सम्भल कर पूछियेगा।

श्री समरपाल सिंह-

अति सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें बोलने का मौका दिया। माननीय परिवहन मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप भी स्टूडेन्ट लीडर रहे हैं। मेरा प्रश्न है जैसा कि दिल्ली, पंजाब एवं अन्य प्रदेशों में महिलाओं को फ्री यात्रा करने की सुविधा है। क्या आप भी इस तरह की सुविधा देंगे। इसका उत्तर दिया कि विचार कर रहे हैं। विचार कैसा सुविधा देना आपकी कलम मे है। इस पर कैसा विचार ? आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बच्चियों को शुरू से ही निःशुल्क चलना चाहिए। हम आप भी स्टूडेन्ट रहे हैं। बच्चा कितना भी अमीर बाप का बेटा हो स्टूडेन्ट लाइफ में गरीब ही होता है। आप जानते ही हैं। छात्रों को बसों में फ्री यात्रा अगर लड़कों को नहीं दें तो लड़कियों को फ्री यात्रा की सुविधा दे दी जाये। महिलायें बहुत काम-काजी होती हैं। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो झाड़ू-पोछा करने वाली महिलायें हैं, बर्तन मांजने वाली हैं। दो हजार तीन हजार रुपये पाती हैं। अगर लोकल बसों में उनका किराया चला जाता है तो उन्हें बड़ा दर्द होता है। आप उनका शुल्क माफ कराने की कृपा करें। उनको छूट दिलाने की व्यवस्था करें। आपकी सारी बसें खाली चलती हैं। हम देखते हैं, कोई बैठने वाला नहीं।

श्री अध्यक्ष-

समरपाल जी अगर कोई बैठने वाला नहीं है तो छूट किसको देंगें ?

श्री समरपाल सिंह-

तभी कह रहा हूँ कि फ्री करा दीजिए। बस खाली नहीं जायेंगी। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि रोजगार मेले लग रहे हैं। बेरोजगारों के लिए भी बस में यात्रा फ्री करायें। वे तो बेरोजगार ही हैं। अन्त में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या छात्राओं, महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, बेरोजगारों के लिए आप आज ही घोषणा कर दें कि उनके लिए बस यात्रा फ्री होगी। धन्यवाद।

श्री दयाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के 2022 के चुनाव में संकल्प पत्र में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का संकल्प था। उसको पूरा करने के लिए हमने बजट में प्राविधान किया है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। बजट में उसके लिए व्यवस्था की गयी है। रक्षा बन्धन पर अपनी माताओं-बहनों को हम लोग निःशुल्क 2-2 दिन की निःशुल्क यात्रा की छूट प्रदान करते रहे हैं। जहां तक छात्राओं का प्रश्न है। स्टूडेन्ट कार्ड बनाकर एम0एस0टी0 बनती है उसमें 70 प्रतिशत तक की छूट हम देते हैं। यदि कोई और सुझाव होगा तो उस पर विचार किया जायेगा। सभी छात्र-छात्रायें बराबर हैं, उनमें कोई भेद-भाव नहीं है। अगर 1 वर्ष का कोई एम0एस0टी0 बनवाता है तो उसको हम 70 प्रतिशत

छूट देते हैं। 6 माह का बनवाता है तो 60 प्रतिशत छूट देते हैं। 3 माह का बनवाता है तो उससे कम छूट देते हैं। इस तरह का प्राविधान है।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, छात्राओं को भी बस यात्रा में छूट की सुविधा दी जाये।

श्री दयाशंकर सिंह-

ठीक है, आप लिखकर दीजिएगा। उसको और बेहतर किया जायेगा।

प्रदेश के राशन वितरण प्रणाली में मृतकों का नाम निरस्त करने के सम्बन्ध में

***11-श्री रवि शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राशन वितरण प्रणाली में मृतकों का नाम सम्मिलित रहने के कारण उनके नाम पर राशन निर्गत होने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है क्या यह सही है कि नगर निगम/नगर पालिकाओं में मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने के बाद भी कतिपय लोगों द्वारा परिवार के सदस्यों द्वारा राशन कार्ड से मृतक सदस्य का नाम निरस्त नहीं कराया जा रहा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम/नगर पालिकाओं के जन्म-मृत्यु रजिस्टर को राशन वितरण प्रणाली से जोड़ने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

राशन कार्डों का निर्गमन, समय-समय पर उनका सत्यापन तथा निरस्तीकरण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 एवं उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर-4 (18) व (19) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में सत्यापन में मृतक, अपात्र, विस्थापित विभिन्न श्रेणियों के राशनकार्डों/यूनिटों को जांचोपरान्त नियमानुसार निरस्त कराकर, पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत कराया जाता है।

उक्त के साथ ही राशन कार्ड में मृतक सदस्य का नाम निरस्त नहीं कराये जाने आदि सम्भावित स्थिति को रोकने हेतु विभाग द्वारा महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना भवन, नई दिल्ली को नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सी0आर0एस0) के अन्तर्गत निर्गत समस्त मृत्यु प्रमाण-पत्र को राशन कार्ड डाटाबेस से ए0पी0आई0 के माध्यम से जोड़े जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत होने की सूचना विभाग को तत्समय प्राप्त हो जाये। तत्क्रम में इसी आधार पर तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड/यूनिट निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

इस सम्बन्ध में ई-के0वाई0सी0, प्रक्रिया द्वारा राशन कार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन कराकर उनकी पहचान सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवि शर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय को सदन के सामने रखने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि जन्म मृत्यु रजिस्टर से खाद्य रसद विभाग को जोड देना चाहिए। उसके पीछे प्रमाण भी है कि जब हिन्दू समाज में कोई निधन होता है। हमारे लोगों के क्रिया-कर्म के बाद बाल बनते हैं और बाल बनते हैं तो कंट्रोल वाला जानता है कि आपके यहां कौन खत्म हो गया तो कन्ट्रोल वाले ने हाल के हाल उस पर निशान लगा दिया कि आपके यहां फला बाबा, फला चाचा इस दुनिया में नहीं हैं। उनका नाम उस यूनिट में लिखा रहता है। जन्म-मृत्यु-प्रमाण पत्र से जोड़ने का आशय यह है कि सरकार को लाखों रुपये का चूना न लगे। ऐसे लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से भी राशन की दुकानों से राशन निर्गत हो रहा है। कुछ लोग ऐसे है जिनके यहां निधन के बाद इस तरह की परम्परा नहीं है उनका पता ही नहीं चलता है कि कौन खत्म हो गया है अधिक भीड़ है। मेरा निवेदन इतना है कि इसको जन्म-मृत्यु रजिस्टर से जोड़ दिया जाये। यदि किसी व्यक्ति का निधन हुआ है तो उसे तत्काल राशन की दुकान पर उस राशन कार्ड को काटा जा सके। जब नाम कटेगा तो सरकार को निश्चित रूप से लगने वाली चोट है वह भी समाप्त होगी और दूसरी तरफ जो विक्रेता है उनके पास भी जो कालाबाजारी के लिए बच जाता है वह बचना बन्द होगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी उत्तर दें।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, राशन कार्ड के बारे में केन्द्रीय सरकार के निर्देश और कानून ही हम लागू करते हैं। उसमें मान्यवर, जो इन्होंने कहा है वह हमारे विभाग के द्वारा महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली को लिखा गया है। इसको जी0आर0एस0 के अन्तर्गत समस्त मृत्यु प्रमाण-पत्र दर्ज हो जाने चाहिए। डाटा बेस कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी यह होकर आया नहीं है। यह हमारी सतत् प्रक्रिया है जो गाँव में नये राशन कार्ड बनने या निरस्त होने के लिए लेखपाल, पंचायत सचिव और हमारे विभाग के अधिकारी मिलकर अभियान चलाते हैं। शहर में नगर निगम व नगर पालिका के अधिकारी व खाद्य विभाग के कर्मचारी मिलकर अभियान चलाते हैं यह सतत् प्रक्रिया है नये भी बनते हैं, कुछ कटते भी हैं। इसके लिए जब तक केन्द्र सरकार के यहां से कोई निर्देश नहीं आयेगा तब तक वह सम्भव नहीं है। यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ इसमें पूरी तरह से विभाग सतर्क है।

वर्ष 2022-23 में गेहूँ खरीद का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितना गेहूँ की खरीद का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

***12-श्री तुफानी सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2022-23 में गेहूँ खरीद का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितनी गेहूँ की खरीद की गई है ? क्या यह सही है कि किसानों का करीब 75 प्रतिशत गेहूँ बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खुले आसमान के नीचे पड़े होने के कारण कितना गेहूँ खराब हो गया है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए खुले स्थानों पर रखे गये सुरक्षित गेहूँ को गरीबों में बांटने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

रबी विपणन वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य 60 लाख मी0 टन के सापेक्ष कृषकों से 3.36 लाख मी0 टन गेहूँ खरीद की गयी।

जी नहीं। राजकीय क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय करने हेतु कृषकों द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र, साइबर कैफे के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। कृषकों का पंजीकरण, उनके भू-लेख, आधार संख्या तथा पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ0टी0पी0 के आधार पर किया जाता है। गेहूँ बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य/प्रतिनिधि (माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होता है।

पंजीकरण के उपरान्त कृषक की भूमि के रकबे एवं उपज का राजस्व विभाग से सत्यापनोपरान्त क्रय केन्द्र पर ई-पॉस (Electronic Point of Purchase) मशीन पर कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त गेहूँ खरीद की जाती है तथा गेहूँ के मूल्य का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 (Public financial management system) पोर्टल के माध्यम से कृषक के आधार लिंक्ड बैंक खाते के सत्यापन उपरान्त कृषक के बैंक खाते में किये जाने की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्थान्तर्गत प्रदेश में गेहूँ की खरीद कृषकों के माध्यम से की जाती है।

रबी विपणन वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत क्रय केन्द्रों पर खरीदे गए गेहूँ का खुले आसमान के नीचे भण्डारण नहीं किया गया एवं न ही खरीदे गए गेहूँ को किसी प्रकार की क्षति हुई है।

सम्भागों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत क्रय केन्द्रों पर खरीदे गए गेहूँ का ससमय सम्प्रदान भारतीय खाद्य निगम के डिपो/गोदामों में करा दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री तुफानी सरोज-

मान्यवर, वर्ष 2022-23 में गेहूँ खरीद के लक्ष्य के सापेक्ष कितना गेहूं खरीदा गया तो उत्तर में आया है कि निर्धारित लक्ष्य हमारा जो है वह 60 लाख मीट्रिक टन था। जिसके सापेक्ष 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया और दूसरी तरफ बिचौलियों के सम्बन्ध में आप बताते है कि किसी भी तरह की बिचौलियाबाजी नहीं की जाती है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि किसान जब क्रय केन्द्र पर जाता है तो उसे कुछ न कुछ बहानेबाजी करके वापिस कर दिया जाता है तो कई बार चक्कर काटने के बाद वह मजबूर हो करके बिचौलियों के हाथों अपना गेहूँ बेचने पर मजबूर हो जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि आपका लक्ष्य पूरा न होने का क्या कारण है। आपका लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन था और 3.36 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा गया इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि बड़े पैमाने पर 56.64 लाख मीट्रिक टन कम आपने खरीदा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके एम0एस0पी0 के लेवल के बराबरी में बाजार भाव किसानों को मिल रहा है। जिसकी वजह से किसान क्रय केन्द्र पर न जा करके बाजार में अपनी उपज बेच रहा है, मैं यही जानना चाहता हूँ।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है कि बाजार भाव एम0एस0पी0 के बराबर मिल रहा है कहीं किसान बाजार में तो नहीं जा रहा है। यह तो इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है। मान्यवर, हमारे 5683 क्रय केन्द्र विभिन्न विभागों के द्वारा खोले जाते हैं। इसमें पूरी तरह से हमने सब्सिडी क्रय केन्द्र खोले थे। मैं स्वीकार कर रहा हूँ आप जो कह रहे हैं। इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य था वह 60 लाख मीट्रिक टन का था जिसमें से 3 लाख मीट्रिक टन से थोड़ा अधिक खरीदा गया है। इसका कारण यह रहा कि बाजार भाव महँगा था। एम0एस0पी0 का अर्थ केवल यह होता है कि किसान की लागत मूल्य से कम बाजार न जाने पाये। अगर उससे नीचे जा रहा है तो सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार है। इसमें यह बाध्यता नहीं है कि वह अपनी उपज सरकार को ही देंगे और बाजार में नही बेचेंगे। किसान अपनी मर्जी का मालिक है। यदि उसे बाजार में भाव अच्छा मिल रहा है तो वह उसे बाजार में बेंच सकता है। यदि आप खरीद की बात करें तो मैं केवल एक झलक डालना चाहता हूँ कि वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई। हमने 2017 से 2022 तक जो खरीद की वह 219000 मीट्रिक टन की खरीद की। हम खरीद में कहीं पर पीछे नहीं हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मैं वर्ष 2012 से 2017 की बात कर रहा हूँ।

श्री तुफानी सरोज-

कृपया आप मेरे अनुपूरक का जवाब दीजिये। आप पिछली सरकार की बात क्यों कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

अगर आप देखेंगे कि जितना धान आपने पांच साल में खरीदा था उससे ज्यादा हमने खरीदा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त†। माननीय मंत्री जी आप कृपया बैठिये।

प्रदेश में बेरोजगारी की वर्तमान दर का विवरण एवं बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में

***13-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी की वर्तमान दर क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने के क्या प्रयास किये गये तथा विगत 5 वर्षों में वर्षवार बेरोजगारी की दर में कितनी कमी आयी है ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बेरोजगारों को समयबद्ध रीति से रोजगार दिलाये जाने हेतु कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग द्वारा बेरोजगारी दर के आंकलन का कार्य नहीं किया जाता है।

सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार मेलों के आयोजन, सेवामित्र पोर्टल, कॅरियर काउन्सिलिंग, मिशन रोजगार, आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर, मॉडल कॅरियर सेन्टर, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एल0 पी0 जी0 सिलेण्डर से चलने वाले स्कूल वाहन में बच्चों को ले जाने व ले आने वाले वाहनों पर कार्यवाही विषयक

***14-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एल0पी0जी0 सिलेण्डर से चलने वाले स्कूल वाहन में बच्चों को ले जाने व ले आने की अनुमन्यता है ? यदि नहीं, तो जिन

नोट :-†तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

स्कूलों में उक्त वाहन प्रयोग किये जा रहे हैं, उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्ठाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम-222-घ में संशोधन करते हुए विद्यालय वैन हेतु डीजल/पेट्रोल/सी0एन0जी0 ईंधन ही अनुमन्य किया गया है, जिसमें एल0पी0जी0 सम्मिलित नहीं है।

एल0पी0जी0 सिलेण्डर उपयोग कर संचालित पाये जाने वाले स्कूल वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी के कारण प्रदेश से पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या का विवरण एवं मजदूरों/बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में

***15-श्रीमती पूजा-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी के कारण प्रदेश से पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार मजदूरों/बेरोजगारों को प्रदेश में रोजगार की कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

प्रदेश से पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या के आंकलन का कार्य सेवायोजन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार मेलों के आयोजन, सेवामित्र पोर्टल, कॅरियर काउन्सिलिंग, मिशन रोजगार, आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर, मॉडल कॅरियर सेन्टर, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत संचालित जर्जर बसों के स्थान पर नई बसें संचालित करने के सम्बन्ध में

***16-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कितनी बसें प्रदेश में संचालित हैं तथा उनमें से कितनी बसें वर्तमान में जर्जर स्थिति में हैं ? क्या सरकार जर्जर बसों को किसी निश्चित अवधि तक हटाकर नई बसें संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

परिवहन निगम में दिनांक 28-01-2024 तक 8664 बसों का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2022-23 में 1489 बसें तथा वर्ष 2023-24 में अर्थात् कुल 2040 बसें फ्लीट से सेट अपार्ट की जा चुकी है।

(i) नीलामी की शर्तें पूरी करने वाली बसों को फ्लीट से सेट अपार्ट करके निरन्तर नीलामी की कार्यवाही की जाती है।

(ii) वर्ष 2022-23 में 502 तथा वर्ष 2023-24 में 1094 कुल 1596 नई बीएस-6 डीजल बसें एवं 100 सी0एन0जी0 बसें कुल 1696 क्रय करके संचालन हेतु क्षेत्रों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या के सापेक्ष बेरोजगारों की नियुक्ति की उम्र बढ़ाने के सम्बन्ध में

***17-श्री अतुल प्रधान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या के सापेक्ष रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होने के कारण बेरोजगारों की नियुक्ति की उम्र बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 20-40 आयु वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने विषयक

***18-डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 20-40 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति वर्तमान में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा उक्त आयु वर्ग के कितने बेरोजगार सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आयु वर्ग में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर 18 से 40 आयु वर्ग के कार्यरत अंसगठित श्रमिकों का डाटा ही उपलब्ध है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 18 से

40 वर्ष की आयु तक के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कुल 5,45,28,681 असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का विवरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 28-01-2024 तक दर्ज है।

संगठित क्षेत्र में कुल 47,58,333 श्रमिक कार्यरत हैं। संगठित क्षेत्र में 20 से 40 वर्ष आयु के श्रमिकों का डाटा पृथक से संकलित किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर दिनांक 24-01-2024 तक 20-40 आयु वर्ग के कुल 5,13,154 बेरोजगार पंजीकृत हैं।

उक्त आयु वर्ग में बेरोजगारी को कम करने के लिए श्रम विभाग द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन, सेवामित्र योजना, कॅरियर काउन्सिलिंग, मिशन रोजगार, आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर, मॉडल कॅरियर सेन्टर, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालक के पद पर नियुक्त संविदा कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में

***19-श्री संदीप सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालक के पद पर संविदा कर्मी नियुक्त हैं ? यदि हाँ, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तथा उक्त में से कितने परिचालकों ने निरन्तर दस वित्तीय वर्षों से निगम को सेवा प्रदान की है ? क्या सरकार निरन्तर 08 से 10 वित्तीय वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले संविदा परिचालकों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

माह दिसम्बर, 2023 में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कुल 16146 संविदा परिचालक कार्यरत हैं, जिनमें से 8180 विगत 10 वित्तीय वर्षों से निरन्तर सेवा प्रदान कर रहे हैं।

विनियमितीकरण की कार्यवाही 10 वर्षों से अधिक की अवधि से कार्यरत कार्मिकों के आधार पर नहीं अपितु कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-9/2016/2/1/97/का-2/2016, दिनांक 12-09- 2016 द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जा रही है। इस नियमावली के अनुसार दिनांक

31-12-2001 तक या इससे पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्तियों के विनियमितीकरण पर, अन्यथा अपेक्षित अर्हताएं रखने पर विचार करने की व्यवस्था है। उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा भी उक्तानुसार ही पात्र व्यक्तियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन की अनुमति हेतु सन्दर्भित किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के दृष्टिगत स्नातक स्तर के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में

***20-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के दृष्टिगत स्नातक स्तर के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार मेलों के आयोजन, सेवामित्र पोर्टल, कॅरियर काउन्सिलिंग, मिशन रोजगार, आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर, मॉडल कॅरियर सेन्टर, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में दिव्यांगजनों को श्रम विभाग द्वारा प्रशिक्षित कर रोजगार/नौकरियां प्रदान करने के सम्बन्ध में

1-डॉ0 रागिनी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने दिव्यांगजनों को श्रम विभाग द्वारा प्रशिक्षित कर रोजगार/नौकरियां दी गई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग के अधीन प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (दिव्यांगजन सहित) द्वारा प्रतिभाग किया जाता है एवं उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक 1374 दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु चयनित कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत गिरजाबाग में सरकारी सेवा में तैनात कतिपय अपात्रों के राशन कार्ड की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही विषयक

2-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत गिरजाबाग में सरकारी/शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग में तैनात शशांक वर्मा, मयंक वर्मा, श्रीमती सरोज रावत, श्रीमती मीना, सरस्वती बाजपेयी तथा श्रीमती शशी शुक्ला आदि अपात्र लोगों के परिवारों का राशन कार्ड निर्गत किये जाने से सरकारी खाद्यान्न/राजस्व की क्षति हुई है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर अपात्र लोगों को राशन कार्ड निर्गत करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 30-01-2024 के अनुसार श्री शशांक वर्मा, मयंक वर्मा, श्रीमती सरोज रावत, श्रीमती मीना, सरस्वती बाजपेयी व शशि शुक्ला के पूर्व में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड निर्गत थे। आर्थिक स्थिति में उन्नयन हो जाने पर कार्ड धारकों द्वारा अपना राशन कार्ड समर्पित किया गया। तत्क्रम में सत्यापनोपरान्त उक्त राशन कार्ड धारकों को अपात्र पाये जाने की स्थिति में दिनांक 07-06-2023 को राशन कार्ड निरस्त किये जा चुके हैं।

अवगत कराना है कि पूर्व में प्रश्नगत लाभार्थियों को राशनकार्ड निर्गत किये गये। तदोपरान्त उक्त कार्डधारकों की आर्थिक स्थिति उन्नयन हो जाने के कारण राशनकार्ड समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन करते हुए उक्त कार्ड निरस्त कर दिये गये। उपरोक्त लाभार्थियों द्वारा वर्तमान में योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेरसा की सरकारी भूमि पर अवैध खनन के दोषियों पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में

3-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेरसा की सरकारी भूमि गाटा संख्या-905/1.8460 हे0 में

8420 घनमीटर अवैध खनन कर सरकारी राजस्व धनराशि की क्षति पहुँचायी गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अवैध खनन में कितनी राजस्व की क्षति हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि दोषियों से उक्त राजस्व क्षति की वसूली की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम-सेरसा, तहसील-हसनगंज, जिला उन्नाव स्थित पशुचर दर्ज गाटा संख्या-905/1.8460 हे0 के उत्तरी भाग में रकबा 0.1010 हे0 में 8420 घनफुट बिना अनुमति के मिट्टी निकाली गयी है।

अवैध खननकर्ता श्री जयकरन पुत्र मैकूलाल, नि0 सेरसा के विरुद्ध उप जिलाधिकारी, हसनगंज द्वारा लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा-2/3 के अन्तर्गत प्राथमिकी थाना अजगैन में दर्ज करायी गयी है एवं खनन विभाग, उन्नाव द्वारा दिनांक 07-11-2023 को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव में परिवाद दायर किया गया है।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 01 अप्रैल, 2023 से 17 दिसम्बर, 2023 तक जनपद कुशीनगर में अपात्र राशन कार्ड का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

4-श्री मोहन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 01 अप्रैल, 2023 से 17 दिसम्बर, 2023 तक जनपद कुशीनगर में कितने अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए गये एवं कितने नये राशन कार्ड जारी किए गए ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या उन लम्बित आवेदन-पत्रों पर राशन कार्ड जारी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 01 अप्रैल, 2023 से 17 दिसम्बर, 2023 तक कुल 8695 अपात्र राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं तथा 6545 नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र हाटा में अन्त्योदय योजना का कोई आवेदन लम्बित नहीं है। पात्र गृहस्थी योजना के 256 आवेदन लम्बित हैं।

राशन कार्डों का सत्यापन निरन्तर प्रक्रिया है। सत्यापनोपरान्त अपात्र पाए गये राशन कार्डों को निरस्त करते हुए उनके स्थान पर पात्रता के अनुसार नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार द्वारा नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री तुफानी सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछडेपन को दूर करने के लिए लगभग सभी विभागों द्वारा विकासोन्मुख परियोजनाएं संचालित हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि का सृजन किया गया है, जिसके द्वारा पूर्वांचल के आर्थिक व संरचनात्मक विकास की परियोजनाएं स्वीकृत व संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में परामर्शी संस्था के रूप में पूर्वांचल विकास बोर्ड गठित है, बोर्ड बैठकों के माध्यम से पूर्वांचल के विकास हेतु सुझाव देता है, जिन्हें सम्बन्धित विभागों को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कम्हरिया घाट में स्थाई डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री त्रिभुवन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कम्हरिया घाट में कम्हरिया घाट से प्रयागराज के लिए मौनी अमावस्या के मौके पर अस्थाई बस डिपो बनाया जाता है तथा तीन दर्जन से अधिक बसों का संचालन भी होता है ? क्या सरकार कम्हरिया घाट पर स्थाई बस डिपो बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ, प्रयागराज (सगंम) में मौनी अमावस्या पर्व पर स्नान हेतु कम्हरिया घाट के पास के गांवों से यात्री अधिक संख्या में निकलते हैं, जिस कारण कम्हरिया में अस्थाई पार्किंग बस स्टेशन बनाया जाता है, जहां पर बसों के माइनर डिफेक्ट की रिपेयरिंग की व्यवस्था रहती है। मेला अवधि के बाद कम्हरिया से यात्री कम संख्या में निकलते हैं।

कम्हरिया से स्थानीय लोगों की माँग पर कम्हरिया से लखनऊ, लखनऊ से कम्हरिया हेतु 02 बसों का संचालन कराया जा रहा है, जिनका लोडफैक्टर वर्तमान समय में 50 प्रतिशत है।

बस डिपो बनाये जाने के योग्य व्यावसायिक अवसर विद्यमान न होने के दृष्टिगत बस डिपो की स्थापना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

7-डॉ0 रागिनी-

[दिनांक 08-02-2024 को 1-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-66 द्वारा उत्तरित।]

झांसी नगर के जिला कारागार को घनी आबादी से बाहर प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

8-श्री रवि शर्मा-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में जिला कारागार नगर की घनी आबादी के मध्य स्थित है ? क्या सरकार झांसी नगर के जिला कारागार को घनी आबादी से बाहर प्रतिस्थापित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति

जिला कारागार, झाँसी शहर के कैन्ट क्षेत्र में स्थित है तथा कारागार के तीन तरफ कोई विशेष आबादी नहीं, एक तरफ छावनी क्षेत्र है।

वर्तमान समय में जिला कारागार को प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला कारागार, झाँसी में विस्तारीकरण तथा अतिरिक्त बैरक बनाने हेतु स्थल उपलब्ध है, साथ ही निकटवर्ती जनपद ललितपुर में प्रस्तावित 1026 बन्दी क्षमता की जिला कारागार एवं 1936 क्षमता की केन्द्रीय कारागार का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

9-श्री जगदीश नारायण-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों से बस का संचालन करने के सम्बन्ध में

10-श्री जगदीश नारायण-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जौनपुर-जमुआही, भरेठी-आजमगढ़, जौनपुर-धर्मापुर-केराकत-थानागढ़ी-वाराणसी तथा जौनपुर-जफराबाद-राजेपुर

त्रिमुहानी मार्ग पर लोगों के सुलभ आवागमन हेतु सरकार बस संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

भरेठी से जमुआही-सिद्दीकपुर-जौनपुर तक वाहन संख्या-यू0पी0 65 बीटी-3929 जो दिनांक 02-02-2024 से समय 08:00 बजे प्रारम्भ कर दी जायेगी। जौनपुर से आजमगढ़ मार्ग पर प्रत्येक 30 मिनट पर बस संचालित है।

जौनपुर-धर्मापुर-केराकत थानागद्दी-वाराणसी वाहन संख्या यू0पी0 65बीटी/4316 जो दिनांक 02-02-2024 से प्रातः 08:00 बजे प्रारम्भ कर दी जायेगी।

जौनपुर-जफराबाद-राजेपुर-त्रिमुहानी मार्ग पर पूर्व में वाहन संचालित थे। आय अत्यधिक कम होने के कारण वाहन का संचालन रोक दिया गया था, जिसे दिनांक 31-01-2024 को पुनः संचालित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ से जनपद जौनपुर के केराकत होते हुये चन्दवक तक सरकारी बसों का संचालन करने के सम्बन्ध में

11-श्री जगदीश नारायण-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ से जनपद जौनपुर के केराकत होते हुये चन्दवक तक जनमानस के सुलभ आवागमन हेतु सरकार बस संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

लखनऊ-जौनपुर-चन्दवक मार्ग पर केराकत से 03 किमी0 आगे टाईनाला पुलिया कमजोर होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग पर हाईगेज लगाकर बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिये जाने के कारण जौनपुर-केराकत-चन्दवक मार्ग पर बसों का संचालन स्थगित चल रहा है। चन्दवक से 03 किमी0 पूर्व से केराकत स्थान से जौनपुर तक 02 सेवायें संचालित हैं तथा जौनपुर से लखनऊ मार्ग पर प्रत्येक 30 मिनट के अन्तराल पर निगम बसें संचालित हैं। केराकत से 03 किमी0 आगे टाईनाला पुलिया का कार्य पूर्ण होने पर चन्दवक से वाहन का संचालन पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के राशन कार्ड से वंचित लोगों का राशन कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में

12-श्री मोहन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के राशन कार्ड से वंचित लोगों का पुनः स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर राशन कार्ड बनवाने की सरकार कोई नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्रस्तर-4 (18) व (19) में राशन कार्डों के समय-समय पर सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था पूर्व से प्राविधानित है। उक्त प्राविधानों के क्रम में सत्यापन में अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कराकर पात्रों को राशन कार्ड निर्गत किया जाना एक सतत् प्रकिया है।

जनपद में उचित दर विक्रेतावार प्रचलित राशन कार्डों के सत्यापन/सर्वे हेतु गठित सत्यापन टीम के द्वारा राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन की प्रक्रिया में अपात्र पाए गए राशन कार्डों को निरस्त कर उनके स्थान पर पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के विकास की योजना विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक : एम0एस0/98/2023/1206, दिनांक 02-06-2023, जो जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के विकास की योजना के विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी मुरादाबाद सहित अन्य परिवहन अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ लेकर ऑल यूपी व ऑल इण्डिया परमिट धारक बसों को पार्टी बुकिंग के बजाय डग्गामारी में चलवाने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में

14-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद सहित अन्य परिवहन अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ लेकर ऑल यूपी व ऑल इण्डिया परमिट

धारक बसों को पार्टी बुकिंग के बजाय डग्गामारी में चलवाने तथा ऐसी कुछ बसों को नियम विरुद्ध तरीके से स्थानीय रूट का परमिट जारी करने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में मुरादाबाद समेत अन्य स्थानों पर भी ऐसी अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

नियमित चेकिंग के दौरान परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर अनधिकृत संचालित बसों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही (चालान/बन्द) की जाती है। दिनांक 01-04-2023 से 27-12-2023 तक सम्भाग मुरादाबाद में अनधिकृत संचालन के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही में 726 बसों का चालान एवं 145 बसों को बन्द करते हुए उनसे रु0 55.02 लाख प्रशमन शुल्क की प्राप्ति की गयी। इसी प्रकार प्रदेश में अनधिकृत संचालित वाहनों के विरुद्ध 62532 वाहनों के चालान एवं 22139 वाहनों के विरुद्ध थाने में निरुद्धि की कार्यवाही की गयी है, जिससे रु0 7369.10 लाख प्रशमन शुल्क प्राप्त हुआ। समस्त उत्तर प्रदेश अथवा समस्त भारत के परमिट वाली कई बसों को स्थानीय रूट के परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जब तक किसी भी वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट समर्पण/निरस्त नहीं होता है, अर्थात् जब तक वाहन बिना परमिट नहीं होता, तब तक वाहन 4.0 पोर्टल पर नये परमिट का आवेदन स्वीकार नहीं होता है। कम्प्यूटर सिस्टम एक ही वाहन के सापेक्ष दो परमिट जनरेट नहीं कर सकता है। अतः एक ही वाहन पर दो परमिट जारी करने का औचित्य नहीं है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूर्व में की गई इस प्रकार की कथित शिकायतें/उठाये गये बिन्दुओं पर उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), आगरा से जांच करायी गयी। उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), आगरा के पत्रांक : 3129/सा0प्र0/ शिकायत आख्या/2023-24, दिनांक 28-12-2023 द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त जांच में शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में विभागों के कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष कर्मचारियों की कार्य प्रक्रिया में विलम्ब के दृष्टिगत समबद्ध समीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में

15-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभागों के कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष कर्मचारियों की कार्य प्रक्रिया में विलम्ब की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के प्रतिदिन कार्य का क्या मानक निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्मिकों के अवशेष कार्य का मासिक एवं त्रैमासिक विवरण-पत्र तैयार कराकर समयबद्ध समीक्षा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्यालयों की कार्य प्रक्रिया में विलम्ब की रोकथाम हेतु उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 प्रख्यापित किया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के प्रतिदिन कार्य का मानक निर्धारित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को समाप्त करने वाले प्रयासों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

16-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या के प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं ? क्या सरकार उक्त कारणों को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

सड़क हादसों की बढ़ती संख्या के प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग आदि है।

दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु किए गए प्रमुख प्रयासों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) शासनादेश संख्या-1575/30-3-2014-32 एम/2013 टीसी, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा प्रदेश में 'राज्य सड़क सुरक्षा नीति' लागू की गयी है।

(2) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं एवं उनके कार्यवृत्त में एकरूपता हेतु शासन के पत्र संख्या-98/2023/2005/तीस-3-2023, दिनांक 26-07-2023 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में प्रत्येक माह बैठक कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) समस्त एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीडिंग की रोकथाम हेतु इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्तियों के अन्तर्गत ए0एन0पी0आर0 कैमरा के द्वारा ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध ऑटोमेटिक ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है।

(4) ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध एक्सप्रेव-वे पर वे-इन मोशन की स्थापना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी द्वारा की गयी है, जिसके अन्तर्गत ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(5) एन0एच0ए0आई0 के मार्गों पर एन0एन0पी0आर0 कैमरा लगाये जाने की कार्यवाही नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु वे-इन मोशन की स्थापना भी नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है, जिसके माध्यम से ओवरलोडिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(6) उक्त के अतिरिक्त समस्त टोल प्लाजा पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा चालकों एवं वाहन स्वामियों को ओवरस्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग न किये जाने, अपने लेन में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय सीटबेल्ट का प्रयोग करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट लगाने/पहनने की जानकारी दी जाती है।

(7) जन-मानस में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे-सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकोथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यशाला, सड़क सुरक्षा गोष्ठी, स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से सम्बन्धित लीफलेट-पम्फलेट/पॉकेट कैलेन्डर/फोल्डर आदि का वितरण किया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों पर निबन्ध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

(8) एफएम रेडियो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया (डिजिटल बैनर) के द्वारा यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। मैराथन, बाइकोथॉन एवं रैली के माध्यम से भी यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(9) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर हेल्मेट/सीटबेल्ट न पहनने, ओवर स्पीडिंग करने, ड्रंकन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के लिए प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(10) यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुशासित एवं जागरूक बनाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिवस हेलमेट एवं सीट बेल्ट के विरुद्ध औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है। इसके साथ-साथ ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के विरुद्ध सभी प्रवर्तन दलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाती है।

(11) उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह/सड़क सुरक्षा माह/सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

(12) 44 इण्टरसेप्टर वाहनों द्वारा ओवरस्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 276 ब्रेथ एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाती है।

(13) विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

(14) माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 9682 एवं उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 1015 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाती है।

(15) तीन या तीन से अधिक मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामलों का अन्वेषण करने के लिये अधिसूचना संख्या-117/2023/2849/तीस-3-2023, दिनांक 12-10-2023 द्वारा 'उ0प्र0 सड़क दुर्घटना जाँच योजना-2023' निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के सहसवान विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डा बनवाने के सम्बन्ध में

17-श्री ब्रिजेश-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के सहसवान विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डा बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद बदायूँ के सहसवान विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निःशुल्क भूमि प्राप्त होने पर नवीन बस अड्डा बनाये जाने की नीति है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिवहन कार्यालयों से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में अभ्यर्थी द्वारा दाखिल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रों का सत्यता जांचने की व्यवस्था के सम्बन्ध में

18-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिवहन कार्यालयों से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में अभ्यर्थी द्वारा दाखिल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की सत्यता जांचने की व्यवस्था लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत पांच वर्षों में सत्यापित कराए गये स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

वर्तमान में यह व्यवस्था लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-8(3) तथा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-5(1) के अन्तर्गत परिवहन यान के लाइसेंस के आवेदन के समय प्रत्येक आवेदक को प्रारूप-1-ए में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा गैर परिवहन यान के ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को प्रारूप-2 के साथ दिये गये घोषणा-पत्र में स्वस्थता के सम्बन्ध में 'स्वतः घोषणा-पत्र' प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-5(1) के परन्तुक के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के समय 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक आवेदक को प्रारूप-1-ए में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है किन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में परिवहन निगम का बस डिपो स्थापित करने के सम्बन्ध में

19-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में परिवहन निगम का बस डिपो स्थापित न होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर बस डिपो स्थापित करके बस संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

राजेसुल्तानपुर से वर्तमान में 10 बसों का संचालन कराया जा रहा है। राजेसुल्तानुपर में वर्तमान में 03 बसें रात्रि हाल्ट करती हैं।

राजेसुल्तानपुर किसी भी राष्ट्रीयकृत मार्ग से जुड़ा नहीं है। यहां से आजमगढ़ क्षेत्र के दोहरीघाट डिपो 52 किमी0 पर तथा आजमगढ़ डिपो 36 किमी0 पर स्थित है। यहां बस डिपो बनाये जाने के योग्य व्यावसायिक अवसर विद्यमान न होने के दृष्टिगत बस डिपो की स्थापना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कतिपय नगर पंचायतों में परिवहन बसों के संचालन के सम्बन्ध में

20-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर एवं नगर पंचायत जहांगीरगंज तथा कम्हरिया घाट

से मौजूदा समय में परिवहन निगम की कितनी बसों का संचालन हो रहा है तथा उक्त स्थान से जिला मुख्यालय अम्बेडकरनगर की रूट पर बसों के संचालन की समय-सारिणी क्या है ? क्या सरकार उक्त स्थान से यात्रियों के संख्या के सापेक्ष बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर एवं नगर पंचायत जहांगीरगंज तथा कम्हरियाघाट से मौजूदा समय में 10 बसों में से 07 सेवाओं का संचालन कराया जा रहा है तथा उक्त स्थान से जिला मुख्यालय अंबेडकरनगर की रूट पर बसों के संचालन की समय-सारिणी-01 संलग्न† है।

कम्हरियाघाट अम्बेडकरनगर-अयोध्या-लखनऊ एवं लखनऊ-अयोध्या-अम्बेडकरनगर कम्हरियाघाट हेतु 02 बसें संचालित हैं, जिनकी समय-सारिणी-02 संलग्न† है।

उक्त बसों में राजेसुल्तानपुर एवं जहांगीरगंज से अधिकतम 20 से 25 यात्री प्रति बस प्रतिदिन ही यात्रा करते हैं। उक्त मार्ग पर चलने वाली बसों का लोड फैक्टर 60 से 65 प्रतिशत के मध्य रहता है। यात्रियों की संख्या के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में महिलाओं, छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बसों में मुफ्त अथवा रियायती यात्रा की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में

21-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं, छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बसों में मुफ्त अथवा रियायती यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

छात्रों हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में विद्यार्थी पास योजना प्रभावी है, जिसमें विद्यार्थियों से 25 सिंगल ट्रिप का किराया चार्ज कर 60 यात्रा तक का (अधिकतम सीमा 60 किमी0 तक) विद्यार्थी मासिक पास योजना लागू है।

वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मुफ्त अथवा रियायती यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नोट :-† देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-314 पर।

पंजाब राज्य में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवागमन हेतु सरकारी बसें चलाए जाने की भांति प्रदेश में भी विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में

22-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवागमन हेतु सरकारी बसें चलाए जाने की भांति प्रदेश में भी विद्यार्थियों को उक्त सुविधा देने हेतु योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

छात्रों हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में विद्यार्थी पास योजना प्रभावी है, जिसमें विद्यार्थियों से 25 सिंगल ट्रिप का किराया चार्ज कर 60 यात्रा तक का (अधिकतम सीमा 60 किमी0 तक) विद्यार्थी मासिक पास निर्गत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष घाटों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

23-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में 75 प्रतिशत अनुबन्धित बसें चलाने के निर्णय का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एक अनुबन्धित बस से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कितनी आय होती है तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अनुबन्धित बसों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

वर्ष	घाटा (रुपये करोड़ में)
2018-2019	शून्य
2019-2020	शून्य
2020-2021	27.82
2021-2022	शून्य
2022-2023	93.43

परिवहन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत असेवित एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पर्याप्त परिवहन सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से परिवहन निगम की निष्प्रयोज्य होने वाली बसों को बस बेड़े से हटाकर अच्छी स्थिति वाली निजी बसों को अधिक संख्या में अनुबन्धित करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2023 में प्रति अनुबन्धित बस आय रु0 43,88,114.83 (तैंतालीस लाख अट्ठासी हजार एक सौ चौदह रुपये तिरासी पैसे मात्र) प्राप्त हुयी है तथा उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम में दिनांक 31-12-2023 तक कुल अनुबन्धित बसों की संख्या 3201 है।

जी हाँ। सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित भवन विहीन आवासीय विद्यालयों के भवनों के मानकों का सत्यापन करने विषयक

24-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित भवन विहीन आवासीय विद्यालयों के भवनों के मानकों का सत्यापन करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवनों के मानकों को प्रमाणित करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का नाम व पद नाम तथा किराया भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार औचित्य प्रमाण-पत्र सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

विद्यालयवार सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम एवं सत्यापन की तिथि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	जनपद	आवासीय विद्यालय का विवरण	सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम	पदनाम	सत्यापन तिथि
1	कानपुर नगर	बालक	श्री आर0बी0 लाल एवं श्री शिवचरन	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कानपुर	23-11-2023
		बालिका	श्री आर0बी0 लाल एवं श्री शिवचरन	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कानपुर	23-11-2023
2	इटावा	बालक	श्री सन्त कुमार एवं श्री अशोक कुमार पाण्डेय	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इटावा	25-11-2023
		बालिका	श्री सन्त कुमार एवं श्री अशोक कुमार पाण्डेय	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इटावा	25-11-2023
3	कन्नौज	बालक	श्री अरविन्द सिंह	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कन्नौज	22-11-2023
		बालिका	श्री अरविन्द सिंह	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कन्नौज	22-11-2023

नोट :-† देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-315-318 पर।

क्र0-सं0	जनपद	आवासीय विद्यालय का विवरण	सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम	पदनाम	सत्यापन तिथि
4	ललितपुर	बालक	श्री डी0पी0 अग्रहरि	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ललितपुर	23-11-2023
		बालिका	श्री डी0पी0 अग्रहरि	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ललितपुर	23-11-2023
5	आगरा	बालक	श्री राम अशीष एवं श्री सुयश पाण्डेय	सहायक श्रमायुक्त, आगरा एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आगरा	25-11-2023
		बालिका	श्री राम अशीष एवं श्री सुयश पाण्डेय	सहायक श्रमायुक्त, आगरा एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आगरा	25-11-2023
6	मुरादाबाद	बालक	श्री इम्तियाज अहमद अंसारी	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मुरादाबाद	23-11-2023
		बालिका	श्री इम्तियाज अहमद अंसारी	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मुरादाबाद	23-11-2023
7	मेरठ	बालक	श्री घनश्याम सिंह	सहायक श्रमायुक्त	21-10-2022
		बालिका	श्री घनश्याम सिंह	सहायक श्रमायुक्त	21-10-2022
8	गाजियाबाद	बालक	श्री वीरेन्द्र कुमार	सहायक श्रमायुक्त, गाजियाबाद	04-09-2023
		बालिका	श्री वीरेन्द्र कुमार	सहायक श्रमायुक्त, गाजियाबाद	04-09-2023
9	फिरोजाबाद	बालक	श्री बाल गोविन्द एवं श्री शिवशंकर पाल	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, फिरोजाबाद	25-11-2023
		बालिका	श्री बाल गोविन्द एवं श्री शिवशंकर पाल	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, फिरोजाबाद	25-11-2023
10	आजमगढ़	बालक	श्री शशि कान्त पाण्डेय, श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री विशाल श्रीवास्तव	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आजमगढ़	23-11-2023
		बालिका	श्री शशि कान्त पाण्डेय, श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री विशाल श्रीवास्तव	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आजमगढ़	23-11-2023

क्र0-सं0	जनपद	आवासीय विद्यालय का विवरण	सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम	पदनाम	सत्यापन तिथि
11	बहराइच	बालक	श्री सिद्धार्थ मोदियानी	सहायक श्रमायुक्त, बहराइच	12-09-2023
		बालिका	श्री सिद्धार्थ मोदियानी	सहायक श्रमायुक्त, बहराइच	12-09-2023
12	सन्त रविदास नगर	बालक	श्री कमलेश कुमार एवं श्री जे0पी0 सिंह	सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी	25-11-2023
		बालिका	श्री कमलेश कुमार एवं श्री जे0पी0 सिंह	सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी	25-11-2023

आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत भवन किराये पर लिए जाने की समस्त कार्यवाही विद्यालय संचालन हेतु बोर्ड द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी है।

लागू नहीं।

प्रदेश के जेलों में बन्द बन्दियों के पारिश्रमिक दर की जानकारी के सम्बन्ध में

25-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जेलों में बन्द बन्दियों को पारिश्रमिक दिया जाता है ? यदि हाँ, तो किस आधार पर और कितना ? क्या सरकार कार्यवार पारिश्रमिक दर का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हाँ।

शासनादेश दिनाँक 08-08-2023 द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल बन्दियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक/महंगाई के बढ़े दर के आधार पर क्रमशः रुपये 81/- रुपये 60/- एवं रुपये 50/- पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

जी हाँ। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता

26-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[02-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के सभी तहसीलों में धान खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2023-24 में धान खरीद हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं एवं उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार

की क्या योजना है ? क्या सरकार किसानों को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु जनपद की सभी तहसीलों में धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2023-24 में धान का क्रय लक्ष्य 10500 मी0 टन निर्धारित है। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जनपद में कुल 13 धान क्रय केन्द्र संचालित किये गये हैं, जिन पर खरीद सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें पूर्ण हैं। धान क्रय नीति के अनुसार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। तद्नुसार दिनांक 24-01-2024 तक क्रमिक रूप से जनपद फिरोजाबाद में 420.00 मी0 टन धान की खरीद हो चुकी है।

जनपद फिरोजाबाद में कुल 13 धान क्रय केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं, जो संचालित हो रहे हैं। कृषकों को धान बेचने में केन्द्र के अभाव के कारण हो रही कोई असुविधा संसूचित नहीं है। वर्तमान में केन्द्रों की संख्या पर्याप्त है। भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो धान क्रय नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-7.11 के अन्तर्गत अतिरिक्त क्रय केन्द्र अनुमोदित किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में

28-श्री सचिन यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाना सरकार सुनिश्चित करेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त हेतु क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

(1) शासनादेश संख्या-1575/तीस-3-2014-32 एम/2013 टीसी, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा प्रदेश में 'राज्य सड़क सुरक्षा नीति' लागू की गयी है।

(2) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं एवं उनके कार्यवृत्त में एकरूपता हेतु शासन के पत्र संख्या-98/2023/2005/तीस-3-2023, दिनांक 26-07-2023 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में प्रत्येक माह बैठक कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) समस्त एक्सप्रेस-वे पर ओवर स्पीडिंग की रोकथाम हेतु इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्तियों के अन्तर्गत ए0एन0पी0आर0 कैमरा के द्वारा ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध ऑटोमेटिक ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है।

(4) ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध एक्सप्रेव-वे पर वे इन मोशन की स्थापना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी द्वारा की गयी है, जिसके अन्तर्गत ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(5) एन0एच0ए0आई0 के मार्गों पर एन0एन0पी0आर0 कैमरा लगाये जाने की कार्यवाही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु वे-इन मोशन की स्थापना भी नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है, जिसके माध्यम से ओवरलोडिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(6) उक्त के अतिरिक्त समस्त टोल प्लाजा पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा चालकों एवं वाहन स्वामियों को ओवरस्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग न किये जाने, अपने लेन में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट लगाने/पहनने की जानकारी दी जाती है।

(7) जन-मानस में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे-सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकोथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यशाला, सड़क सुरक्षा गोष्ठी, स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से सम्बन्धित लीफलेट-पम्फलेट/पॉकेट कैलेन्डर/फोल्डर आदि का वितरण किया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों पर निबन्ध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

(8) एफएम रेडियो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया (डिजिटल बैनर) के द्वारा यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। मैराथन, बाइकोथॉन एवं रैली के माध्यम से भी यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(9) उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह/सड़क सुरक्षा माह/सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

(10) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर हेल्मेट/सीट बेल्ट न पहनने, ओवर स्पीडिंग करने, ड्रंकन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के लिए प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(11) यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुशासित एवं जागरूक बनाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिवस हेलमेट एवं सीट बेल्ट के विरुद्ध औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है। इसके साथ-साथ ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के विरुद्ध सभी प्रवर्तन दलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाती है।

(12) 44 इण्टरसेप्टर वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 276 ब्रेथ एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाती है।

(13) विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

(14) माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 9682 एवं उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 1015 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी

29-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत 5 वर्षों में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु किए गए प्रमुख प्रयास का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु किए गए प्रमुख प्रयासों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) शासनादेश संख्या 1575/तीस-3-2014-32 एम/2013 टीसी, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा प्रदेश में 'राज्य सड़क सुरक्षा नीति' लागू की गयी है।

(2) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं एवं उनके कार्यवृत्त में एकरूपता हेतु शासन के पत्र संख्या-98/2023/2005/तीस-3-2023, दिनांक 26-07-2023 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में प्रत्येक माह बैठक कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) समस्त एक्सप्रेस-वे पर ओवर स्पीडिंग की रोकथाम हेतु इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्तियों के अन्तर्गत ए0एन0पी0आर0 कैमरा के द्वारा ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध ऑटोमेटिक ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है।

(4) ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध एक्सप्रेव-वे पर वे इन मोशन की स्थापना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी द्वारा की गयी है, जिसके अन्तर्गत ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(5) एन0एच0ए0आई0 के मार्गों पर एन0एन0पी0आर0 कैमरा लगाये जाने की कार्यवाही नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु वे-इन मोशन की स्थापना भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के द्वारा की जा रही है, जिसके माध्यम से ओवरलोडिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(6) उक्त के अतिरिक्त समस्त टोल प्लाजा पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा चालकों एवं वाहन स्वामियों को ओवर स्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग न किये जाने, अपने लेन में वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट लगाने/पहनने की जानकारी दी जाती है।

(7) जन-मानस में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे-सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकोथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यशाला, सड़क सुरक्षा गोष्ठी, स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से सम्बन्धित लीफलेट-पम्फलेट/पॉकेट कैलेन्डर/फोल्डर आदि का वितरण किया जाता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों पर निबन्ध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

(8) एफएम रेडियो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया (डिजिटल बैनर) के द्वारा यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। मैराथन, बाइकोथॉन एवं रैली के माध्यम से भी यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(9) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर हेल्मेट/सीट बेल्ट न पहनने, ओवर स्पीडिंग करने, ड्रंकन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के लिए प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(10) यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुशासित एवं जागरूक बनाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिवस हेल्मेट एवं सीट बेल्ट के विरुद्ध औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है। इसके साथ-साथ ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन

ड्राइविंग एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के विरुद्ध सभी प्रवर्तन दलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाती है। विगत 05 वर्षों में की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :-

क्र0सं0	अपराध	चालानों की संख्या				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	हेल्मेट का प्रयोग न करना	2,79,515	3,53,193	2,82,079	2,96,521	4,36,107
2	सीट बेल्ट का प्रयोग न करना	1,04,791	1,16,813	87,916	96,915	1,33,221
3	वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग	7,080	10.034	14.844	19,181	37,303
4	ओवर स्पीडिंग	6,039	36,046	75,028	45,696	1,18,992
5	रांग साइड ड्राइविंग	--	--	10,894	9,918	25,940
6	ड्रंकन ड्राइविंग	41	202	132	351	2,042
7	ओवरलोडिंग	73.984	72,152	84,926	77.555	1,41,946

(11) उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह/सड़क सुरक्षा माह/सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

(12) 44 इण्टरसेप्टर वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 276 ब्रेथ एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाती है।

(13) विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

(14) माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 9682 एवं उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 1015 रोड सेफ्टी क्लबों का गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लायी जाती है।

(15) तीन या तीन से अधिक मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामलों का अन्वेषण करने के लिये अधिसूचना संख्या-117/2023/2849/तीस-3-2023, दिनांक 12-10-2023 द्वारा 'उ0प्र0 सड़क दुर्घटना जाँच योजना-2023' निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों को तहसील मुख्यालय कैराना व जिला मुख्यालय शामली से जोड़ने हेतु बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों यथा-मसूरा, चौतरा, फतेहपुर, बलहेडा, डोकपुरा, रोटन व अन्य असेवित ग्रामों के निवासियों को तहसील मुख्यालय कैराना व जिला मुख्यालय शामली से जोड़ने हेतु बसों के संचालन की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

असेवित ग्रामों को सेवित किये जाने की योजना के अन्तर्गत बस संचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा-68 के उपधारा (3) के खण्ड (सीए) के अधीन प्रदेश के 411 मार्गों की सूची फार्मुलेशन हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित की गयी है, जिसमें उक्त मार्ग भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

31-डॉ0 रागिनी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में मजदूरों के पंजीकरण कराये जाने हेतु शिविर लगाये जाने के सम्बन्ध में

32-श्री सचिन यादव-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कितने श्रमिक वर्तमान में पंजीकृत हैं एवं इन पात्र श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित किन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में मजदूरों के पंजीकरण कराये जाने हेतु शिविर लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में कुल 30,128 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत

जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में निम्नलिखित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में माह दिसम्बर, 2023 तक लाभार्थियों का योजनावार विवरण

क्र0-सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या
1	शिशु हितलाभ योजना	102
2	मातृत्व हितलाभ योजना	81
3	बालिका मदद योजना	25
4	दुर्घटना सहायता योजना	01
5	मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना	02
6	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	80
7	पुत्री विवाह सहायता योजना	486
8	सौर ऊर्जा सहायता योजना	02
9	साईकिल वितरण योजना	224
10	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	22
11	निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना	08
12	संत रविदास शिक्षा सहायता योजना	720
13	चिकित्सा सुविधा योजना	1415
14	मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना	2393
15	निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता पेंशन योजना	23
16	आपदा राहत सहायता योजना	28780 (श्रमिकों को 06 किस्तों से)
17	निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता योजना	
18	कन्या विवाह सहायता योजना	185
	कुल योग :	**34,556**

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देशन में श्रम विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड, ई- श्रम एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाओं के विभिन्न शिविर आलोच्य वित्तीय वर्ष में आयोजित किये गये, जिसमें ब्लॉक एका में दिनांक 26-08-2023 एवं ब्लॉक जसराना में दिनांक 28-08-2023 को शिविर का आयोजन किया गया। जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम के अन्तर्गत दिनांक 28-11-2023, दिनांक 05-12-2023 एवं दिनांक 12-12-2023 में पंजीयन कैम्पों का आयोजन कर पात्र श्रमिकों को जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत कराया गया। इसके अतिरिक्त जनपद फिरोजाबाद के समस्त तहसीलों में आयोजित तहसील दिवसों में श्रम विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार लगातार जनपद में श्रमिकों के सहायतार्थ पंजीयन हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्रमिकों द्वारा जन सुविधा केन्द्रों, upbocw.in एवं ई- श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने की व्यवस्था है।

लागू नहीं।

33-श्री विनोद चतुर्वेदी-

[दिनांक 06-02-2024 को मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 203 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में

34-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए ब्लॉक स्तर पर सरकार की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है तथा वर्तमान तक कितने बेरोजगार युवाओं को उक्त योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है जहां नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

उक्त के अतिरिक्त सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों हेतु सेवामित्र पोर्टल, कॅरियर काउन्सिलिंग, मिशन रोजगार, आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर, मॉडल कॅरियर सेन्टर, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

रोजगार मेलों के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 9,50,042 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गो पर राजकीय बसों का संचालन करने के सम्बन्ध में

35-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे मुख्य मार्ग हैं, जो जनपदों को जोड़ते हैं, किन्तु उन पर राजकीय परिवहन की बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त ऐसे समस्त मार्गों पर राजकीय बस का संचालन शुरू कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

उत्तर प्रदेश में गांवों को जनपद मुख्यालय से जोड़ने हेतु 1540 मार्ग चिन्हित किये गये।

जी हाँ।

उक्त चिन्हित मार्गों के फार्मुलेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बसों का संचालन कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बालू के अवैध खनन के रोकथाम हेतु कार्ययोजना के सम्बन्ध में

36-श्री प्रसन्न कुमार

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू के अवैध खनन के रोकथाम हेतु सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या-1/435766/2023/86-01099/136/2019, दिनांक 29-11-2023 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व

विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु Integrated Mining Surveillance System के अर्न्तगत खनन क्षेत्रों के Geo-fencing, निकासी स्थल पर कैमरे व Weigh & Bridge स्थापित करने तथा भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ स्थित कमाण्ड सेन्टर से Integration कराये जाने के उपरान्त ही खनिजों की निकासी अनुमन्य की गयी है, खनिजों के अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर निगरानी हेतु महत्वपूर्ण मार्गों पर ए0आई0 युक्त चेकगेट्स 48 स्थानों पर लगाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जनपदों में जिला कारागार बनाये जाने के सम्बन्ध में

37-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिला कारागार स्थापित हैं ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की प्रत्येक जनपद में जिला कारागार बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

प्रदेश में 75 जनपदों में से 63 जनपदों में जिला कारागार एवं 08 केन्द्रीय कारागार स्थापित हैं तथा नव सृजित जनपदों में 12 जनपद श्रावस्ती, अमेठी, महोबा, कुशीनगर, हाथरस, हापुड़, भदोही, सम्भल, शामली, चन्दौली, औरैया एवं अमरोहा कारागार विहीन हैं। महोबा एवं भदोही में उप कारागार हैं। जनपद श्रावस्ती एवं प्रयागराज में जिला कारागार का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शीघ्र क्रियाशील करने की कार्यवाही प्रचलित है।

उक्तानुसार प्रदेश में 63-जिला कारागार, 08-केन्द्रीय कारागार, 02-क्रियाशील किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन जिला कारागार एवं 02-उप कारागार अर्थात् कुल-75 कारागार हैं।

जी हाँ।

जनपद श्रावस्ती, कुशीनगर, हाथरस, हापुड़, भदोही, सम्भल एवं शामली में कारागार के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था की गयी है। जनपद चन्दौली, औरैया एवं अमरोहा में भूमि चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद अमेठी एवं महोबा में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में हाई-वे/एक्सप्रेस-वे पर निजी वाहनों से टोल टैक्स समाप्त करने के सम्बन्ध में

38-श्री संदीप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट वाहन क्रय करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन के समय रोड टैक्स जमा कराया जाता है तथा प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर भी रोड टैक्स लिया जाता है, किन्तु वाहनों से हाई-वे/एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स

की वसूली की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त एक्सप्रेस-वे/हाई-वे पर प्राइवेट वाहनों से टोल टैक्स को समाप्त करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश में निजी उपयोग हेतु चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराते समय रोड टैक्स नहीं अपितु उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत 'कर' का आरोपण किया जाता है।

पेट्रोल और डीजल पर रोड टैक्स नहीं अपितु केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी तथा राज्य सरकार द्वारा VAT (Value Added Tax) लिया जाता है, जो परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है। इसके अतिरिक्त हाई-वे/एक्सप्रेस-वे पर वाहन स्वामियों से की जाने वाली टोल टैक्स की वसूली का कार्य परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है अपितु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/सम्बन्धित विभाग व विभिन्न एजेन्सियों यथा-NHAI, उपशा आदि से सम्बन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में खाद्यान्न वितरण से वंचित लोगों के लिए नई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

39-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्यान्न वितरण में जिन पात्र लोगों के अंगूठे की छाप किसी कारणवश वेरिफाई नहीं होती है, ऐसे लोगों के खाद्यान्न वितरण के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश संख्या-5/2019/1207/29-6-2019-121 सा/98, दिनांक 05-08-2019 के प्रस्तर-3 (3) में प्राविधानित है कि माह के प्रारम्भ में ई-पॉस मशीन में लाभार्थी/राशन कार्डों के अपडेशन के उपरान्त वितरण हेतु निर्धारित तिथि तक वितरण कराया जायेगा। ई-पॉस के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण एवं आइरिस प्रमाणीकरण के द्वारा ही यथासम्भव अधिकतम वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। परन्तु कोई भी लाभार्थी अनुमन्य खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी अन्य अनुमन्य पहचान पत्र, जिसे अग्रेतर प्राक्सी कहा गया है, के माध्यम से भी खाद्यायुक्त द्वारा निर्धारित तिथियों पर वितरण कराया जायेगा।

उक्त प्राविधानों के क्रम में, खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 05-01-2024 के अनुसार प्रत्येक माह खाद्यान्न वितरण में जिन पात्र लोगों का अंगूठा किसी

कारणवश सत्यापित नहीं होता है, ऐसे लोगों के खाद्यान्न वितरण हेतु, वितरण चक्र की अन्तिम तिथि को उपभोक्ताओं/लाभार्थियों को मोबाइल ओ0टी0 पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से नियमानुसार खाद्यान्न वितरण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नवोदय विद्यालय समिति की भांति ग्रामीण आरक्षण देने के सम्बन्ध में

40-श्री अनिल प्रधान-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नवोदय विद्यालय समिति की भांति ग्रामीण आरक्षण देने एवं ग्रामीण अंचल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी समाहित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

अटल आवासीय विद्यालयों में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों (महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) एवं मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक संस्कारपरक, गुणवत्तापूर्ण आवासीय पठन-पाठन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं का 50:50 का अनुपात एवं राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का भी प्रावधान है।

उक्त के दृष्टिगत नवोदय विद्यालय समिति की तरह ग्रामीण आरक्षण एवं ग्रामीणांचल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को समाहित किये जाने पर विचार किया जाना औचित्य पूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

जनपद बलिया के बेल्थरा रोड बस स्टेशन से लखनऊ के लिए ए0सी0 अथवा जनरथ बस चलाने के सम्बन्ध में

41-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बेल्थरा रोड बस स्टेशन से लखनऊ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से ए0सी0 अथवा जनरथ बस चलाने की कोई योजना सरकर की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान समय में बेल्थरा रोड बस स्टेशन से यात्री अनुपलब्धता के कारण जनरथ बस चलाने की कोई योजना नहीं है।

उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा शाहगंज डिपो से आजमगढ़ के दीदारगंज बस स्टेशन से आलमबाग बस स्टेशन तक यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन बस चलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-12-2023 के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

42-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा शाहगंज डिपो से आजमगढ़ के दीदारगंज बस स्टेशन से आलमबाग बस स्टेशन तक यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन बस चलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-12-2023 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 18-12-2023 शासन के पत्र संख्या सी0एम0- 184/तीस-1-2023, दिनांक 16-01-2024 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने व कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम को प्रेषित किया गया।

परिवहन निगम द्वारा शाहगंज के दीदारगंज (कुशलगाँव) बस स्टेशन से आलमबाग बस स्टेशन के लिए प्रतिदिन बस संचालित हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के चारबाग डिपो व आलमबाग डिपो से दीदारगंज आजमगढ़ तक बस को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

43-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चारबाग डिपो व आलमबाग डिपो से दीदारगंज-आजमगढ़ तक यात्रियों की सुविधा के लिए उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा पूर्व में संचालित बस को बन्द कर देने से यात्रियों को आवागमन में हो रही असुविधा तथा उक्त बस का पुनः संचालन विषयक प्रश्नकर्ता दिनांक 18-12-2023 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 18-12-2023 शासन के पत्र संख्या-एम0 184/तीस-1-2023, दिनांक 16-01-2024 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने व कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम को प्रेषित किया गया।

उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम द्वारा प्रश्नगत मार्ग लखनऊ-सुलतानपुर-शाहगंज-दीदारगंज (जनपद आजमगढ़) मार्ग पर बस का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में

44-श्री रामअवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2009 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत कार्योत्तर अनुमोदन का प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017 से दिनांक 30-11-2023 तक बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड द्वारा कितने मामलों में कार्योत्तर अनुमोदन लिया गया है ? क्या सरकार उक्त पर रोक लगा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

कार्योत्तर अनुमोदन के प्रावधान का उल्लेख भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं तत्सम्बन्धी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 में नहीं है, किन्तु कार्योत्तर अनुमोदन प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है, जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है।

लागू नहीं।

वर्ष, 2017 से दिनांक 30-11-2023 तक 64 प्रकरणों पर बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

कार्योत्तर अनुमोदन प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है, जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश की जेल नियमावली में बंदियों के कार्य बँटवारे एवं रखने की जगह में भेद-भाव समाप्त करने के सम्बन्ध में

45-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेल नियमावली में बन्दियों के कार्य बँटवारे एवं रखने की जगह में भेद-भाव मौजूद होने की जानकारी सरकार को है ? यदि

हां, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर भेद-भाव समाप्त करना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति

जी नहीं,

उत्तर प्रदेश कारागार नियम संग्रह-2022 (जेल मैनुअल) के अनुसार प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों के कार्य बँटवारे एवं रखने की जगह को जाति के आधार पर आवंटित किये जाने की कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न ही नहीं उठता

46-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[01 सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के कतिपय विकास खण्डों में सामूहिक विवाह योजना में वर्ष जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक लाभार्थियों के विवरण के सम्बन्ध में

47-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर, हल्दौर व नूरपूर में श्रम विभाग द्वारा सामूहिक विवाह योजना में जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक कितने जोड़े विवाह बन्धन में बंधे हैं तथा समारोह पर कितना व्यय हुआ और लाभार्थियों के खातों में प्रति बेटी कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर, हल्दौर व नूरपूर में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 में कोई भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं कराया गया है, अतः उक्त अवधि में तत्सम्बन्ध में कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

प्रदेश के राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में

48-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-05-2022 के क्रम में शासनादेश संख्या-1587/29-6-2022-ई-29-6099/2301/2020, दिनांक 08-07-2022 के द्वारा भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उचित दर दुकान के डीलरों की मार्जिन मनी दिनांक 01-04-2022 से रु0 70/-प्रति कुं0 के स्थान पर रु0 90/-प्रति कुं0 की दर से अनुमन्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर में होमगार्ड्स बाधित सेवा के बाद बहाल किये किये जाने के सम्बन्ध में

49-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में अब तक कितने होमगार्ड्स बाधित सेवा के बाद बहाल किये गये हैं ? क्या सेवा मुक्त किये गये कतिपय होमगार्ड्स को बहाल करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र ख-7 सं0 154890, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 एवं ख-7 सं0 258917, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को विभिन्न कारणों से निलम्बित व निष्कासित किया जाता है। जिसके विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार विचार किया जाता है। प्रश्न में कोई अवधि अंकित न होने के कारण समुचित उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है, तथापि दिनांक 01-04-2022 से अब तक जनपद बुलन्दशहर में कुल 06 निष्कासित किये गये होमगार्ड्स को बहाल किया गया है।

जी हां।

पत्र-ख-7 सं0-154890, दिनांक 27-12-2023 में श्री दिनेश कुमार एवं पत्र-ख-7 सं0-258917, दिनांक 27-12-2023 में श्री कृष्णपाल सिंह को होमगार्ड के पद पर बहाल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है। अवगत कराना है कि उक्त दोनो भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को जिला कमाण्डेन्ट, बुलन्दशहर के आदेश क्रमशः दिनांक 26-02-2007 व 30-12-2013 द्वारा निष्कासित किया गया था। निष्कासन की तिथि से 06 वर्ष उपरान्त प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने किये जाने के कारण शासनादेश दिनांक 02-12-2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार उन्हें होमगार्ड के पद पर बहाल किये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय बाजारों से रोडवेज बसों का संचालन करने के सम्बन्ध में

50-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रोडवेज बसों का संचालन पुराने एन0एच0-56 पर स्थित धनियामऊ बाजार, बदलापुर बाजार व सिंगरामऊ बाजार से जनहित में उक्त बसों का संचालन कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

पुराने एन0एच0-56 पर स्थित धनियामऊ बाजार, बदलापुर बाजार व सिंगरामऊ बाजार से होकर जौनपुर डिपो, कैन्ट डिपो, चन्दौली डिपो, काशी डिपो, सोनभद्र डिपो एवं अन्य क्षेत्र की बसें (लम्बे मार्ग की सेवाओं को छोड़कर) प्रत्येक 30 मिनट के अन्तराल पर संचालित होती हैं।

उपरोक्तानुसार।

श्रम विभाग सामूहिक कन्या विवाह गाजियाबाद में अनियमितता की लोकायुक्त द्वारा कराई गई जाँच का विवरण प्रदान करने सम्बन्ध में

51-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा सामूहिक कन्या विवाह गाजियाबाद में दिनांक 24-11-2022 में अनियमितता की लोकायुक्त द्वारा कराई गई जाँच का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गयी जांच में आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जिसके दृष्टिगत लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गयी जाँच का विवरण मा0 सदन के पटल पर रखा जाना विचारणीय नहीं है।

श्रम विभाग की सामूहिक कन्या विवाह योजना में 2017 से दिनाँक 17-01-2024 तक जिलावार सम्पन्न हुए विवाहों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

52-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग की सामूहिक कन्या विवाह योजना में 2017 से दिनाँक 17-01-2024 तक जिलावार कितने विवाह सम्पन्न हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर्ष 2017 से दिनांक 17-01-2024 तक कुल 30,334 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्पन्न हुए हैं।

वर्ष 2017 से दिनांक 17-01-2024 तक सम्पन्न हुए सामूहिक विवाह तथा उसमें सम्मिलित जोड़ों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष 2017-18		
क्र0-सं0	जनपद का नाम	सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़ों की संख्या
1	इलाहाबाद	175
2	गोण्डा	32
वित्तीय वर्ष 2018-19		
1	पिपरी सोनभद्र	435
2	कानपुर	369
3	गोरखपुर	572
वित्तीय वर्ष 2019-20		
1	बरेली	491
2	आगरा	1,177
3	पिपरी (सोनभद्र)	544
4	कानपुर	983
5	अयोध्या	543
वित्तीय वर्ष 2020-21		
1	मुरादाबाद	2,754
2	लखनऊ	3,260
वित्तीय वर्ष 2021-22		
1	गाजियाबाद	2,280
2	कुशीनगर	2,048
3	अयोध्या	3,829

4	झांसी एवं जालौन	266
5	ललितपुर	273
6	आगरा	2,932
वित्तीय वर्ष 2022-23		
1	गाजियाबाद, हापुड़, बुलन्दशहर	2,842
2	अयोध्या, अम्बेडकरनगर	1,303
3	मिर्जापुर	978
4	प्रयागराज	1,126
5	लखनऊ	1,122
कुल योग :		**30,334**

प्रश्न नहीं उठता।

उजागर सामूहिक कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े विषयक उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के पत्रांक : 489-2023/ 09/8231, दिनांक 06-09-2023 में उजागर सामूहिक कन्या विवाह में फर्जीवाड़े की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के क्रम में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

जनपद गाजियाबाद में सम्पन्न हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कतिपय शिकायतें संज्ञानित होने पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा शिकायत सम्बन्धी सभी तथ्यों की जाँच कराते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, मा0 उप लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को पृष्ठांकित की गयी। शासन स्तर पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जाँच आख्या के क्रम में आरोपी अधिकारियों का विवरण श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा आरोपी अधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के विरुद्ध उनके स्तर से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है। प्रकरण में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा जाँच अधिकारी नामित किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में फाइव स्टार होटलों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम रेट निर्धारित करने के सम्बन्ध में

54-श्री मौहम्मद फहीम इरफान- .

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फाइव स्टार होटलों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं को मूल्य से अत्यधिक महंगा विक्रय किये जाने से सरकार परिचित है ? क्या सरकार उपभोक्ताओं के उक्त शोषण को रोकने हेतु वहाँ बिकने वाली वस्तुओं के अधिकतम रेट निर्धारित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के अन्तर्गत द लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज कमॉडिटी) रूल्स, 2011 के नियम 18 (2) के अनुसार-कोई फुटकर व्यौहारी अथवा अन्य व्यक्ति, विनिर्माता, पैकर, आयातकर्ता और थोक विक्रेता व्यौहारी सहित किसी भी पैकेज में रखी गयी वस्तु का विक्रय पैकेज के फुटकर विक्रय कीमत से अधिक पर नहीं करेगा।

विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उक्त नियमावली-2011 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। लेकिन मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 21791/2017 फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में मा0 उच्चतम न्यायालय ने फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की इस अपील को स्वीकार कर लिया है कि होटल, हॉस्पिटल इत्यादि द लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज कमॉडिटी) रूल्स, 2011 के नियम-3 के अन्तर्गत इंस्टीट्यूशनल कन्ज्यूमर में परिगणित होने के कारण उक्त नियमावली से आच्छादित नहीं है। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 12-12-2017 के समादर में विभाग द्वारा होटल इत्यादि में (पैकेज में रखी गयी) खाद्य वस्तुओं को मूल्य से अधिक पर बिक्री किये जाने की जांच नहीं की जा सकती है।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 12-12-2017 के अनुसार होटल इत्यादि द लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज कमॉडिटी) रूल्स, 2011 से आच्छादित न होने कारण प्रश्न विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिला योजना की मीटिंग को पुनः शुरू करने के सम्बन्ध में

55-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिला योजना की मीटिंग को सरकार पुनः शुरू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला योजना समिति की बैठक के विषयगत राज्य सरकार के अधिनियम 1999, एवं सपठित उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति, संशोधन अधिनियम, 2007 में समुचित प्राविधान हैं। उक्त प्राविधान के तहत जारी निम्न नोटिफिकेशन निर्गत हैं :-

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली, 2008

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012

उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2019

इसके अतिरिक्त जिला योजना समिति की बैठक हेतु समय-समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जिसमें से कुछ शासनादेश निम्नवत् हैं :-

कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/2017/(1251/17)/9/5/35-आ-2/2007-69, दिनांक 26 अप्रैल, 2017, शासनादेश संख्या-9/4/35-आ-2/2017-27, दिनांक 17 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-9/3/35-आ-2/2018-14, दिनांक 13 नवम्बर, 2018, शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या-27/2019/(2106/19)/9/5/35-आ-2/2007-69, दिनांक 28 अगस्त, 2019, शासनादेश संख्या-9/3/35-आ-2/2020-19, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020, शासनादेश संख्या-9/4/35-आ-2/2021-19, दिनांक 04 जनवरी, 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-262/35-आ-1-2023, दिनांक 28 फरवरी, 2023 निर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित राशन/सस्ते गल्ले की दुकानों का चयन गुप्त मतदान द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56-श्री सीताराम वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित राशन/सस्ते गल्ले की दुकानों का चयन गुप्त मतदान द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता

का पत्रांक ख-7 नं0-129327, दिनांक 11-1-2024 तथा पत्रांक ख-7 नं0-022037, दिनांक 17-11-2022 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। उक्त पत्र आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर दुकानों की रिक्ति, चिन्हांकन, आरक्षण एवं दुकान नियुक्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-6/2019/1358/29-6-2019-162सा0/2001, दिनांक 05-08-2019 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व से ही निर्गत हैं।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में दी गयी व्यवस्था सम्यक् विचारोपरान्त निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार ही ग्राम सभाओं में राशन की दुकानों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। खुली बैठक में पारित प्रस्ताव पारदर्शी व सर्वमान्य होने के कारण राशन/सस्ते गल्ले की दुकानों का चयन गुप्त मतदान से कराये जाने की सम्प्रति आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में ई0एस0आई0 हॉस्पिटल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कतिपय पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक एम0एस0/98/2023/1220, दिनांक 23-06-2023, पत्रांकः एम0एस0/2023/1234, दिनांक 30-06-2023 एवं पत्रांकः एम0एस0/2023/1302, दिनांक 27-09-2023 जोकि जनपद फिरोजाबाद में ई0एस0आई0 हॉस्पिटल के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

मा0 सदस्य विधान सभा, शिकोहाबाद के पत्र दिनांक 23-06-2023 एवं 27-09-2023 प्राप्त हुए थे, जिसमें मा0 सदस्य द्वारा फिरोजाबाद में कामगारों की सुविधा के लिए ई0एस0आई0 हास्पिटल निर्माण एवं उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को उनसे सम्पर्क किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

मा0 सदस्य के उपरोक्त पत्रों को निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0, सर्वोदयनगर, कानपुर के पत्र दिनांक 11-10-2023 द्वारा मुख्य चिकित्सा

अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, आगरा क्षेत्र, आगरा को प्रेषित करते हुए जनपद फिरोजाबाद में ई0एस0आई0 अस्पताल निर्माण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानकों के अनुसार भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रस्ताव हेतु अविलम्ब मा0 सदस्य से व्यक्तिगत सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, आगरा क्षेत्र, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 31-01-2024 द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा मा0 सदस्य से पूर्व में सम्पर्क किया गया था, जिस पर उनके द्वारा कहा गया था कि वे मिलने के लिए तिथि एवं समय से अवगत करायेंगे, लेकिन मा0 सदस्य से मिलने का समय प्राप्त नहीं हो सका। पुनः दिनांक 31-01-2024 को दूरभाष पर सम्पर्क करने पर मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि वह दिनांक 02-02-2024 से आहूत विधान मण्डल सत्र में व्यस्त हैं। अतः विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद वे भूमि का अवलोकन करा देंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि फिरोजाबाद जनपद में 30 बेड कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय निर्माण के लिए जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के स्तर से दिनांक 12-04-2023 को तहसील टूण्डला के ग्राम रूधऊ मुस्तकिल के गाटा संख्या-1159 मि0/4.290 हे0 एवं 598 ख/4.057 हे0 भूमि तथा शिकोहाबाद तहसील के ग्राम दिवायाची के गाटा संख्या-227/1, रकबा 1.55 हे0 अर्थात् 2.85 एकड़ भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार की समिति द्वारा उपरोक्त दोनों प्रस्तावित भूमि को अस्पताल निर्माण के लिए अनुपयुक्त पाते हुए जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से क0रा0बी0 निगम के मानकों के अनुसार किसी अन्य स्थान पर निःशुल्क/टोकन मूल्य पर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में निदेशक, क0रा0बी0 योजना के पत्र दिनांक 05-09-2023 एवं 16-11-2023 द्वारा भी जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से क0रा0बी0 निगम, भारत सरकार के मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में धान खरीद केन्द्रों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष 2022-23 में धान की खरीद में बढ़ोत्तरी की जानकारी

58-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में धान खरीद केन्द्रों पर वर्तमान तक कितने कुन्तल धान की खरीद किसानों से की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष 2022-23 में कितनी धान की खरीद बढ़ी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत प्रदेश में संचालित 5206 धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से दिनांक 31-01-2024 तक 754778 किसानों से कुल 50723758.70 कुन्तल धान की खरीद की गयी है। धान खरीद पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में अभी गतिमान है, जो दिनांक 29-02-2024 तक चलेगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65.53 लाख मी0टन तथा वर्ष 2022-23 में 65.50 लाख मी0टन धान की खरीद की गयी है, जो कि लगभग बराबर हैं।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर व शामली की निजी चीनी मिल्स में मिलवार श्रम मजदूरों की वर्तमान संख्या में मिलने वाला वेतन तथा मजदूरी की प्रकृति अस्थाई/स्थाई का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

59-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की निजी चीनी मिलों में मजदूर हित की क्या कोई श्रम नीति है ? यदि हां, तो क्या चीनी मिल मजदूरों के लिये कोई वेतनमान वेजबोर्ड के अनुसार निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार मुजफ्फरनगर व शामली की निजी चीनी मिल्स में मिलवार उक्त श्रम मजदूरों की वर्तमान संख्या में उन्हें मिलने वाला वेतन तथा मजदूरी की प्रकृति अस्थाई/स्थाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-2 की शासकीय अधिसूचना संख्या-1305/36-2-2022-08-2004 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2022 द्वारा राज्य के चीनी उद्योग के कर्मकारों हेतु वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01-10-2018 से लागू किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2022 की छायाप्रति संलग्न† है।

जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में 10 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनकी सूचना निम्नवत है :-

(1) मैसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि0, बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी उद्योग में लागू शुगर वेजबोर्ड के अनुसार भुगतान किया जाता है।

नोट :-† देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-319-323 पर।

वेजबोर्ड के अन्तर्गत कुल श्रमिकों की संख्या	483
स्थाई श्रमिकों की संख्या	127
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	0
मौसमी स्थाई श्रमिकों की संख्या	356

(2) मैसर्स आई0पी0एल0 यूनिट, रोहाना कलां, जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी उद्योग में लागू शुगर वेजबोर्ड के अनुसार भुगतान किया जाता है।

कुल श्रमिकों की संख्या	156
स्थाई श्रमिकों की संख्या	68 (37 कामगार, 04 अधिकारी)
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	0
सीजनल श्रमिकों की संख्या	81
फिक्स्ड कर्मकार की संख्या	07 (03 कामगार, 04 अधिकारी)

(3) मैसर्स टिकौला शुगर मिल्स लि0, ग्राम टिकौला, जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी उद्योग में शुगर वेजबोर्ड के अनुसार भुगतान किया जाता है।

कुल श्रमिकों की संख्या	567
स्थाई श्रमिकों की संख्या	131
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	0
सीजनल श्रमिकों की संख्या	436

(4) मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एवं इण्डस्ट्रीज लि0, शुगर यूनिट, भोखपुरा, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी उद्योग में शुगर वेजबोर्ड के अनुसार भुगतान किया जाता है।

कुल श्रमिकों की संख्या	687
स्थाई श्रमिकों की संख्या	196
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	29
सीजनल श्रमिकों की संख्या	462

(5) मैसर्स उत्तम शुगर मिल लि0, खाईखेडी, जनपद मुजफ्फरनगर में शुगर वेजबोर्ड के प्राविधान लागू हैं।

कुल श्रमिकों की संख्या	267
स्थाई श्रमिकों की संख्या	130
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	0
सीजनल श्रमिकों की संख्या	137

(6) मैसर्स आई0पी0एल0 तितावी शुगर काम्पलैक्स, तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर में शुगर वेजबोर्ड के प्राविधान लागू है।

कुल श्रमिकों की संख्या	531
स्थाई श्रमिकों की संख्या	122 (59 कामगार, 63 अधिकारी)
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	0
सीजनल श्रमिकों की संख्या	409

(7) मैसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि0, यूनिट मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में शुगर वेजबोर्ड के प्राविधान लागू हैं।

कुल श्रमिकों की संख्या	504
स्थाई श्रमिकों की संख्या	212
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	0
सीजनल श्रमिकों की संख्या	292

(8) मैसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स, जनपद शामली में श्रमिकों को वेतन वेजबोर्ड के अनुसार दिया जाता है।

कुल श्रमिकों की संख्या	467
स्थाई श्रमिकों की संख्या	13

(9) मैसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर मिल, थानाभवन, जनपद शामली में श्रमिकों को वेतन वेजबोर्ड के दिया जाता है।

कुल श्रमिकों की संख्या	354
स्थाई श्रमिकों की संख्या	331
अस्थाई श्रमिकों की संख्या	23

(10) मैसर्स सुपीरियर ग्रेन्स फूड प्रा0लि0, ऊन जनपद शामली में श्रमिकों को वेतन वेजबोर्ड के अनुसार दिया जाता है।

कुल श्रमिकों की संख्या	29
स्थाई श्रमिकों की संख्या	07
सीजनल श्रमिकों की संख्या	22

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में गेहूँ क्रय केन्द्र बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में गेहूँ खरीद के केन्द्र कम होने के कारण किसानों को गेहूँ बेचने के लिये अधिक दूरी तक जाना पड़ता है, जिसमें समय व धन का व्यय अधिक होता है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में गेहूँ के खरीद केन्द्र बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यानाथ-

रबी विपणन वर्ष 2023-24 में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा गेहूँ क्रय हेतु 51 क्रय केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें तहसील जसराना में 24 गेहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं। तहसील के क्षेत्रफल, गेहूँ के उत्पादन वाले क्षेत्र, क्रय संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधन के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव के दृष्टिगत अनुमोदित किए गए गेहूँ क्रय केन्द्र वर्तमान में पर्याप्त हैं। यदि दिनांक 15 मार्च, 2024 से गेहूँ क्रय प्रारम्भ होने के उपरान्त कृषकों को गेहूँ विक्रय करने में कोई समस्या होगी तो आवश्यकता का परीक्षण कर यथासमय अतिरिक्त गेहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित किये जाएंगे।

उपरोक्तानुसार।

61-श्री कविन्द्र चौधरी-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

[12:22] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रेश पासवान के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रेश पासवान का दिनांक 24 दिसम्बर, 2023 को निधन हो गया। वह लगभग 50 वर्ष के थे। श्री चन्द्रेश पासवान का जन्म वर्ष 1973 में ग्राम सेमरा, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चन्द्रेश पासवान वर्ष 1997 के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र मनीराम, जिला गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री चन्द्रेश पासवान एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री चन्द्रेश पासवान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। विधान सभा के माननीय पूर्व सदस्य श्री चन्द्रेश पासवान के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतृप्त परिवार को दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतक के शोकाकुल परिवार को पहुँचा दूँगा। अब हम दिवगंत आत्मा की शान्ति के लिए कुछ देर के लिए मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश के अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों का फोन न उठाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे एक माननीय सदस्य ने नियम-300 में एक दिन सूचना दी थी कि हमारे जो अधिकारीगण, बड़े-बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी, जब हम उनको फोन करते हैं तो वह हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं। आपकी पीठ से आदेश हुआ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर जवाब भी दिया कि हमने शासनादेश कर दिया है और इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं होगा, इसमें कड़ा निर्देश जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष द्वारा शोक संवेदना के समय लॉबी में बैठे सदस्यों को बातचीत न करने के निर्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, एक मिनट के लिए रुकिये। पीछे लॉबी में हमारे जो माननीय सदस्य बैठे हैं। जिस समय यहां पर शोक संवेदनायें चल रही थीं तो लॉबी की आवाज यहाँ पर आ रही थी। यह मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिये कि किस समय कौन सा विषय लिया जा रहा है और उस समय क्या आचरण और व्यवहार होना चाहिये।

मैं सभी माननीय सदस्यों को जो लॉबी में बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अपनी बात करें, उनको बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसकी ध्वनि जिसके लिए बोला जा रहा है उसी को सुनाई पड़े। हाउस में ना आए क्योंकि लॉबी भी विधान सभा का एक पार्ट है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लॉबी भी विधान सभा का एक पार्ट है, लॉबी विधान सभा से अलग नहीं है। विधान सभा के अन्दर जो आचरण और व्यवहार के लिए नियम हैं, वह लॉबी पर भी लागू होते हैं। जिस समय शोक प्रस्ताव चल रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उस समय बोलना उचित नहीं था। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगली बार इस प्रकार की कोई सूचना आती है तो फिर मैं उनके नाम मंगा लूंगा, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। माननीय वर्मा जी आप बोलिए।

प्रदेश के अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों का फोन न उठाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बार-बार प्रोटोकॉल से सम्बन्धी पत्र जारी होता है, शासनादेश जारी होता है उसके बाद भी अधिकारीगण कम्प्लायन्स नहीं करते हैं। मैंने प्रायः देखा है, माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां पर फोन पर नोट कराते हैं तो उनसे वार्ता हो जाती है, लेकिन उन्हीं के सचिवालय में अपर मुख्य सचिव एवं अधिकारी बैठे हैं, चाहे जितनी बार फोन करें, उनके यहां पर नोट करायें लेकिन आज तक मुझसे वार्ता नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में तमाम शासनादेश निर्गत हुआ है। क्या वह उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है ? इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके सम्बन्ध में आप एक व्यवस्था देने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात के लिए विधान सभा में भी बड़े प्रभावी ढंग से निर्देश दिए हैं और उन्होंने स्वयं इसकी चिन्ता करके अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और हम सबको एक दिन अखबार में भी पढ़ने को मिला था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर इस सन्दर्भ में कोई बैठक भी हुई थी। अगर उस प्रकार की शिकायत विधान सभा के अन्तर्गत आती है तो फिर यह गम्भीर विषय है। मैं विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि कभी-कभी जब हम टेलीफोन करते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी कहते हैं कि हम अभी व्यस्त हैं। स्वाभाविक है कि व्यस्तता होगी, क्योंकि सभी लोग अपना-अपना काम करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यथासम्भव, यथाशीघ्र जिस समय बैठक समाप्त हो जाए तो उनको काल बैक करनी चाहिए। इस प्रकार कि जब हम टेलीफोन करते हैं तो हमारी अनुश्रवण समिति की बैठकों में यह मैसेज आता है कि फोन नहीं आया। अगर फोन करने के बाद एक मैसेज भी छोड़ देंगे कि मैं कौन हूँ। कभी-कभी मैसेज या अन-आइडेंटिफाइड नम्बर होने कारण काल नहीं उठा पाते होंगे। अगर एक मैसेज भी छोड़ देंगे तो उनके पास भी एक प्रमाण हो जाता है कि उन्होंने रिसीव किया और आपके पास भी प्रमाण हो जाता है कि आपने भेजा है। इस प्रकार बातचीत करने का माननीय विधायकों का अधिकार है और उसके नाते से अधिकारियों की व्यस्तता भी स्वाभाविक है, लेकिन यथासम्भव, यथाशीघ्र उनको काल बैक करें। अगर इस प्रकार का मैसेज अगली बार सदन में आयेगा तो थोड़ी कठिनाई होगी। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, हमने माननीय वर्मा जी की बात का संज्ञान ले लिया है और इसको सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3, 4, 5, 6 व 7 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-8।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024†

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[12:31] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं, प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जायेगा और एक सूचना की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा, बाकी सब सूचनाएं अग्राह्य की जाती हैं।

नोट :-† दिनांक 19 फरवरी, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने हमें कार्य-स्थगन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत आभार। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने जो आज कार्य-स्थगन में नोटिस दी है वह प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी है, प्रत्येक थानों से जुड़ी है, प्रत्येक जिले से जुड़ी है। जब रक्षक ही भक्षक हो जायेगा तो समाज को न्याय कहां से मिल पायेगा और कैसे मिल पायेगा ? पुलिस के माध्यम से भू-माफियाओं पर रोकथाम लगाते-लगाते यदि पुलिस ही भू-माफिया हो जायेगी तो आम जनता को न्याय कैसे मिल पायेगा ? मा0 अध्यक्ष जी, फिरौती-अपहरण पर रोक लगाते हुए पुलिस स्वयं अपहरण करके फिरौती करने का काम करेगी तो आम-जनमानस को न्याय कैसे मिलेगा ? आज पुलिस का काम हो गया जमीनी विवाद में एक पक्ष से पैसा लेकर दूसरे पक्ष को कब्जा दिलवाना, कोई घटना-दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस का एक उद्योग लग जाता है। आम-जनता को, नाते-रिश्तेदारों को, साथी-संघातियों को उठाकर थाने में बैठाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उससे बड़ी रकम लेकर उसे छोड़ा जाता है और उसमें दलाली होती है, दलालों द्वारा भी बड़ी रकम की वसूली की जाती है। बड़े दुःख की बात है, मैंने पहले ही कहा कि यदि रक्षक ही भक्षक हो जायेगा तो समाज को न्याय नहीं मिल पायेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरी ग्राम सभा के बगल में एक ग्राम सभा गोगमऊ, जामों थाना लगता है। बीती रात एक बजे 12 वर्दीधारी एक घर पर पहुंचते हैं, उनका दरवाजा तोड़ते हैं, तीन लोगों शरद, आशीष और अभिषेक को उठा ले जाते हैं और जब 80 वर्षीय उनकी मां इस बात का विरोध करती है कि क्यों इनको ले जा रहे हो तो उनकी 80 वर्षीय मां को भी पुलिस द्वारा मारा-पीटा जाता है।

अपने आपको रायबरेली की पुलिस बताया जाता है, जब मैंने जामो थाने में अमेठी जनपद में यह पता करने का प्रयास किया क्या आपके संज्ञान में है कि रायबरेली की पुलिस जामो थाना के अन्तर्गत गोगमऊ ग्राम पंचायत में कोई दबिश देने जा रही है तो उन पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। रात में 01 बजे तीन लोगों को उठा लिया जाता है और उनका पता नहीं लगता है कि उनको क्यों उठाया गया है वर्दीधारी के रूप में पुलिस ले गयी है, आतंकवादी ले गये हैं, अपहरणकर्ता ले गये हैं, इसका पता नहीं चलता है। जिन तीन नौजवान बच्चों को उठाया गया है, न वे कभी किसी अपराध में लिप्त पाये गये हैं न कोई उनकी आपराधिक गतिविधि रही है। उनको क्यों उठाया गया है इसके कारण का अभी तक पता नहीं चला है और उनको कहां ले जाया गया है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मैं मानता हूँ कि पुलिस की वर्दी की धमक होनी चाहिए, लेकिन पुलिस की वर्दी का आतंक नहीं होना चाहिए। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की वर्दी की धमक नहीं है, कानून की धमक नहीं है, आज पुलिस के माध्यम से कानून का आतंक जन-जन तक पहुंचाया गया है, जिसकी मैं आपके माध्यम से इस सदन में घोर निन्दा करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, जिन नौजवानों को उठाया गया है, मैं सरकार से चाहूँगा कि अविलम्ब इनको छुड़वाया जाये और किस अपराध के तहत उठाया गया है, अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ये नौजवान किसी अपराध में लिप्त नहीं हैं, आपराधिक गतिविधियों में कभी लिप्त नहीं हैं तो जिन अधिकारियों ने शरद, आशीष और अभिषेक, ग्राम गोगमऊ थाना जामो, जनपद अमेठी के लोगों को उठाया गया है, तो जिन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इनको उठाया गया है, 80 वर्षीय माता को पीटा गया है, इनको मारा-पीटा गया है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाये।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत पुराने हैं और अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से करना भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह प्रजेंट किया, अपनी नियम-56 की सूचना में पहली चार-पाँच सेन्टेन्स कोट किए, उस पर मेरी घोर असहमति है। योगी सरकार ने जिस दिन से शपथ ली, उस दिन से यह कोशिश की कि हर तरह से न्याय हो और उसी का आज यह परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जनसामान्य में इस सरकार का पब्लिक परसेप्शन बदला है और उनको यह विश्वास है कि योगी सरकार में अन्याय नहीं होता है और ऊपर से अगर होता है, अन्याय कहीं तो उसको दण्ड भी जरूर दिया जाता है, चाहे वह किसी स्थिति का व्यक्ति हो, वह किसी पद पर बैठा हो। दूसरी बात मान्यवर, जो आपने विषय बताया, मेरे पास सूचना आयी है, अगर मान्यवर आप अनुमति दें तो मैं पढ़कर सुना दूँ।

श्री अध्यक्ष-

जो उसका सारांश हो, उसको बता दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बहुत छोटी है, 02 मिनट में पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस सम्बन्ध में जो आपने विषय उठाया है, मान्यवर, यह पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा सूचना दी गयी है। सादर अवगत कराना है कि दिनाँक 05-02-2024 को पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय, जनपद रायबरेली के अन्दर पी0डब्ल्यू0डी0 ठेकेदार आनन्द कुमार पुत्र स्व0 राम किशन तिवारी, निवासी-एमआईजी 3 आरडीए कालोनी, इन्दिरानगर, थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली से रंगदारी की माँग की गयी तथा न देने पर उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी आनन्द कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली पर मुकदमा अपराध संख्या-52/2024 धारा-147, 323,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

352, 427, 506, 507 भारतीय दण्ड संहिता बनाम 06 अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादी द्वारा दी गयी जानकारी एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-386 आईपीसी की वृद्धि की गयी। संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त घटना में पंकज सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम उमरी, थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, माननीय विधायक, ऊँचाहार एवं उनके पुत्र पार्थ एवं नीरज सिंह पुत्र राकेश सिंह, निवासी लालूपुर चौहान, थाना महाराजगंज, रायबरेली का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान 07-02-2024 को अभियुक्त नीरज सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। विवेचना से संकलित साक्ष्यों एवं अभियुक्त नीरज सिंह से की गयी पूछताछ एवं की गयी जानकारी के आधार पर अभियुक्त पंकज सिंह के थाना जगतपुर स्थित निवास पर दबिश दिए जाने पर पंकज सिंह व उनका पुत्र दस्तियाब नहीं हुआ। इनके ग्राम जामों जनपद अमेठी ससुराल में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली से पुलिस टीम द्वारा उनकी ससुराल जाकर दबिश दी गयी। परन्तु यह वहाँ नहीं मिले। उनके द्वारा अभियुक्तों के जनपद रायबरेली में होने की सम्भावना जतायी गयी। जिसके बारे में जानकारी हेतु अभियुक्त पंकज के सालों को कोतवाली नगर रायबरेली पुलिस द्वारा लाया गया, जिसका अंकन जी0डी0 में रपट नम्बर-23 पर 10 बजकर 40 मिनट पर है। आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित। यह मान्यवर, थाने की सूचना है। आपने जो यहाँ पर वाकया बताया है कि 80 वर्षीय जो बूढ़ी माँ थीं, उनके साथ अभद्रता की और कुछ लोगों को नाजायज तरीके से रखा। मान्यवर, अभी मैं इस बारे में पुलिस अधीक्षक से बात भी कर लूँगा और आज शाम तक ही मैं इसका जवाब भी दे दूँगा। चूँकि यह रिपोर्ट वहाँ से आयी थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके माध्यम से सदन को अवगत भी करा दें और मान्यवर, आपको भी अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट आज शाम तक ही रख देंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, केवल 01 मिनट में अपनी बात रख लेते हैं। वह शाम तक बता देंगे, मैं देख लूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो पंकज सिंह का नाम आया है कि वह मनोज पाण्डेय जी के प्रतिनिधि हैं। हम सब भिज्ञ हैं कि जब हम कोई अपना प्रतिनिधि बनाते हैं तो उसको लिखा-पढ़ी में जिलाधिकारी को या वहाँ के संस्थानों को लिखकर देते हैं कि यह हमारा प्रतिनिधि है। क्या वहाँ की पुलिस ने कोई इस तरह से परिपत्र इकट्ठा किया है, या कहीं से निकाला है कि मनोज जी ने कभी उनको प्रतिनिधि बनाने का पत्र जारी किया है, एक तो इसकी जांच हो जाए और दूसरी जांच यह हो जाए कि पंकज सिंह की ससुराल गोगमऊ है और पुलिस को पता चलता है कि पंकज सिंह अपनी ससुराल में शरण लिए हुए हैं, वहाँ पुलिस दबिश देती है, ठीक

है उनकी मां के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है इसकी आप जांच करा लेंगे, इसलिए कि सदन में विधायक कह रहा है कि हो सकता है कि विधायक सदन में असत्य पर बात कर रहा हो और उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा सही बोलती हो, मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन अगर उस अपराध में उनके तीनों बच्चों का नाम अभिषेक, आशीष उनके साथ तीनों भाइयों का नाम नहीं था तो उनको पुलिस भी मान रही है कि उनको लाया गया है, किस अपराध के तहत उनको रायबरेली लाकर कोतवाली में बैठाया गया है और प्रताड़ित किया जा रहा है, यह किसी आई0पी0सी0 की धारा में अगर हो तो, किसी कानून में हो तो, संविधान में लिखा हो तो उसको भी मा0 मंत्री जी बता दें। अब इसमें होगा क्या जो मैं पहले कह रहा था जिसका खण्डन कर रहे मा0 मंत्री जी रायबरेली कोतवाली की पुलिस जब तक दो-चार लाख उनसे वसूली नहीं कर लेगी तब तक उनको छोड़ने का काम नहीं करेगी और यही हर जगह की पुलिस कर रही है कि अपराध कोई कर रहा है, उठाया कोई जा रहा है, जेल कोई भेजा जा रहा है और पैसा किसी से लिया जा रहा है, यही कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ कई जगह की जमीन कब्जा कराने के लिए पुलिस ने पैसा लिया है। कस्टडी में लोगों को पीटा गया है और कई लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में मर चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ग्राह्यता पर एक बात आई और उसका समुचित जवाब दिया गया है, इसीलिए मैंने रिपोर्ट को अक्षरशः बल दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उसके बाद भी इन्होंने कहा कि शाम तक जानकारी करके बताएंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एक आई0पी0एस0 अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यह लिखकर दिया कि वह उनके प्रतिनिधि थे। मान्यवर, प्रतिनिधि के लिए जो विधायक बनता है वह जिलाधिकारी को लिखता है कि हमारा यह प्रतिनिधि है, किसी भी व्यक्ति को यह लिख देना यह विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है, यह उन्होंने अपमान किया है। अगर कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं था और पुलिस अधीक्षक ने इन राइटिंग, इन हाउस अगर लिखकर दिया है तो इसकी जांच कराई जाए। मैंने किसी को कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं बनाया है।

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट भेजी है, इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने गलत रिपोर्ट हाउस में कैसे भेज दी।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो भी कहा उसका मा0 मंत्री जी ने पूरी बात का संज्ञान लिया और इस विषय का भी संज्ञान लिया जो आपने उठाया है और जो मा0 राकेश जी ने पहले बताया था। जब

उन्होंने कहा है कि मैं शाम तक पूरी जानकारी लेकर आज ही शाम को रखूंगा अब इससे ज्यादा का जवाब तो हो ही नहीं सकता। मा0 मंत्री जी शाम को हाउस रुकने के पहले तक इसका जवाब दे देंगे। मैंने श्री राकेश प्रताप सिंह जी को सुना, मैंने मा0 मंत्री जी को सुना यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ और दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, एक तरफ तो मा0 मंत्री जी भी जब खड़े होते हैं या मा0 मुख्य मंत्री जी बोलते हैं तो उस बात को कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, चाहे वह कानून व्यवस्था से सम्बन्ध हो, चाहे वह भ्रष्टाचार से सम्बन्ध हो, लेकिन मान्यवर, इसी सरकार के रहते जिस तरह का यह भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है, जिसको देखने के बाद निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो गया है।

मान्यवर, यह घटना दिनांक 25 जनवरी, 2024 की है बलिया जिले के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में मनियर इण्टर कालेज में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 537 लोग रजिस्टर्ड थे उसमें से आधे से अधिक अपात्र व्यक्तियों का चयन किया गया था। विवाह में वर और वधू दो का होना आवश्यक है, परन्तु इस विवाह कार्यक्रम में दुल्हन खुद ही अपने गले में माला पहनाते हुए पायी गई और यह सब वहाँ उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के संयोजकों सहित उपस्थित मा0 विधायक भी ताली बजाते हुए नजर आईं। मान्यवर, इस तरह का जो चयन किया गया है मनियर से 179 में से 55 अपात्र, रेवती गाँव से 136 उसमें से 50 अपात्र, बांसडीह से 125 जिसमें से 24 अपात्र इसमें से 23 की अभी जाँच नहीं हुई है, हो सकता है कि और भी अपात्र हों, बेरुआवारी से चयनित 133 में से 86 अपात्र हैं। मान्यवर, इसी तरह से मैरीटॉर में 29 चयनित किये गये हैं, वह मा0 विधायक जी का गाँव है, जिसमें से सभी के सभी अपात्र हैं।

मान्यवर, इसी तरह से एक भूपतपुर गाँव है वहाँ के धनजी यादव हैं। इसमें दिया गया है कि सामूहिक विवाह समारोह में पूजा पुत्र धनजी यादव के नाम से पंजीकृत थी, जबकि वह भूपतपुर गाँव में रहने वाले टुनटूल सिंह की पुत्री है। उसका वहाँ पर नाम लिखा गया था पूजा पुत्री श्री धनजी यादव और वह टुनटूल सिंह की पुत्री है और टुनटूल सिंह का मोबाइल नम्बर भी उसमें अंकित था। मोबाइल नम्बर किसी और का था और उसे पुत्री बना दी धनजी यादव की। इस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया गया। इसमें बड़े पैमाने पर गोरखधंधा है। मान्यवर, जो हमारी नियम-56 के सम्बन्ध में नियमावली है उसके अनुरूप यह घटना तात्कालिक है, अविलम्बनीय है और मान्यवर, बड़े पैमाने पर जो हमारी योजना है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 मुख्य मंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जिसका बार-बार वह इस सदन में जिक्र करने का काम करते हैं। उस योजना के साथ और वहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि भी बैठे हों मान्यवर, इस तरह से करीब 75 प्रतिशत अपात्र लोगों का विवाह करने का और बिना दूल्हे के दुल्हन माला पहनते हुए नजर आई। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई अन्य विषय नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से यह बड़े पैमाने पर बन्दरबांट करने का कार्य किया गया है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सदन का स्थगन करके कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें, जिससे सही तथ्य सामने आए और इसमें जिन लोगों की भी इसमें मिली-भगत है या जिनके दबाव में यह लोग चयनित किए गये उन सारे लोगों को भी इसमें मुल्जिम बनाकर उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो जिससे इस तरह की हिम्मत दोबारा कोई न कर पाये मुझे मेरी जानकारी के अनुसार दबाव डालकर अपात्र लोगों का चयन कराया गया है। इसलिए मान्यवर, चाहूँगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें। मान्यवर, इस पर हमारे एक साथी बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो तथ्य आपने रखे हैं यदि इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जानकारी देना चाहे, बिना भाषण के तो वह दे सकता है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, जो तथ्य है उससे अवगत पहले से भी थे और मा0 वर्मा जी ने उसको क्रमवार रखा। जो हमारा मण्डल आजमगढ़ है उसके अन्दर ही बलिया है। बलिया से मा0 मंत्री जी भी आते हैं और जो बांसडीह विधान सभा क्षेत्र की बात हुई है, बांसडीह के जिन गाँवों का जिक्र हुआ उसमें एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि का भी गाँव है और उन गाँवों से भी जो चयन की सूची बनाई गई है वह पूरे के पूरे अपात्र हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह तो उन्होंने बताया ही है कोई नई बात बताइये।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है कि बिना दूल्हे के दुल्हन ने माला पहन ली।

मान्यवर, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। यह कोई चमत्कारिक सरकार ही कर सकती है। शायद हिन्दुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां बिना दुल्हे के दुल्हन का विवाह हो जाय और जनप्रतिनिधि ताली बजा रही थीं। आप क्यों भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम ले रहे हैं। अरे उनके उदाहरण यहां मत दीजिये। आप कह रहे हैं कि राम राज्य है। अरे, मैं तो नहीं कह सकता यह आप कह सकते हैं, ये तो कलयुग राज है जिसमें बिना दुल्हे के दुल्हन माला पहन रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप दुल्हन छोड़िये।

डॉ0 संग्राम यादव-

नहीं उधर से आयी आवाज की राम राज्य है। मैंने कहा कि भगवान को न कहिए, भगवान से डरिये।

श्री अध्यक्ष-

जब विषय आया है तो उसके ऊपर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

डॉ0 संग्राम यादव-

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कसम है कि जो लोग इसमें लिप्त हों उनके खिलाफ कार्रवाई करिये। हिन्दुस्तान का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया जहां बिना दुल्हे के दुल्हन की शादी हो रही है। मान्यवर, यह सिर्फ योगी राज में हो सकता है और हिन्दुस्तान का कोई राज्य ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं डिबेट नहीं करा रहा, मैं ग्राह्यता पर सुन रहा था। आपने बोला था कि क्षेत्र की स्थानीय विधायक वहाँ बैठी थीं।

श्रीमती केतकी सिंह-

क्या हो गया विधायक जी, जवाब तो सुन लीजिये। यह सत्य घटना है। यही तो दिक्कत है वर्मा जी आप बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। थोड़ा सुन तो लीजिये कि ताली किसलिए बजा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि वहाँ बैठी भी थीं और ताली भी बजा रही थीं। तो सुन तो लीजिये कि ताली बजा भी रही थीं कि नहीं बजा रही थीं।

श्रीमती केतकी सिंह-

यह सत्य बात है कि जो आरोप आप लोग कह रहे हैं उस तरह की घटना उस सामूहिक विवाह में हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु मैं यह कहना जरूर चाहूँगी कि गरीब की बेटी का विवाह भी उसी तरह गाजे, बाजे, ढोल-ताशे, बाराती, खाना सबके साथ हो जिस तरह किसी अमीर की बेटी का होता है, इसी तरह की कल्पना के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने गरीबों के लिए किया और यह सत्य है कि यह पहली नहीं मेरे क्षेत्र में यह तीसरी बार सामूहिक विवाह का आयोजन था। मुझे विधायक

बने हुए डेढ़ साल हुआ है और मैं तीसरी बार सामूहिक विवाह करा रही थी। मैं पहली बार ताली नहीं बजा रही थी, मैं तीनों बार ताली बजा कर अपने मुख्य मंत्री जी की उस सोच का स्वागत कर रही थी जिसमें गरीब की भी बच्ची को उतना ही सम्मान मिले।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि जो जानकारी आयी है उसका मंत्री जी जवाब दें।

श्रीमती केतकी सिंह-

अध्यक्ष जी, 2 मिनट, हम कभी बोलते नहीं हैं। परन्तु जो कार्यवाही की बात है।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप ही के समर्थन में बोल रही हैं।

श्रीमती केतकी सिंह-

यही तो बात है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और हम नाम भी ले लें तो हो जाते हैं बदनाम। कार्यवाही की भी बात है तो 17 लोगों पर कार्यवाही हुई है, जिसमें 02 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी बैठिये। वो मंत्री जी कार्यवाही बतायेंगे। मैंने स्वयं रोक दिया, यहां डिबेट नहीं हो रही। आपसे क्या मतलब है रविकान्त ? मैं नहीं स्वीकार कर रहा, इसीलिए तो बैठा रहा हूँ।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरूण)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री लालजी वर्मा जी द्वारा महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। वो संग्राम सिंह का है। अरे आप मण्डल हैं तो फिर वह वर्मा जी जिस समय आपने बात कही तो आपने नहीं कहा कि फलाने जिले का, यह आपने कहा कि उस विधान सभा का, क्योंकि विधान सभा का नाम लिया और आपने कहा कि उस समय वहाँ पर माननीया विधायक बैठी थीं, आपने उनको इंगित किया, इसलिए मैंने उनको अवसर दिया। जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। आप लोग उनका जवाब तो सुनिये।

(श्री अनिल प्रधान के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

तुम्हारी शादी हो गयी है या नहीं। इनकी सामूहिक विवाह में शादी कराओ।

(सदन में हंसी)

श्री असीम अरूण-

आपके निर्देशानुसार अनुसरण होगा। माननीय श्री लालजी वर्मा जी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया, वह महत्वपूर्ण है मैं इसका पूरे विस्तार से वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य बहन केतकी जी ने बताया, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मूल भाव यह है कि किसी भी घर की बेटी का विवाह धूमधाम के साथ होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए और प्रत्येक ब्लाक में, तहसील में, जनपद में ऐसे आयोजन होते हैं और उस आयोजन में जनप्रतिनिधि भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, मीडिया भी होती है। हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। हमारी बहुत सफल योजना है, जिसमें कुल 51 हजार रुपये का लाभ एक जोड़े को मिलता है, 35 हजार रुपये डी0बी0टी0 के माध्यम से हम लोग बहू-बेटी को देते हैं। 10 हजार रुपये की भेंट दम्पति के लिए होती है और 6 हजार रुपये व्यवस्थाओं के लिए होते हैं। मूल रूप से यह योजना बहुत ही अच्छे से चल रही है। जो बलिया की घटना हुई है, वह स्पष्ट रूप से एक चोरी का प्रयास है, जिसको समय रहते ही हम लोगों ने पकड़ा।

(विपक्ष के किसी सदस्य के शेम-शेम बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

पकड़ा है तो उसमें भी शेम, न पकड़ा होता तो शेम होती, पकड़ा है, उसमें भी शेम, बताइये ? पकड़ा है तो उसमें आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने पकड़ा। पकड़ा तो शेम, इसका मतलब गलत किया ? शेम कब बोलना है, यह तो सीखें।

श्री असीम अरूण-

मान्यवर, जैसे ही यह जानकारी में आया। इसमें तुरन्त कार्रवाई शुरू की गई और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इसीलिए बलिया गया, क्योंकि एक योजना जो पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से चल रही है, एक जगह पर गड़बड़ी क्यों हुई, मैंने स्वयं जाकर इसका परीक्षण किया।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग पहले सुनिये।

श्री असीम अरूण-

मान्यवर, परीक्षण करने पर पाया कि कुछ ऐसे जोड़े थे जो पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने अपना फार्म भरा, उनका कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से वेरीफिकेशन किया। उन्होंने शादी में शामिल हो करके जो अनुदान मिलता है, उसको लेने की चेष्टा की। तत्काल इस भुगतान को रोका गया और एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी। मैंने स्वयं जा करके इसको देखा और जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में सरकार माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करती है, भ्रष्टाचारियों को भूसा भरने का काम भी करती है। इस मामले में जो मेरे पास प्राप्त सूचना है, उससे ज्यादा भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इसमें 03 अधिकारी गिरफ्तार किये जा चुके हैं और इसमें 11 दलाल जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें अभी और भी गिरफ्तारियाँ होंगी। किसी भी भ्रष्टाचारी को चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह दलाल हो, चाहे वह जो भी हो। उसको बख्शा नहीं जायेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, मैं ऐसा आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं स्वयं इसका परीक्षण कर रहा हूँ, स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ एक ओर चोर को पकड़ा गया है, ताले को भी मजबूत करने का काम किया गया है। दोबारा कहीं पर ऐसा मौका न आये, इसलिए प्रत्येक विवाह में कम्प्यूट्रीकृत चित्र-युक्त विवाह प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई ऐसी गलत चेष्टा न कर पाये। जो सत्यापन, वेरीफिकेशन की प्रक्रिया है, उसको और मजबूत किया गया है एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सैम्पल परीक्षण की व्यवस्था भी कर दी गई है। कुल मिलाकर एक जगह पर एक चोर ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उसको पकड़ा गया, पूरे पैसे को रोका गया और आगे से ऐसी कोई चेष्टा न हो, इसके लिए पूरी तरीके से मजबूती की गई है और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ भूसा भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

(सदस्य श्री लालजी वर्मा के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं, उन्होंने अधिकारियों को जेल भेज दिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। अगर कुछ होते तो ठीक था, एक गाँव में 29 चयनित हुए, 29 के 29 अपात्र थे।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें, अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको भी दिखवा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर 75 परसेण्ट लोग अपात्र पाये गये तो यह कुछ नहीं हुए। यह जान बूझकर अपराध किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

जो अपात्र होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिन्होंने अपात्र को पात्र किया होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

मैंने इस सूचना पर माननीय श्री लालजी वर्मा जी को सुना, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको मैं अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री अतुल प्रधान की है। अतुल प्रधान जी, आप सिर्फ ग्राह्यता पर ही बोलेंगे।

***श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, धन्यवाद। मुझे आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है और यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हमारा अन्नदाता मृत्यु के आगोश में चला जा रहा है। आत्महत्या कर रहा है और किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जबसे यह सरकार, चाहे 2014 से हो और चाहे 2017 से आई हो, मान्यवर, लगातार किसानों की आत्महत्या के आँकड़े बढ़ रहे हैं। मान्यवर, जो किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति इस समय अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। चाहे उसे छोटी से छोटी नौकरी मिल जाये, चाहे उसे कहीं चपरासी की नौकरी करानी पड़े।

मान्यवर, चाहे अस्थायी रूप से नौकरी करानी पड़े, लेकिन अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। आप एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े देख लें तो उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। इसमें खासतौर से हमारे बुन्देलखण्ड से ले करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जिसमें जगह-जगह लगातार खबरें आती हैं कि किसान की फसल का दाम सही समय पर नहीं मिल पाया, इसलिए मृत्यु के आगोश में किसान ने आत्महत्या कर लिया, कहीं फांसी लगा ली तो कहीं और अन्य कारणों से आत्महत्या कर लेता है। हमारा मेरठ 1857 की क्रान्ति का शहर है, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किये, शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर का शहर है, चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बड़े नेता थे, मसीहा थे उनकी कर्मभूमि है। उसी मेरठ में जिसमें मा0 मंत्रीगणों का दौरा लगातार होता है, मण्डल और जोन भी है।

मान्यवर, उसी तहसील मवाना में एक ऐसी भयावह स्थिति बनी कि एक किसान जो छोटा काश्तकार था, उसकी जमीन को वन विभाग ने जोत लिया। जिस पर वह 70 साल से खेती कर रहा था। वह किसान जगवीर सिंह गुर्जर था। जिसने एक जमीन का छोटा-सा टुकड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

70 साल से जोत रहा था, उसके घर में, उससे पूर्व में उसका एक जवान बेटा चला गया है, वह इतना गरीब है, पत्नी विकलांग है, उसको पैरालिसिस हो गया था। वन विभाग ने उसको बिना नोटिस दिये उसकी जमीन को जोत लिया था। जब उसको पता चला तो वह जगह-जगह अधिकारियों के पास घूमा और घूमने के बाद में जब उसको यह लगा कि मुझे इन्साफ नहीं मिलेगा तो जगवीर सिंह गुर्जर ने आत्महत्या कर ली।

मान्यवर, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मोमबत्ती का मोम भी गिर जाता है तो उससे भी उसे कष्ट होता है। मान्यवर, उसने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखा होगा, कैसे उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई होगी। जब वह व्यक्ति तहसील में जाता है, वहाँ पर न कोई एल0आई0ओ0 का पता चलता है, वहाँ सारे के सारे अधिकारी मौन रहते हैं। हर अधिकारी का चक्कर काट-काट कर वह किसान इस सरकार में इतना व्यथित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। उसकी जवान पत्नी जिसका जवान बेट चला गया हो जिसकी सरकारी कर्मचारियों ने जमीन लूट ली हो, वह व्यक्ति एस0डी0एम0 के ऑफिस के सामने जाता है अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा लेता है। वहाँ पर पुलिस और दूसरे अधिकारी भी रहते हैं। उस व्यक्ति का 90 प्रतिशत शरीर जल जाता है, जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी मौत तो रास्ते में हो गयी है। प्रशासन के लोग दो दिन उसको अस्पताल में रखते हैं। जब घरवालों को पता चलता है कि हमारा व्यक्ति चला गया। इस सरकार की निरंकुशता के कारण जो भ्रष्टाचार तहसील और थानों में व्याप्त है, इनके जो अधिकारी हैं वह सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी एक चर्चा चल रही थी कि जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते हैं। मैं अपने मेरठ के कमिश्नर महोदय का भी इसमें जिक्र करूंगा कि वह व्यक्ति गया जब कमिश्नर महोदय से बात करना चाहते हैं, वह बात नहीं करतीं, उसकी चर्चा हम लोगों ने की वह व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसकी लाश को 24 घण्टे तक किसान लोग रखते हैं, लेकिन उसको इन्साफ नहीं मिल पाता है। हम सरकार से इस बात को कहना चाहते हैं कि इसमें जो-जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ही, साथ-ही-साथ यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अन्नदाता आने वाले समय पर इस तरह की परेशानी में न पड़े। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि क्या उसके परिवार को कोई सरकारी नौकरी उपलब्ध हुई है।

हमने माँग की थी, वहाँ पर भाजपा के जनप्रतिनिधि भी गये थे, माननीय मंत्री भी गये थे, लेकिन मान्यवर एक अन्नदाता जलकर मर गया। उसकी पीड़ा देखिये कि कितनी रही होगी, उसके बावजूद भी उसको सरकारी नौकरी नहीं उपलब्ध हुई। मैं आपसे संरक्षण लेकर पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके परिवार को सरकारी नौकरी सरकार देगी। आने वाले समय में क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि उसका घर चल सके, मान्यवर, अगर 50 लाख रुपए उसको दिये जाएं तो शायद उसका कुछ भला हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसी में श्री मनोज कुमार पारस जी अपनी बात रख लें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, उस सूचना में मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष

सबको नहीं बुलाया जा सकता है। आप पुराने सदस्य हैं, चौथी बार जीत कर आये हैं, आपको मालूम है कि नियम-56 किसी स्पेसिफिक घटना के लिए उठाया जाता है। वह वहाँ का मामला है तो सब लोगों को अवसर नहीं दिया जाता है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, किसान का मामला है।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मेरे पास मेरठ की एक सूची है जिन लोगों ने आत्महत्या की है।

श्री अध्यक्ष-

उसे आप अलग से दे दीजियेगा, अलग विषय में आप उठा सकते हैं। मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया, आपने विषय उठाया उसमें मनोज पारस जी की भी नोटिस थी, मैंने स्वयं उनको बुलाया है, जबकि उनके लिए कहा नहीं गया था। मनोज पारस जी भी तो आपके ही हैं उनको भी अपनी बात कहने दीजिये। एक विषय पर अलग-अलग माननीय सदस्य न बोलें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसके बाद दो मिनट आप बोल लीजियेगा।

***श्री मनोज कुमार पारस-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बहुत गम्भीर विषय को नियम-56 में उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारे माननीय विधायक अतुल प्रधान जी ने एक घटना का जिक्र किया, यह घटना एक नहीं है ऐसी घटनाएं आये दिन हो रही हैं, आये दिन किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। 65 परसेंट उत्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश की जनसंख्या कृषि पर आधारित है और उत्तर प्रदेश में 62 प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है। हमारा अन्नदाता धरती माँ का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, न ओले देखता है, न रात देखता है, न दिन देखता है तब कहीं जाकर अन्न पैदा होता है और वह पूरे हिन्दुस्तान का पेट भरने का काम करता है। आज वही अन्नदाता कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है और यह कर्ज इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आय कैसे दोगुनी कर रहे हैं, क्या नीतियां हैं। आज किसान जब खाद, बीज खरीदने जाता है तो उसके रेट क्या हैं आज किसान जब अपनी फसल बेचने जाता है तो उसके रेट क्या हैं, कितना अन्तर है। आज किसान गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश युवा आधारित प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या युवाओं की है, लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद भी आज प्रदेश का युवा खेती नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अपने बुजुर्गों की हालत देख रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शादियां नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, फिर हालात से तंग आकर वह आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अपने स्पेसिफिक विषय पर ही बोलें।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी यही कहने जा रहा था, मा0 मनोज जी जो आपका विषय है केवल उसी पर बोलें।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, गलत नीतियों के कारण ही युवा कृषि को छोड़ने पर मजबूर है। लगातार कृषि का क्षेत्र घट रहा है 35 हजार हेक्टेयर भूमि हर साल कम हो जाती है, जब अन्न पैदा नहीं होगा तो लोग खायेंगे क्या और प्रदेश भुखमरी के कगार पर चला जायेगा। लगातार औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अगर उस विषय पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अन्यथा मैं उत्तर के लिए कहूंगा। मैंने तीन-तीन, चार-चार सूचनाएं ली हैं और इतने लोगों को बोलने का अवसर दिया है, आप प्लीज विषय को रखें।

श्री मनोज कुमार पारस-

इसमें गन्ने का भी जिक्र है।

श्री अध्यक्ष-

गन्ने का विषय नहीं है, मैंने सूचना देखी है स्व0 जगवीर सिंह गुर्जर के बारे में आपको मालूम है। आप इस पर बोलना चाहें तो बोलें, मैंने चर्चा स्वीकार नहीं की है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, नीचे तो पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नीचे नहीं, मैंने चर्चा स्वीकार नहीं की है। आप उस पर बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री मनोज कुमार पारस-

जो जगवीर सिंह गुर्जर जी ने आत्महत्या की, इस तरह से किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और इसी विषय से जोड़ते हुए महोदय मैं तभी आपका संरक्षण चाह रहा था। क्योंकि प्रदेश में आए दिन यह घटनाएं घट रही हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा, किसानों की लागत या उनका मूल्य अधिक मिले जिससे कि आत्महत्या न हो। किसान अपने बच्चों की शादी कर सकें, पढ़ाई करा सकें, उनके मकान बना सकें। इन्हीं सारी चीजों को सम्मिलत करते हुए, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि कृषि के ऊपर, किसान के ऊपर और उनका गन्ना जो उनकी नगदी फसल के ऊपर चर्चा कम से कम 3 घण्टे की कराई जाए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अध्यक्ष जी, मेरा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसान बार-बार आत्महत्या कर रहा है और किसान परेशान व दुखी है और वह किसान जिसकी हिंदुस्तान की जी0डी0पी0 में बड़ी हिस्सेदारी हो, अगर उस किसान की खेती न हो तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। महोदय, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत खराब स्थिति है, अभी बारिश हुई, बाढ़ आई हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में और काफी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया उससे प्रभावित हुआ। महोदय, बार-बार कहने के बाद, मैं पिछले सत्र में भी लाया था कि जिन लोगों को दिक्कत हुई थी और मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बताया भी। आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई देखने नहीं गया कि कोई आदमी कितना दुखी और कितना परेशान है। एक मेरे क्षेत्र चरथावल के कसौली गाँव का रहने वाला भूपेन्द्र किसान ने खेत में अपनी फसलों को देखा कि फसल पानी से पूरी डैमेज हो गयी है। बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा, उसे भगवान याद आए और उसे भी राम याद आए, जब उसकी मदद नहीं हो पाई तो मान्यवर उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली, पुलिस भी पता नहीं लगा पायी कि क्या हुआ। ऐसा ही एक मामला है किसान चन्द्रपाल का जो कानपुर का है, महोदय चन्द्रपाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी जमीन को कब्जाने का काम किया गया है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मंयकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर यह जो सूचना है, यह 6-7 तारीख की तहसील मवाना जनपद मेरठ के गाँव अलीपुर मोरना की घटना के बारे में सूचना थी। जो जानकारी है वह इसी घटना के बारे में है। अब यह यहां पर 12-15 घटनाएं गिनाने लग जाएंगे, न तो उसकी सूचना हमारे पास है और न ही हम उसका जवाब दे पाएंगे। महोदय यह चर्चा नहीं हो रही है, ग्राह्यता पर कोई बोल नहीं रहे हैं और यहां पर जवाब ग्राह्यता पर ही दिया जाएगा।

श्री पंकज कुमार मलिक-

महोदय यह सुन तो सकते हैं, या यह सुन भी नहीं सकते किसान की पीड़ा। किसान की पीड़ा ही सुनना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवदेन है पंकज जी अगर आप सब लोगों के नाम लेंगे।

श्री पंकज कुमार मलिक-

महोदय, यह सब उससे ही सम्बन्धित घटनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-56 पढ़िये, केवल एक स्पेसिफिक घटना ली जाती है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आप उदार हृदय वाले हैं, महोदय आप इधर भी रहें हैं, उधर भी रहे हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन हम पीड़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

पंकज जी आपको पीड़ा कहने का पूरा अवसर है, कल आपको पूरा दिन दिया गया था, उस पर चर्चा करने के लिए। जितनी चर्चा मैंने करवायी है, उतनी कभी भी नहीं हुई है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं दोबारा सूचना लगा दूंगा, आप ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप सूचना लगा देना हम ले लेंगे।

श्री पंकज कुमार मलिक-

ठीक है, मान्यवर धन्यवाद।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मा0 अतुल प्रधान जी ने, पंकज जी ने और जो मा0 सदस्य ने प्रश्न उठाया, मा0 अतुल जी ने सबसे पहले जिक्र किया था कि मेरठ अमर शहीद धन सिंह गुर्जर की जन्म

भूमि है, कार्य स्थली है। धन सिंह गुर्जर की मूर्ति को केवल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मेरठ में लगायी गयी है, उससे पहले कोई मूर्ति नहीं थी।

श्री अतुल प्रधान-

महोदय, मूर्ति मैंने पहले ही लगवा दी थी।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मूर्ति मैंने लगवायी है यूनिवर्सिटी में, आप तो तब कुछ थे ही नहीं और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जहां तक बात है, तो मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम भी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह हमने किया, किसी और ने नहीं किया। उनका पूरा देश सम्मान करता है और मैं यह भी बता दूं कि मा0 नेता विपक्ष के पिता जी ने बड़ी शानदार मूर्ति यहां श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी साहब की लगवायी है।

मान्यवर, किसान दिवस यदि शुरू हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शुरू हुआ है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

आपने श्री जगबीर सिंह किसान की आत्महत्या के सम्बन्ध में बात कही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वन विभाग की जमीन और उनकी जमीन बराबर-बराबर थी। उसमें वन विभाग और ए0 डी0 एम0 (एफ एण्ड आर), राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जमीन की नाप करायी गयी और उनकी जो जमीन थी, उसको छोड़ दी गयी और वन विभाग की जमीन ले ली गयी।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 मंत्री जी, आप गलत बता रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

जब आप बोल रहे थे, तो मैं नहीं बोला। आप मेरी बात भी सुन लीजिए। उनकी जमीन छोड़ दी गयी। इस बात का सबूत है कि उनके खेत में एक भी गन्ने के पेड़ का नुकसान नहीं हुआ। उनका गन्ना यथावत है।

(सदस्य श्री अतुल प्रधान के खड़े होकर कुछ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए। हर बार इस तरह से नहीं खड़ा हुआ जाता। जब देखों, खड़े हो जाते हो, कोई पीछे लगा हुआ है क्या ?

नेता विरोधी दल (अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य कह रहे हैं कि खेत में गेहूँ था, लेकिन मा0 मंत्री जी गन्ना बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष। मा0 मंत्री जी बोल लें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। वह जब बोल रहे हैं, तो बीच में बोलना ठीक नहीं है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें गेहूँ का कहीं जिक्र नहीं है, केवल गन्ने का जिक्र है। उन्होंने मात्र रु0 7310 /- का गन्ना दिया था और उनका तत्काल भुगतान कर दिया गया था। उनका एक रुपये का भी भुगतान बाकी नहीं है। मवाना शुगर मिल थी और वर्तमान सत्र का भी शत-प्रतिशत भुगतान है। मान्यवर, यह पहला अवसर है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल में गन्ने को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मान्यवर, मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो आत्महत्या की, उसमें गन्ने का किसी प्रकार का लेन-देन नहीं था। उनके गाँव के एक आदमी ने आवेदन-पत्र दिया था, उसी के ऊपर नाप-तोल हुई थी और नाप-तौल के बाद वह तहसील में आकर आग लगा लिया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की नियम-56 में चर्चा का विषय नहीं है।

***श्री अखिलेश यादव-**

अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जगबीर सिंह गुज्जर नामक जो किसान आत्मदाह किया है, क्या सरकार की तरफ से उसको रु0 50/- लाख की मदद दी जायेगी और क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे ? अधिष्ठाता महोदय, कई बार यह सुनने को मिलता है कि सरकार के लोग जाकर आश्वासन दे आते हैं और उसके बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। बस इतनी सी जानकारी मा0 मंत्री जी बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार में जान-बूझकर सरकारी जमीन पर कब्जे करवाये जाते थे.....

(समाजवादी पाटी के कई सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे विरोध)

आपकी सरकार के भीतर जितने भी अवैध कब्जाधारी थे, जितने भी माफिया थे, उनको जमीन कब्जा करायी जाती थी। अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि उसी गाँव के श्री मनोज कुमार सुक्खे ने दि0 06 जनवरी, 2023 को तहसील दिवस पर आवेदन-पत्र दिया कि इन्होंने गाटा संख्या-854, रक्बा 08470 हेक्टेयर और खसरा संख्या-855 रकबा 19.325 हेक्टेयर पर जो वन विभाग की जमीन है, उस पर ये खेती कार्य कर रहे हैं। इनसे वन विभाग की जमीन खाली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करवाकर वन विभाग के कब्जे में दिया जाए। तत्पश्चात् वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनायी गयी। टीम ने जाकर वहाँ पर पैमाइश की। पैमाइश के पश्चात् वन विभाग की कब्जे वाली जमीन को खाली करा दिया और शेष उनकी जमीन को छोड़ दिया, तो मुआवजा किस बात के लिए दिया जाए।

मान्यवर, क्या आप ये प्रोत्साहन देना चाहेंगे कि कानून के खिलाफ कोई जाकर वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर ले और उसको मुआवजा दिया जाए, यह काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं करने वाली है। हम किसानों के हितों का पूरा संरक्षण कर रहे हैं। हमें दुःख है कि उन्होंने आत्महत्या किया, उन्हें आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या किया जाना कानून सम्मत भी नहीं था। एक तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया। खास तौर पर वन विभाग की जमीन को कब्जा कराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कोई प्रोत्साहन नहीं देगी। शेष जितनी बातें मा0 अतुल प्रधान जी आदि द्वारा कही गई हैं वह कपोल-कल्पित स्थिति है। फलतः कार्य-स्थगन प्रस्ताव को निरस्त करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 अतुल प्रधान जी और मा0 मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ।

एक महत्वपूर्ण सूचना पूरे सदन को देना चाहता हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, आप पीठ पर नहीं थे। मा0 मंत्री जी समाजवादी पार्टी के बारे में भू-माफिया को ले करके कुछ बातें कह रहे थे। मा0 मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी पर जमीन को लेकर कुछ आरोप लगाया था।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

राज्य के भीतर भू-माफियाओं के खिलाफ जो कार्यवाहियां हुई हैं, उसमें खास तौर पर वे लोग हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से कहूँगा और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि कम से कम वह सूची जारी करें कि जमीन किसने ज्यादा कब्जा की है....

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

जहाँ तक आत्महत्या की बात है, तो स्वाभाविक है कि किसान दुःखी है। वह कोई पहली बार उस जमीन पर तो खेती कर नहीं रहा था। वह न जाने कितने वर्षों से खेती कर रहा था। यही नहीं, लखनऊ में आप देखिए, जो 70 वर्ष से, 100 वर्ष से रह रहे हैं, उनकी जमीन आप लोग छीनना चाहते हो, तो क्या आप भू-माफियाओं से नहीं मिले हुए हो ?

श्री अध्यक्ष-

जो विषय आया है, उस विषय के ऊपर मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी कुछ भी कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने अभी कहा है कि उसके ऊपर डिबेट नहीं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, वह शब्द आप रिकार्ड से निकलवाइए।

श्री अध्यक्ष-

अगर वह असंसदीय होगा। मा0 नेता प्रतिपक्ष, जैसे आपने या आपके बहुत सारे सदस्य बोलते हैं कि बी0 जे0 पी0 वालों ने ये किया।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, एन0 सी0 आर0 बी0 का आंकड़ा ये कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आयी है, तब से एक लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब आपको अवसर मिलेगा, तो आप बोलिएगा, उसके ऊपर डिबेट करिएगा।

(नेता प्रतिपक्ष के कुछ बोलने पर)

भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को भारतरत्न दिये जाने पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

एक महत्वपूर्ण सूचना पूरे सदन को देना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार ने, मा0 प्रधानमंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी ने, मा0 चौधरी चरण सिंह जी, को भारत रत्न देने की घोषणा की है.....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जय श्रीराम के उद्घोष किए)

यह विषय पूरे हाउस के लिए प्रसन्नता का विषय है।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सब प्रसन्न हैं, बल्कि आप ज्यादा प्रसन्न हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि कल खबर कुछ और थी, आज खबर इतनी अच्छी आयी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। यह पूरा हाउस मा0 प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की पूरे देश के लिए जो सेवाएं थीं, अतुलनीय थी, उनका सम्मान क्रास पार्टी नहीं, हम सभी करते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, हम सभी जितने लोग इस सदन में हैं सभी किसान नेताओं का सम्मान करते हैं। वह जीवन भर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गाँव के पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़े और इसी विधान सभा में नेता जी ने उनकी प्रतिमा लगवायी थी। उस समय जो विरोध किये होंगे, वह बात अलग है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि किसान नेता को 'भारतरत्न' मिला है। उनके साथ और भी जिन दो लोगों को मिला है, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

स्व0 श्री नरसिम्हा राव जी को भी मिला है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने एक अच्छी खबर सदन में दी है, इसलिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं। मा0 चौधरी चरण सिंह एक बहुत बड़े नेता थे और सही मायने में किसानों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और प्रारम्भ से ही गाँव, गरीब किसान की लड़ाई उन्होंने ही आगे बढ़ाई। चाहे वियतनाम की समस्या पर कभी गोष्ठी पर बोल होंगे, तो भी उन्होंने हिन्दुस्तान के किसान को आगे रखकर ही बात की थी और हर तरह से उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि किसान हर हाल में खुशहाल हो और यह उन्हीं का नारा था कि किसान खुशहाल होगा, गाँव जब उठेगा, तो देश उठेगा।

मान्यवर, वर्ष 1977 में जब पहली बार वे केन्द्र में गृह मंत्री बने, तो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बजट को उन्होंने बढ़ाया। इसलिए हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने और केन्द्र सरकार को भी कि एक किसान नेता को, जन-जन के नायक को, गाँव, गरीब किसान की बात कहने वाले को उन्होंने आज सम्मानित किया है। इसलिए विशेष रूप से यह सदन उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है और मेरी भावनाएं, मा0 अध्यक्ष जी, मा0 प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा दें और हमारी समझ से पूरे सदन की भावना यही है। मान्यवर, यह प्रस्ताव पूरे सदन का है।

श्री अध्यक्ष-

अब ये तो नहीं है कि हमने नहीं कहा। डा0 अजय कुमार जी, मा0 मंत्री जी जब बैठेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, किसान दिवस मनाने की घोषणा भी पहली बार मा0 राजनाथ सिंह जी ने ही की थी, उन्हीं के आह्वान पर ये किसान दिवस मनाया जाता। इसी के साथ सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।

***डॉ0 अजय कुमार-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस पल पर बड़ा भावुक भी हूँ और चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के मसीहा, देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारतरत्न से नवाजा है। चौधरी चरण सिंह जी भारतरत्न के सच्चे हकदार हैं। उनका सारा जीवन गांव, गरीब, देहात के लिए बीता है। उन्होंने एक विधायक के रूप में 1937 से छपरौली क्षेत्र से जो जनपद बागपत में आता है, उस समय मेरठ जिले का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से विधायक बनकर प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा किया था। उन्होंने गांव, किसानों के लिए अनेकों कार्य किये थे। उन्होंने चकबन्दी के लिए कानून बनाया। उन्होंने जमीदारी उन्मूलन किया। उन्होंने यह सारे अतुलनीय कार्य किये हैं। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में सबसे पहले ग्रामीण बजट बढ़ाने का कार्य किया था, इसलिए हम उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अपनी और अपने दल की ओर से अपनी भावनायें आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिकृत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना श्री प्रसन्न कुमार जी की थी, जो ध्यानाकर्षण के लिए सुनी जायेगी। प्रसन्न कुमार जी 2 मिनट में आप अपनी बात कह लीजिए।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सूचना पर बोल लूँ या इस पर बोल लूँ।

श्री अध्यक्ष-

जो नोटिस दी है, आप उस पर बोलिये।

भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारतरत्न दिये जाने पर सदन की ओर से बधाई (क्रमागत)

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी साहब के बारे में सभी मा0 सदस्य बोलेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आज पूरा हाउस प्रसन्न है। मा0 सदस्य अतुल जी हर मामले में आपका बोलना जरूरी नहीं होता है।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल को अपनी पूरी बात रख लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल ने अपनी पूरी बात कही है।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पाया था, क्योंकि आप जैसे ही सीट पर बैठे थे तब मैं किसी और सम्बन्ध में बोल रहा था फिर मैं अपनी बात लगातार रखकर बधाई और शुभकामनाएं दे चुका हूँ, लेकिन हमारी तरफ से हमारे दल के कोई एक मा0 सदस्य बोल दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मेरा अनुरोध है कि मा0 'मोना' जी भी उधर से हाथ उठा रही हैं कि हमें बोलना है। पूरा हाउस इसके ऊपर बोलना चाहता हैं, क्योंकि श्रद्धेय चौधरी साहब का इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि हर व्यक्ति उनके बारे में अपने उद्गार व्यक्त करना चाहता है। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा नहीं होती है। इस पर धन्यवाद होता है। इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। यहां से टिप्पणी आयी है कि 10 साल बाद दिया गया है, क्यों बोला ? 10 साल बाद नहीं दिया गया, सन् 1980 के अन्तर्गत वह प्रधानमंत्री थे, बहुत सालों के बाद दिया गया है। अब बैठिये। इसके ऊपर कोई बात मत करिये। जिस समय भी किसी महापुरूष का सम्मान होता है, वह अच्छा होता है, उचित होता है। प्रसन्न कुमार जी, आप नोटिस पर बोलिये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

***श्री प्रसन्न कुमार-**

माननीय अध्यक्ष जी, लोक महत्व के एक अमूल्य विषय पर आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष-

आप सिर्फ ग्राह्यता पर बोलिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग में कुछ क्लर्क ग्रेड के कम्प्यूटर ऑपरेटर सरकार की ओर से रखे जाते हैं। उसमें दो-तीन कैटेगरी हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए उन कैटेगरियों पर लड़के रखे जाते हैं।

मान्यवर, जिसमें छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लगभग 95, आश्रम पद्धति विद्यालय के अन्तर्गत लगभग 93, मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत लगभग 72, टोटल तीन सौ छिहत्तर कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे जाते हैं। 2018 में जब यह लड़के आउटसोर्सिंग के जरिये रखे गये तो इसकी सैलेरी दस हजार एक सौ सोलह रुपये थी। बाद में कुछ ऑपरेटरों का वेतनमान....

श्री अध्यक्ष-

चलिए सरकार का इसकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ जो आपने नोटिस दिया है। अगली मद लेते है।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, इसमें पूरा तो हो जाने दीजिए समस्या क्या है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 'मोना' जी आप बोलिए।

(विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा नियम-301 लेने के लिए बोलने पर)

नियम-301 अभी ले लेंगे कुछ लोगों ने निवेदन किया था कि उसको थोड़ी देर बाद ले लीजिएगा तो नियम-301 ले लेंगे।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, पूरी बात तो हो जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रसन्न जी आपका जो भी लिखा हुआ है सारा सरकार की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया है आप बैठ जाइए। 'मोना' जी अब आप बोलिए।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

अब हो गया, चौधरी साहब के प्रति हम सब लोग, हम लोग इतना बोलना चाहते हैं हम सब लोग बोलना चाहते हैं।

'मोना' जी पहले मा0 मंत्री जी अपनी बात रख दें, फिर आप बोल दीजिएगा।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी पहले आप बोलिए। मा0 मंत्री जी यह बिल है तो उसके ऊपर आप कुछ बिल पर बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, ठीक है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।

यह स्टाम्प संशोधन है, यह विशेष रूप से पचास रुपये के स्टाम्प पेपर पर अभी तक मुख्तारनामा प्रापर्टी के सम्बन्ध में जारी हो जाता था और उसी के आधार के ऊपर जिस व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी जाती थी वह व्यक्ति अधिकृत माना जाता था कि वह किसी को भी सेड्रिएट कर दे। उससे स्टाम्प शुल्क का नुकसान होता था। तो स्टाम्प शुल्क के नुकसान को देखते हुए यह संशोधन लाया गया कई राज्यों में पहले से इस प्रकार का संशोधन लाया गया। इसमें एक विशेष रूप से यह बात कही गई है कि जो पहले से ही हमने व्यवस्था कर रखी हैं कि जो परिवार के सदस्यों अर्थात् पिता-माता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्रवधु, पुत्री- दामाद, भाई-बहन, पौत्र-पौत्री, पुत्र का पुत्र-पुत्री, नाती-नातिन, पुत्री का पुत्र-पुत्री, के सम्बन्ध में पहले से ही यह व्यवस्था कर रखी है कि अगर इनसे किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का ट्रान्जेक्शन होगा तो मात्र पांच हजार रुपये के स्टाम्प पेपर पर वह हो सकता है लेकिन पॉवर ऑफ अटार्नी में यह पांच रुपये से पचास रुपये से बढ़ाकर अब इसको कर दिया गया है कि जो इसका स्टाम्प शुल्क होगा अर्थात् अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत एक लाख रुपया है तो उसके ऊपर जो भी स्टाम्प शुल्क होगा वह उस पर पड़ेगा यह इसका मेन उद्देश्य है इस संशोधन को लाने के लिए। तो जो हमारे एक्जिस्टिंग क्लॉज हैं वह (ङ) (एक) और (दो) जब अटॉर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार प्रदान किया जाय।

जब अटॉर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का प्राधिकार प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाये। जो हमने नया ऐड किया है वह यह है कि जब उपखण्ड-1 में उल्लिखित परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को मुख्तारनामा के माध्यम से अचल सम्पत्ति का विक्रय करने के लिये प्राधिकृत किया जाये तो उस स्थिति में उस पॉवर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर वही शुल्क

देना पड़ेगा जो उस प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के समय स्टाम्प शुल्क होगा। मान्यवर, यही इसका उद्देश्य है।

श्री अध्यक्ष-

और जब वह पॉवर ऑफ अटॉर्नी वाला किसी को रजिस्ट्री करेगा तो फिर क्या दोबारा देना पड़ेगा या उसी में हो जायेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नहीं। वही माना जायेगा। अभी तक होता यह था कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से लोग उसको ट्रांसफर कर देते थे तो उसमें स्टाम्प शुल्क का नुकसान हो सकता था। यह केवल इसीलिये लाया गया है, लेकिन इस कैटेगरी के लोगों को ही छूट दी गयी है कि अगर यह सम्पत्ति इन लोगों को हस्तांतरित होती है, परिवार के लोगों को हस्तांतरित होती है, ब्लड रिलेशन्स में हस्तांतरित होती है तो वही व्यवस्था रहेगी जो पहले थी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मा0 'मोना' जी, आप संशोधन प्रस्ताव रखें।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन लाया गया है, मैं मानती हूँ कि यह पूरी तरह से अस्वाभाविक भी है और असामाजिक भी है। इससे विवाद भी बढ़ेंगे और पेण्डेन्सी भी बहुत बढ़ेंगी। उसकी वजह क्या है मैं यह भी आपके सामने जरूर रख दूँ। जैसाकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि किन सम्बन्धों पर यह लागू होगा। माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्रवधू, पुत्री-दामाद, भाई, अब मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। परिवार में प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होता है वह ज्यादातर भाइयों के बीच में होता है। अगर भाई की मृत्यु हो गयी तो प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर, भाभी के नाम पर ट्रांसफर होगी तो फिर यह नियम उस पर लागू नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह तो पहले से व्यवस्था चली आ रही है। हमने इसको चेंज नहीं किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसीलिये तो मैं कह रही हूँ कि इसे एक प्रवर समिति को भेज दिया जाये। इसी तरह से अगर चाचा से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और मान लीजिये कि चाचा नहीं रहे तो चाची को भी इसमें शामिल होना चाहिये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में यह विसंगतियाँ आयेंगी। ब्लड रिलेशन्स को अगर आप इसका क्राइटेरिया मानते हैं तो ब्लड रिलेशन में आप बाकी लोगों को कैसे ले रहे हैं और उन लोगों को कैसे छोड़ दे रहे हैं ? इसलिये मेरा पूरी तरह से यह मानना है कि आप जो यह विधेयक लाये हैं इस पर फिर से गहन रूप से चर्चा हो जाये। मैं इस बात को फिर दोहराऊँगी कि जब आपने इन क्राइटेरिया को उसमें नहीं लिया, इन सम्बन्धों को आप उसमें नहीं जोड़ेंगे तो पेण्डेन्सी भी बढ़ेगी और प्रॉपर्टी सम्बन्धी विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जायेंगे। इसमें एक चीज और मैंने पढ़ी कि इस संशोधन को लाने का आशय क्या था। इस संशोधन को लाने का आशय यह था कि 2023 के पहले बहुत सारी अनियमितताएं पायी गयीं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया कि उससे स्टाम्प चोरी हो रही थी और जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में 21 परसेंट से 30 परसेंट ज्यादा कलेक्शन होने का अनुमान है। अच्छी बात है। सरकार की आय का रेवेन्यू एक प्रमुख स्रोत है। चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिये, पर इसमें यह कहा गया कि पहले यह चोरी होती थी, इसलिये यह संशोधन आना जरूरी है, तो इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि अगर यह चोरियाँ होती थीं, तो सबसे पहले दो सम्बन्धियों के बीच में जिनके नाम मुख्तारनामा था, उसका वेरीफिकेशन कराना किसकी जिम्मेदारी है ? यह तो सरकार की जिम्मेदारी है। केवल अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिये आप इन नियमों को शिथिल नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियम सदन में बनते हैं वह जनता की सहूलियत के लिए होते हैं उनको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है। अब मान लीजिए कि जिन लोगों ने 2023 के पहले जो अनियमिततायें की होंगी, जैसे कि कई प्रकरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया और इसमें उल्लेख भी किया गया है। उन प्रकरणों के लिए क्या रिकवरी की जाएगी ? क्या उनके ऊपर कोई लीगल कार्यवाही की जाएगी ? बहुत सारे ऐसे विषय हैं, और खासकर ऐसे सम्बन्धों को जो स्वभाविक सम्बन्ध हैं उनको इसमें शामिल करना आवश्यक है। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि इस पर सरकार विचार करे, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि भविष्य में जनता के लिए भी सहूलियत हो और सरकार का रेवेन्यू का नुकसान भी न हो। इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

'मोना' जी, जो यह ब्लड के रिलेशन्स हैं यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में इनकम टैक्स एक्ट के अन्तर्गत डिफाइन किए गये हैं। जैसे आपने बोला कि चाचा और भतीजा उसमें नहीं है। यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इनकम टैक्स के अन्तर्गत

रिलेशन्स डिफाइन किए गये हैं। हम उसी को डिफाइन कर सकते हैं। अलग तरीके से किसी को जोड़ना या घटाना सम्भव नहीं है। मुझे यह कहते हुए अच्छा लगता है कि आप विद्वान सदस्य हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अन्तर्गत जिन लोगों को आप फैमिली मानते हैं उनको डिफाइन किया गया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ यह कहना है कि फिर यह संशोधन लाने की आवश्यकता ही क्या थी ? मैं आपकी बात को बल देते हुए कहना चाहती हूँ कि जब पहले से ही इन सम्बन्धों को क्राइटेरिया में नहीं रखा गया था, केवल यह जो 50 रुपये का शुल्क है, मुख्तारनामा का, उसको 5000 या उसको सामान्य सर्किल रेट के हिसाब से किया जाए, यही इश्यू है ?

श्री अध्यक्ष-

इश्यू यह है कि पहले जब किसी को कोई डीड गिफ्ट की जाती थी, तो उस गिफ्ट पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। लेकिन गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई जिसके अन्तर्गत उन्होंने कहा कि इन रिलेशन्स के अन्तर्गत जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इनमें अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 5000 रुपये लगता है। पहले इन रिलेशन्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए लाखों, करोड़ों रुपये लगता था। अब उनको इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि फैमिली के लोगों को 5000 रुपये में गिफ्ट ट्रांसफर करना है तो मुख्तारनामा जर्नली फैमिली के लिए ही होता था। उसके अलावा आउट ऑफ द फैमिली किसी को देना है तो फिर उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी है वह देय होगी, केवल इतना ही है। पहले जो मुख्तारनामा होता था कि परिवारवालों को दिया जाए, उसमें भी कई संशोधन आए थे। आप उनको ध्यान से देखेंगे। आपने जो बातें कही हैं उसका जवाब मा0 मंत्री जी देंगे।

श्री कमाल अख्तर-

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद। भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, इस पर आदरणीय 'मोना' जी ने जो बात रखी है उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, जो ब्लड के मुख्तारनामे के अन्दर बात रखी गयी है, परिवार में दो भाई हैं और एक की पत्नी है और उसका जो भाभी का रिश्ता है जिसको इससे अलग रखा गया है और जो चाची का रिश्ता है वह अगर अपने भतीजे को प्रॉपर्टी देना चाहे तो उस रिश्ते को भी अलग रखा गया है। जब यह संशोधन आ ही रहा है तो मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके अन्दर इन दो रिश्तों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। जिससे

विवाद कम हो जायेंगे और लोगों को स्थानान्तरित करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात मुझे कहनी है कि 5 हजार रुपये के स्टाम्प पेपर पर हम लोग प्रॉपटी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस लगायी जाती है वह रजिस्ट्रेशन फीस भी 20 हजार, 30 हजार होती है। जब सरकार रिश्तो पर इतनी मेहरबानी कर ही रही है तो एक मेहरबानी यह भी कर दी जाए कि रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी जाए।

दूसरा अभी सरकार की बड़ी प्रभावी योजनाएं चल रही हैं गंगा एक्सप्रेस-वे, कुछ औद्योगिक गलियारे बनाये जा रहे हैं। नहर के लिए जमीन को सरकार एक्वायर कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा किसानों की बहुत सारी जमीनें, उन योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने अधिग्रहण की है और उन्होंने दी भी हैं। लेकिन जब मुआवजे का पैसा मिलता है तो आज भी किसान की एक सोच है कि उसके बदले वे जमीन खरीदते हैं। माननीय मंत्री जी हमने सरकार के लिए जमीन तो दे दी। हमें मुआवजा मिला, लेकिन जब दूसरी जमीन की उसी पैसे से रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो हमें पूरा स्टॉम्प शुल्क उस जमीन पर देना होता है। मेरा अनुरोध है कि हम आपके लिए जमीन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भावी योजनाओं के लिए जमीन दे रहे हैं। अगर उसमें स्टॉम्प शुल्क की छूट कर दी जायेगी तो मंत्री जी निश्चित तौर पर आपकी योजनाओं के लिए किसानों को जमीन देने में अच्छा लगेगा और उसकी मदद भी हो जायेगी। तीसरा मेरा कहना है कि मंत्री जी अभी बहुत सारे जनपद ऐसे हैं। पता नहीं सरकार की मंशा ऐसी है कि जब प्लानिंग करते हैं तो कोई भी प्लानिंग 10-20-25 साल पहले से करनी पड़ती है। जिन जिलों में सरकार की कोई भी प्लानिंग होती है उन जिलों का जान-बूझ कर सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता। कई जनपद ऐसे हैं हमारे बराबर में हापुड़, मुरादाबाद है उसका सर्किल रेट अमरोहा से कहीं ज्यादा है। दूसरा सम्भल का सर्किल रेट अलग है तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह से आप चार गुना ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहां जमीन की कीमत 50-50 लाख रुपये बीघा है। लेकिन जब सरकार एक्वायर करती है तो सर्किल रेट पर उसे मुआवजे के तौर पर अगर चार गुना भी आप दे रहे हैं तो चार लाख रुपये मिलते हैं। 5 लाख रुपये मिलते हैं। अभी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में मेरे क्षेत्र के हापुड़, टिगरी, डिडौरा, डिडौरी, खदाना, सिकन्दरपुर, चौदरपुर, रसूलपुर, सलेमपुर, बंगर, लोधीपुर ये सारे गाँव एक्वायर करने के लिए जी0ओ0 जारी किया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ वहाँ जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा है। वहाँ पर जमीनों की कीमत 75 लाख रुपये बीघा है, लेकिन सरकार ने वहाँ सर्किल रेट बहुत कम रखा है। जो नई मुरादाबाद योजना चलाई है उसमें जो जमीन एक्वायर की थी 80 फीसदी जमीन अभी तक बेची नहीं है। लैण्ड बैंक उनके पास मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जमीन एक्वायर कर ली।

श्री अध्यक्ष-

आप स्टॉम्प पर बोलें।

श्री कमाल अख्तर-

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर आप स्टॉम्प में या दूसरी चीजों में कर रहे हैं, तो किसानों को यह लाभ जरूर दे दें कि जो एक्वायर की हुई जमीन से मुआवजा मिले उसमें स्टॉम्प की छूट होनी चाहिए। सर्किल रेट बढ़ा होना चाहिए। जो गाँव बिना वजह एक्वायर किये जा रहे हैं वे बिना वजह एक्वायर न किये जायें जब तक आपकी प्रभावी योजनाओं के लिए कोई मसौदा या प्लान तैयार न हो। इतना मेरा अनुरोध है, इसे कर दिया जाये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टॉम्प उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024 को इस सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। मान्यवर, ज्ञातव्य हो कि सरकार ने श्री राज्यपाल जी के द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को भारतीय स्टॉम्प उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2023 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2023 प्रख्यापित किया गया। मान्यवर, यह 28 दिसम्बर को यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जा चुका है और दिसम्बर के माह में ही विधान सभा का सत्र आहूत था। उसके बाद सदन का हर सदस्य जानता है कि फरवरी के माह में बजट सत्र भी आहूत होता है। मान्यवर, इसकी कौन सी तात्कालिक आवश्यकता थी कि 15 दिन पहले भी सत्र आहूत था और एक माह के बाद भी आने वाले वक्त में सत्र आहूत होता, लेकिन इस अध्यादेश को आनन-फानन में लाया गया। इसकी तात्कालिकता समझ में नहीं आयी। मान्यवर, हम जब अध्यादेश को पढ़ते हैं। भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद-48 जो पावर ऑफ अटार्नी मुख्तारनामा जहां पर संशोधन की बात जो की गयी है उसके खण्ड-1 का अंग (ए) और (बी) में जब अटार्नी को अचल सम्पत्ति विक्रय करने का इरिवोकेबल प्राधिकार प्रदान किया जाता है। दूसरा कि अचल संपत्ति जो मुख्तारनामा की विषय वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण संख्या-23 खण्ड (क) के समान शुल्क देय होगा। हम जब अनुच्छेद-48 को पढ़ते हैं, तो इसमें इरिवोकेबल अर्थात् अखण्डनीय अटार्नी का एक्ट में पहले से ही प्राविधान है और प्राविधान यह है कि बाजार मूल्य पर बैनामे का स्टाम्प देय होगा तो इस अमेंडमेंट में ऐसी कौन सी बात आ गयी जो इस खण्ड को शामिल करना पड़ा। धरातल पर जब जायेंगे तो आज तक एक भी अटार्नी ऐसी नहीं हो जो इरिवोकेबल रही हो ज्यादातर अटार्नी सभी जो हैं वह रिवोकेबल हो जाती तो मान्यवर, अगर संशोधन लाना ही था, तो रिवोकेबल अटार्नी जो हो रही थी वह न हो अगर इस बात पर बल दिया जाता और संशोधन के लिए कोई प्रावधान किया जाता तो मान्यवर, यह उचित होता दूसरा इसके अंग के 2 में अटार्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का प्राधिकार

प्रतिफल अर्थात् कन्सीड्रेशन के रूप में प्रदान किया जाता है। इसका दूसरा हिस्सा अचल सम्पत्ति जो मुख्तारनामे की विषय वस्तु हो यह बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण संख्या-23 खण्ड (क) के समान शुल्क देय हो। मान्यवर, प्रतिफल की राशि पर स्टाम्प पहले से लगता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब लेन-देन जो हो रहा है उस लेन-देन पर कुल मूल्यांकन का स्टाम्प देय होगा। इस संशोधन में बैनामे का जो कुल मूल्यांकन होगा उसके अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा यह मान्यवर, जनता के ऊपर एक भार होगा यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हम अटार्नी कराते तो अटार्नी के समय ही स्टाम्प शुल्क दे दिया जाता है। दूसरी बात जब अटार्नी होल्डर बैनामे की रजिस्ट्री करेगा तो जो अटार्नी कराते समय जो उसने स्टाम्प शुल्क देय किया है, क्या उसको समायोजित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

वह तो बताया गया है कि दोबारा नहीं लगेगा।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, उसका इसमें उल्लेख नहीं है। अगर उल्लेख नहीं है, तो इससे लगता है कि एक ही सम्पत्ति के लिए दो-दो बार स्टाम्प शुल्क देय करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, अगर ऐसा है जैसा इसमें लिखा गया है, तो यह नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है, यह अधिनियम फिर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाता है। मान्यवर, सभी लोगों को पता है कि पावर ऑफ अटार्नी एक सहूलियत है और सहूलियत क्या है। यदि जो मालिक है वह विदेश में रह रहा हो या किसी दूसरे प्रदेश में रह रहा हो या बीमार हो चलने-फिरने में सक्षम न हो उन परिस्थितियों में पावर ऑफ अटार्नी देने की सहूलियत थी, लेकिन मान्यवर, यहां पर पावर ऑफ अटार्नी पर पूरा शुल्क देय होगा तो पावर ऑफ अटार्नी वह करेगा क्यों और जो सरकार यह अपेक्षा करती है कि हमको ज्यादा स्टाम्प शुल्क प्राप्त होगा और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसकी उम्मीद बहुत कम ही है। मान्यवर, इस दशा में व्यक्ति पावर ऑफ अटार्नी न करके सीधे रजिस्ट्री दफ्तर को जाना चाहेगा। वीआईपी बहुत सारे होते हैं जो बिजनेस में बिजी होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा होगी कि जो किसी को पावर ऑफ अटार्नी देंगे तो उनको ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी विसंगति तब होगी जब पावर ऑफ अटार्नी देने वाले व्यक्ति की किन्हीं परिस्थितियों में मौत हो जाती है या पावर ऑफ अटार्नी लेने वाले व्यक्ति की किन्हीं परिस्थितियों में मौत हो जाती है और बैनामा नहीं करता है उस परिस्थिति में जो स्टाम्प शुल्क देय हुआ है। मुझे लगता है कि एक मृतक से जो किन्हीं परिस्थितियों में पावर ऑफ अटार्नी का होल्डर हो या क्रियेटर हो उसके द्वारा जो स्टाम्प शुल्क देय हुआ है।

अगर सरकार उसे स्वीकार करती है और वापस नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि यह घोर पाप और घोर अन्याय है। इससे उस परिवार का आर्थिक नुकसान ही दिखाई पड़ता है। मान्यवर, उस दशा में क्या होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, इसके अनुच्छेद-48 (ङङ) (एक) पर जब हम जाते हैं जिसमें परिवार के सदस्यों की अटॉर्नी की स्थिति पर 5,000 रुपये की बात की गई है। हमारे कुछ मा0 सदस्यों ने बात रखी है कि परिवार में भाभी और चाची को शामिल कर लिया जाये, तो मेरा भी यही मत है। इसमें पहले 50 रुपये निर्धारित था जिसे बढ़ाकर सीधे 5000 रुपये कर देना और उस शुल्क में 100 गुना बढ़ोत्तरी करना सीधे तौर पर गरीब परिवार के लिए एक भार होगा। मेरा अनुरोध है कि उस शुल्क को कम कर दिया जाये। जब परिवार के सदस्य भिन्न व्यक्ति से बाजारू मालियत पर हस्तान्तरण, ट्रांसफर, सेलडीड होगी तो उसमें भी संख्या-23 खण्ड-क के समान शुल्क देय होगा। अर्थात् इस संशोधन से यह स्पष्ट है कि गैर व्यक्ति को यदि अटॉर्नी दी जाती है और वह अटार्नी खण्डनीय हो तब भी बाजार मूल्य पर उसे स्टाम्प शुल्क देय होगा, जबकि ञ के (क) में यह बात कही गई है कि अगर अटॉर्नी रिवोकेबल है तब भी उसको बाजार मूल्य पर स्टाम्प देय होगा। दोनों ही दशाओं में रिवोकेबल अटॉर्नी की दशा में और इर्रीवोकेबल अटॉर्नी की दशा में गैर परिवार के सदस्य को बाजारू मालियत के आधार पर स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, जो उसके साथ अन्याय है। दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 से जबसे यह अध्यादेश लागू किया गया, लगभग एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जब हम विभिन्न रजिस्ट्री दफ्तरों में जानकारी करें तो हमारी मंशा के अनुसार एक भी वैसी अटॉर्नी नहीं हुई होगी। मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करके एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये, जिसमें सदस्य बाद में नामित कर दिये जायेंगे, जो आपको अपना प्रतिवेदन सौंप देगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि इस व्यवस्था को लाने का उद्देश्य केवल यह है कि हमारे जो प्लाटिंग करने वाले लोग हैं और जो बिल्डर हैं वह खासतौर से प्लाट तथा मकान को केवल पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर ही ट्राँसफर कर रहे हैं और स्टाम्प ड्यूटी बचा रहे हैं। उस पॉवर ऑफ अटॉर्नी का उद्देश्य केवल स्टाम्प ड्यूटी बचाना है। वह पॉवर ऑफ अटार्नी दे देते हैं और उसके बाद केवल एक वसीयत कर देते हैं, ताकि आप पॉवर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करिये और अगर कोई मर जाये तो उसके मालिक वैसे ही बन जाओगे। स्टाम्प ड्यूटी चोरी को रोकने की वजह से यह व्यवस्था लाई गई है, ताकि वह लोग सरकार को प्रॉपर स्टाम्प फीस अदा करें। पॉवर ऑफ अटॉर्नी केवल सम्पत्ति के विक्रय पर ही

लाई गई है और किसी मामले में नहीं लाई गई है। आप पॉवर ऑफ अटॉर्नी के रिवोकेबल और इर्रीवोकेबल की बात कर रहे हैं, तो यह व्यवस्था तो वर्षों से चली आ रही है। आप बतायें कि क्या यह व्यवस्था आज की है। क्या आप किसी के अधिकार को छीन लेंगे। पॉवर ऑफ अटार्नी पर रिवोकेबल और इर्रीवोकेबल लिखा जाता है। ज्यादातर लोग इसी बात को लिखते हैं कि यह इर्रीवोकेबल होगी अर्थात् यह किसी प्रकार से रिवोक नहीं होगी, ताकि उसकी सेन्सिटी ज्यादा रहे। मान्यवर, यह अपने आप में इस मंशा से लाया गया है कि केवल पॉवर ऑफ अटार्नी पर सम्पत्ति का ट्रांसफर रोका जा सके और उसमें स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान जरूर हो। मैं समझता हूँ कि हम जो अध्यादेश लाये थे यह उसी का रिप्लेसमेण्ट है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चूँकि यह लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है और स्टाम्प चोरी को रोकने के लिए है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इनको अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

यह सबको मालूम है कि जो इर्रीवोकेबल पॉवर ऑफ अटार्नी होती है, उसको भी रिवोक करने का अधिकार होता है, इसीलिये हमें इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मोना जी आप इस संशोधन को वापस ले रही हैं या मैं प्रश्न उपस्थित करूँ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैं इस पर बल देती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या-2 सन् 1899 की अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद-48 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद-48 में, खण्ड (ङ) तथा (ङ ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात् :-

(ङ) (एक) जब अटार्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार प्रदान किया जाय।	अचल सम्पत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय-वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण [संख्या-23 खण्ड (क)] के समान शुल्क।
(दो) जब अटॉर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का प्राधिकार प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाय।	अचल सम्पत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय-वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण [संख्या-23 खण्ड (क)] के समान शुल्क।
(ङ ङ) (एक) जब परिवार के सदस्यों पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र/पौत्री (पुत्र का पुत्र/पुत्री), नाती/नातिन (पुत्री का पुत्र/पुत्री), को सम्बन्ध के सबूत के साथ प्राधिकृत किया जाय।	5000 रुपये।

(दो) जब उपखण्ड (एक) में उल्लिखित परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को मुख्तारनामा के माध्यम से अचल सम्पत्ति के विक्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।	अचल सम्पत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय-वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण [संख्या-23 खण्ड (क)] के समान शुल्क।	
निरसन और व्यावृत्ति	3-(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2023
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।	

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मा0 सदस्य द्वारा दिये गये नियम-103 के संकल्प की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य नियम-103 के अन्तर्गत चर्चा देते हैं और संकल्पों को प्रस्तुत करते हैं। प्रायः यह पूर्व में देखने को मिला है कि इसके ऊपर 5-5 साल तक चर्चा नहीं होती है।

कल माननीय सदस्यों के इन्ट्रेस्ट पर और जिन्होंने यह सूचनाएं दी थीं और मैंने उनके निवेदन पर यह निर्णय किया था कि हम उनको सुनेंगे। मुझे लगता है कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किये गये थे और यह संकल्प पिछले दो बार से नहीं आ रहे थे और कहा जाता था कि आगे ले लिये जायेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय सदस्य अपनी बात 5 मिनट में कहेंगे और उसके ऊपर सरकार का जो भी मत होगा नहीं होगा, हम उसके ऊपर वोटिंग करायेंगे या संकल्प वापस लिये जायेंगे। इसके ऊपर समय और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय किया जायेगा। मुझे लगता है कि यह सभी संकल्प लगभग एक घण्टे के अन्दर पूरे हो जायेंगे और कुछ लोग वापस भी ले लेते हैं, उसमें समय नहीं लगता है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, क्या इसको अभी लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

हाँ, अभी ले रहे हैं, क्योंकि चर्चा फिर बाद में होती रहेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इससे पहले मद संख्या-15 है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप सभी लोग सहमत हैं तो मैं पहले मद संख्या-15 ले सकता हूँ। मुझे मद संख्या-15 लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन सुन लें कि जैसे सदन सहमत होगा, मैं सदन की मंशा के अनुरूप ही निर्णय करूँगा। माननीय मंत्री जी यह मेरा भाव था। चूंकि कल भी बजट पर विभागवार चर्चा है और आप माननीय वित्त मंत्री हैं तो इन संकल्पों के ऊपर हो सकता है कि आपके द्वारा या सम्बन्धित मंत्रियों के द्वारा कोई जवाब देना हो तो मुझे लगा कि इसको पहले ले लेंगे। फिर बाद में बजट पर चर्चा होती रहेगी। माननीय वर्मा जी भी कह रहे हैं कि पहले चर्चा करा लीजिए, तो मैं पहले चर्चा ही करा लेता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप पहले चर्चा ही करा लीजिए और तब तक हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पहले चर्चा कर लेते हैं। फिर बाद में संकल्प ले लेंगे। जिसमें पूरे सदन की सहमति हो उसमें मेरी भी सहमति है।

अब हम मद संख्या-15 लेते हैं। माननीय सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव जी आप बोलिए।

[02:05] वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

***श्री शिवपाल सिंह यादव-**

धन्यवाद अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े आकार वाले बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे है। 7.36 लाख करोड़ का बजट बहुत बड़ा है। सिर्फ बड़ा होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, बजट को लाभकारी, समावेशी और प्रभावशाली होना चाहिए। आज यदि हमारे संत कबीरदास जी होते तो इस बजट की तुलना पिछले बजट के परिणामों से करते हुए कहते,

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।।
मान्यवर, बेकार, बेमतलब है ये बजट हजूर।
कर्ज बढ़ायेगा, प्रदेश डूबायेगा छीन गरीबों का नूर।।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट रखते समय एक शेर पढ़ा था

हौसले दिल में जब मचलते हैं,
आँधियों में चिराग जलते हैं।

कोई भी चिराग व दीपक घी व तेल से जलता है। किसान विरोधी नीतियों के कारण घी उत्पादक वर्ग अपने पेट नहीं पाल पा रहा है। तेल पर एक पूंजीपति का कब्जा हो गया। घी व तेल दोनों गरीबों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। गरीब का दीपक अंधेरे में नहीं जल पा रहा है। वित्त मंत्री जी आंधी में चिराग जला रहे हैं। जनता भी एक शेर पढ़ रही है,

कैसी मशालें लेकर चले अंधेरे में आप,
जो रोशनी थी भी, वो भी सलामत नहीं रही।
हिम्मत से कहो सच तो बुरा मानते हैं लोग,
रो-रोकर बात कहने की आदत नहीं रही।

महोदय प्रदेश के इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट छलावा है, आंकड़ों और अक्षरों की बाजीगरी है। महोदय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर तो पड़ाव है, लक्ष्य रामराज्य की स्थापना होना चाहिए तब आप पूरे प्रदेश को अयोध्या बनाने और पूरे प्रदेश में रामराज्य लाने का ख्वाब देखने वाला

---

† दिनांक 08 फरवरी, 2024 की कार्यवाही से।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट प्रस्तुत करिए। महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरितमानस में रामराज्य के बारे में लिखा है,

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहु नहिं व्यापा ।।

मानस में रामराज्य के बारे में लिखा है कि राम राज्य में किसी को दैहिक यानी शारीरिक कष्ट नहीं था, दैविक यानी दैविक आपदा भी कहीं नहीं आती थी और भौतिक यानी आर्थिक-मानसिक कष्ट नहीं होता था। तुलसीदास जी लिखते हैं,

अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरूज सरीरा।।

आज अस्पतालों में रोज लाशें निकल रही हैं। एन0सी0आर0बी0 के अनुसार सबसे अधिक अल्पमृत्यु उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, असली रामराज्य लाने में यह सरकार पूर्णतया विफल है। महोदय,

अब हवायें ही करेंगी रोशनी का फैसला,

जिस दीये में जान होगी, वो दीया रह जाएगा।

मा0 अध्यक्ष जी, नेता सदन को मैं सुन रहा था उनका भाषण सिर्फ और सिर्फ दो विषयों पर केंद्रित था क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार कोड किया इसलिए बोलना अनिवार्य है। पहला, अयोध्या जिसके चौमुखी विकास की गाथा उन्होंने सुनाई और यह भी कहा सपा के लोगों ने अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। अयोध्या में भजन-स्थल के निर्माण का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ।

सीवर निर्माण का कार्य अयोध्या में हुआ, अण्डर ग्राउण्ड विद्युतीकरण का कार्य अयोध्या में हुआ, पर्यटकों की सुविधा हेतु आधुनिक शौचालय का निर्माण समाजवादी पार्टी में हुआ। राजघाट तुलसी उद्यान को सुन्दरीकृत किया गया। चौदह कोसी, पंच कोसी परिक्रमा मार्ग का कार्य और परिक्रमा पथ के किनारे-किनारे पारिजात के छायादार वृक्षों को लगाया गया। राम की पैड़ी, अविरल जल बहाव तथा सुन्दर लाइटों की व्यवस्था की गयी। रामघाट जो था, उस पर आचमन के लिए पानी इतना गन्दा था, उसको अविरल धारा से बहाया। एक तरफ सरयू के पानी को दूसरी तरफ सरयू में मिलाने का काम किया गया। सत्संग भवन, बसेरा आदि का निर्माण कराया गया। बाईपास से लेकर महोबरा तक मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराया गया। टेढ़ी बाजार से असर्फी भवन के आगे तक सड़क का नवीनीकरण, घाटों पर चेंज रूम का निर्माण कराया गया। महोदय, बस हमने उसका प्रचार और मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया था। जिसकी वजह से जो धन बचा था, वह उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए खर्च किया गया। दूसरा इनके सदन में आने के बाद अचानक कभी-कभी नेता सदन को मेरी चिन्ता हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता मानो सदन में कोई कार्यक्रम चल रहा है 'चाचा पर चर्चा।' (हँसी)

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, चाचा पी0डी0ए0 के थे, हैं और रहेंगे। साथ ही समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री महोदय को मालूम ही है, जब कोई फुटबाल का अच्छा खिलाड़ी मिलता है तो गोल हो ही जाता है। (हँसी) मेरी चिन्ता से ज्यादा मेरे साथी मेरी चिन्ता कर रहे हैं। साथी की चिन्ता होनी चाहिए, जिन्होंने अभी दिल और दल बदला है, इनकी चिन्ता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आ जायेंगे इधर। (हँसी) देखिए, सब जगह चाचा को ही ढूँढ रहे हैं। सूची में नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, अरे जब चाहूँगा, जहाँ चाहूँगा, जिस सूची में चाहूँगा, वहाँ हो जाऊँगा, काहे की चिन्ता है ? (हँसी) आप लोगों को किस बात की चिन्ता है ? अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार 06 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह संख्या 3.43 करोड़ बता रही है। दोनों में कोई न कोई गलत है। किसी न किसी के आँकड़ें गलत हैं, फिर भी यह आधा सच दर्शाया जा रहा है, यह पूरे गलत से भी ज्यादा खतरनाक है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है- 'रामे शासति नान्तताः', राम के शासन में कोई भी

(इसी समय 02 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं)

असत्य नहीं बोलता था। यहाँ सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश की 22.92 प्रतिशत, लगभग 23 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं, 10 मिनट हो गया है। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जो बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है, वही कथन सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहलवाया।

नेता सदन कह रहे थे कि विपक्ष के मा0 सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय का अपमान किया। उनका असली अपमान, राज्यपाल का वास्तविक अपमान सरकार ने असत्य बुलवाकर किया है। संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा अपने साथ यह सरकार तार-तार कर रही है। पूरी दुनिया ने देखा है कि सरकार उस पीठ से असत्य फैला रही है। इस देश को एक भी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं मिल सका ? इस बजट में उसके लिए क्या प्राविधान है। वर्ष 2017 के घोषणा पत्र में आपने विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भीमराव राम जी अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना का वायदा किया था।

महोदय, आज सात साल बाद उसके लिए बजट में प्राविधान क्यों नहीं किया ? पी0डी0ए0 को न्याय देने के नाम पर सरकारें इतनी उदासीन क्यों हो जाती हैं ? इसी तरह आपने 70 लाख नौकरी देने का वायदा किया था उसका क्या हुआ ? रोजगार देने के नाम पर सरकार सिर्फ कागजी वायदा कर रही है, कहीं कोई मंशा नहीं है। सरकार की रोजगार बढ़ाने को लेकर बजट में रोजगार को लेकर सिर्फ खोखले वायदे हैं, कहीं कोई इच्छा शक्ति सरकार की नहीं दिख रही है। सरकार यह भी बताए कि केन्द्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इस स्मार्ट सिटी योजना का क्या हुआ, इस देश को कितनी स्मार्ट सिटी मिल सकीं आपके बजट में इस पर खामोशी है। पूरे बजट में इस तरह का भाव है कि लोगों के हाथों में नगदी कैसे पहुंच जाती, एम0एस0एम0ई0 और बड़े उद्योगों का फायदा प्रदेश की जनता तक कैसे पहुंचेगा। ऐसे में लोगों को काम के बदले नगदी दीजिए और किसान की उपज का बढ़िया दाम दिलवाईये, अगर आप इतना कर सकें तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पूरे प्रदेश में आपके द्वारा एक भी मण्डी का सृजन नहीं किया गया है और इस बजट में आपने कोई योजना राशि नहीं रखी है। आपके आंकड़े बताते हैं कि अभी तक विभागों में पिछले बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ही खर्च नहीं हो सका है। विकास कार्यों की इस धीमी रफ्तार पर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। सरकार अपने प्रतिनिधि धन प्राप्ति के प्रत्याशा में दाओस भेज रही है, जबकि बजट का ही अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं कर पाई। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण आर्थिक विषमता बढ़ी है। यह दुर्भाग्य है कि खस्ता हालत कानून व्यवस्था, कागजी निवेश, नकारात्मक विकास और किसानों की दुर्दशा के बावजूद यह सरकार अपनी पीठ ठोंक रही है। हर मोर्चे पर दुर्गति और झूठ ही इस डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है।

सरकार के कुछ नेताओं को समाजवाद से क्या चिढ़ है, समझ से परे है, जबकि समाजवाद हमारे राष्ट्र नायकों का सपना है। चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे विचारवान क्रांतिकारियों ने समाजवाद व स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार करने के लिए हिन्दुस्तान जनतांत्रिक सेना बनाई थी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद नियत है। लोहिया व लोक नायक जय प्रकाश का सपना समाजवाद है। समाजवाद का विरोध रामराज्य का विरोध है हमारी महान विरासत के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे महान लोकतंत्र की खूबी है कि अहंकार और सत्ता लम्बे दिनों तक नहीं चलती है। ब्रितानियाँ हुकूमत को हमारे नायकों ने पलटा है। कई जालिम सरकारों को हमारे पूर्वजों ने पलटा है। चार बार तो हमने ही पलटा हम फिर पलट देंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे.....

(मेजों की थपथपाहट)

महोदय, 'सरकार को गुमा है कि प्रतिदिन की उड़ान कुछ कम है, लेकिन हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है।' महोदय, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यह बजट जनता के हित में नहीं है प्रदेश के हित में नहीं है। इस बजट में केवल धोखा है इसलिए हमने मान्यवर, जितने सुझाव दिए हैं माननीय वित्त मंत्री जी को, इसमें जरूर जोड़े जाएं जिससे जनता का भला हो और मैंने जो कहा है समाजवाद ही रामराज्य है....

(मेजों की थपथपाहट)

उस समाजवाद के बिना रामराज्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे जितने भी संशोधन हैं आप जरूर इन संशोधनों को अपने भाषण में और अपनी घोषणा में जरूर रखें।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पीयूष रंजन निषाद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय यह बजट पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय की परिकल्पना के अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश प्रभु श्रीराम की प्रेरणा से ओत-प्रोत गरीबों, किसानों, नौजवानों एवं महिलाओं के सपनों को साकार करने वाला लोक कल्याणकारी एवं समाज के हर क्षेत्र को लाभान्वित करने वाला है। मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर इस ऐतिहासिक बजट तक की चर्चा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहा, मुझे अत्यंत पीड़ा हुई अपने विपक्ष के साथियों के विचारों को सुनकर कि ये सभी मित्र इसी देश और प्रदेश में निवास करते हैं जहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने चन्द्रमा और सूर्य तक पहुँचने का कीर्तिमान बनाने का कार्य किया। जहाँ आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के सर्व समाज ने पूरी दुनिया को यह संदेश देने का कार्य किया कि प्रभु श्रीराम हमारे ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के आदर्श हैं। मान्यवर, मैं तो अपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ उसी समाज ने प्रभु श्रीराम को पार उतारने का काम किया और उस समाज को भगवान राम के बाल सखा होने का गौरव हमारे पूर्वजों को मिला और हमारे समाज ने चाचा शिवपाल यादव जी जो अभी बता रहे थे कहना चाहता हूँ, आपको भी पार उतारा था। आपने नहीं समझा इसलिए आप उस पार हैं और हम इस पार हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या का त्रेतायुगीन वैभव स्थापित कराने के साथ ही साथ निषादराज की नगरी श्रृंग्वेरपुर के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई।

निषादराज गुह का भव्य पार्क एवं प्रभू श्रीराम और निषादराज गुह की गले लगती हुयी 51 फिट की भव्य मूर्ति की स्थापना भी की गयी तथा इसी बजट में श्री निषादराज गुह सांस्कृतिक केन्द्र के लिए 14.68 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी किया गया। किन्तु इस सदन में आज भी कुछ लोग श्रीराम के अस्तित्व से अंजान हैं। कल हमारे एक मित्र आर0एस0एस0 के एजेन्डे की बात कर रहे थे। शायद उन्हें आज भी यह नहीं मालूम कि आर0एस0एस0 हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से हमें जोड़ने का एक माध्यम है। प्रदेश और पूरे देश के सुदूर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के मध्य यही आर0एस0एस0 गरीब और वंचितों को शिक्षा के माध्यम से विकास और मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। जब भी देश में भूकम्प,

समुद्री तूफान और कोरोना जैसी दैवीय आपदा आयी तो यही आर0एस0एस0 के स्वयं सेवकों ने दिन रात लोगों की सेवा करने का कार्य किया। जिसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा।

यशस्वी आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आर्थिक एवं सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नयी ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहा है। पिछली सरकारों में हमारा प्रदेश जहां बीमारू प्रदेश की श्रेणी में जाना जाता था वहीं आज उत्तर प्रदेश नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में पूरे देश में अपना स्थान बनाये हुए है। इस सदन में हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा बार-बार पी0डी0ए0 की बात की जाती है, जबकि माननीय मोदी जी की गारंटी योजना के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में हर गाँव, गली, मोहल्लों तक चल रही वैन के साथ सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ जाना हुआ, जिन आंकड़ों से पता चलता है कि शासन की सभी योजनाओं का सही लाभ आज पी0डी0ए0 के साथियों को मिल रहा है जबकि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा सिर्फ पी0डी0ए0 को वोट लेने का जरिया समझा गया। माननीय महोदया जी, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जैसा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र करछना कुम्भ मेला क्षेत्र से पूरी तरह प्रभावित है। इसलिए मैं एक अनुरोध करूंगा कि अरैल बांध रोड जो डी0पी0एस0 तक है उसे बढ़ा कर पनासा के टोंस नदीं के पुल तक एवं पुराने यमुना पुल से राम पथगमन सुजावन देव मंदिर तक बनाया जाना अति आवश्यक है, जिससे देश-प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तो हो ही जायेगा और प्रतिवर्ष बाढ़ की वजह से किसानों की जो फसल और उनका जो आवास ढह-बह जाता है उससे भी उनको निजात मिलेगी। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा क्योंकि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूँ उस विधान सभा क्षेत्र में आज तक विकास के नाम पर केवल विनाश की राजनीति की गयी आज तक उस विधान सभा क्षेत्र में एक भी बालिका डिग्री कालेज नहीं है और न एक भी बालिका पॉलिटेक्निक कालेज है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर ये दोनों कार्य मेरी विधान सभा क्षेत्र में कराया जाय तो इससे विधान सभा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ गरीब बालिकाओं को भी शिक्षा में सहूलियत मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं बजट पर बल देते हुए अपनी करछना विधान सभा क्षेत्र की हर एक जनता की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

***श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी नहीं हैं, उनके द्वारा विधान सभा को और आकर्षक, सुसज्जित बनाने के लिए जो नित नये अभिनव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास किये गये हैं, उसके लिए उन्हें बधाई देती हूँ। इस बार भी माननीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय विधान सभा अध्यक्ष जी द्वारा विधान सभा के स्मृति चिह्न के रूप में जो प्रत्येक सदस्य को एक स्मृति चिह्न दिया गया, उसके लिए भी आभार प्रकट करती हूँ। आज एक बहुत खुशी का माहौल है और जब बोलने का अवसर मिला है तो कहीं मैंने पढ़ा था और उसको बहुत शिद्दत से महसूस भी किया है, 'चीर के जमीन को उम्मीद में बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ' पूर्व मुख्य मंत्री जी, मैं दोबारा से कहती हूँ और जब किसानों की बात है तो दोबारा क्या, मैं बार-बार उनके लिए कह सकती हूँ, 'चीर के जमीन को उम्मीद में बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ।' मैं गाँव की प्रधान भी रही हूँ और मैं किसानों की व्यथा को समझती भी हूँ और हमारी सरकार ने इन्हीं भावों के साथ जुड़कर अंत्योदय की संकल्पना को साकार करते हुए किसान बंधुओं के हित में अनेकों अनेक उल्लेखनीय काम किये हैं। आज जब भारतरत्न देने की किसानों के ऐसे रहनुमा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम की घोषणा की है तो हम सब बहुत गदगद हैं। मैं अपनी पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हिन्दी के मूर्धन्य कवि श्री हरिओम पवार जी ने लिखा था, 'मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिन्दुस्तान है।' उन्होंने आगे यह भी लिखा था राम दवा हैं रोग नहीं हैं सुन लेना, राम त्याग हैं, भोग नहीं हैं सुन लेना, राम दया हैं क्रोध नहीं हैं जग वालों, राम सत्य हैं क्रोध नहीं है जग वालों, राम हुआ है नाम लोकहितकारी का, राम नाम है रावण से लड़ने वाली खुद्दारी का....

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

उन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए यह हमारी सरकार राम राज्य के लिए समर्पित है और राम राज्य की अवधारणा को धरती पर उतारे हुए इस बजट में देखा जा सकता है।

अभी आदरणीय चाचा जी कह रहे थे कि यह बजट नहीं, धोखा है, बजट में धोखा है। लेकिन मुझे और हमारे अनेकानेक साथियों को, प्रदेश की जनता को, आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जी, यह लगता है कि यह बजट धोखा नहीं है इसमें प्रदेश के विकास का मौका ही मौका है। चाचा जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम सब चाचा पर चर्चा करते हैं, यह तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत गौरव की बात है। हम इंसान हुए ही हैं कि हमारी चर्चा हो। मैं कसम से कहती हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी समेत हम सब आपसे बहुत स्नेह रखते हैं और आपका बहुत ही सम्मान करते हैं और जब सम्मान देते हैं तो आपसे भी आकाँक्षा है कि आप भी हमें उतना ही आशीर्वाद दें। बहुत ही संवेदनशील और विद्वान वित्त मंत्री हैं, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी, उन्होंने पिछले कार्यकाल के बजट की तरह इस बार भी एक लोक कल्याणकारी बजट को प्रस्तुत किया है। यह बजट और हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं केवल रामराज्य की अवधारणा से अभिसिंचित है। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रदेश को ले जाने वाला भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हजारों हजार बरस से देश और दुनिया को जीवन के महत्तर आदर्शों की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम हैं क्या, भगवान राम भारत के राजा हैं, वनवासी- गिरिवासी के सहयोगी हैं, राम भारत के मित्र है, राम भारत के पुत्र हैं, राम भारत के शील हैं, राम भारत के आदर्श हैं, राम

भारत की मर्यादा हैं और हजारों हजार बरस से इस रामराज्य के लिए दुनिया तरस रही थी। राम इस रामराज्य के अधिष्ठाता हैं। आज यह रामराज्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस बजट में भी इस बात की घोषणा हुई है कि कैसे हम रामराज्य के लिए आतुर और व्याकुल हैं। आदरणीय चाचा जी ने कहा, 'दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहुहि नहिं ब्यापा ।। इसी की आगे की लाइन है, नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।' चाचा जी ने हम सब को हिन्दी में इसका अर्थ भी समझाया, जिनको अर्थ नहीं आता है, इन लाइनों का अर्थ भी बताया कि दैहिक का मतलब कि किसी को कोई शारीरिक कष्ट न हो।

मान्यवर, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत सबके जीवन के स्वास्थ्य को सुधारने का काम किया जा रहा है। अभी हमारी आंगनबाड़ी बहनों को भी उससे लक्षित करने का एक संकल्प सरकार ने लिया है। तो कोई भी 'दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा' नहीं होगा, यह मैं आश्वासन देती हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार आने के बाद मा0 प्रधानमंत्री जी के सबके साथ, सबके विकास के नारे के बीच मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। हमारी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश में वही होता था जिसे कौटिल्य ने मत्स्य न्याय की संज्ञा दी यानी सीधी भाषा में कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारी सरकार के कुशल नेतृत्व के कारण, हमने सफलतापूर्वक कानून का राज स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में रूपांतरित करने की पहली आवश्यकता को धरती पर उतारने का काम किया है। इस सरकार से पहले किसी ने भी अपराध और अपराधी, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट के लिए शून्य संस्था के बारे में कोई शब्द ही नहीं सुना था। यह मा0 मुख्य मंत्री जी ने करके दिखाया है क्योंकि जिन्दगी को आसान नहीं खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए यह हमारे मुख्य मंत्री जी के शब्द हैं। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में देश में दूसरे स्थान पर अपनी जगह सुनिश्चित की है, जो कहा वह करके दिखाया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी समय हो गया है।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मान्यवर, एक मा0 सदस्य ने कह दिया है कि हम अपना समय आपको दे रहे हैं। अब तक ध्यान में न आने वाली आधी जनसंख्या विकास में बराबर की भागीदार बन सके, मोदी जी द्वारा लाया गया महिला आरक्षण विधेयक भी इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसलिए आज योगी, मोदी राज में वह समय आ गया है जब महिलाओं की आवाज सुनी जा रही है, वह महिला चाहे इधर बैठी हो, चाहे उधर बैठी हो, आज यह दिखा दिया है। सरदार जी हमारे प्रिय सरदार जी मुझे आवाज उठाने दो, मुझे आवाज उठाने दो, आधी आबादी की हकीकत दुनिया को बतलाने दो, कितनी अग्नि परीक्षा लोगे मेरी कभी मुझे भी तो आजमाने दो।

इस आधी आबादी की हकीकत दुनिया को बतलाने दो। यह कोई भी महिला हो, किसी भी दल की महिला हो इसके लिए अगर किसी ने सम्बल दिया है तो वह आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने दिया है। आज इसी शक्ति के कदमों की थाप को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का संकल्प किया है क्योंकि महिला शक्ति के बिना यह सपना सम्भव नहीं है।

मान्यवर, निराश्रित महिला पेंशनरों को देय पेंशन की धनराशि 500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है। आज जब हम महिला विधायक कक्ष में बैठते हैं तो प्रत्येक महिला के अन्दर जो जोश देखते हैं तो लगता है कि हमारी सरकार कितना हमारे लिए काम कर रही है। इतना सशक्त हमें बनाया, इतना सम्बल दिया और जिम्मेदारियों का बोझ सिरपर पड़ा तो आटो रिक्शा भी चलाने लगी बेटियाँ। साहस से अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियाँ और कितने उदाहरण ढूँढ के लाऊँ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियाँ और वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देने अब श्मशान घाट तक जाने लगी बेटियाँ, क्या साहस दिया है हमारी सरकार ने हमको मैं सभी बहनों से पुरजोर समर्थन करवाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। कहते हैं कहानियाँ सबसे सशक्त माध्यम होती हैं। मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को और अपने बहराइच की सीमा की कहानी आप लोगों को बताती हूँ। हमारे गाँव की महिला है सीमा देवी केवल 33 साल की आयु में उन्होंने जो किया है चाचा, वह बहुत ही सराहनीय है, इस बार की भीषण गर्मी में सीमा ने बहुत अच्छी फसल पैदा की। 33 साल की आयु में वह उस सफर पर निकलीं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक और सदस्य ने अपना समय मुझे दे दिया है। उनके खेत इतनी गर्मी में तपते रहे बदलापुर वाले रमेश भइया, यह असाधारण है ना, यह कैसे हुआ इसके पीछे है सरकार की दूरदर्शिता, बर्कले कम्पोस्ट जो कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय का उपहार है और जिसे बहराइच से लेकर उत्तर प्रदेश के गांव-गाँव में फैलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। सीमा की आशा उन पूरे गाँव की आशाओं का प्रतीक है जो मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार ने नयी दिशा देने के लिए संकल्प किया है। आज इस बर्कले कम्पोस्ट ने न केवल खेतों को लहलहाया है बल्कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के संवाद को बढ़ा दिया है। हम भारत की जनसंख्या के 17 परसेंट हैं जिसमें से 56 परसेंट हम कार्य करने के योग्य आयु समूह में हैं, पूर्व की सरकारों ने इसे विकास के इंजन में तब्दील करने का कोई

कार्य नहीं किया। एक समय था आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, जब इस सदन में लोग उत्तर प्रदेश को बांटने के लिए लड़ रहे थे और हम पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम करते हैं। आईटीआई कौशल विकास की केन्द्रीय धुरी है, यह बुरी हालत में थी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ विपक्ष के साथियों से कि क्यों सालों से हमारे आईटीआई धूल खा रहे थे, क्यों करप्शन का शिकार थे, हमने आईटीआई को अपग्रेड करने का प्रण लिया और इसके लिए 4 हजार करोड़ रुपए का आवंटन करने का काम किया। ओजस्वी मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश में कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अवस्थापना और कनेक्टिविटी के उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के फलस्वरूप 2023 में 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं जिससे 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान हुआ है।

मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि आप अयोध्या, प्रयागराज, काशी और कुशीनगर को पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित करने में क्यों असफल रहे। आज जैसी दिव्य नव्य अयोध्या है उसको पहले करने का साहस क्यों नहीं किया। इस वर्ष भी जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दीपोत्सव का आयोजन किया, राम की पैड़ी पर 22 लाख 23 हजार दीपों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया है। विजन देखिये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में बदलने की योजना है और इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी की तथा माननीय मुख्य मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहना चाहती हूँ कि यूपी नहीं देखा तो इण्डिया नहीं देखा। यह दोहरी इंजन की सरकार के कारण ही सम्भव हो पाया है, हमने केवल रास्ते नहीं बनाये है, हमने केवल गाँव को गाँव से शहर को शहर से नहीं जोड़ा, हमने अपने राज्य को केवल दूसरे राज्यों नहीं जोड़ा, हमने केवल चलने के समय को नहीं कम किया बल्कि एक शानदार एक्सप्रेस-वे की जटिल चादर बुनी है, जिसने हमें एक्सप्रेस-वे राज्य की संज्ञा देने का काम किया है। मान्यवर, चौड़ीकरण कार्यों हेतु 2881 करोड़ रुपए, धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपए और ट्रैफिक जाम और फ्लाईओवर की समस्या से निपटने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैं कल सुन रही थी इधर से, कुछ लोगों ने कहा कि यह सरकार जातिवाद करती है, हमारा ध्यान नहीं दे रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी योजना हो, सौभाग्य योजना हो, अन्त्योदय हो, उज्ज्वला हो, शौचालय की योजना हो, हमने कोई भेद-भाव नहीं किया, जब गैस के कनेक्शन बंटे महोदया तो चाहे रइता हो, चाहे रेहाना हो और चाहे सीमा हो चाहे सुल्ताना हो, हमने कोई भेद-भाव नहीं किया है। हमारा जो संस्कार है, हमने बचपन से सुना है भाजपा उसी संकल्पना पर चलती है।

(सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

आदरणीय राकेश भईया बैठो, हमारे जो संस्कार हैं अधिष्ठाता महोदया कि-

'मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया,
मस्जिद में पानी पीती है,
मैंने सुना कोई सलमा बेगम,
राधा की चुनरी सीती है।'

और कल सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो महाभारत कृष्ण कौरव संवाद का जो वर्णन किया था, उससे पूरा हमारा ध्येय स्पष्ट है, उन्होंने कहा था कि-

'दे दो हमें 5 गांव, रखलो अपन धरती तमाम,
हम वहीं खुशी से खायेंगे,
परिजन पर असि न उठायेंगे,
दुर्योधन वह भी दे न सका,
आशीष समाज की ले न सका।'

मा0 मुख्य मंत्री जी ने केवल 3 गाँव मांगे हैं और अभी तो यह झांकी है, अगली तस्वीर बाकी है। इसिलिए कहती हूँ कि-

'तू किसी और से न हारेगा,
तुझको तो तेरा गुरूर मारेगा।'

और मैं कहती हूँ कि राम तो कण-कण में व्याप्त हैं, राम तो प्रभात का स्वर हैं, सुबह उठे तो राम-राम, फिर दर्द हुआ तो, हरे राम, कुछ गलत हो गया तो हे राम और अन्त में भी राम-राम-राम होती है। हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने जो जन-मानस की भावनाओं के आधार पर जो कविता लिखी थी, उसकी 4 पक्तियां पढ़कर अपनी बात समाप्त करती हूँ।

हमारी सरकार ने आज उन्हीं पक्तियों में राम के दिव्य, भव्य मंदिर के रूप में आरम्भ किया है कि-

'राम कृष्ण यदि गए, विवेकानन्द शेष हैं,
अभी मूर्ति की पूर्ति शेष है,
अभी तो प्रण आशेष है,
आओ युग के सपनों को साकार करें हम,
मृतकों में भी जीवन का हुंकार भरे हम।'

यह राम राज्य इसी हुंकार को लाने वाला है, मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती अर्चना पाण्डेय-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मा0 अनुपमा जी के साथ अपने आपको जोड़ते हुए, सम्बद्ध करते हुए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि बराबर जबसे बजट पर चर्चा चल रही है, हर समय हमारे विपक्षी मा0 सदस्यों की तरफ से एक आवाज उठायी जा रही है कि आपकी हर बात राम से क्यों शुरू होती है। तो उस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि हम सब सनातनी हैं, हमारा जीवन राम से चलता है, राम हमारी नीति हैं, राम हमारे नियन्ता हैं, राम हमारा विधान है, राम हमारी विधि हैं, हमारा जीवन राम से ही शुरू होता है। हमारे यहां जब बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जीभ पर शहद से श्री राम लिखा जाता है और जब हमारा जीवन समाप्त होता है, 4 कन्धों पर चलता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है। इसलिए हम सब राम के अनुयायी हैं, राम की ही बात करते हैं और राम के ही आदर्शों और आचरणों पर चलते हैं। बहुत पहले की एक घटना मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी सुनाया करते थे कि एक बार तत्कालीन रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहां पर आए और उनको पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 4 दिन तक का एक भ्रमण कराया था और जिस समय वह उत्तर प्रदेश आगरा में आए और आगरा का ताज महल उन्होंने देखा तो देखने के बाद, उस समय एक अमृत बाजार पत्रिका अखबार निकलता था। तो उन्होंने उस अखबार में कोट किया कि जब मैंने सरसरी नजर से ताज महल को देखा तो, 'आई एप्रिसिएट इट्स आर्किटेक्चर इन कल्चर' मूर्तिकला और ललित कला की प्रशंसा करता हूँ। 'व्हेन आई सी आई फील' मैंने इसको देखने के बाद गरीबों का पसीना छलकता देखा, 'देन आई डिनाय इट्स नोट ए डिग्निटी ऑफ इण्डिया इट्स नोट डिग्निटी ऑफ उत्तर प्रदेश'

तो उस समय वह कहते थे कि मुझे लगा कि यदि मैं वहाँ होता।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, उस समय वह कहते थे कि यदि मैं वहाँ होता तो मैं यह कहता, लेकिन आज वह नहीं हैं। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि आज दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आए तो हम सीना तानकर गर्व से कहेंगे कि आइये उत्तर प्रदेश में इण्डिया की डिग्निटी के नाम पर भव्य अयोध्या है, जहां राम नगरी है। आइये आज उत्तर प्रदेश में काशी है, जहां गंगा की कल-कल लहरें बहती हुई भगवान शिव का रूद्राभिषेक करने को तैयार हैं। आइये आज उत्तर प्रदेश में मथुरा है, जहां पर इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, आज यहां मां विंध्यवासिनी का धाम है, जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस सरकार का यह तीसरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट अपने आपमें विशिष्ट और अनूठा है, क्योंकि यह बजट आस्था को नमन कर अन्त्योदय के प्रति समर्पण के साथ विकास का संकल्प अवधारित करता है। सरकार की स्पष्ट दूरदर्शिता के द्वारा इसमें धर्म और संस्कृति की अनवरत धारा के साथ प्रदेश के सतत् विकास की योजनाएं भी प्रवाहमान हैं। इस बजट में प्राचीनता के परिवेक्षण, आधुनिकता का अनुरक्षण और समाज के संरक्षण की सर्वसमावेशी संकल्पना के साथ ही लोक मंगल की भावना भी समाहित है तथा भविष्य को देखने की सहज दृष्टि भी है। मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, सर्वव्यापक, सहज साध्य प्रभु श्रीराम को समर्पित यह बजट अयोध्या के साथ ही प्रयागराज, मथुरा और काशी तथा अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के द्वारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर धार्मिक पर्यटन की अनूठी अवधारणा के सानिध्य में अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने में भी काम करेगा। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिक राजा ही प्रजा के हित में काम कर सकता है। राजा का दार्शनिक होना अनिवार्य शर्त है। ऐसे ही दार्शनिक राजा हमारे परम आदरणीय मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी के कुशल दिशा-निर्देशन में उत्तर प्रदेश वैश्विक पटल पर अपनी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक छवि को सुधारने में सफल रहा है। भयमुक्त वातावरण, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन अब उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है।

2017 से पूर्व की सरकार कारोबार से चलती थी, लेकिन यह सरकार सरोकार से चलती है इस बात पर मैं बल देती हूँ। इसके साथ ही सदन की महिला सदस्य होने के नाते मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि किसी भी राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में उत्तर प्रदेश का यह पहला बजट है, जो पिंक बजट भी है। बजट में महिलाओं से सम्बन्धित कई योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, साथ ही कई विभागों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ग्रीन टैगिंग के प्राविधान के द्वारा इसमें ग्रीन बजट की संकल्पना भी समावेशित है। इसी के साथ मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खोजीपुर से जलालाबाद तक बम्बा नहर का विस्तारीकरण वर्ष 2016 से प्रारम्भ हुआ था, जो अभी लम्बित है। विकास खण्ड तालग्राम व जलालाबाद डार्क जोन होने के कारण किसानों को सिंचाई की समस्या हो रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टॉप के लिए बसों के सही संचालन हेतु छिबरामऊ डिपो के लिए वर्कशाप का निर्माण कराने का कष्ट करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र के लिए सहकारी समितियों पर उर्वरक की आपूर्ति फर्रुखाबाद वेयरहाउस से की जाती है, जिसकी वजह से विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियों पर उर्वरक समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है। नगर क्षेत्र के पास वृहद् वेयरहाउस बनवाने का अनुरोध करती हूँ। विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत सिकन्दरपुर में पेयजल की गम्भीर समस्या है, इसलिए

ओवरहेड टैंक भी स्वीकृत कराने का कष्ट करें। अन्त में समूचे सदन का अपनी इन 4 पंक्तियों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी।

'नव संकल्पों से अर्जित चेतन अब समाज पर छाया है।
भूमि धरा या नभ अम्बर अब केवल राम समाया है।
सच पूछो तो सही अर्थ में रामराज्य अब आया है।'

सन्त की कोई परिभाषा नहीं होती है, सन्त वस्त्र से नहीं होता है, सन्त स्वभाव से होता है, सन्त आचरण से होता है, सन्त व्यवहार से होता है और इसको कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं है कि हमारे दोनों नेता सन्त हैं, सन्त हैं। उनकी सन्त की वृत्ति है। उन दो सन्तों की जिजीविषा से हर घर भगवा लहराया है, हर घर भगवा लहराया है। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि मा0 गणेश चन्द्र विधायक जी के पापा जी आये हैं और आग्रह किये हैं कि एक से तीन के बीच में मुझे बोलने का मौका दे दीजिएगा। इसलिए मा0 गणेश चन्द्र जी आप बोलिए।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपने लोक कल्याणाकारी जन-कल्याणकारी बजट पर जो बोलने का अवसर दिया है आज का यह बजट जो हमारे नेता सदन और मा0 वित्त मंत्री जी ने जो लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया हैं वह कबीरा के उन वाणी के तरह है जिससे अजर और अमर होने सा प्रतीत करता है, कबिरा जब हम पैदा हुए जग हँसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो कि हम हसें जग रोए। इस बात को चरितार्थ करता हुआ यह जो मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है वह जन-कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी बजट है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी विपक्ष के साथी कल मा0 समर पाल सिंह जी ने प्रभु श्री राम जी के प्रसाद के ऊपर कमेंट किया, प्रभु श्रीराम जी के आस्था के ऊपर कमेंट किया, हम सबको राम भक्तों को लाला बताया, ठेकेदार बताया, हम सबको अयोध्या के विकास के बारे में जो कटाक्ष, व्यंग करने का काम किया, मैं आज इस पवित्र सदन में कहना चाहता हूँ कि हाँ मैं राम भक्त हूँ, हाँ मैं प्रभु श्रीराम जी का काम करने वाला ठेकेदार हूँ, हां मैं राम जी का लाला हूँ, आप तो प्रभु श्री राम जी के श्री धाम अयोध्या में गोली चलाने का काम करते थे और हमारे पूज्य महाराज जी ने वहाँ पर फूल बरसाने का काम किया है।

आप भी जाकर देखिए प्रभु श्री राम जी की नगरी को सजाने का काम किया है, उसे सँवारने का काम किया हैं, आप फूल कहां बरसाया करते थे आप तो बरसाया करते थे माफियाओं के ऊपर आप तो फूल वहाँ चढ़ाया करते थे आप तो नाचने वालियों के ऊपर फूल

बरसाया करते थे, आज भक्तों और सन्तों के ऊपर फूल बरसाने का काम किया जा रहा है, ऐसे श्री धाम अयोध्या को सँवारने और सजाने का काम किया जा रहा है। आप जा करके श्री अयोध्या धाम देखिए, इसी के साथ-साथ पूज्य मुख्य मंत्री जी को हम आज इस लोक कल्याणकारी बजट पर पुरजोर समर्थन करते हुए मैं सीधे कुछ क्षेत्र के विषय पर आना चाहता हूँ। और कानून व्यवस्था में जो प्रदेश को ख्याति प्राप्त हो रही है पूरे विश्व में जिस कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जा रहा है आज उन्तालिस हजार पांच सौ करोड़ का भारी बजट देकर अपरधियों पर नकेल कसकर जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है, इसी में साथ-साथ हमारे विधान सभा क्षेत्र में रामजानकी मार्ग पर धनघटा जो सबसे बड़ा थाना है, जहां है अन्य और तीन थानों को प्रदान करने, काम करने की आवश्यकता है, काली जगदीशपुर, पौली और लोहरैया तीन थानों को करने की आवश्यकता है। थानों को उपलब्ध कराने का काम करें। इसी के साथ-साथ शिक्षा जगत में जो प्रदेश की अलग ख्याति प्राप्त हुई है, नकल को रोकने का काम, प्राइमरी को सुदृढ़ व्यवस्था देने का काम, प्राइमरी पाठशाला में ड्रेस व कायाकल्प के माध्यम से जो बच्चों व विद्यालय को सुव्यवस्थित करने का काम किया है, इसी के साथ-साथ हम इस सदन से आग्रह करेंगे कि हमारे यहां पर किसान डिग्री कॉलेज एवं बालिकाओं के लिए एक विद्यालय का, एक इण्टर कॉलेज व एक महाविद्यालय का हमारे यहां पर कोई सरकारी विद्यालय नहीं है, बहनों के लिए एक विद्यालय का प्रस्ताव किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों पर जिस प्रकार से व्यवस्था सुदृढ़ चल रही है वहाँ भी भीड़ यह प्रमाणिकता देती है कि वहाँ डॉक्टर व आयुष्मान के माध्यम से वहाँ की दवा और जन-औषधि केन्द्र के माध्यम से वहाँ जो कम रेट में दवाएं मिलती हैं आज अस्पतालों में भीड़ जिस प्रकार से वहाँ प्रमाणिकता देती है ठीक उसी प्रकार से हमारे विधान सभा क्षेत्र में मलौली व नाथनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में थोड़ा और व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है। मैं इस सदन के माध्यम से चाहूंगा कि उसे और भी सुदृढ़ करने का काम किया जाए। मा0 सदन को मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज स्मार्ट गाँव पंचायत में सचिवालय के माध्यम से सैकड़ों प्राकर की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिसके लिये जनमानस को जिस प्रकार से जिले के मुख्यालय तक ब्लॉक तक जाना पड़ता था। परेशान होना पड़ता था।

आज उन सारी योजनाओं का अपने गाँव से, अपनी ग्राम पंचायत से, अपने सचिवालय से उनका निवारण हो जा रहा है। सभी प्रमाण-पत्र मिल जा रहे हैं। हमारा प्रदेश एक स्मार्ट गाँव की तरफ बढ़ रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ-साथ-मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूँगा कि गोरखपुर से चल रही इलेक्ट्रिक बस सिकरीगंज तक आती है, उसे धनघटा, सन्त कबीरनगर, खलीलाबाद से होकर मगहर-सहजनवां-गोरखपुर तक चलाया जाये और उसकी व्यवस्था और सुदृढ़ की जाये। मैं यह भी आग्रह करूँगा कि गीडा विकास प्राधिकरण जो मगहर से सटा हुआ है, खलीलाबाद के इण्डस्ट्रियल एरिया को गीडा से जोड़ा जाये जिससे

जिले का और भी अधिक व्यवस्थित विकास होगा। इसके अतिरिक्त वहाँ की कताई मिल को प्रारम्भ कराया जाना आवश्यक है। इसी के साथ-साथ पर्यटन के बारे में कहना चाहूँगा कि अभी 07 करोड़ रुपये नाथनगर छिकुई कोल के लिये दिये गये हैं, ठीक उसी प्रकार से कबीर विज्ञान केन्द्र को डेवलॅप/विस्तार करने का काम किया जाये। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख विषय की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और वह विषय नदी में डूबने वाले लोगों से सम्बन्धित है। जो लोग नदी में डूब जाते हैं और अगर उनकी लाश नहीं मिल पायी तो उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं बन पाता है और इसके कारण से उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मैं चाहूँगा कि उसके लिये एक विधान बनाकर एक व्यवस्था डेवलॅप किये जाने की आवश्यकता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ-साथ नाथ नगर के गांधी आश्रम और हैंसर बाजार विकास खण्ड के गांधी आश्रम, जहाँ पर गन्दगी का अम्बार पड़ा रहता है, उसको सुव्यवस्थित कराकर वहाँ पर व्यवहारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जहाँ 7 घंटे दिन में और 7 घंटे रात में बिजली आती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में उदाहरण पेश किया जाता है। आज 18 से 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया करा रही है। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा कि लोहरैया में जहाँ पर वोल्टेज की थोड़ी-सी समस्या है, हम चाहेंगे कि वहाँ पर विद्युत की समुचित व्यवस्था हेतु एक नया विद्युत घर बनाया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष के नेतागण कल संघ के ऊपर कमेन्ट कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वह है जहाँ जीवन के बारे में, राष्ट्र के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। जहाँ विश्व के कल्याण की कल्पना लेकर चला जाता है। संघ से निकले हुये मा0 नरेन्द्र मोदी जी हैं, संघ से निकले हुये तमाम ऐसे वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम करने वाले लोग हैं, जहाँ यह बताया जाता है कि देश चलाने के लिये जीवन को जलाना अवश्य पड़ता है। जिस प्रकार से घर चलाने के लिये दीपक जलाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से देश चलाने के लिये, समाज चलाने के लिये जीवन जलाना पड़ता है। तमाम ऐसे सैकड़ों, हजारों लोग हैं उदाहरण हैं जिन लोगों ने, जीवन को दान देकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, संघ में अपने जीवन को समर्पित करके इस देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है और इस देश में एक नया आयाम खड़ा करने का काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राम पर अगर कोई कटाक्ष करेगा तो यह कतई ठीक नहीं होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदया आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्रीराम।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक की साधारण चर्चा में दल के अनुसार बोलने की मांग

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, धन्यवाद। मा0 विवेकानन्द पाण्डेय जी।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता जी, आप उधर के लोगों से ही बुलवा रही हैं, यह क्या बात हुयी। आप उधर के लोगों से ही बुलवा लीजिये, हम चले जाते हैं। आप ही नियम बना रही हैं और आप ही तोड़ रही हैं।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कई अन्य सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य मैं क्रम से ही बुलवा रही हूँ। मा0 सदस्य विवेकानन्द पाण्डेय जी निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल से हैं।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अधिष्ठाता जी, उधर से 03 और इधर से 02 मा0 सदस्यों का तय हुआ था।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता जी, अगर आपको हाउस नहीं चलाना है तो हम चले जाते हैं, मगर इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, अगर आप व्यवस्थित तरीके से हाउस नहीं चलाना चाहती हैं तो हम लोग चले जाते हैं।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अगर आपको हाउस नहीं चलाना है तो फिर हम चले जाते हैं। आप अकेले हाउस चलाते रहिए, हम चले जाते हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अगर आप व्यवस्थित हाउस नहीं चलाना चाहती हैं, तो फिर हम लोग जाएं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, मा0 सदस्य श्री गणेश चन्द्र जी के पिता जी आए थे, इसलिए वह पहले बोलना चाह रहे थे जिसको लेकर मैंने सदन से आग्रह किया था। मा0 सदस्य श्री विवेकानंद जी निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल के हैं, यह बोल लें इसके बाद आपका नम्बर है।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने लोगों से 20-20 मिनट बुलवाया है।

श्री अधिष्ठाता-

20 मिनट कोई भी नहीं बोला है, मा0 सदस्य 17 मिनट बोले हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, 20 मिनट बोला गया है, आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें और चाचा 15 मिनट ही बोले हैं।

श्री अधिष्ठाता-

सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी सीट पर बैठ जायें।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आप पहले इधर से बुलवायें।

श्री अधिष्ठाता-

इनके बाद आपका ही नम्बर है।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने पहले यह कहा था कि यह मा0 सदस्य कहीं जा रहे हैं और इनको 3 बजे से पहले-पहले बुलवा दीजिए।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इनको बाद में बुलवा लीजिएगा, पहले उधर से दो लोगों को बुलवा लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अब पूरी बात हो गयी है, अब आराम से और हंसकर बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, पर केवल 7 मिनट ही बोलना है।

श्री इकबाल महमूद-

नहीं मान्यवर, हमें भी 20 मिनट मिलने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

20 मिनट नहीं, 7 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा।

***श्री इकबाल महमूद-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जितने लोग सदन में बैठे हैं यह सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया है उसके आधार पर बैठे हैं। इस संविधान में जनता के द्वारा सरकार को चुनने के लिए कहा गया है। यह इसलिए किया गया है कि वह हर व्यक्ति जो इलेक्शन में भाग लेना चाहे वह सारे समुदायों के पास जाकर अपना वोट मांगे। मगर आज उसके विपरीत काम हो रहा है। 2014 से इस देश का, इस प्रदेश का परिदृश्य बदल गया है। यहां पर किसी विकास की बात या किसी काम की बात या फिर किसान की बात, मजदूर की बात, नौजवान की बात, विद्यार्थी की बात नहीं होती है, यहां पर सिर्फ आपस में लड़ाने की और अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात होती है। हम धर्म के विरोधी नहीं हैं। जिस तरह से हम अल्लाह को मानते हैं, उसी तरह से हम अन्य मजहब को भी मानते हैं और उनका आदर, सम्मान करते हैं। अयोध्या भी उसमें शामिल है। अयोध्या के अन्दर राम मन्दिर बना तो इसमें किसी का रोल नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। हमसे पूछा गया कि निर्णय आने वाला है आप क्या करेंगे ? हमारे उलेमाओं और हमारे साथियों ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। और उसी की बिना पर एक भी अल्फाज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अन्दर इस मन्दिर को बनाने के खिलाफ नहीं उठी। हम विरोध नहीं करते। मगर इन लोगों की राजनीति हमारे ऊपर ही चलती है। जितना ये अल्पसंख्यकों का विरोध कर लेंगे उतना ही इनका वोट बढ़ जायेगा। राम मन्दिर बना है, जाइये भाई। पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए आपका हक है। मगर हमें क्यों चिढ़ाते हैं। हमने कहीं विरोध किया। आप हमें उकसाते हैं कि विरोध करो। हमें चिढ़ाते हैं कि विरोध करो। हमारा धर्म इस तरह से नहीं फैला है। हमने वर्षों झेला है। अब भी झेल लेंगे। 30-40 साल कांग्रेस की सरकार रही। आप भी कर लीजिए। हम तो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे और यही जियेंगे। हमारा हक है यहां रहना। हम रहेंगे। बर्बाद कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। मगर हम यहां रहेंगे। क्या हो रहा है, इस देश के अन्दर। उत्तरांचल में चले जाइये हल्द्वानी के अन्दर क्या हो रहा है ? अपने वोट बढ़ाने हैं तो काम करके दिखाइये। काम पर वोट लीजिए। देश के अन्दर घृणा की राजनीति बन्द कीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त रहें।

श्री इकबाल महमूद-

अधिष्ठाता महोदया, इसमें बहुत सारे विधायक हैं, जो बिना मुसलमानों के वोट दिये नहीं जीते होंगे। उन्हें भी मुसलमानों के वोट मिले होंगे। मगर हमारा कोई एहसान नहीं है। फिर कोरोना आ गया। कोरोना चाइना से आया। इसमें भी हमें जोड़ दिया कि जमात वालों ने किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौलाना साद साहब ने किया। मौलाना साद साहब जो हमारे बहुत बड़े उलमा हैं, आलिम हैं। उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 लिखा दी गयी। उन लोगों को जो लोग चाइना से आये, विदेशों से आये, इस देश के अन्दर उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ। ऐसे ही चला गया। यह घृणा की राजनीति बन्द करिये। काम की बात करिये। इस देश के अन्दर हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं। प्यार से रह रहे हैं। 2014 तक क्या था ? आज आप वहाँ बैठे हैं और आधे लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी से, बहुजन से वहाँ गये होंगे और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वहाँ से यहां आये होंगे। आप राजनीति में हैं तो राजनीति के हिसाब से राजनीति मत करिये। करें मगर किसी को चिढ़ाकर, किसी को सताकर, किसी को मारकर, उनके घरों को गिराकर वोट लेंगे। आप लोगों को खुश कर रहे हैं। जिस आदमी के लिए हमने यह सोचा था कि वह इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बनेगा वह एक योगी है, इन्साफ करेगा। हम खुश थे इस बात से मगर उन्होंने भी इन्तहां कर दी।

अभी हमारी बहन बोल रहीं थी कि सुल्ताना को भी, रुकसाना को भी सबको दिया। आप नियम बना दीजिए कि मुसलमानों को कुछ भी देना ही नहीं है। हमें जो दिया है वह एहसान नहीं है। वह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उस संविधान के हिसाब से हमें मिल रहा है। आपका कोई एहसान नहीं है। अगर आपका एहसान होता तो हमारी लैंग्वेज उर्दू को कैसे खत्म करने का प्रयास आप कर रहे हैं। हमारे संस्थान हज कमेटी हो या वक्फ बोर्ड हो, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका ? एक बात मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि हम खत्म नहीं होंगे। हम खत्म नहीं हो सकते। परेशान जरूर हो सकते हैं। आप हमें परेशान तो कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते। हम आपको यह भी बताते हैं कि कभी हम भी ताकत में आये तो हम आपसे कोई बदला भी नहीं लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या भी रख लीजिए।

श्री इकबाल महमूद-

अधिष्ठाता महोदया, अभी 6 मिनट हुआ है। हमने कौन सी बात बोली। आपने विश्वविद्यालय बनाया तो बहुत अच्छी बात की। बच्चे पढ़ेंगे। अपनी बात बतायें। राम-राम करने को कोई मना कर रहा है। आपको स्वर्ग में जाना है तो राम-राम तो करना पड़ेगा।

राम-राम करने को कोई मना कर रहा है। आपको स्वर्ग में जाना है तो राम-राम तो करना पड़ेगा और नर्क में जाना है तो हमारी मुखालपत करनी पड़ेगी। यह हिन्दुस्तान है यहां सभी फूलों की तरह हैं इस गुलदस्ते के अन्दर तरह-तरह के फूल हैं अगर इसको जोड़कर चलेंगे तो कितना खुबसूरत लगेगा। मैं कोई घृणा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ मोहब्बत को पैदा करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके परिवार में कोई मर गया है तो हमको शरीक होना चाहिए अगर हमारे यहां कोई मर गया है तो आपको शरीक होना चाहिए।

आप उस चीज को यहां लाकर वोट बढ़ाने की बात मत किया करो। आप रिश्ता तोड़ रहे हो। जिस पेड़ पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। यह हिंदुस्तान है इसका संविधान है उसी के दायरे में चलिए। उस संविधान के अन्दर जो शक्तियां मिली हैं उसका प्रयोग करिये या यही शक्ति मिली है कि मुसलमानों का विरोध करो और वोट ले लो यह कब तक चलाओगे इसका भी तो कोई समय हो 5-10-20 साल उसके बाद क्या मिलेगा। नफरत मत फैलाओ प्यार बाँटो और प्यार से ही यह देश आगे बढ़ेगा। प्यार बाँटो प्यार से ही सब कुछ मिलेगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

अधिष्ठाता महोदया, आपने हमें साधारण बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया हम आपके बहुत आभारी हैं। सदन में दो दिन से चर्चा साधारण बजट पर सत्ता द्वारा तथा विपक्ष के हमारे साथियों के द्वारा हो रही है। इस सदन में पूरे उत्तर प्रदेश से अपनी-अपनी विधान सभा क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, और निश्चित तौर पर कई साथी कई मजहब हैं, कई समुदाय धर्म से जुड़े हुए है। हमें चाहिए इस कानून के मंदिर में कोई भी आदमी किसी की भावनाओं पर ठेस न पहुँचायें पिछली बार के बजट में भी हमने कहा था कि यह बजट उसी तरीके से है जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। आज पुनः एक बार वर्ष 2024-25 का जो बजट रखा गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के विचारों का एक दस्तावेज है और अगर यह समावेशी बजट होता और विकास की बात होती तो निश्चित तौर प्रशंसा करते पर हम लोग यहां कोई विरोध करने नहीं आये हैं निश्चित तौर पर इधर के लोग भी बजट की तारीफ करते अगर यह समावेशी बजट होता कमजोरों के लिए बजट होता, हमारी महिलाओं के लिए बजट होता, कमजोर वर्गों के लिए बजट होता कि जो पिछले कई समायान्तर से जनता उपेक्षाओं का शिकार हुई है उनके लिए कोई विशेष योजना चलाकर के प्रदेश में तो जनता को भी जीने का सही तरह से अवसर मिल जाता। इस बजट में न तो नौजवानों के लिए कोई स्थायी रोजगार की व्यवस्था की गयी है न उन कमजोर वर्गों के लिए कोई व्यवस्था न छात्रों के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का कोई कालेज नहीं है। हम फिर से एक बार यह कह सकते हैं कि यह बजट दिशाहीन बजट है इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे साथियों ने लगातार इस बजट को व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया लेकिन बजट पूरे प्रदेश के लिए बजट ही है। कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश में सत्ता पक्ष के साथियों को त्वरित विकास के अन्तर्गत कई-कई सड़कें दी गयीं जब जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार यह व्यवहार करती हो और सरकार हमारी भी है यदि आप मंत्री हैं तो मेरे भी मंत्री हैं पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के साथियों का विकास रोका जा रहा है।

हमारे सत्तापक्ष के साथी जोर-शोर से कहते हैं कि हमारा बजट बहुत अच्छा है और पूरे प्रदेश का चहुँ ओर विकास हो रहा है, लेकिन अंत में वह कह देते हैं कि मेरी विधान सभा

क्षेत्र में यह सड़क नहीं बनी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में यह मेडिकल कालेज नहीं बना, मेरी विधान सभा क्षेत्र में यह महाविद्यालय नहीं बना। वास्तव में हमारे विपक्ष के साथियों को यह सब कहना चाहिये क्योंकि सरकार आपकी है, पूरे प्रदेश में चारों ओर विकास हो रहा है। मिड-डे-मील बहुत बड़ी योजना है जिसमें पांच-दस साल से बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और कायाकल्प की बात हो रही है, लेकिन कायाकल्प ऐसा हो रहा है कि एक रसोइये का मानदेय पांच से सात साल बीतने के बाद भी नहीं बढ़ाया गया है। मनरेगा का मजदूर उस गरीब तबके का व्यक्ति है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है तो अगर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय को देखते हुए उस मनरेगा मजदूर की मजदूरी अगर 400 रुपया की जाती तो निश्चित तौर पर आज धन्यवाद ज्ञापित करते और कहते कि यह बजट कमजोर वर्ग को देखते हुए बनाया गया है। उस मजदूर को आज 202 रुपये मिल रहे हैं जितने में दो टाइम की रोटी-सब्जी भी नहीं आती है। आज कहा जा रहा है पूरे प्रदेश में सबका चहुँमुखी विकास हो रहा है। आज झूठे आँकड़े प्रस्तुत करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

मैंने पढ़ा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 2.4 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में एक कान्स्टेबिल भर्ती आई जिसमें पद 60000 हैं लेकिन उसमें 4500000 आवेदन आये हैं। बात यह नहीं है कि आप उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, लेकिन आप देखिये कि प्रदेश का नौजवान किधर जा रहा है। हम सबके सब प्रदेश का विकास करने के लिए आये हैं, हम किसी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए नहीं आये हैं, हम किसी का विरोध करने के लिए नहीं आये हैं, अगर प्रदेश में भरथना विधान सभा क्षेत्र आती है तो प्रदेश में और विधान सभा क्षेत्र भी आती हैं। आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे या जब-जब चुनाव होता होगा तब-तब जाते होंगे और प्रदेश की जनता आपको यहां से सुनती है और जब आप नफरत और घृणा की बात करते हैं तो वह जनता आपको जवाब देगी। यह दम्भ और घमण्ड बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। यह न तो मेरे लिए ठीक है और न ही आपके लिए ठीक है। अगर प्रदेश का विकास होगा तो निश्चित तौर पर आपकी तारीफ होगी। विरोधी कितना भी बड़ा हो, यदि अच्छे काम होंगे तो हमको आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। जब आप केवल प्रदेश को बांट रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, मजहब को बांट रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि सब लोग अपने-अपने इष्ट और देवता की पूजा करते हैं और सब उनके अनुयायी हैं।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की बात कर रहा हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र में आता है और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण वहाँ पर छात्र-छात्राओं को बहुत कठिनाई होती है। हमारे यहां पर पाँच नदियों का संगम है और अगर यहां पर पचनद बना दिया जाये तो बुन्देलखण्ड की प्यास वहाँ से बुझ जायेगी और बिजली का भी उत्पादन होगा। पानी से नहरें लबालब हो जायेंगी। नदियों के किनारे तटबंध नहीं बने हैं जिसके कारण वहाँ पर हर साल जब बाढ़ आती है तो किसान भूमिहीन हो जाते

हैं। महेबा, चकरनगर और बसरेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है और मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसे नगर पंचायत का दर्जा देने का काम किया जाये। हमारा विधान सभा क्षेत्र कई विकास खण्डों में बंटा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहां के इकदिल को विकास खण्ड का दर्जा दिया जाये। आप कहते हैं कि हम किसान की आय को दोगुनी कर देंगे लेकिन आवारा पशुओं से हमारा किसान परेशान है, मंहगी खाद से परेशान, महँगे कीटनाशक से परेशान, महँगे बीज से परेशान है। प्रदेश में चारों तरफ जो वाहवाही लूटी जा रही है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लखनऊ और कानपुर के चौराहे पर जितने मेट्रो शहर हैं वहाँ पर नौनिहाल बच्चे भीख मांगते मिलते हैं, क्या यही रामराज्य की परिकल्पना है। उस चौराहे पर जिस दिन भिखारी आने बन्द हो जायेंगे और जिस दिन प्रदेश का बाल श्रम बन्द हो जायेगा हम मान लेंगे कि प्रदेश विकास की ओर जा रहा है। हम सब देखते हैं कि हर चौराहे पर छोटे-छोटे बच्चे शीशा साफ करते हैं और भीख मांगने का काम करते हैं क्या यह आपको नहीं दिखता है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप बैठ जाईये। अब मैं माननीय विवेकानन्द जी को बुला रही हूँ।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। यशस्वी वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा लगभग 7 लाख 36 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। यह बजट रामराज की स्थापना और अयोध्या में भगवान राम नये, दिव्य एवं भव्य मन्दिर में विराजमान हुए, रामराज का बजट उत्तर प्रदेश को समर्पित हुआ है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास के नारे का चरितार्थ करते हुए, हर क्षेत्र के विकास के लिए बजट दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह हर क्षेत्र के लिए है। सड़क के सुधार के लिए, गाँव की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए, गाँव की तीन मीटर की सड़क को पांच या सात मीटर तक चौड़ीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बजट दिया गया है। जिस प्रकार पिछले बजट के द्वारा प्रदेश की अनेक प्रकार की सड़कों का कायाकल्प किया गया है और सड़कों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य किया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए, जो वर्ष 2012 से पहले के बने हुए विद्यालय हैं जो जर्जर हो चुके हैं जिनका निर्माण कार्य अच्छा नहीं हुआ है, उन विद्यालयों को अलग से बजट देकर उत्तर प्रदेश सरकार

ने सराहनीय कार्य किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 75 जिलों के विकास के लिए बजट दिया है। इससे हमारे प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बिजली के क्षेत्र में गांव-गाँव में विद्युत तारें बदली जा रही हैं, पुराने जर्जर तार बदले जा रहे हैं, पोल बदले जा रहे हैं, गाँव के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, बिजली घर की क्षमता बढ़ रही है। इसके लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। हमारे नगर की जो सड़कें हैं, हमारी सरकार के द्वारा नगर पंचायतों को नवसृजित नगर पंचायत घोषित किया गया है। उन नगर पंचायतों को एकमुश्त लगभग 4 करोड़ रुपये से अधिक बजट देकर, चाहे वह जल निकासी की मद हो या शुद्ध पेयजल की मद हो या पोखरों एवं तालाबों का सुन्दरीकरण करना हो या पार्क का सुन्दरीकरण करना हो। इन सभी मदों के लिए सरकार ने इस बजट में प्राविधान किया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों के 20 रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान बढ़ाकर किसान कल्याणकारी कार्यक्रम चलाकर कुशीनगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूज्य योगी जी की सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है। सुरक्षा के क्षेत्र से लेकर पुलिस व्यवस्था को हाईटेक करने के लिए, सभी जिलों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों को अपडेट करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 75 जिलों में डायलिसिस की सुविधा प्रारम्भ हो गयी है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नगर विकास का क्षेत्र हो, लोक निर्माण विभाग हो, मण्डी परिषद हो, उड्डयन विभाग हो। हमारी सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से प्रत्येक पर्यटन स्थल को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करने के लिए अलग से बजट में प्राविधान किया है।

औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए बजट में प्राविधान किया गया है, औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह निश्चित रूप से प्रदेश के लिए हितकारी है। मैं दो दिनों से पी0डी0ए0 के बारे में सुन रहा हूँ। इसलिए मैं पी0डी0ए0 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि आपकी नजर में पी0डी0ए0 क्या है। विपक्ष के लोग कई बार पी0डी0ए0 का जिक्र कर चुके हैं। आप कम्प्यूटर पर मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष सर्च कीजिए और वहाँ पर देख लीजिए। मेरी विधान सभा क्षेत्र में मार्च में दो वर्ष पूरा होने जा रहा है, मैने लगभग 350-400 लोगों को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाई है। उसमें आप देंखेगे तो 350 में से 310-320 लोग पी0डी0ए0 में आने वाले लोग हैं।

यही योगी जी और मोदी जी की सरकार की देन है। गाँव में जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, नगर में जो मुख्य मंत्री आवास मिल रहे है उसमें जाइए पी0डी0ए0 देखिए, उसमें आपको पी0डी0ए0 देखने को मिलेगा। किसान खेत में काम कर रहा था, आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई थी, अभी चार महीने पहले हमारे विधान सभा क्षेत्र में घटना हुई थी, दो अल्पसंख्यक समाज के लोग और दो दलित समाज के लोग, चारों लोगों को 24 घंटे के अंदर में 05 लाख रुपये देने का काम किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी

आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिला यही पी0डी0ए0 है। पी0डी0ए0 देखना है तो नगरों का जो विकास हो रहा है, नगर पंचायत में जो चेयरमैन हुए हैं, चार करोड़ रुपया स्पेशल अन्य मद में, जल निकासी के मद में, पार्क के डेवलपमेंट के मद में, कुएं और तालाब के सुन्दरीकरण के मद में, आवास योजना में डूडा के माध्यम से मिल रहा है। जिस पी0डी0ए0 के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग चेयरमैन हैं, उनके क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश का खजाना खुला हुआ है। पी0डी0ए0 का मतलब यह नहीं हुआ कि एक परिवार की बात करें, पी0डी0ए0 का मतलब हुआ कि पूरे प्रदेश का विकास करें और हमारी सरकार का ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग उस क्षेत्र में काम कर रहा है। बिजली का ट्रांसफार्मर किसी गाँव में बदला जा रहा है, बिजली के तार और पोल बदले जा रहे हैं, 24 घंटे के अन्दर क्षमतावृद्धि की जा रही है, नये बिजलीघर की स्थापना हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, अब आप समाप्त करिए, 07 मिनट पूरे हो गये हैं। मा0 विधायक श्री रामचंद्र यादव जी आप बोलिए।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, इस बजट पर बल देता हूँ। मेरे क्षेत्र में विकास व्यापक हुआ है उसी क्षेत्र में कुछ और विकास हो जाये। हमारे क्षेत्र की विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाये क्योंकि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, बिहार और नेपाल के बार्डर का क्षेत्र है। उसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र में नदीपार कॉलेज को इण्टर कॉलेज का दर्जा दिया जाये और पूर्व की सरकार में बनाये गये दीन दयाल विद्यालय को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है उसे भी अपग्रेड किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

इनका माइक बन्द कर दीजिए। रामचन्द्र यादव जी आप बोलिए।

***श्री रामचन्द्र यादव-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का यह योगी सरकार का आठवां लोकमंगल को समर्पित अन्नदाता से लेकर विधाता तक को समर्पित यह बजट जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया। मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं अयोध्या की रूदौली विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। हमारी अयोध्या जिसे सदियों से उपेक्षित दृष्टि से देखा गया। आजादी के बाद की सरकारों ने जिस अयोध्या को विवाद का एक विषय बनाकर रखा था, आज उस अयोध्या को सजाने-संवारने के लिए उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेने के बाद से लेकर अब तक एक शतक से ज्यादा विकास योजनाओं, जितनी भी गाँव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीब की योजनाएं हैं, पूरी अयोध्या को सजाने-संवारने के लिए, बैठकें करके जो काम दो वर्ष में हो सकता था उसे स्वतः देखकर एक वर्ष में पूरा करने का काम किया। आज मैं पूरे सदन की तरफ से उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अयोध्या को सजाने-संवारने के लिए काम किया। एक अयोध्या को विक्रमादित्य जी ने बसाया था और आज की अयोध्या को उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी ने सजाने-संवारने और बसाने का जो एक अनूठा काम किया है।

आज अयोध्यावासी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रुदौली में उत्तर प्रदेश सरकार का वह बजट जो शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित हुआ, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरकार में जो भारत के प्रधानमंत्री का सपना, देश को संवारने वाले मजदूरों के लिए है। हमारे मजदूरों के बच्चे कैसे डाक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके लिए अटल आवासीय कालेज जैसा एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया। आज निश्चित रूप से हम सभी अयोध्यावासी उस अटल आवासीय कालेज के बन जाने के बाद जहाँ पर एक हजार छात्र-छात्राओं को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ही आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की स्थापना, जहाँ पर अयोध्या के साथ-साथ पूरे प्रदेश के युवाओं को पढ़ने के लिए, वह पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा में बैठें, वह डाक्टर बन सकते हैं, ऐसा इन्तजाम आज अयोध्या की धरती पर हुआ है। महर्षि वाल्मीकि के नाम से जिस हवाई अड्डे का शुभारम्भ देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 30 दिसम्बर को किया। मैं गर्व से कह सकता हूँ, आज पूरी अयोध्या की धरती से, अयोध्या की सीमा में रहने वाले छात्र, विद्यार्थी, नौजवान, वहाँ के किसान, व्यापारी, आज बड़ी सुगमता से देश और विदेश की यात्रा कर रहे हैं।

आज उस अयोध्या की सीमा में जितने भी रेलवे स्टेशन थे, उन सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना दिया है। आज नव्य अयोध्या का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बना है और लखनऊ से अयोध्या तक की रेलवे लाइन का दोहरीकरण करके एक तरफ रेलवे की यात्रा को सुगम बनाने का काम किया गया है और दूसरी तरफ हवाई यात्रा से अयोध्या को जोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से आज अयोध्या की गरिमा और महिमा बढ़ी है। 22 जनवरी को हम सभी लोग साक्षी थे, वहाँ पर उपस्थित देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में जब प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा था, दुनिया गवाह बन रही थी। अयोध्या की गलियों में, अयोध्या के गाँवों में, मोहल्लों में देव दीपावली जैसा त्योहार मनाया जा रहा था। आज निश्चित रूप से एक क्षेत्र में नहीं, अभी रामायणकालीन तमसा नदी जिसकी लम्बाई 151 किमी0 है, जिसका उद्गम स्थल हमारे विधान सभा क्षेत्र में बसोढ़ी से है। उस 151 किमी0 नदी को पूरी तरह से उसका स्वरूप जैसा था, उसी रूप में करने के लिए, जिस नदी के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम वन जाते समय जब पहली यात्रा की शुरुआत

किए थे- 'प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसरि तीर, न्याहि रहे जल पानि करि, सीय समेत दोउ बीर।' ऐसा तुलसी दास जी ने लिखा है।

आज उस रामायणकालीन तमसा नदी के पुनर्जीवित होने के साथ-साथ, चाहे वह माण्डवी ऋषि हों, चाहे गौतम ऋषि हों, चाहे उस नदी के किनारे हमारे जितने भी ऋषि-मुनियों ने तपस्या की, चाहे वह श्रवण जी का आश्रम हो, आज उस सब पर विकास का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ और पूरे अयोध्या को पर्यटकों के लिए सजाया गया, सँवारा गया। आज अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा, चौदह कोसी परिक्रमा, पंच कोसी परिक्रमा, इन सभी तरह के कामों को करने के बाद माँ कामाख्या धाम जो अयोध्या में देवी स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान है, आज उस स्थान को भी नगर पंचायत का दर्जा दे करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पार्क वहाँ पर स्वीकृत कर दिया। आज पूरे देश और प्रदेश के पर्यटक पूरी अयोध्या में नन्दी ग्राम भी देख रहे हैं, भरत जी की तपोस्थली का भी विकास हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, समय हो गया है।

श्री रामचन्द्र यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा नम्बर सबसे पहले था।

मैं अन्त में अपने पूरे अयोध्या की तरक्की और विकास के लिए जिस तरीके का उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट में प्रावधान है, मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और अपने क्षेत्र के दो-तीन विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए निश्चित रूप से जब अयोध्या जाने वाले और आने वाले श्रद्धालुओं को हम देखते हैं तो अभी मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुशहरी गाँव पंचायत में ट्रामा सेण्टर का एक प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हो जाने से, जितने भी दुर्घटना से घायल लोग हैं उनका ट्रीटमेण्ट तुरन्त हो सकेगा, यह हमारा प्रस्ताव विचाराधीन है, दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता किसानों की है, सरयू के किनारे हमारे किसानों की एक बहुत बड़ी बस्ती है, जहां पर रौनाही तटबन्ध पर पम्पिंग स्टेशन की स्थापना है।

श्री नन्द किशोर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मा0 रामचन्द्र यादव जी की जो बात अयोध्या के सम्बन्ध में चली है, अब तो इस बार चर्चा राम मय हुई है और मैंने भी अयोध्या जी में जाकर के देखा कि जितना उन्होंने बताया है उससे कहीं ज्यादा वहाँ का विकास हुआ है उनकी बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए, आज अभी एक साथी समाजवादी पार्टी के बहुत देर से भाषण दे रहे थे ऐसा लगा कि डिबेट का माहौल हुआ है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, कभी किसी पर हमला नहीं करते और हम तो उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि मेरा ही नहीं, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति का मानना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम गिने-चुने हो

सकते हैं 2 सौ, 4 सौ परिवार हो सकते हैं मैक्सिमम, सारे के सारे हिन्दू ही हैं। लगभग तीन लाख से ज्यादा के आंकड़े हैं, हमारी बहन-बेटियों के साथ दुराचार हुआ, बलात्कार हुए हमारे घरों को लूटा गया, कत्लेआम हुए। मेरे यहां तैमूर लंग ने लगभग सवा लाख लोगों का कत्लेआम किया लौनी में, हालांकि वीरांगना राम प्यारी गूजरी के भाले से घायल हुआ और उसकी मौत हुई, जो प्रकृति का कोप कहा गया है, लेकिन इसी तरह से पूरे देश में विध्वंस हुए, धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश जो कि अवतारों की भूमि है, तो यदि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर प्रस्ताव आ जाए, समाजवादी पार्टी यह प्रस्ताव दे कि भगवान श्री कृष्ण भूमि का जो विवाद है वह मिलकर के पहल करें कि वह बनना चाहिए, अगर वहाँ पर गुम्बद को हटा दें तो जितना भी प्राचीन स्वरूप है वह स्पष्ट मंदिर दिखाई देगा, उसी तरह काशी जी में भी लगभग काम हो ही चुका है, पूजा शुरू हो गई है, अगर इन चीजों को वह मान लें तो सनातन धर्म एवं भाजपा के लोग कहीं भेद-भाव नहीं करते इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मा0 नरेन्द्र भाई मोदी जी ने माना है वह कभी बांटने की बात नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वह 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। छः बच्चों के परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ जो पांच लाख रुपए तक का इलाज यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। स्वास्थ्य की उस पर तो हमारे ही लोग कई बार कहते हैं कि उसमें अल्पसंख्यक समाज का ज्यादा फायदा है, लेकिन मा0 प्रधानमंत्री और मा0 मुख्य मंत्री जी इस चीज को नहीं देखते जिस तरह से भगवान श्रीराम का जो भव्य और दिव्य मन्दिर बना है, उससे केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सउदी अरब में भी हमारे सन्त गए, जहां से मूल माना जाता है इस्लाम का। उन्होंने इतना भव्य स्वागत किया और राम-राम कर रहे हैं तो जब सब राम का ही है उसके बाद भी समाजवादी साथी यहाँ पर विरोध कर रहे थे तो यह बड़ा शर्मनाक है और हमें उम्मीद है कि आज जो बात उधर से चली है उन लोगों ने स्वीकार किया फारूख अब्दुल्ला भी राम का भजन गा रहे हैं, हमारे सहारनपुर वाले मसूद काजी बन्धु कह रहे हैं तो जब पूरा देश कह रहा है और जो सामने बैठे हैं कोई त्यागी समाज से है, कोई गुर्जर है और कोई राजपूत है जितनी भी तमाम जातियाँ भारत की हैं सबके साथ कत्लेआम करके और ज्यादातर लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम हुआ है तो हम उन लोगों को अलग नहीं मानते हैं वह लोग भगवान को मानते हैं तो इसमें जब समाजवादी पार्टी के लोग यह प्रस्ताव कर दें तो मुझे लगता है कि देश में एक साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल तब ही बन सकता है। इसका निर्णय आना ही है और निर्णय आएगा ही कोर्ट का खर्च होता है और सब राम को मानने वाले ही हैं कोई राम से अलग नहीं है मेरे यहां साठा चौरासी में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। देहरा गाँव टोटल मुसलमानों का है। भगवान राम तो बहुत पहले हुए, इस्लाम से भी पहले हुए और सारी दुनिया उन्हें मान रही है तो यदि समाजवादी पार्टी कर दे तो यह बड़ा काम होगा और इस बात पर अभी भी जो कहते हैं कि हम लोग मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं यह कभी झगड़ा ही नहीं होगा। नहीं तो ताजमहल

चले जाइये भगवान महादेव का मंदिर है, उसको तोड़ के बना दिया गुम्बद और लाल किला सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज मिनार भी उनके नाम से है उसमें कुतुबमीनार बना दी। ऐसे ही तमाम जगह हैं तो विवाद की जड़ को जिस तरह सरदार पटेल जी ने सोमनाथ में समाप्त किया था। मुझे उम्मीद है और मैं बधाई देता हूँ समाजवादी पार्टी के साथियों को कि आप लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगे क्योंकि वह यदुवंश शिरोमणि थे और जहाँ यदुवंश तक बात आती है गायों के ऊपर, उनके कटने पर कई बार सवाल उठाया जाता है। पूरे पश्चिम की हालत आपने देखी होगी गायों को कटवाया जाता था तो गाय मिलती कहाँ से आज गाय बची है जिससे किसानों की आमदनी तीन गुनी हुई है। आप देख लीजिए बारिश टाइम से हो रही है जिससे किसान को पानी नहीं देना पड़ रहा है। जहाँ गाय कटती है वहाँ जमीन बंजर हो जाती है स्वामी करपात्री जी महाराज पर 7 नवम्बर, 1966 को कांग्रेस सरकार में इंदिरा जी ने पुलिस से गोली चलवायी थी। पूरा परिवार तबाह हो गया गोकशी की वजह से वह सारी मौत गोपाष्टमी को हुई हैं यह आंकड़े गवाह हैं गाय कटती थी और उस समय उन्हें साउथ के ब्राह्मणों ने कहा प्रायश्चित के लिए लेकिन वह नहीं माने। अब भी रामलला के लिए वहाँ जिस तरह से हुआ, तमाम साधु संतों के साथ जो हुआ उस घटना का जिक्र नहीं करूँगा बहुत ही भयावह घटना थी जो सपा सरकार में कराया गया उसके लिए कांग्रेस ने नहीं माना इसलिए कांग्रेस समाप्त हो गई। विपक्ष रहना चाहिए हम भी चाहते हैं कि समाजवादी मजबूत विपक्ष के रूप में रहें, समाप्त न हों, तो अयोध्या में जो प्रकरण हुआ था उसके लिए वह माफी माँग लें, बात खत्म हो जाएगी और राम जन्म भूमि के लिए हमारे यहाँ जो प्रस्ताव आया था जिसने गलती की है वह भी माफी माँग ले तो मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का निराकरण पूरी तरह से हो सकता है। एक जो लगातार चीजें चल रही है उसमें मेरा कहना है मा0 अधिष्ठाता महोदय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। सरकारें किसकी रहीं उससे मतलब नहीं है लेकिन एक हाई कोर्ट की बेंच नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट हमारे यहाँ से नजदीक है। किसानों को गरीबों को सबको कोर्ट जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ एक मैसेज है कि पश्चिम के लोग बहुत अमीर हैं ऐसा नहीं है, जमीनें छूटी हुई हैं और तमाम केसेज् के लिए उन्हें जाना पड़ता है और कुछ चंद वकीलों के चक्कर में एक बहुत बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है।

मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर जननायक गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर और देश में राम मंदिर और देश को खड़ा करने के लिए आडवानी जी और अन्य सभी को जो भारतरत्न दिया गया है उसके लिए मुझे उम्मीद है कि वह समाज के लिये मील का पत्थर साबित हो रहा है इसी तरह से यह घोषणा भी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हैं। हाई कोर्ट बेंच का विषय बहुत गम्भीर है। अधिष्ठाता महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। एक हाई कोर्ट का होना बहुत जरूरी है दूसरा मेरी विधान सभा क्षेत्र में मेट्रो

का विस्तार होना जरूरी है। दिल्ली सहारनपुर रोड, एन0एच0आई0 और राज्य के बीच में जो फँसा हुआ है उसका पूरा होना जरूरी है। यह छोटा सा काम हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। दोबारा से मैं आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन, धन्यवाद करता हूँ समाजवादी पार्टी के साथी इस मामले को कल प्रस्ताव के रूप में जरूर लेकर आएंगे जिससे कि देश के अन्दर वास्तव में जो हम चाहते हैं, जो पार्टी चाहती है और जो मोदी जी चाहते हैं और जो पूरा देश चाहता है। मा0 अखिलेश जी बहुत प्रोग्रेसिव और पढ़े-लिखे नेता हैं हम उनका कल स्वागत करेंगे जब वह श्री कृष्ण जन्म भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव लेकर आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती रेखा वर्मा-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, 2024-25 के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, वह तो बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। इस बजट में गरीब किसान के फायदे की कोई भी बात नहीं कही गयी है। यह गरीब और किसान को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा महसूस होता है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे नेता जी धरतीपुत्र थे, इतने नेता आये लेकिन एक ही थे जो किसानों, गरीबों के मसीहा थे हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई सब मुफ्त की थी। उन्हीं की लड़ाई आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के महबूब नेता है। पी0डी0ए0 के जो अल्पसंख्यक और दलित नेता इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, हम सभी लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं।

मैं तो कहूँगी कि इधर और उधर वाले सब लोग एक साथ आवाज दें कि पी0डी0ए0 हम सब एक हैं, पी0डी0ए0 हम सब एक हैं। अखिलेश जी जब हमारे मुख्य मंत्री थे तब उनके कार्यकाल में हमारे प्रदेश का विकास हुआ, उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था और जो यह वर्तमान सरकार है वह खाली बस दोगुनी विकास की गति से कार्य कर रही है जिसमें इनके आधे कार्य पेपर पर रहते हैं और आधे कार्य धरातल पर होते हैं। जब प्रदेश के मुख्य मंत्री हमारे अखिलेश यादव जी थे तो उन्होंने लोक निर्माण कराये थे, इन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जैसे इनका बिल्कुल सत्य जाहिर होता है कि 'राम-राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना।' फीता काटकर यह साबित कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से कहा था इन्होंने कि वह काला धन वापस लायेंगे, उन्होंने नोट बंदी कर दी उस पर हम आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाना चाहते हैं एक बार एक भेड़ों का झुण्ड जा रहा था वहाँ से एक नेता निकले उन्होंने भेड़ों से कहा कि तुम सब लोगों को एक-एक स्वेटर फ्री में मिलेगा। सब भेड़ें बहुत खुश हुई और उछलने लगी लेकिन जो उसमें से एक समझदार भेड़ थी उसने कहा कि विचार करो ये स्वेटर मिलेगा कहां से? अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही ऊन से बनाकर हम लोगों को स्वेटर दे दिया जायेगा। तो आप देखें कि नोट बंदी में कितनी लम्बी-लम्बी लाइनें लगा दी गयी थी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। जिनके लिए मैं चन्द लाइनें कहना चाहूंगी कि 'मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है।' हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी, अखिलेश यादव जी का हौसला है कि वह प्रदेश और देश का विकास करेंगे।

मैं मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार को यही कहना चाहूंगी कि आपके कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं हो रहा है। गरीब किसान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सारा कागजी है, धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है और जिस समय आप लोग जय श्रीराम का नारा लगाते हैं तो आप सोचिए कि राम जी के हृदय की धड़कन थी सीता जी, राम जी की धड़कन बन्द हो जाती होगी। इसलिए आप लोग नारा लगाया करिये कि जय सियाराम, जय सियाराम जिससे कि हमारे रामचन्द्र जी के दिल की धड़कन वहीं की वहीं बनी रहे। जब आप लोग जय श्रीराम का नारा लगाते हैं तो उनके दिल की धड़कन वहीं रुकने लगती है, उनके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए हम लोग जय सियाराम, जय सियाराम कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में हम लोग कह रहे थे कि गो-बैक, गो-बैक। हम लोग गो-बैक का नारा क्यों लगा रहे थे ? इसलिए लगा रहे थे कि जब प्राण-प्रतिष्ठा हो रही थी तो एक जो हमारी राष्ट्रपति हैं किस समाज से आती हैं, उनको आपने आमंत्रित नहीं किया। आपने जब एक महिला का सम्मान नहीं किया, जब राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया, हम लोगों को वे सब बातें याद थीं इसीलिए हम लोग कह रहे थे, गो-बैक, गो-बैक। आपको बताना चाहती हूँ कि 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।' उसमें भी देखिये कि सीताराम एक साथ हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी हम लोगों के साथ नारा लगाया करिये, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सियाराम, जय सियाराम।

महोदया, इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताना चाहती हूँ कि 2017 के पहले जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे बिधुना में एक आई हास्पिटल जितना बन गया था, उतना ही निर्माण हुआ है। वहाँ पर न तो आज तक एक डाक्टर है और न ही स्टाफ आया है और न वहाँ कोई उपकरण आये हैं। वहाँ के हास्पिटल की दयनीय दशा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि उस पर ध्यान दिया जाये और साथ ही याकूबपुर को नगर पंचायत बनाने की मैंने माँग रखी थी क्योंकि वहाँ की आबादी इतनी है कि उसको नगर पंचायत बनाया जा सकता है। इसी के साथ मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने क्षेत्र की जनता को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे विधायक बनाकर यहाँ विधान सभा में भेजने का काम किया। अपने क्षेत्र की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय संविधान, जय संविधान, जय समाजवाद।

*श्री रविदास मेहरोत्रा-

महोदया, अभी जो बहुत लम्बा बजट सरकार ने पेश किया है। लेकिन पुराने बजट का 40 परसेण्ट भी खर्च नहीं हुआ है और 31 मार्च तक 50 परसेण्ट भी पिछला बजट खर्च नहीं होगा। इतना बड़ा जो बजट पेश किया गया है, जो गरीब लोग हैं, जो नाले के किनारे रहते हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनको यह आशा थी कि प्रदेश सरकार के इस बजट में उनका भी कुछ हिस्सा होगा, लेकिन जो लोग नाले के किनारे रहते हैं, यहाँ लखनऊ शहर में एक कुकरैल नाला है, 80 हजार लोग उस नाले के दोनों ओर रहते हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे नाले हैं, जिन नालों के दोनों ओर लोग रहते हैं। उनके लिए बजट में कहीं कुछ बात नहीं की गई है। जो मलिन बस्तियाँ हैं, उन मलिन बस्तियों को सुविधायें मिलें, इसके लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया है और उल्टा यह सरकार जो मलिन बस्तियाँ हैं, उनको उजाड़ने की कार्यवाही कर रही है। लखनऊ शहर में एक भीखमपुर बस्ती थी, उसको उजाड़ दिया गया और एक अकबरनगर बस्ती है, जहाँ 75 सालों से लोग रह रहे हैं, वहाँ रहते हुए उनकी चार पुश्तें बीत गई हैं। उनको उजाड़ने की कार्यवाहियाँ हो रही है। वह लोग कोर्ट जा करके और स्टे ले करके आने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बजट पेश किया गया, उसमें मुझे दो लाइन शायरी के माध्यम से कहनी है, 'तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आँकड़े झूठे हैं, ये दावे सारे किताबी हैं।' ये जो बड़ी-बड़ी घोषणायें की गई हैं, कई वक्ता बोल रहे थे कि पाँच इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं।

मान्यवर, ये इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन गरीब जो नाले के किनारे रहता है, झोपड़ी में रहता है, झुग्गी में रहता है, जो फुटपाथ पर ठेले लगाता है, उसके पैसे से बन रहे हैं और बाद में सारे के सारे एयरपोर्ट अडानी और अंबानी के हाथ में बेच दिये जायेंगे। लखनऊ का एयरपोर्ट जनता के पैसे से बहुत शानदार बनाया गया और बाद में उसे अडानी के हाथ बेचने का काम हुआ। आज देश के जो 01 परसेण्ट लोग हैं, उनके पास 75 परसेण्ट लोगों की सम्पत्ति पहुँच रही है। 75 परसेण्ट लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं और 01 परसेण्ट लोग जो अमीर हैं, वह और अधिक अमीर हो रहे हैं। बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, इनको कहीं कोई न्याय, अधिकार न मिल पाये।

मान्यवर, हम लोग इसलिए पी0डी0ए0 की बात करते हैं। पी0डी0ए0 में जो वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सामान्य जाति के निर्धन हैं, महिलायें हैं उनको उनका हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले, शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले और रोजगार मिले। भाजपा के लोग कहते हैं ये पी0डी0ए0 क्या है। हमारे डिप्टी सी0एम0 बहुत तेज बोल रहे थे, मैं वर्ष 2012 से 2017 तक यहाँ से विधायक था। वर्ष 2017 में किसी भूल से वह विधायक हो गये, 5 साल प्रदेश सरकार के मंत्री रहे। जिस दिन मेरा नाम घोषित हुआ उसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिन वह क्षेत्र छोड़ करके भाग गये, वह आज प्रदेश सरकार के डिप्टी सी0एम0 हैं। वह पी0डी0ए0 का फुल फार्म बता रहे थे। हमें एन0डी0ए0 का फुल फार्म बतायें। एन0डी0ए0 का फुल फार्म है नक्सली दंगाई एलाइंस। इस बार यह पी0डी0ए0 एन0डी0ए0 को हराने का काम करेगा। पूरे देश में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। अखिलेश यादव की अगुवाई में पूरे प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि 80 हरा, भाजपा हटा।

भारतीय जनता पार्टी मुख्य मद्दों से जनता का ध्यान बांट करके चुनाव जीतना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि जिनको बहुत सालों से न्याय नहीं मिला है, वंचित हैं, उनको उनका अधिकार मिले, सुविधायें मिलें लेकिन आज उनका हक छीनने का काम हो रहा है। मान्यवर, जो बजट लाया गया है उसमें समाज के जो शोषित, पीड़ित, गरीब लोग हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए कहीं कोई प्रयास करने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माँग करना चाहता हूँ कि जो मलिन बस्तियाँ हमारे लखनऊ शहर के अन्दर हैं उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक मिल जाये। जहाँ लखनऊ शहर में बहुत सारे नाले बहते हैं, उन नालों के दोनों ओर लोग रहते हैं, जब बरसात होती है तो नाले का पानी बाहर बहता है, वह पानी घरो के अन्दर चला जाता है, उन नालों को साफ करा करके, ढकवा करके, सड़क बना करके उस पर चलने की व्यवस्था कर दी जाये। जब हम लोगों की सरकार थी तब बहुत से नाले ढके गये और ढकने के बाद वहाँ पर रोड बनाने का काम हुआ था। मान्यवर, आज भी बड़े पैमाने पर एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 व सामान्य कोटे की नौकरियाँ खाली पड़ी हैं उनको जल्द भरा जाये। बी0टी0सी0 वर्ष 2004, 2007 व 2008 की नियुक्ति करके उनका परीक्षण करा दिया गया था लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं करायी गयी है, उनकी ज्वाइनिंग करायी जाये। जो अधिकारी सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार जांच करके कार्रवाई कराई जाये। ऐसे ही 69 हजार शिक्षक की भर्ती हुयी थी उसमें 6800 लोगों को भर्ती में नहीं लिया गया था जो सारे लोग दलित, पिछड़े वर्ग थे। वह पिछले काफी दिनों से ईको गार्डन में धरने पर बैठे हुये हैं। हम लोग वहाँ गये थे, शीतलहर में बहुत सारी हमारी बेटियाँ वहाँ धरने पर बैठी हुयी हैं यह न्याय मांगने के लिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों को नौकरियों में आरक्षण की जो बात कही गयी थी, उस आधार पर उनकी नौकरियाँ देने का काम हो। मान्यवर, जो भी जगह खाली पड़ी हुयी हैं, जो लोग वंचित हैं, उनको उन जगह पर भर्ती कराने का काम हो।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। स्वास्थ्य सेवायें पूर्ण रूप से चरमरा गयी हैं। यहाँ पर न दवा मिल रही है, न जांच हो रही है और जो लोकल परचेज

की पावर थी, जब हम लोगों की सरकार थी मैं मंत्री था, उस समय लोकल परचेज की पावर दी गयी थी। अब वह पावर खत्म कर दी गयी है। अब सी0एम0ओ0 और सी0एम0एस0 को दवा भेजने से पहले कुछ पूछते नहीं हैं। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस बजट के अन्दर जो संशोधन हम लोगों ने पेश किये हैं उसे जोड़ने का काम किया जाये।

***श्रीमती अलका सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं विधान सभा क्षेत्र संडीला पर आती हूँ और अपने आपको मा0 मुख्य मंत्री जी से सम्बद्ध करती हूँ। कल मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि विधान सभा सण्डीला में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने करोड़ों रुपए का एक औद्योगिक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। मैं सबसे पहले विधान सभा क्षेत्र सण्डीला की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार करोड़ों रुपए के औद्योगिक पार्क की स्वीकृति प्रदान करने के लिए व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि इस सदन में उठाये गये प्रत्येक सुझाव को गम्भीरतापूर्वक वह संज्ञान में लेंगे। निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी विधान सभा क्षेत्र सण्डीला को जिला घोषित करने की कृपा करें और उसके लिए सम्बन्धित को निर्देशित करें। विपक्ष के लोग अभी कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या किया तो यही सवाल मैं आप से भी करना चाहती हूँ कि आप तो कई वर्षों तक सरकार में थे तब आपने विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के लिए क्या किया। मेरी सरकार ने 2014 और 2017 में आने के बाद विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में करोड़ों रुपए का निवेश किया है। बर्जर सरीखी कम्पनियां जिन्होंने 1 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में और ये पूर्णतया लगभग स्वचालित हैं और जहां तक एशिया की सबसे बड़ी कम्पनी है। यही वह सण्डीला है जहां इससे पहले कम्पनियां आई थीं तो तथाकथित क्षेत्रीय पार्टी के जनप्रतिनिधि जाकर वसूली करते थे और हमारी सरकार आने के बाद उस पर लगाम लगी है, यह किया है माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने यह सुशासन दिया है। तमाम जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि हमारी सरकार भेद-भाव करती है, मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र सण्डीला का नगर सण्डीला है जहां पर पिछले 20 वर्षों से एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन विराजमान है।

माननीय विधायक अनुपमा जी ने कहा कि हमने सभी को दिया तो एक जनप्रतिनिधि बोले कि आप तो हमारा नाम ले रहे हैं, हमारा हक है। उसी तरह से इस देश में हिन्दुओं का भी हक है यदि कोई भी योजना आती है तो हिन्दुओं को भी उसका मिलना चाहिए। नगर सण्डीला में एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन है जिसे 20 वर्षों से लगातार हिन्दू वोट देते हैं लेकिन जब जन सुविधाओं की बात आती है तो उनको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वह हिन्दू हैं। वहाँ पर एक वार्ड है कहारन टोला, यहां निवास करने वाले कहार ओबीसी में आते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और बेहद आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जिस दिन मैं वहाँ गई लगभग 4-5 डिग्री टेम्प्रेचर था बाकी जगह अलाव जल रहा था लेकिन चूंकि वह गरीब है, कहार समाज का है इसलिए वहाँ अलाव नहीं जल रहा था। चूंकि पूर्व में यह धारणा लोगों में थी कि जनप्रतिनिधि आते नहीं हैं लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब मैं वहाँ गई तो वह लोग बहुत सरप्राइज थे कि हमारी विधायक हमारे साथ खड़ी हैं। मेरे आदेश के बाद वहाँ पर अलाव जलाया गया, यह किया है आपके लोगों ने। जनपद हरदोई के अन्तर्गत एक चेयरमैन जो एक क्षेत्रीय पार्टी की हैं वहाँ एक सफाई कर्मचारी जो कि दलित समाज से आता था, उस महिला के चरणों में अपना शीश वंदन कर रहा था ऐसा उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे बाद में तथाकथित लोगों ने मिल कर निपटा दिया कि ऐसा नहीं है जब कि वह उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित कर रही थीं। ये लोग बात करते हैं दलितों के हितों की, इसी नगर सण्डीला में वार्ड नम्बर-1 में तमाम ओबीसी समाज के लोग रहते हैं उनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन है इसलिए उनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय मैं विधायक नहीं थी मेरी ही विधान सभा क्षेत्र में नगर सण्डीला में करोड़ों रुपए दिये कि पानी की टंकी बन सके और पेयजल की समस्या समाप्त हो जाय लेकिन आपके तथाकथित जनप्रतिनिधि ने करोड़ों रुपए वापस कर दिये कि हिन्दुओं को पानी न मिल पाये, ये लोग बात करते हैं सामाजिक समरसता की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि नगरपालिका सण्डीला का परिसीमन किया जाय, उन क्षेत्रों को बढ़ाया जाय ताकि जो गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें उनका हक मिल सके। दूसरा, मैं अहम मद्दा उठाना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत ब्लॉक भरावन और ब्लॉक सण्डीला में लगभग 1200 आवास पात्रों को नहीं मिल पाये हैं उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि जो तथाकथित क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके समर्थक प्रधानों ने गलत रिपोर्ट लगा दी या आखिरी दिन पर लगायी जिससे तकनीकी रूप से चलते हुए वह आवास हाइड हो गये हैं जिसकी बात माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं कर रहे थे और मुझे लगता है कि काफी विधायकों को यह चीजें झेलनी पड़ रही हैं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि सभी पात्र लोगों को दोबारा, जो तकनीकी कारणों से सिस्टम से हाइड कर दिये गये हैं। उन सभी को पुनः ब्लॉक संडीला, ब्लॉक भरावन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास प्रदान करने के लिए पुनः उस प्रक्रिया को लागू किया जाए। तीसरा और अहम मुद्दा जिसकी मैं बात करना चाहूंगी, अभी बात हो रही थी महिलाओं की और मैं एक नाम लेना चाहूंगी दुर्गा शक्ति नागपाल, शायद लोगों को नाम याद हो, यह जन्मजात दुर्गा हैं और इनका नाम भी दुर्गा है। इस महिला अधिकारी ने यू0पी0एस0सी0 क्लियर किया था, एक आई0एस0 महिला अधिकारी अपना कर्तव्य निर्वाहन करने गयी थी, अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए। मैं राजनीति की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हर मुद्दा कहीं न कहीं पक्ष विपक्ष में पड़ जाता है, यह महिला अधिकारी एक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए गयीं थीं और किस तरह से उनको मानसिक रूप

से प्रताड़ित किया गया, इंसल्ट की गई थी, वह महिला अधिकारी उत्तर प्रदेश छोड़कर वापस केन्द्र सरकार की नियुक्ति पर चली जाती हैं। यह लोग बात करते हैं महिला सुरक्षा की, भाजपा सरकार आने के बाद पुनः दुर्गा शक्ति नागपाल अपने इस उत्तर प्रदेश में आयी हैं। यह मामला टी0वी0 पर खूब चला, लोगों ने खूब देखा होगा और वह लोग हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं। क्या मजाल कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सरकारी भूमि पर कब्जा कर जाए। बात करना चाहती हूँ राम लला पर, आज कुछ लोगों को कष्ट हो रहा होगा, जब मा0 प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण भिजवाया और प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ उस समय कहा मैं खुद को उसी से सम्बद्ध करना चाहूंगी कि-

''राम लला के आंगन का न्यौता ठुकराने वालो,
निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों,
जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों,
कोठारी कुल के दो दीपक को बुझाने वालों''

कोठारी कुल के दो बच्चों का मार दिया गया, गुनाह सिर्फ यह था कि वह केवल अपने अराध्य की पूजा करना चाहते थे। आगे कहना चाहूंगी कि-

''लो फिर तुम भी देखो, रघुरायी की प्रभुतायी,
मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताई''

रही विकास की बात तो चाहे मातृत्व योजना हो, महिला गर्भावस्था योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-**

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदया जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, 7 वर्षों से योगी जी की सरकार में गाँव गरीब, किसान, नौजवान, महिला, दलित, वंचित, पिछड़ों के उत्थान के साथ-साथ व्यवसाइयों को भी सुरक्षा प्रदान की है। उत्कृष्ट बजट के लिए योगी जी, खन्ना जी को बहुत-बहुत बधाई, इस बजट में आगरा का भी ध्यान रखा गया है। महोदय 2020 में आगरा को गंगाजल उपलब्ध कराया गया, यह योगी जी की सरकार का ही करिश्मा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ गंगाजल आगरा को पालड़ा नदी से मिल रहा है, सरकार ने उसके बाद भी ध्यान रखा कि भविष्य में कठिनाई न हो, तो उसके लिए आगरा की यमुना नदी पर रबर चेक डेम के लिए 272 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इससे आगरा की खूबसूरती भी बढ़ेगी और भविष्य में जल संकट भी पैदा नहीं होगा। आगरा में मैट्रो महीने 15 दिन में प्रारम्भ हो ही जाएगी, यह तो तय हो चुका है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैट्रो की कोई डेट पूछने वाला अब नहीं है, जैसे राम मंदिर के लिए डेट पूछते थे। अब यह बात गारन्टी शुदा हो गयी है कि आगरा में मैट्रो 15-20 दिन, महीने भर के अंदर प्रारम्भ हो जायेगी। साथ में इस नये बजट में रु0 346 करोड़ मैट्रो के विस्तार के लिए प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। हमारी सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जो जोड़ने का निर्णय किया है, उसके लिए भी बधाई है।

मान्यवर, मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले महीने आतंकवादियों ने हमारे आगरा के युवा कैप्टन शुभम गुप्ता को शहीद कर दिया था। हम चाहते हैं, उस क्षेत्र के विधायक डा0 धर्मेश जी हैं, हलांकि कैप्टन जो शहीद हुआ है, वह पूरे देश का है। उनके निवास के क्षेत्र में उस मैट्रो स्टेशन का नाम बसई की जगह पर कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम से कर दिया जाय। महोदय, आगरा में एक बल्केश्वर कॉलोनी है। हमारी सरकार ने समस्याओं का निदान बहुत किया है। बल्केश्वर कॉलोनी एक लेबर कॉलोनी है। वह कॉलोनी वर्ष 1955 में निर्मित हुई थी। वहाँ किरायेदारी के रूप में श्रमिकों को कॉलोनी के फ्लैट आवंटित किये गये थे। मेरा निवेदन है कि वहाँ श्रम विभाग के लोग बार-बार पहुँच कर श्रमिकों का उत्पीड़न करते हैं। उस लेबर कॉलोनी के जो फ्लैट हैं, उनको उन्हीं के नाम करके किराये पर दे दिया जाय, अथवा जो उसमें रहते हैं, उनको न्यूनतम दरों पर मालिकाना हक दे दिया जाय।

मान्यवर, आगरा बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है जो शहर के बीचो-बीच आता है। नगला बूढ़ी से लेकर कीठम तक यमुना की बहुत बड़ी लगभग 25 किमी0 की पट्टी है। वहाँ पर उसको 'नाइट सफारी' के रूप में विकसित किया जा सकता है। हमारे फिरोजाबाद के विधायक मा0 मनीष असीजा जी भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। फिरोजाबाद के लोग भी वहाँ आते हैं। हम चाहते हैं कि उसको नाइट सफारी के रूप में विकसित किया जाय। यह स्थान मथुरा-आगरा के बीचो-बीच में है। मेरा एक निवेदन और है कि आगरा में बहुत सारे गली-मुहल्ले हैं। जो एन0 एच0-19 है। भगवान टॉकीज ट्रांसपोर्ट नगर, आवास विकास कॉलोनी, ककरैला, मऊ, गैलाना जैसे क्षेत्र घनी आबादी के बीच में है। वहाँ बिलायती बबूल खड़ा हुआ है। शहर में जंगल है। सरकार से मेरा आग्रह है कि वहाँ से बिलायती बबूल के जंगल हटाकर वहाँ पर हरित ऑक्सीजन वाले वृक्ष लगाकर एक उद्यान के रूप में उसको विकसित किया जाय। यदि मा0 सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला है, तो सरकार वहाँ पर अच्छी पैरोकारी करे। जिस प्रकार से मथुरा के लिए मा0 सुप्रीम कोर्ट से बिलायती बबूल काटने की अनुमति मिली है, उसी प्रकार से यहाँ के बिलायती बबूल को काटने की अनुमति आसानी से मिल जायेगी। वाटर वर्क्स चौरोहे से लेकर कैलाश बोर्ड, जो 16 किमी0 मार्ग एन0 एच0-19 राजमार्ग पर है। वहाँ अकाल दुर्घटनाएं नियमित होती हैं। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से वार्ता कर फ्लाईओवर, अंडरपास बनाने की बात करनी चाहिए।

महोदय, हनुमान भक्त हमारे मा0 सुरेश खन्ना जी ने यह बजट सनातन परम्पराओं के अनुरूप भगवान राम को समर्पित शानदार, जानदार, धमाकेदार, ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। अगर किसी को अपनी विधायकी सुरक्षित रखनी है। सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग समझ रहे हैं, तो राम-राम चिल्लाना ही होगा। नैतिकता का तकाजा है कि चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हों, जब अपने क्षेत्र में जाएं, तो बताएं कि यह विकास कार्य भगवान राम के लिए समर्पित बजट से हो रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, विपक्ष के लोग सत्तापक्ष के लोगों से परहेज करते थे कि राम का नाम मत लो। अब उनके लिए यह अवसर है कि राम का नाम लेकर क्षेत्र में जायेंगे तो प्रायश्चित करने का अवसर मिल सकता है। काशी के नन्दी बाबा की और मथुरा के कृष्ण कन्हैया की, राधा-कृष्ण की जय बोलें, बोलनी तो पड़ेगी जैसे अब राम की जय उनको मजबूरी में बोलनी पड़ रही है, इसी प्रकार से उनको राधा-कृष्ण की भी जय बोलनी पड़ेगी आज नहीं तो कल बोलनी ही पड़ेगी। यह कहते थे कि अयोध्या में परिन्दा पर नहीं मार पायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब समाप्त करें, 07 मिनट हो गये हैं।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों को राम-राम चिल्लाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण भी चिल्लाना होगा। धन्यवाद।

***समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार गोंड)-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जनपद सोनभद्र की ऐसी जगह का रहने वाला हूँ जो चारों प्रदेश झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों से घिरा हुआ है और वह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। वहाँ तमाम कल-कारखाने हैं। गिट्टी, बालू, कोयला, सीमेन्ट वहाँ पर है। यह सारी चीजें सोनभद्र में पायी जाती हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 2017 के पहले की सरकारों ने जनपद सोनभद्र को केवल लूटने का काम किया था। आज 2017 के बाद निश्चित रूप से जनपद सोनभद्र का विकास होने का काम हो रहा है। आज यशस्वी मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मा0 वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2024-25 का 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट पेश हुआ है। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। यह बजट विकास की अनवरत यात्रा और रामराज्य की कल्पना को साकार करने वाला है। यह बजट गरीब, युवाओं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलाओं, किसानों, आदिवासियों और मुख्यधारा से छूटे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने वाला बजट है।

मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से आज समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन एवं मध्यम वर्ग के प्रतियोगी छात्रों हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में मा0 मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु कौशल विकास का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब, दलित, आदिवासी लोगों के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनायें तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 500 करोड़ से बढ़ाकर 850 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सामान्य जाति छात्रवृत्ति योजना में 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के अन्तर्गत 275 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आज हमारी सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वृद्धावस्था आश्रम हेतु 55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास व आश्रम पद्धति विद्यालयों के अनुसरण हेतु 10.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये एवं जनजाति विद्यालयों हेतु 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मान्यवर, जो बहुत ही सराहनीय है। मेरा प्रिय जनपद सोनभद्र जो कि एक आदिवासी और जनजाति बहुल क्षेत्र है के समग्र विकास हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। मैं इसके लिए हृदय से मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस बजट से गरीब, दलितों एवं वंचितों के जीवन में न केवल बदलाव आएगा बल्कि रोजगार के सृजन के साथ अर्थ व्यवस्था भी मजबूत होगी। किसान की आय बढ़ाने हेतु सरकारी नलकूप से मुक्त सिंचाई एवं निजी नलकूप हेतु मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। चिकित्सा एवं शिक्षा हेतु भी बजट के विशेष प्रावधान किये गये हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निधि में अधिकतम पांच करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। बजट के प्रावधान न केवल उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने वाले हैं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन में नयी सम्भावनाओं के द्वार खोलने वाले हैं। सरकार जहां एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, जैसी सुविधाएं विकसित कर रही है वहीं डिफेन्स कॉरिडोर डाटा सेन्टर सेक्टर को सुविधाएं देकर के औद्योगिक विकास को भी धार दे रही हैं।

यह बजट उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला बजट है। इस बजट से उत्तर प्रदेश राज्य निश्चित ही एक संवेदनशील राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। इस सराहनीय बजट के लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रकट करते हुए उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र ओबरा की कुछ समस्याएं हैं। 2017 के पहले ओबरा विधान सभा क्षेत्र में कुछ काम हुआ नही था लेकिन 2017 के बाद काम शुरू हो गया है और कुछ चीजें बाकी

रह गयी हैं। तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वहाँ सोन नदी पर नीतापुर गरगरा के पास एक पुल का निर्माण कराने की कृपा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सर्वेश सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट सत्र पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ अपनी विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज की सम्मानित जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिनकी वजह से आज मुझे विधान सभा में अपनी बात रखने का मौका मिला। सर्वप्रथम में चिकित्सा की बात करता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनपुरा एवं मोहम्मदपुर बेरई हैं जहां डिलीवरी प्वाइंट है। लेकिन मात्र एक ही नर्स तैनात है एक नर्स होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को इधर-उधर भटकना पड़ता है। अगर कोई पहुंच भी जाता है तो उसे प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया जाता है। अगर बिजली की बात की जाए तो उपभोक्ताओं के मीटर में लाइट आने से पहले ही उन्हें हजारों लाखों के बिल थमा दिये जाते हैं। थोड़ी बहुत दूरी पर अगर उनके मकान हैं तो उन्हें कनेक्शन नहीं दिये जाते, और अगर दिये भी जाते हैं तो मनमाने पैसे उनसे वसूले जाते हैं। ग्राम लढपुरा, नगला धुरे, कुतुबपुर, सुजाबलपुर व अन्य गाँव के अन्दर गलियों में से 11 के0वी0 के खुले तार की विद्युत लाइन है। मेरे द्वारा कई बार शासन प्रशासन को शिकायत की गई लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हद तो तब हो जाती है जब ग्राम सभा की लाइन डबल वोल्टेज से काट दी जाती है। गाँव की पूरी सप्लाई बन्द कर दी जाती है।

(इस समय 04 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

ग्रामीणों से लाईनमैन, जे0ई0, एस0डी0ओ0 के माध्यम से अवैध वसूली करके पुनः उस गाँव की सप्लाई चालू कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कई बार अधिकारियों से लिखित रूप में शिकायत की गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जाँच होती है और कागजों में लीपापोती करके पुनः सही बताते हुये भेज दी जाती है। विद्युत वितरण खण्ड सलेमपुर, कर्खा और गडशान की बात की जाये तो इसमें कई गाँव ऐसे हैं जिनसे वसूली की गयी, उसके बाद उनकी लाईट जोड़ी गयी। जैसेकि इशाहकपुर, दौलतपुर, नाथू की ठार, धर्मनगर, बलीपुर व अन्य कई गाँव ऐसे हैं जिनकी सप्लाई काटी गयी और सप्लाई काटने के बाद दोबारा एस0डी0ओ0, जे0ई0 के माध्यम से वसूली करने के बाद उन गाँवों की लाईट जोड़ी गयी, इसके लिये अगर चाहें तो आपके माध्यम से हम गाँव के प्रधान और गाँव के लोगों, जिन्होंने पैसा दिया, उनके शपथ-पत्र भी मा0 मंत्री जी को उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाये और जाँच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। मान्यवर, हर गाँव में टी0टी0एस0पी0 की टंकी भी है और टंकी से पानी की सप्लाई होती है। जब उस टंकी का बिल प्रधानों के माध्यम से ग्राम सभा जमा करती है तो पूरी सप्लाई नहीं काटनी चाहिये। गाँव में 10-05 लोग ऐसे भी हैं

जिनके बिल जमा होते हैं, लेकिन उनकी भी सप्लाई रोक दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये।

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में गाँव नगला चेन, नगला ग्वालियर, नगला नरेनी, राहतपुर के आगे तक कोई नहर या बम्बा नहीं है तथा वहाँ पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जल स्तर नीचा होने के कारण किसानों को अपनी फसल की सिंचाई करने में बहुत असुविधा होती है। बेजुआ खास में बदनपुर रजवाह से अगर इन गाँवों को जोड़ दिया जाये और बम्बा की थोड़ी सी खुदाई करा दी जाये तो क्षेत्र के किसानों को उचित मात्रा में पानी मिल सकेगा जिससे वह अपनी फसल की सिंचाई भी कर लेंगे और जल स्तर भी बढ़ जायेगा। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में नवीन तहसील सिरसागंज है। सिरसागंज में अधिवक्ताओं के बैठने के लिये न तो चैम्बर की कोई व्यवस्था है और न ही पेयजल और शौचालय की व्यवस्था है। तहसील सिरसागंज में अधिवक्ताओं को बैठने के लिये एक बार हॉल का निर्माण करा दिया जाये तो अधिवक्ताओं और आम जनमानस को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान्यवर, अगर हम सड़कों की बात करें तो मेरी विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के मार्ग अत्यन्त खराब और गड्ढायुक्त हैं, जिनकी तरफ किसी भी अधिकारी की नजर नहीं जाती। जैसेकि शिकोहाबाद-बटेश्वर मुख्य मार्ग पर ग्राम लाछपुर के पास लगभग 300-400 मीटर भाग ऐसा है जिसमें पिछले 06 महीने से पानी भरा हुआ है और मा0 मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि यह मार्ग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है और मेन रास्ता है। इसे अगर ठीक करा दिया जाये तो महान कृपा होगी। करहल-सिरसागंज मार्ग से सराय अकबरपुर तक मार्ग, शिकोहाबाद-बटेश्वर मुख्य मार्ग से सुजाबलपुर, नगला गुलझारी होते हुये मक्खनपुर मार्ग तक का मार्ग, ग्राम गुढा से उरावर पूंछा मार्ग (धर्मनगर) तक सम्पर्क मार्ग, शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग से फतेहपुर कर्खा तक मार्ग का निर्माण कराया जाये।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंडी परिषद द्वारा पूर्व से निर्मित ऐसे मार्ग हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, आम आदमी उन पर पैदल भी नहीं आ-जा सकता है, जिसमें शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग से खितौली तक मार्ग, नसीरपुर पुनछा मार्ग से गुढा मार्ग, आलमपुर से बाछेमई तक मार्ग, पिडसरा ठार से सकतपुर तक मार्ग, शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग से जमालीपुर तक मार्ग, शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग से छटनपुर मार्ग शामिल हैं। मान्यवर, अगर शिक्षा की बात की जाये तो मेरे क्षेत्र में एक राजकीय इण्टर कॉलेज नगला बल्ल है, जिसमें मात्र एक शिक्षक तैनात है। एक राजकीय हाई स्कूल कन्या विद्यालय नूरपुर संजेती है, जिसमें छात्राओं को आने-जाने के लिये कोई पक्का रास्ता नहीं है और न ही उक्त कॉलेज में कोई चाहरदीवारी है।

मान्यवर, दोनों कॉलेजों में कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी नहीं है। सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं करा रही है, शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के ब्लाक मदनपुर में नगला खंगर या उरावर के

आस-पास छात्र-छात्राओं के बेहतर भविष्य को देखते हुए अगर एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना करा दी जाए तो छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट सत्र पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, जय समाजवाद, नेताजी अमर रहें, बाबा साहेब अमर रहें।

***श्री अंकित भारती-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जय भीम, जय समाजवाद। मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं पुनः आभारी हूँ अपनी समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार, निर्भीक, मधुरभाषी राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने एक अनुसूचित जाति के सबसे कम उम्र, यानी मुझ पर भरोसा जताया और मेरी विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की जनता ने मुझे जिताकर विधान सभा का सदस्य बनाया। मैं इस सदन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी विधान सभा क्षेत्र की जनता को पुनः धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैंने इससे पूर्व सत्र में बजट पर बोलते हुए सैदपुर कस्बे में बने सामुदायिक केन्द्र, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व महिला चिकित्सालय के दुर्दशा व खस्ताहाल का जिक्र किया था। परन्तु इस बजट की पोल इसी से खुलती है कि उन सभी जगहों पर अभी तक कोई भी व्यवस्था बेहतर नहीं की गयी है। महिला अस्पताल में माताओं और बहनों की डिलीवरी हेतु कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है। माताओं और बहनों की डिलीवरी खुदा भरोसे छोड़ दी गयी है। पशु चिकित्सालय सिर्फ नाम का रह गया है। यह सरकार जो आम व्यक्ति को चिकित्सा देने पर ढोल पीटती रहती है वह सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गयी है। यह सरकार माताओं और बहनों की डिलीवरी जैसे संवेदनशील विषय पर भी आंख बन्द किए बैठी है। इसका जीता जागता उदाहरण सैदपुर कस्बे में खण्डहर का रूप लिया हुआ महिला चिकित्सालय है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दशा अत्यन्त दयनीय है। छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु फर्नीचर आदि चीजों की व्यवस्थायें नहीं है। पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं। विद्यालयों में होने वाले मूलभूत व्यवस्थाओं का अकाल पड़ा हुआ है। क्या यह सरकार इस दम पर विकसित उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है ? यह सरकार गरीबों के बच्चों को समुचित शिक्षा न देकर उन्हें हमारे संविधान को पढ़ने व समझने से वंचित रखना चाहती है। वैसे भी वर्तमान सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों के आरक्षित पदों के सापेक्ष भर्तियाँ नहीं निकाली जा रही हैं जिसके कारण इन वर्गों को मिलने वाले हक से वंचित रखा जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या यह सरकार संविधान के तहत सामाजिक न्याय को मद्देनजर रखते हुए सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों का आरक्षण पूरा करने का कार्य करेगी ?

मान्यवर, यह सरकार लॉ एण्ड आर्डर की बात करती है। इस विषय पर मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मेरे जिला गाजीपुर में अतरसुंवा के रहने वाले अमलधारी यादव जी की हत्या दिन दहाड़े कर दी गयी। तमाम दिन बीतने के बावजूद भी वहाँ की प्रशासन हत्यारों को पकड़ने में नाकामयाब रही। मान्यवर, इस सरकार से महंगाई कंट्रोल करने की उम्मीद करना ही बेकार है। खाने-पीने की अनेक वस्तुएँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब आदमी व किसान तो दूर मध्यम स्तर के लोग भी अब तंग हो चुके हैं। गरीब पेट पालने हेतु रोटी के साथ मिर्च, नमक, लहसुन की चटनी बनाकर अपना पेट भर लिया करता था लेकिन बाजार में लहसुन का दाम इतनी ऊँचाईयाँ छू रहा है कि गरीब इंसान लहसुन लेने से पहले सोच में पड़ जाता है। मान्यवर, आबादी बढ़ती जा रही है। परन्तु उसके सापेक्ष गरीब आम आदमी व किसान को मिलने वाली सुविधायें जैसे बिजली, सिंचाई के साधन, खाद, दवा व पीने के पानी की व्यवस्था सम्बन्धित संसाधनों में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों ट्रान्सफार्मरों में पावर वृद्धि की आवश्यकता है। लिखित एवं मौखिक अनुरोध बार-बार करने के बावजूद भी सालों-साल समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी। सम्बन्धित अधिकारी एवं यह सरकार इस विषय पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने पहले के भाषणों में भी सरकार का ध्यान इस विषय पर लाने का प्रयास किया कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में सहमलपुर में एक अग्निशमन केन्द्र अर्द्ध निर्मित व्यवस्था में पड़ा हुआ है। जिसके कारण काफी असुविधा व जान-माल का नुकसान व्यापारियों तथा आम जनता को झेलना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपा करके यह केन्द्र बनाने का कार्य करें। महोदय, मैंने पिछले सत्र में माँग किया था मेरी विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल का मैदान बनाया जाये ताकि वहाँ के नौजवानों की प्रतिभा ठीक से निखर कर आ सके। नन्दगंज में बन्द चीनी मिल को पुनः चालू किया जाये जिससे गन्ना किसानों को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह आग्रह करता हूँ, यह माँग करता हूँ कि गाजीपुर जिले में विशेषकर सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में एक औद्योगिक एरिया घोषित किया जाये। जहां पर छोटे-बड़े कारखाने लग सकें। जिससे वहाँ के नौजवानों को उनके जिले में रहकर नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्हे पलायन करके मुम्बई, कलकत्ता जैसे अन्य शहरों में न जाना पड़े। क्या यह सरकार जातीय जनगणना कराकर जातिगत अधिकार पर सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। महोदय, यह बजट महिला सुरक्षा, किसान, मजदूर, गरीब व नौजवान विरोधी है। महंगाई चरम सीमा पर है। यह बजट ढाक के तीन पात के बराबर है। महोदय, मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि

आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। अपने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय समाजवाद।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में प्रतिभाग करने हेतु समय का निर्धारण

श्री अधिष्ठाता-

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है चूंकि वक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और हर माननीय विधायक की यह इच्छा भी है कि सबकी बात आ जाये। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश मुझे मिला है कि हम अपनी बात 5 से 6 मिनट के अन्दर समाप्त करने की कृपा करें।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री जीत लाल पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी जी एवं अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन प्रिया पटेल जी के अतुलनीय सहयोग से बनी सरकार द्वारा 7 लाख 36 हजार 435 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है। यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिला किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। हमारे तेजस्वी मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जायेगी। इसमें 5 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कनवेंशन सेन्टर जैसी सुविधायें उपलब्ध हैं। डार्क जोन में निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है। जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।

प्रधानमंत्री किसान जन-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3000 हजार रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। निराश्रित महिला पेंशन के अन्तर्गत 5 लाख लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। वर्ष 2023-24 के तृतीय तिमाही तक 21 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित

किया गया है। मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को छः विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाये हुए है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टी स्पेशल हॉल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53800 युवक मंगल दल एवं 51300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में मुख्य मंत्री योजना व युवा रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लोगों को लाभान्वित करते हुए 1 लाख 79 हजार 112 लोगों के रोजगार सृजित किये गये हैं। इस तरह से हमारी एन0डी0ए0 की सरकार ने अब तक बहुत सुनहरा बजट पेश किया है। मैं इसका दिल से समर्थन करता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र है जिसकी लम्बाई लगभग 93 किलोमीटर है इसमें कई नदिया नाले हैं और यह बहुत पिछड़ी हुई विधान सभा क्षेत्र है। आपसे अनुरोध है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज को अति पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र घोषित करके इसे विशेष पैकेज के रूप में लाभान्वित कराने का कष्ट करें।

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से मा0 मोदी जी, व योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। जिनकी वजह से मैं विधायक बना हूँ, साथ ही मैं संगठन को भी धन्यवाद देता हूँ जिनकी वजह से मुझे टिकट मिला और धन्यवाद देता हूँ अपनी विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं को जिनकी वजह से विधायक बना। यह इतना कल्याणकारी, गरीबों का हितकारी और मजदूरों का हितकारी तथा प्रत्येक जनमानस के हित का यह बजट है। जो भारत देश की सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा प्रदेश और देश का हृदय कहे जाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हमारे वित्त मंत्री मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी के चरणों में वंदन करता हूँ। इतना कल्याणकारी बजट सामने वाले हमारे भाई जब यहां से जा रहे थे वह भी यह कह रहे थे कि मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। वास्तव में जिस प्रकार से राम जी के आदर्शों की जो बात की गयी है। प्रभु राम ने अपने वचनों की खातिर। अपने पिता के वचनों की खातिर अपना राजसी ठाठ-बाठ छोड़कर वन को चले गये, वहाँ दुष्टों का संहार किया, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया, त्याग और तपस्या के रास्ते पर बढ़े, राजा निषाद जी के साथ भाईचारा निभाते हुए और माँ शबरी के जूठे बेर खाते हुए पूरे समाज में समरसता लाते हुए जिस प्रकार का भाव किया है उसे आज पूरे भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भाईचारा का भाव पैदा किया है।

मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में दिनांक 22 जनवरी, 2024 का दिन और ऐसा दिन कि 500 वर्ष पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने हमारे राष्ट्र की धरोहर हमारे प्रभु श्रीराम के मन्दिर को ध्वस्त किया। मन्दिर ही ध्वस्त नहीं हुआ, बल्कि बर्बर अत्याचार हुआ। हमारे सलाउद्दीन और निहालुद्दीन इन सबके जो पूर्वज थे वह भी हमारे पूर्वज थे। आज बदलाव चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज राम राज्य की कल्पना क्या होती है। राम राज्य उसे कहते हैं डकैती बन्द, लूट बन्द, अपराध बन्द, गुण्डागर्दी बन्द, प्लाटों पर कब्जा बन्द। राम राज उसे कहते हैं कि आज गरीब के घर में बिजली आ रही है, राम राज्य उसे कहते हैं कि गरीब के घर में खुशहाली है और उसके खेतों में हरियाली है, राम राज्य उसे कहते हैं कि गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है, राम राज्य उसे कहते हैं कि अयोध्या में विश्व का माना हुआ दीपोत्सव मन रहा है, राम राज्य उसे कहते हैं कि मथुरा में कृष्ण उत्सव मन रहा है, राम राज्य उसे कहते हैं कि वाराणसी में देव दीपावली मन रही है, राम राज्य उसे कहते हैं, अयोध्या में राम लला अपने भव्य और दिव्य मन्दिर में विराजमान हो गये हैं, राम राज्य उसे कहते हैं कि काशी विश्वनाथ में कारिडोर चमक रहा है, राम राज्य उसे कहते हैं कि व्यास तहखाने की पूजा होने लगी है, राम राज्य उसे कहते हैं कि प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े कुम्भ का सफल आयोजन होता है। एक शिष्य ने गुरू से पूछा कि पहले हमारा भारत विश्व गुरू था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था और हमारे भारत की बात पूरा विश्व मानता था तो वह दिन कब आयेगा जब हमारा भारत शिखर पर होगा। स्वामी जी ने कहा कि सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म में उत्तर देता हूँ कि जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है जब वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभायेगा तो उसी दिन हमारा भारत विश्व शिखर पर होगा। आज हमारे मोदी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पूरे भारत का डंका विश्व में बज रहा है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री आज भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं जिसको देखकर हमारा मस्तक ऊँचा होता है और हमारा सीना चौड़ा होता है। इसे राम राज्य कहते हैं। आज हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश का डंका पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में बज रहा है। इसे राम राज्य कहते हैं। हमारा बहुत बढ़िया बजट प्रस्तुत हुआ है।

मैं बदायूँ से विधायक हूँ और सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र को चमका दिया है। मोदी जी की योजना और योगी जी की योजना से हमारी विधान सभा क्षेत्र चमक गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी 115, बदायूँ विधान सभा क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में नम्बर-1 हो। मेरे क्षेत्र में जो चीजें रह गई हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ। हमारे यहां 100 बीघा जमीन उपलब्ध है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर इंजीनियरिंग कालेज खुल जाये। हमारे यहाँ पर रिंग रोड बना हुआ है जिसमें 1/2 बाइपास रह गया है, तो हम चाहते हैं कि वह भी बन जाये। जब वह अच्छा हो जायेगा तो उससे जाम की समस्या समाप्त हो जायेगी। हमारे यहां 50 साल पुरानी चीनी मिल है तो हम चाहते हैं उसको अच्छा करा दिया जाये। हमारे यहां खेल का स्टेडियम बना दिया जाये। हमारे यहां एक डिग्री कालेज बना दिया जाये। हमारे भाई संदीप सिंह जी संघ के बारे में कह

रहे थे तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने संघ को पहचाना नहीं है। संघ विश्व का ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठन है जिसका एक-एक स्वयंसेवक देश के लिए है। यह वह संगठन है जिसका उद्देश्य है कि 'तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें।' हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी स्वयं सेवक हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा भारत विश्व गुरू बनेगा और इसे हमारे संघ के सेवक साकार करेंगे। जय हिन्द, जय भारत।

***श्री देवेन्द्र कुमार निम-**

मान्यवर, आपने मुझे इस वित्तीय वर्ष के बजट पर बोलने के लिए मौका दिया है उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मां शाकुम्भरी देवी की पावन धरा से आता हूँ और हमारी विधान सभा क्षेत्र नम्बर एक है और लोक सभा नम्बर एक, हमारे सहारनपुर से ही शुरू होती है। मैं अपनी विधान सभा के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि मैं लगातार दूसरी बार विधायक बनकर सदन में आया हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट जन-आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला बजट है। हमको मा0 प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना दी है उस संकल्प को बढ़ाने में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने वाला बजट है। इस बजट में पर्यटन स्थलों एवं सांस्कृतिक विरासतों को संवारने के लिए विशेष बल दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमें जो रामराज की झलक दिखाई गयी है वह पूरी तरह से इस बजट में है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घर-घर शौचालय हो, मोदी जी की गारण्टी है। माननीय मोदी जी की संकल्प विकसित भारत यात्रा निकली, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अन्तिम पायदान पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उसको मेरी सरकार ने सरकारी योजनाएं देने का काम किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। उस सामूहिक विवाह योजना में सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय सांसदगण जाते हैं, वहाँ डी0एम0, सी0डी0ओ0 एवं एस0डी0एम0 सामूहिक विवाह में जाते हैं। यह पहली बार हो रहा है कि किसी गरीब व्यक्ति की शादी में वी0आई0पी0 जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें हमारी बहन-बेटियों का सम्मान हो रहा है।

मैं सहारनपुर के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पहले सड़कों का क्या हाल होता था, वहाँ विश्वविद्यालय का क्या हाल होता था। हमारा सपना था कि हमारे यहां पर विश्वविद्यालय बने। मैं सहारनपुर से आता हूँ और मुझे गर्व है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बड़े-बड़े एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं। एक दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एवं एक दिल्ली से हरिद्वार को जोड़ने वाला ग्रीन एक्सप्रेस-वे बन रहा है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहारनपुर जिले को मां शाकुम्भरी देवी जी के नाम से विश्वविद्यालय देने का काम किया है। हमारे सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिला है और बहुत जल्दी ही सहारनपुर स्मार्ट सिटी की रेंज में आने वाला है।

मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर कई माननीय सांसद एवं कई माननीय विधायक रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने वहाँ की जनता की आवाज उठाने का काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने 12 करोड़ रुपये का एक बहुत बड़ा पुल लल्लनपुर गुर्जर सिंचाई विभाग के द्वारा देने का काम किया है। जहां पर किसानों को खेती के लिए पिछले 30 साल से कम-से-कम 10 किमी0 घूमकर आना पड़ता था। हमारी सरकार ने हिण्डन नदी पर 13 करोड़ रुपये का एक पुल दिया है। एक तहसील जो पिछले 10 साल से संचालित थी, लेकिन वहाँ पर उसका भवन नहीं था तो हमारे किसान एवं आम आदमी को जाने में बहुत असुविधा होती थी। मेरी सरकार ने वहाँ पर एक नया तहसील भवन बनाने का काम किया है। वहाँ पर फायर स्टेशन बन रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार सड़कों एवं पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। शिक्षा के राजकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, नया पी0डब्ल्यू0डी0 गेस्ट हाउस खोला जा रहा है। मैं बहुत सारे विषय रख सकता हूँ, लेकिन समयाभाव है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता की मांगों को सदन में रखना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी का सपना है कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो। मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि हमारे सहारनपुर में एक बड़ी तादाद में किसानों के द्वारा पापुलर के पेड़ लगाये जाते हैं। जिसे हरियाणा राज्य में ले जाने का काम होता है।

मैं चाहता हूँ कि हमारे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक प्लाईवुड इण्डस्ट्री बने, जिससे हमारी सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक शुगर मिल के माध्यम से बुड्ढाखेड़ा से होकर जाती है, मैं चाहता हूँ एक नई बाईपास रोड बनाने का काम करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहां भी एक मिनी स्टेडियम जिसकी घोषणा हमारे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने की कि हर ब्लाक पर एक मिनी स्टेडियम देंगे, वे भी मेरे क्षेत्र में देने का काम करेंगे। हमारी एक बहुत बड़ी रोड अहमदपुर से नैनसोब मार्ग का चौड़ीकरण किया जाये। मानकमऊ से कुआं खेड़ा तक की सड़क के चौड़ीकरण का काम करें। एक बहुत ही जरूरी सड़क जो कई वर्षों से टूटी है, ग्राम नागल से ग्राम नासिरपुर डिगौली मार्ग का चौड़ीकरण किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभार।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन

मिला है। अयोध्या में विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर बाहर और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, हमने मा0 प्रधानमंत्री जी का 'सबका साथ-सबका विकास' नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2003 में सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत प्रदेश में लघु एवं सीमान्त किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3000/- रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ 26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में वर्ष 2017 से अद्यावधि अर्थात् 07 वर्ष से भी कम अवधि में 1 करोड़ 62 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। हमारे यहां हसनपुर क्षेत्र में बहुत काम मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किये गये हैं, हमारे यहां आश्रम पद्धति का विद्यालय बनकर तैयार हो चुका है। हमारे यहां हसनपुर गजरौला चीनी मिल का विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया है। बहुत काम हमारे क्षेत्र में किये गये हैं। हमारे यहां एक 33 के0वी0ए0 का बिजलीघर चचौरा में बनकर तैयार हो गया है। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में कराये जाने वाले कुछ कार्य इस प्रकार हैं, ग्राम मोहम्मदाबाद से हरिबाबा बांध तक सड़क का चौड़ीकरण कराया जाये। वह जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह किसानों के निकलने का रास्ता है। हमारे यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय। हमारे यहाँ अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं, इसलिए हमारी हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रामा सेण्टर बनाया जाय। हमारे यहाँ बिजली घर की 90 बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर 200 के0वी0ए0 का बड़ा बिजली घर बनाया जाय। वहाँ पर 33 के0वी0ए0 के 12 बिजली घर प्रस्तावित हैं, उनको भी स्थापित किया जाय। सम्भल में अड्डे हसनपुर से लेकर बुलन्दशहर को जाने वाली रोड का चौड़ीकरण कराया जाय। हमारे क्षेत्र हसनपुर में एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जाय और मान्यवर, हमारे आदमपुर ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा

दिलाया जाय और 100 बेड का एक हॉस्पिटल हमारी हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में बने। हमारे यहाँ 02 बड़ी गौशालाओं की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 03 गौशालाएँ हमको दी हैं, यदि यहाँ पर 02 गौशालाएँ और बन जायेंगी तो वहाँ पशु और संरक्षित हो जायेंगे। मान्यवर, प्रदेश की जनता के लिए यह बहुत सुन्दर बजट आया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐसे सुन्दर बजट पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, जबसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आयी है, इन 07 वर्षों में दूसरी बार जनता ने हमें मौका दिया है। हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, इसके लिए मैं हसनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार विधायक बनाकर भेजा और आज जनता की सेवा करने का मैं काम कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वह ऐसा सुन्दर और कल्याणकारी बजट ले करके आये। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, भारत माता की जय।

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

आपने मुझे बजट की साधारण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस बजट में जो इनका राजस्व व्यय है, वह पूँजीगत व्यय से ज्यादा है। जिस बजट में पूँजीगत व्यय पर ज्यादा धन खर्च होता है, उसे एक अच्छा बजट माना जाता है। पूँजीगत व्यय हमारा एसेट्स क्रिएट करता है तो पहली बात तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि आपने सभी प्राप्तियाँ दिखा दीं। अब आपने 05 हजार 05 सौ करोड़ रुपया लोक लेखा से जो आपने लोन लिया, उसे अपनी प्राप्ति दिखा दी। लेकिन लोक लेखा, पब्लिक एकाउन्ट से जो पैसा मिलता है, वह जो सरकारी कर्मचारी की निधि जमा होती है, उसमें से आप लेते हैं। यह आपकी प्राप्ति तो है नहीं। यह तो आपका एक तरह से ऋण है तो इस पर भी सोचना चाहिए कि इसको हम किसमें परिवर्तित करें। चूँकि जल्दी है, समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी खत्म करना चाहूँगा।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, पिछली बार का जो बजट था, वह पूरा खर्च नहीं हुआ, जितना आपने पास किया और जितनी आपने योजनाएँ बनायीं, अगर आप उतना धन सांकेतिक कन्सन्ट्रेटेड फण्ड्स ले करके जिलों को या अपने व्यय के लिए नहीं खर्च कर सके तो यह जो प्रोजेक्ट हैं, अगले साल के लिए इनका कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाता है तो यह महँगे हो जाते हैं। पिछला जो बजट था, वह भी खर्च नहीं हो पाया था और इस साल का भी बजट अभी आपका पूरा खर्च नहीं हो पाया है और मुझे लगता है कि 50-60 प्रतिशत ही आप खर्च किए हैं या तो आपकी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो पा रही हैं। मान्यवर, जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट पास होता है, तब वित्त मंत्री तो वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर देते हैं, लेकिन विभाग जो होता है, वह वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने में देरी करता है, इससे बजट समय से नहीं खर्च हो पाता है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए और वित्त विभाग को विभागों की छानबीन करनी चाहिए कि उन्होंने वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कीं या नहीं जारी कीं। अगर धन का अभाव है तो आपको धन की व्यवस्था करनी चाहिए और यदि सरकार या विभाग की उदासीनता है, तो उनको चेतावनी देनी चाहिए। अगर वित्तीय स्वीकृतियाँ समय से जारी हो जायें तो आपका बजट टाइम से खर्च हो जाय। मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कुछ धनराशि तो आपको भारत सरकार से मिलती है, जो 31 मार्च को आती है, उसे आप तत्काल खर्च नहीं कर पाते हैं, जिलों को भेजते हैं, इधर से 5:00 बजे जाता है और रात को 11:00 बजे आप वापस मँगा लेते हैं।

व्यवस्था यह थी कि पहले पी0एल0ए0 फण्ड होता था, तो जो बजट जाता था उसमें जमा कर देते थे और अगले वर्ष से उसको करते थे, इसलिए मैंने संवैधानिक प्रश्न उठा करके मा0 नारायण दत्त तिवारी जब चीफ मिनिस्टर थे तो बहस कराया और बन्द हुआ, लेकिन उसके साथ यह कर दिया गया कि अगर पी0एल0ए0 का होता है तो पी0एल0ए0 में उसे जमा कर दिया जाए और एक महीने के अन्दर निकाल कर खर्च किया जाए तो जो पैसा आप देते हैं, वह उस दिन तो खर्च हो नहीं सकता तो पी0एल0ए0 में जमा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वह पैसा लैप्स हो जाता है तो आपके बजट का खर्चा कम हो जाता है, तो मेरा सुझाव है कि आप इस व्यवस्था को चालू करें और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बजटीय व्यवस्था में आपको गम्भीरता से देखने की जरूरत है, अगर आप बजट को सही से नहीं खर्च करेंगे, तो इतना बजट बनाने की क्या जरूरत है। महाराष्ट्र के बाद भारत सरकार में जो भारत सरकार की जी0डी0पी0 है उसमें आपका 9.8 परसेण्ट हिस्सा है, तो जब आपकी जी0डी0पी0 बढ़ गई तो आपकी ऋण ग्रस्तता जहां आपकी जी0डी0पी0 9.8 परसेण्ट बढ़ी वहीं ऋण व्यवस्था 30 प्वाइंट कुछ हो गई, आपने इतना बड़ा ऋण लिया तो प्रदेश को ऋण के जाल में क्यों फंसाते जाते हैं, जब आपकी आमदनी बढ़ती जा रही है, इस पर भी आपको सोचने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कहूंगा तो अपने कर्तव्यों से विमुख माना जाऊंगा। हमारे क्षेत्र में चार आई0टी0आई0 वर्ष 2017 के पहले के स्वीकृत थे और वह बन रहे थे। बच्चे भर्ती होते हैं इटवा आई0टी0आई0 के नाम पर लेकिन पढ़ने जाते हैं बस्ती की आई0टी0आई0 में तो इसका बजट समाज कल्याण से जाता है, समाज कल्याण विभाग को इस बजट को उन्हें देना चाहिए, चार आई0टी0आई0 वैसे ही बन कर खड़ी हैं, जिसमें से दो आई0टी0आई0 में पढ़ाई नहीं होती, अगर आप इसको चालू कर देंगे तो इससे वहाँ पर टेक्निकल लोग तैयार हो जाएंगे, मा0 मुख्य मंत्री जी गए थे और वहाँ इतना जोर-शोर से एक डिग्री कालेज का शिलान्यास हुआ, लेकिन छः साल से ज्यादा हो गए फिर भी वह बनकर कम्प्लीट नहीं हुआ। मा0 अखिलेश जी ने हमारे जिले में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का शिलान्यास

किया, हम लोगों ने दो साल में उसे बनाकर तैयार कर दिया, दो साल के अन्दर ही उसमें क्लास चलने लगे तो उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक थाना बना है हमारे यहां कठेला जिसकी नींव पड़ी हुई है तीन साल से, लेकिन उसका गृह विभाग बजट ही नहीं देता है, तो इस थाना का शिलान्यास करने से क्या हुआ ? इटवा में हमने थाना बनवाया था जिसका शिलान्यास हमने किया और उद्घाटन मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया, लेकिन एक सुपर नेता हैं वह पत्थर ही नहीं लगने दे रहे हैं, क्योंकि उसमें मेरा नाम है, तो यह जो असंगतियां और विसंगतियां हैं इसको आप दूर करने का कष्ट करें, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री आनन्द कुमार यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले अपने श्रद्धेय नेता जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ साथ ही साथ मैं चौधरी साहब जो कि किसान नेता के रूप में हमारे पूरे देश में जाने गये हैं उनको भी मैं आज नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के तमाम साथियों, अधिवक्ता साथियों, क्षेत्र पंचायत के सदस्य साथियों, ग्राम पंचायत, सदस्य साथियों व तमाम माताओं, बहनों और बुजुर्गों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे विधान सभा भेजने का अवसर प्रदान किया। अधिष्ठाता महोदय, इस बार 7 लाख 36 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है और किसानों के पक्ष में हमारे बहुत से साथी बोल भी चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, सरकारें आंकड़ों से चलती हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई को भी संज्ञान में लेना चाहिए। सन् 1967 में जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कैबिनेट में मंत्री थे उस समय गन्ना मंत्री स्व0 बेनी प्रसाद वर्मा जी थे। उस वक्त गन्ने का दाम 8 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था और आज 18 साल के बाद 20 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया गया है, मान्यवर, क्या यह उचित है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि 58 साल के बाद इसी सदन में यदि सरकार को गन्ने का दाम बढ़ाना था तो कम से कम 100 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया जाना चाहिए था। दूसरी चीज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों की पीड़ा का समझा था।

वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-2004 में हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो किसान दुर्घटना बीमा योजना में 1 लाख रुपया मिलता था। मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा योजना का पैसा 5 लाख रुपये बढ़ाने का काम किया था। 20 साल से सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा योजना का पैसा नहीं बढ़ाया है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि किसान दुर्घटना योजना में जिस किसान की मृत्यु हो उसको कम से कम 15 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज घाघरा नदी और सरयू नदी के बीच में स्थित है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में घाघरा नदी बहुत तेजी से कटान करती है-अहाता, रेती हाता, बहरामपुर, नियामत पुर, खोसेपुर, नासिरगंज गोड़हिया नं0-3 व 4, मझारातौकली, ग्यारह सौ रेती, झाऊपुरवा, फतेहपुर सरपटरेती, वकील बंगला, हंसराम पुरवा आदि बहुत सारे गाँव घाघरा नदी में कटकर उनके घर और उनकी जमीनें घाघरा नदी में समाहित हो गए हैं। हजारों की संख्या में परिवारों को अगर देखा जाए सर्वे कराया जाए तो वह परिवार कहीं रेल की जमीनों पर बसे हुए हैं, कहीं सिंचाई विभाग की पटरियों की जमीनों पर बसे हुए हैं, कहीं वह देवली-आदमपुर बाँध की पटरियों पर बसे हैं उनको अभी तक न तो स्थायी आवास मिला है और न ही उनके स्थायी रूप से बसने की व्यवस्था की गई है, इसलिए अधिष्ठाता महोदय, हम उन तमाम गरीब परिवारों के लिए आपसे अनुरोध करते हैं और सरकार से आपके माध्यम से माँग करते हैं कि इनको स्थायी रूप से बसाने के लिए जमीन उपलब्ध करायी जाए और उनको इंदिरा आवास, मुख्य मंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाए और उनके लिए बिजली, पानी की व्यवस्था की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, माननीय विधायक जी आपकी बात आ गयी, धन्यवाद।

श्री आनन्द कुमार यादव-

अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिये। आप सीनियर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जूनियर की हकतल्फी करें।

श्री अधिष्ठाता-

हकतल्फी बिल्कुल नहीं है सभी माननीय विधायकों को 5 मिनट समय का अनुरोध है।

श्री आनन्द कुमार यादव-

अधिष्ठाता महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए, 10-15 मिनट लोग बोलते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक आप अपने क्षेत्र की कोई संक्षिप्त बात को रख दें।

श्री आनन्द कुमार यादव-

अधिष्ठाता महोदय, 2 मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

हम आपसे क्षमा चाहेंगे। जो व्यवस्था है, आप बता दें।

श्री आनन्द कुमार यादव-

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय जो घाघरा नदी में कट गये हैं, अभी तक उनके भवन निर्माण नहीं हुए हैं। अधिष्ठाता महोदय हम आपके माध्यम से माँग करते हैं कि उन भवनों का निर्माण कराया जाय। तीसरी चीज जो हमारे क्षेत्र की सड़कें खराब हैं आज तक उनका पुनर्निर्माण, नव-निर्माण और एस0आर0 में जो विचाराधीन है, उनका बजट एलॉट किया जाय और उनका निर्माण कराया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश सिंह-

बहुत-बहुत धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय जो आपने मुझे 2024-2025 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सर्वप्रथम हमारे यशस्वी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और हम सबके मार्गदर्शक हमारे परम आदरणीय मुख्य मंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि हर वर्ग को लाभान्वित किया जाय। यह बजट गरीब, महिलाओं, युवाओं, किसानों और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ देवतुल्य जनता को समर्पित है। मैं शाहगंज की देवतुल्य जनता की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे विश्व ने एक त्यौहार के रूप में मनाया। शोभा यात्रा, मंदिरों की रंगाई-पुताई, भंडारे, दीप-उत्सव, डी0जे0 बजाकर एवं विभिन्न प्रकार से पूरा विश्व राममय हो गया था। हमारी विधान सभा क्षेत्र शाहगंज जिले के अन्तिम छोर पर होने के नाते 3 जिलों के बार्डर आजमगढ़, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर से सटी हुई है। हमारे पुराने जनप्रतिनिधि के विकास के प्रति उदासीन रवैये के नाते हमारा शाहगंज विधान सभा क्षेत्र विकास की धारा से आज तक नहीं जुड़ पाया था और इसकी पहचान एक बीमारू विधान सभा क्षेत्र के रूप में हो गयी थी।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने शाहगंज में एक नई विकास की धारा चलाई। आज शाहगंज विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से और केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आशीर्वाद से कई दशकों से लम्बित बाईपास की माँग स्वीकृत हो गयी है और 1500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि इसमें खर्च की जा रही है। बस डिपो के जीर्णोद्धार के लिए 2.50 करोड़ से अधिक की धनराशि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गयी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने रोजगार को लेकर शाहगंज में 131 करोड़ रुपये का इण्डियन ऑयल का एथेनॉल प्लाण्ट का शिलान्यास हाल ही में किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी

का जिन्होंने शाहगंज रेलवे स्टेशन को अमृत योजना में सम्मिलित किया और आज एयरपोर्ट की तर्ज पर शाहगंज रेलवे स्टेशन का कार्य शुरू हो चुका है। शाहगंज विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कें जर्जर अवस्था में थीं, जिनके नवीनीकरण, उच्चीकरण, पुनर्निर्माण समेत नयी सड़कों का निर्माण या तो पूर्ण हो चुका है या तो कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए खुटहन-समोदपुर की सड़क के लिए 17 करोड़ 27 लाख, अरगूपुर कटार सड़क के लिए 16 करोड़ 34 लाख एवं पट्टी-सरपतहां सड़क के लिए 14 करोड़ 85 लाख रुपये जारी करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का एवं लोक निर्माण मंत्री जी का शाहगंज की देवतुल्य जनता धन्यवाद देती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनवाडी-गोसाईपुर-जौकाबाद सड़क के लिए 3 करोड़ 75 लाख, लोनिया पट्टी से पट्टी नरेनपुर सड़क के लिए 10 करोड़ 93 लाख, जोगीबांध अनरडिया सड़क के लिए 7 करोड़ 18 लाख, जोगियाबाँध से अरगूपुर कलां के लिए 6 करोड़ 77 लाख दिए गए हैं और ऐसे काफी कार्य हमारे शाहगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हो रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वैसे विकास की गंगा बह रही है लेकिन अगर कुछ और कार्य हो जायें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी रहूँगा। हमारे शाहगंज में रतना शुगर मिल जो संचालित थी, अब बन्द हो गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसका पुनः संचालन कराया जाये। आश्रम पद्धति महाविद्यालय की स्थापना कराई जाये। शाहगंज में एक फायर अकादमी की स्थापना होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे यहाँ के सारे फीडर ओवरलोड चल रहे हैं। इसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत क्षमता बढ़ायी जाये। माननीय विद्युत मंत्री जी इसका संज्ञान लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई है, आप समाप्त करें।

श्री रमेश सिंह-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री सुशील सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2024-25 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, जिस दिन से यह बजट सत्र चालू हुआ, पहले दिन जब आदरणीय राज्यपाल महोदया ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इतना हंगामा किया और उन्होंने इतना भी नहीं समझा कि यह देश महिला प्रधान देश है और महिला का सम्मान करना भी नहीं जानते और इस चीज की पूरे प्रदेश में चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपमान किस तरह से करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कई दिनों से देख रहा था कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी पी0डी0ए0 की बात कह रहे थे। जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में पी0डी0ए0 का कोई औचित्य कभी पाँच साल में निकला ही नहीं। उस समय हम लोग भी विधायक थे और पाँच साल तक आपने लोगों को पी0डी0ए0 का अर्थ नहीं बताया और जब आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार पी0डी0ए0 पर काम कर रही है तो आप पी0डी0ए0 की बात कर रहे हैं।

हमारे नेता, उप मुख्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने पी0डी0ए0 की भाषा भी आपको बता दिया कि पी0डी0ए0 की भाषा क्या होती है, पारिवारिक डेवलपमेंट एथॉरिटी और वही इनकी पाँच साल की सरकार में दिखी है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, न उनको जमीन पर दिखाई देता है, सबसे बड़ी बात तो उनको इस समय देश और दुनिया में जो भगवान श्रीराम का विषय चल रहा है, उनके बारे में भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बड़ा कष्ट तब हुआ, जब वह बोल रहे थे तो मैंने उनका सारा विषय सुना। लेकिन श्रीराम जी का नाम या श्रीराम जी के विषय में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। क्या वह सनातन धर्म के नहीं हैं या उनका परिवार सनातन धर्म का नहीं है ? उनको बोलना चाहिए था। ठीक है वह प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोल सकते थे, वह मुख्य मंत्री जी के बारे में नहीं बोल सकते थे, लेकिन भगवान श्रीराम के बारे में तो बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि उनका वोट खिसक जायेगा, इससे बड़ा कष्ट होता है। अभी हम लोग कल भगवान श्रीराम के दर्शन करने के लिए गये और अधिष्ठाता महोदय, वहाँ देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ है। जैसे भगवान श्री राम कुछ कहना चाहते हैं, भगवान श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के लोगों को एहसास ही नहीं होता है, अगर वह एहसास अभी भी कर लें तो हो सकता है उनका कुछ भला हो जाये। जिस तरीके से इनका रवैया है, यह सरकार में भी रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किये हैं, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की सरकार ने लगातार 6 साल में जो काम किया है अगर उनको देखना है तो वह काशी में आकर देख लें, बाबा विश्वनाथ का धाम देख लें, काशी के बगल में चंदौली है वहाँ देख लें। मान्यवर, चंदौली से हम चार बार के विधायक हैं, हमने बसपा और स0पा0 की सरकार को देखा है। जो काम 5 साल में होना चाहिए वह इन लोगों ने 15 साल में नहीं कर पाये हैं। मान्यवर, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ मेरे जनपद में 4 लेन, 6 लेन सड़कें बन रही हैं। मेरे जनपद में मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गया है सिर्फ 5 साल के अन्दर, लेकिन जब इनका समय आया था तब इनको मौका ही नहीं मिला तब सिर्फ सैफई का विकास हुआ, और कहीं का विकास इनको दिखाई नहीं दिया। अगर वह देखना चाहते हैं तो वहाँ आकर देखें। यह लोग किसानों की बात करते हैं।

मैं किसानों के विषय में बताना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने भदोही, कपसेठी व बाबतपुर के लिए एक सड़क गयी उसका चौड़ीकरण सौन्दर्यीकरण का कार्य समाजवादी पार्टी ने करवाया था उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन उन्होंने वहाँ के किसानों का मुआवजा नहीं दिया। यह किसानों के हितैषी बनते हैं, लेकिन जब हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की सरकार बनी, तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने किसानों के 39 हजार करोड़ रुपये माफ भी किये और सबसे पहले 200 करोड़ रुपये दे करके कपसेथी, बाबतपुर और भदोही के किसानों को उनका मुआवजा दिया। इस तरह के काम होने के बावजूद यह लोग इस तरह की बाते करते हैं। विकास कार्य पूरे काशी में ही नहीं, गोरखपुर में जा कर देख लें, प्रयागराज में जा कर देख लें, पश्चिम में जा कर देख लें, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा देश में ही नहीं दुनिया में भी होती है। कानून व्यवस्था आपकी सरकार में भी थी, कहीं विधायक सुरक्षित नहीं होता था, विधायकों को दिन में गोली मार दी जाती थी, उसके साथ कई कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता था। आज अगर एक गवाह को भी मारा जाता है, तो उसका हिसाब बराबर होता है, वह आपके सामने है। इस बजट की मैं बहुत सराहना करता हूँ। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में हमारी एक तहसील है, जखनियाँ जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है, उस तहसील में 164 गाँव आते हैं। बाकी हमारे जनपद में चार तहसीलें हैं बाकी में 50 गाँव, 60 गाँव आते हैं। हमने धांधापुर तहसील बनाने का आग्रह किया है, शासन में आगे प्रस्ताव भी है उसको शामिल करने की कृपा करें। दूसरा पीपे का एक पुल जो गाजीपुर और चन्दौली जनपद को जोड़ने का काम करता है जिसमें हमारी सरकार ने पीपे का पुल दिया था उसको भी पक्के पुल की स्वीकृति के लिए हमारे इस बजट में शामिल करने का कार्य हो जाये। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, हमारे यहाँ बनारस में मारकंडे महादेव जी का मन्दिर है, वहाँ हम लोग एक तारीख को दर्शन करने के लिए गये तो आपको बता दें वह सड़क थोड़ी पतली है, लोगों की आस्थाएं महादेव जी में इतना हो गयी हैं कि मैं चार घंटे खुद जाम में रहा। अगर उसको 4 लेन के लिए इस बजट में शामिल कर लिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय-जय श्री राम।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे बजट सत्र, 2024-25 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुये पूरे सदन को नमन करता हूँ। हमारी सरकार ने इस बजट में सबका साथ, सबका विकास को ध्यान में रखते हुये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी को चरितार्थ करते हुये जो पेश किया है यह बजट सत्र 2024-25 और वित्त मंत्री जी का लेखा है, इतिहास बदलता है कोई, लेकिन मैंने भूगोल बदलते देखा है। यह बजट बहुत लुभावना बजट है, गरीब के लिए, शोषित के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बजट किया गया है।

मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी सरकार ने यह बजट 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का दे करके पूरे प्रदेशवासियों का गौरव बढ़ाया है, हर क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान प्रदान कर रहा है और यह भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। इस बजट में विशेष रूप से युवा, महिला, गरीब, किसान सबके उत्थान के लिए व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम कर रही है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, अभी हमारे सारे विपक्षी कह रहे थे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मोदी और योगी जी को कि जो लोग राम से नफरत करते थे आज पूरा सदन राममय हो रहा है किसी न किसी रूप में राम का नारा लग रहा है। जिस दिन 22 जनवरी को भव्य राम मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा हो रही थी, हमने अपने विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में जहां भगवान लव पैदा हुए हैं, वहाँ माँ जगतजननी सीता का दरबार है, हमने भी वहाँ अखण्ड रामायण पाठ करा करके 40 हजार से ज्यादा लोगों को आमन्त्रण दे करके सबको प्रसाद ग्रहण कराया। उसका माहौल यह बना कि जनता ने यह मन बना लिया है, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कह रही है हर जगह जनता कि जो राम को लाये हैं हम उनको लायेंगे दुनिया में फिर से हम भगवा फहरायेंगे। इस बार 400 से पार हमारी सरकार मा0 मोदी जी के नेतृत्व में आने जा रही है। बहुत से साथी हमारे बजट की बात कर रहे थे कि भेद-भाव हो रहा है।

मैं आपको बता दूं हमारा जनपद दो विधान सभा क्षेत्रों का जिला है, भिनगा में लगातार दो बार से विपक्ष का विधायक होता है, इस समय बहन हमारी इन्द्राणी वर्मा जी विधायक हैं और उस विधान सभा क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्री जी की उदारता और हमारे लोक निर्माण मंत्री जी की सज्जनता से मल्हीपुर से भिनगा तक 69 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत करके रोड बनवा दी गई है। भिनगा से लक्षमनपुर बाजार तक की रोड 37 करोड़ रुपए की लागत से बनवा दी है, भिनगा से पाण्डेय पुरवा तक की रोड 19 करोड़ रुपए की लागत से बनवा दी है, कई ऐसे काम हुए हैं और लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। जिनको न यकीन हो, जो मैं बोल रहा हूँ जाकर धरातल पर देख लें, जो देखने आयेंगे, उनके रहने और खाने की व्यवस्था मैं करूंगा, यही है मोदी जी का विकास। मैं आपको बता दूं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के वोट को आपने छलने का काम किया है, हमारी सरकार ने इस बजट में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल विकास की योजनाएं जनपद श्रावस्ती में संचालित करने का काम किया है। जिस श्रावस्ती को पिछली सरकारों में अछूता छोड़ा जाता था आज कर्मयोगी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जनपद श्रावस्ती विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का सर्वे कराया तो उत्तर प्रदेश में

8 जिले पिछड़े हुए थे, श्रावस्ती अति पिछड़ा जिला था, आज श्रावस्ती का ग्राफ बढ़ करके आठवें नम्बर से दूसरे नम्बर पर पहुंच गया है।

मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहराइच से मल्हीपुर की रोड का निर्माण 73 करोड़ की लागत से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जो हमारी मांगें थीं राप्ती के सिसुवारा घाट पुल पर 57 करोड़ रुपए दे करके लोगों को जोड़ने का काम किया है। हमारे यहां की कुछ छोटी समस्याएं हैं, मैं चाहूंगा कि नगर पंचायत कटरा को शहीद लेफ्टीनेंट सुनील चन्द्र चौधरी के नाम से नगर पंचायत कटरा और एक गिलौला में नगर पंचायत बन जाय, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। सीताद्वार जो माँ जगतजननी का दरबार है, इसको पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देते हुए पर्यटन स्थल घोषित करके इसका विकास कराया जाय। इकौना से विश्वेसरगंज मार्ग पर 4 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण और उच्चीकरण कराया जाय। मान्यवर, बहराइच से मल्हीपुर रोड पर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण चन्द्रखाबुजुर्ग में कराया जाय, इसके लिए जमीन भी है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। जबसे जनपद बना है भिनगा में जनपद श्रावस्ती में बस का डिपो नहीं है। मैं माँग करता हूँ कि अब बस डिपो बना दिया जाए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको बहुत-बहुत कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीराम।

***डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभार। यह 7 लाख 34 हजार करोड़ का बजट है, इस बजट में फिजिकल घाटा है वह करीब 3.6 के आस-पास है, जोकि बहुत अच्छा माना जाता है। जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं, वह हम देख सकते हैं वह बिल्कुल राम राज्य पर आधारित हैं, जैसा भगवान राम चाहते थे, गरीबों से स्नेह करते थे, जो टैक्स वसूलते थे, वह भी ऐसा वसूला जाता था जिसका लोगों को पता ही नहीं चलता था और उससे डेवलेपमेंट आगे बढ़ता था। यह बजट जो आप देख रहे हैं, एक सत्य निष्ठ योगी को वोट करने का परिणाम देख पा रहे हैं। यह योगी जी की और हमारे वित्त मंत्री जी के प्रभाव से ऐसा हो पाया है। यदि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो उसमें किसकी बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। यदि हम युवाओं की बात करेंगे तो उनके लिए निश्चित ही रोजगार की बात करेंगे। अब जो बेरोजगारी दर है वह केवल 2.4 प्रतिशत रह गयी है। करीब 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हमारे प्रदेश में ऊपर उठ कर आए हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हमारे यू0पी0 के बजट के और हमारी व्यवस्थाओं का रिफ्लेक्शन है, जो हम देख पा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है, जिससे करीब-करीब 1.10 करोड़ के आस-पास बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल पाएगी। यदि हम इस बजट में किसानों के लिए देखते हैं तो किसानों के लिए सम्मान निधि डी0बी0टी0 के माध्यम से जा रही है, यहां भ्रष्टाचार नगण्य हो गया है, यदि 2 हजार रुपये जाते हैं तो 2 हजार रुपये ही खाते में पहुंचते हैं। पहले हम जो करप्शन देखते थे कि एक-एक चीज के लिए पैसे लिये जाते थे, अभी हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी की योजना की दृष्टि से, मुख्य मंत्री योजना की दृष्टि से, गरीब लोगों के लिए बहुत सारे मकान बनाए जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना की दृष्टि से नरेगा से लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे कि जॉब कर पाएं और टेक्निकली मजबूत हो पाएं। बहुत सारी आई0टी0आई0 बन रही हैं जिसमें टाटा कंसलटेंसी के साथ में आपस में समायोजन करके, आई0टी0आई0 बन रही हैं, जिससे कि जो बच्चे पढ़कर आएंगे डिजिटलाइजेशन में वह सीख पाएंगे। जो आज की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी विधाओं में पारंगत हो पाएंगे और आने वाले समय में सबको शिक्षा दे पाएंगे। महिलाओं की बात करते हैं, जो निराश्रित महिलाओं के लिए केवल 500 रुपये पेंशन मिलती थी, उसको 1000 रुपये करने का कार्य हमारी सरकार में किया गया है। वूमन पी0ए0सी0 के बारे में कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि पी0ए0सी0 में भी महिला हो सकती हैं। बदायूं में एक पूरी बटालियन बनाने का काम किया गया है। युवाओं की उन्नति की बात करते हैं, खेल-कूद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो करीब 124 ब्लॉकों पर खेल का एक मिनी स्टेडियम बनाया गया है, जिससे बच्चे खेलेंगे और स्वस्थ रहेंगे और जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही देश की डेवलेपमेंट में, आगे बढ़ाने में युवाओं का बहुत योगदान रहेगा।

सबसे बड़ी बात उन खेलों में भी अन्तर्राष्ट्रीय लेवल के जो खिलाड़ी हैं, उनको नौकरी मिलेगी। खाली नौकरी मिलना विषय नहीं है, करीब डेढ़ लाख महीना के हिसाब से खिलाड़ियों को अप्वाइंट किया जाएगा, उसका एक और उपयोग है बच्चे खेलना चाहेंगे कि खेल से भी नौकरी मिलती है। जो अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलेंगे उनको पूरी-पूरी नौकरी मिलने की सम्भावना बढ़ जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिर्वतन हुआ है, उसकी लोग कल्पना ही कर सकते हैं। आयुष्मान भारत से क्या गरीब, रिक्शेवाला कभी सोच सकता था कि उसको जरूरत पड़ेगी तो वह घुटना बदलवा सकता है, क्या वह कभी कूल्हा बदलवा सकता था, हार्ट अटैक से लोग मर जाते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था। आज गाँव का गरीब किसान, रिक्शेवाला, ठेले वाला वह पैसे के अभाव में नहीं मरता। वैसे जीना-मरना तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन जो कष्ट का भाव होता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, यह बिल्कुल दूर हो गया है। पहले जो 5 स्टार फैसिलिटी पैसे वालों को मिलती थी, वह अब गरीब आदमी को भी मिल पा रही है। यह चिकित्सा में कितना मूलभूत

परिर्वतन हुआ है। शिक्षा की बात करते हैं, कायाकल्प की दृष्टि से देखिये बच्चों के जो छोटे-छोटे स्कूल हैं, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि कितने सुंदर हो गए हैं।

मान्यवर, जाने से ही मनमोहक लगते हैं। माध्यमिक विद्यालय की बात करते हैं, सब जगह स्मार्ट क्लासेज हो गयी हैं। टैबलेट्स की बात करते हैं, डिस्पले एजुकेशन बढ़ाने के लिए चार हजार करोड़ के आस-पास का बजट दिया गया है, ताकि सब बच्चे डिजिटलाइज्ड एजुकेटेड हो पाएं और पढ़-लिख पाएं। यदि हम डाटाओं की बात करें, तो 2014 के आस-पास जो मातृ मृत्यु दर थी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अपनी बात को समाप्त करें। आपका समय पूरा हो गया है।

डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा-

मान्यवर, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपको बताना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

एक-दो लाइन हों, तो संक्षिप्त में बता दें।

डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा-

मान्यवर, बीसलपुर रोड से बरेली के बड़े बाईपास को जब क्रास करते हैं, वहाँ पर एक ओवरब्रिज बन जाए। हमारे यहाँ राम गंगा पवित्र नदी बहती है, वहाँ पर एक पर्यटन स्थल बन जायेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री अवधेश प्रसाद जी।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये वर्ष 2024-25 के भारी-भरकम बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है। श्रीमन्, मैंने इस बजट को बहुत सम्यक् रूप से पढ़ा है। यह 36 पेज का है। इस बजट को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि भारी-भरकम बजट है, बहुत बड़ा बजट है, उसी तरह से निश्चित रूप से 36 पेज देखने से ऐसा लगता है कि प्रदेश की लगभग 24 करोड़ जनता के साथ भारी-भरकम धोखा भी है। इस बजट में पूरी तरह से बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने समाज के गरीबों और दलितों, पिछड़ों और पी0डी0ए0 के लिए जो व्यवस्था दिया है, उसका पूरी तरह से सरासर उल्लंघन है।

श्रीमन्, हम कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। हम अपने विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जहाँ की महान जनता ने हमें जिताकर यहाँ भेजा है। मुंगीशपुर में आश्रम पद्धति विद्यालय

मा0 श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के रहते रु0 16 करोड़ की लागत से शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आये हुए 7 साल हो गया, लेकिन वह विद्यालय आज तक नहीं चल पाया। ये विद्यालय केवल समाजवादियों के लिए ही नहीं था। ये विद्यालय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जाति और सामान्य जाति के गरीब बच्चों के लिए जब मैं समाज कल्याण मंत्री था, तो मैंने खुलवाने का काम किया था, लेकिन आज तक हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मिल्कीपुर और अयोध्या की जनता ने क्या कसूर किया है कि उस आश्रम पद्धति विद्यालय को ये सरकार नहीं चला रही है। श्रीमन, मैं आपके माध्यम से सदन से माँग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इस आश्रम पद्धति विद्यालय को चलाया जाय।

श्रीमन्, यही नहीं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी सरकारें होंगी, चाहे केन्द्र की सरकार होगी व राज्य की सरकार होगी, ये सरकारें कल्याणकारी काम करेंगी। वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गयी है, लेकिन आज ये सरकार देश, प्रदेश व कल्याणकारी योजनाओं को बेच रही है। हम इसका जीता-जागता उदाहरण देंगे। हमारे क्षेत्र में हैरिंग्टनगंज में एक आई0 टी0 आई0 कॉलेज मा0 अखिलेश जी के शासनकाल में सिंधौरा में बहुत बढ़िया तरीके से बनी है। केन्द्र सरकार से भी उसकी सहमति थी। बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है, लेकिन इस सरकार ने हमारे उस आई0 टी0 आई0 कॉलेज को निजी हाथों में बेच दिया है। वह आई0टी0आई0 कॉलेज हैरिंग्टनगंज व सिंधौरा में चलना चाहिए था, जहाँ के एक संघर्षशील नेता, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, आदरणीय मित्रसेन यादव जी का गाँव है, क्षेत्र है। उसको 51 फीसदी प्राइवेट हाथ में और 49 फीसदी सरकारी हाथ में बेच दिया है। आज उसको हरिंग्टनगंज व सिंधौरा में चलना चाहिए था, लेकिन वह अयोध्या में चल रहा है, जहाँ पर डेयरी है, ये क्या है ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पूरी तरह से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था है, यह सरकार उससे हटकर काम कर रही है। यही नहीं जब हमारी सरकार थी तब हमारे नेता मा0 अखिलेश जी मुख्य मंत्री थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने हमारे पिछड़े इलाके में एक राजकीय महिला महाविद्यालय दिया था। राजकीय महिला महाविद्यालय बनकर तैयार है, लेकिन इस सरकार ने उसका राजकीय नाम समाप्त कर दिया है और उसको अवध विश्वविद्यालय के हवाले कर दिया है। विश्वविद्यालय के वी0सी0 साहब को विश्वविद्यालय देखने का मौका ही नहीं है। आज वहाँ की हालत यह है कि वहाँ केवल 3 बच्चियां हैं। अध्यापक गोरखपुर, दिल्ली से आते हैं और आर0एस0एस0 के कार्यकर्ता हैं। मैंने खुद जाकर उनसे पूछा और देखा कि तीन-तीन बेटियां हैं। क्या मा0 अखिलेश जी ने वह विद्यालय समाजवादियों के लिए खोला था ? सबके लिए खोला था, लेकिन यह सरकार गुण गाती

है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। न तो सबका विकास है, न सबका साथ है, बल्कि सबका अपमान है। इसी तरह से आचार्य नरेन्द्र देव विश्व विख्यात समाजवादी चिन्तक और विचारक हैं, उनके नाम पर अयोध्या में आचार्य नरेन्द्र देव रेलवे स्टेशन था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने वहाँ पर जो गाड़ियां आते-जाते रुकती थीं, उसको समाप्त कर दिया है। आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत थोड़ा सा बचा है। सत्ता पक्ष के सदस्य अभी कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं। अरे भाई राम तो हजारों-हजारों साल से आये हैं। हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम वहीं पैदा हुए हैं। हमारे रोम-रोम में राम हैं। हमारे बाबा का नाम भी रामनेवल था। हमारे भाई का नाम रामअवध था, हमारे मामा का नाम परशुराम था और यह झूठमूठ का कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को यह नहीं लाए हैं। राम सर्वमान्य हैं, यह राम को लाने वाले नहीं हैं। यह राम पर राजनीति करते हैं। यह राजनीति बन्द करें। दलितों, कमजोरों और किसानों के लिए एक ऐसा हिन्दुस्तान बनायें, जिस हिन्दुस्तान के लिए डॉ0 राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है और समाजवाद मजबूत हो, वही असली रामराज्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

आप सबसे निवेदन है कि कृपया 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

***श्री अताउर्रहमान-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सत्ता पक्ष के साथी अपने सम्बोधन में अपना आधा समय सरकार की तारीफ करने में लगाते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई समस्या बची ही नहीं है। उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन गया है, लेकिन अपना आधा समय जब अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं विकास कार्यों के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाते हुए खुद ही उत्तर प्रदेश की बदहाली को बयां करते हैं। जबसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आयी है तबसे हमेशा लाखों-करोड़ का बजट बनाया जाता है, जबकि बजट न के बराबर खर्च हो पाता है। सिर्फ सरकार की तारीफ के लिए लम्बा-चौड़ा बजट बनाया जाता है। गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में इस बजट 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपये से अधिक का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिकार्ड मूल्य भुगतान बताया गया है। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने इतना गन्ना भुगतान करके किसानों पर कोई अहसान कर दिया है। यह कभी नहीं बताया कि गन्ने का कितना भुगतान बकाया है। सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में करने की घोषणा की थी। अकेले केसर इण्टरप्राईजेज चीनी मिल बहेड़ी पर लगभग 210 करोड़ रुपये बकाया है। 105 दिन यह मिल चली है और सिर्फ 22 दिन का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। मेरे क्षेत्र बहेड़ी का गन्ना किसान बहुत परेशान है। अपनी बेटियों की शादी कैसे कराये, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस कहां से जमा करे। मेहरबानी करके गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले चीनी मिल बहेड़ी के गन्ना किसानों का 210 करोड़ रुपये बकाये का भुगतान करा दें।

मान्यवर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात बड़े ही जोर-शोर से की गई है, जबकि बरेली में बेंत का फर्नीचर, बरेली का सुरमा, जरी-जरदोजी, बरेली का मांजा, का काम भी बड़े पैमाने पर होता है और बहुत ही मशहूर भी है। लेकिन एक भी प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया गया है। कृपया शामिल करने का कष्ट करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी जो कि उत्तराखण्ड बार्डर पर है अपनी विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ग्राम चंगासी में मा0 आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बिजली विभाग को 33 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बनाने के लिए जमीन दी थी। उस जमीन पर 33 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन का निर्माण कराने की कृपा करें। विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के कस्बा बहेड़ी में एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के नगर पंचायत रिछा में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण होना अति आवश्यक है।

विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के कस्बा बहेड़ी से सितारगंज किच्छा रोड इंटर स्टेट सड़क का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। कस्बा बहेड़ी से मुंडिया नबी बक्श होते हुए पीलीभीत बॉर्डर तक चौड़ीकरण कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के बरेली-नैनीताल रोड पर रिछा रेलवे स्टेशन गिरधरपुर होते हुए राजूनगला तक मरम्मत का कार्य होना अति आवश्यक है। विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के रिछा जहानाबाद रोड पर कुण्डरा कोठी से वालपुर गौटिया तक शेष भाग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण करना अति आवश्यक है। विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के कस्बा रिछा से ग्राम पुरैनियां होते हुए ग्राम गुड़वारा-बरेली-नैनीताल रोड तक चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण होना अति आवश्यक है। आखिर में मैं बात खत्म करने से पहले कहूंगा कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है। इस बजट से उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला नही है। एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि 'शोहरत की फजाओं में इतना भी न इतराओ परवाज न खो जाये इन ऊँची उड़ानों में' बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

आपका धन्यवाद। आपने समय से अपनी बात समाप्त करी। मा0 श्री बेदी जी आप बोलिए।

***श्री बेदी-**

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं इसकी चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार कृषि के क्षेत्र में किसानों की दुगनी इनकम करने के लिए सदैव निरन्तर प्रयास कर रही है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सबमें निरन्तर योगी सरकार प्रयास कर रही हैं। जीरो टॉलरेन्स की नीति पर अपराध मुक्त समाज और भय मुक्त समाज के लिए सदैव प्रयास कर रहे है। इसके लिए मैं योगी सरकार को मा0 योगी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या थोड़ी हैं वैसे तो पहले हमारी विधान सभा क्षेत्र बहुत बीमारू थी लेकिन इस समय सड़कों की हालत बहुत अच्छी हो गई हैं और सारी सड़कें बन गई हैं। लेकिन एक सड़क है जो जाती है बहरियाबाद तिराहे से आजमगढ़ तक उसका उच्चीकरण और चौड़ीकरण करना बहुत जरूरी है। हमारे विधान सभा क्षेत्र जखनिया आजमगढ़ में एक ग्रामीण न्यायालय है वह बहुत जर्जर हालत में है। वह सड़क से करीब दो फीट नीचे है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि उसको भी बनाया जाये और हमारे विधान सभा क्षेत्र जखनिया में कोई सब्जी मण्डी नहीं है। अगर सब्जी सब पैदा करते हैं तो सीधे गाजीपुर ले करके जाते हैं। तो वहाँ एक सब्जी मण्डी का भी मैं निर्माण चाहता हूँ और वीर अब्दुल हमीद का पार्क है उसका सौन्दर्यीकरण और उसका विस्तार किया जाये। क्योंकि देश की आजादी के लिये उन्होंने सरहद-ए-हिन्द पर झण्डा लहराया था। वहाँ पर स्थित पशु चिकित्सालय बिल्कुल जर्जर हो गया है, उसको भी ठीक कराया जाये। सादियाबाद, बहरियाबाद और जखनिया को नगर पंचायत बनाया जाये और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कौशल विकास केन्द्र खोला जाये।

मैं ज्यादा समय न लेते हुये कहना चाहूँगा कि राजभर समाज को एस0टी0 में शामिल किया जाये, क्योंकि चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो वह बहुत पीछे हैं। मा0 ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह राजभर समाज को एस0टी0 में शामिल करने के लिये सतत् प्रयास करते रहे हैं। मा0 योगी आदित्यनाथ जी इसका सर्वे भी करा चुके हैं और मेरा आग्रह है कि चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजभर समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। शैक्षणिक रूप से राजभर समाज बहुत ही पीछे है। उसके लिये पैकेज के रूप में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, क्योंकि जब यह शिक्षित हो जायेंगे तो यह अपनी स्थिति स्वयं ही ठीक कर लेंगे। इसलिये पैकेज के रूप में इनमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये, जिससे इनका विकास हो सके। चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की यह चाहत थी कि वह सभी जो पिछड़े हुये लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, उनको शिक्षित किया जाये। इसलिये मेरा आग्रह है कि राजभर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज को शिक्षित किया जाये और पैकेज दिया जाये। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 श्री ब्रिजेश सिंह जी।

श्री ब्रिजेश-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इस हेतु सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस बजट के लिये मैं मा0 यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा अपने मा0 वित्त मंत्री जी को आस्था की जमीन पर तैयार किये गये रामराज्य के इस पहले बजट की हार्दिक बधाई देता हूँ। सरकार का यह बजट रामपथ रूपी विकास के रथ को पहले से और तेज गति से प्रगति पथ की ओर ले जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। किसी ने कहा है कि 'कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े-थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।' आज जब हम लोग रामराज्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार का यह बजट भी रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के साढ़े छः वर्ष से अधिक लम्बे कार्यकाल के बाद यह सरकार इस वर्ष 07 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट ले करके आयी है। यह बजट प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा जिससे प्रदेश विकास के एक नये आयाम को प्राप्त करेगा।

मैं जब इस बजट की चर्चा करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार के इस साल वाले राम को समर्पित इस बजट को देश के अन्दर अन्य प्रदेशों की सरकारें भी मिसाल के रूप में लेंगी। मैं जिस विभाग का राज्य मंत्री हूँ, जब अपने उस विभाग के बजट की चर्चा करता हूँ तो इस बजट में मेरे विभाग के लिये 34 हजार 858 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे रोड इन्फास्ट्रक्चर डेवलॅप होगा, और अच्छा होगा तथा उससे विकास में तेजी आयेगी। मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथी कई बातों पर चाहे वह राम की चर्चा हो, चाहे विकास की चर्चा हो, चाहे कानून-व्यवस्था की चर्चा हो, हर बात में हमारी सरकार को अनेकों रूप से दुहाई देने का काम करते हैं। किसी ने सही कहा है कि 'कुछ तो फूल खिलाये हमनें और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल यह है कि बाग में अब भी कई काँटे पुराने हैं'।

मान्यवर, मैं अपने विपक्ष के मित्रों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले भी सड़कें बनती थीं, लेकिन हवा में बनती थीं। पुलिया जंगल में और खेतों से निकाल दी जाती थीं। इन सब चीजों की बन्दरबांट को बन्द करने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। अब यह नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है, जिस उत्तर प्रदेश को देश के अन्दर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे वाला

प्रदेश कहा जाता है, जिस उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला प्रदेश कहा जाता है। किस-किस सेक्टर की उपलब्धियों की चर्चा करूँ, किस-किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, इसकी क्या चर्चा करूँ।

मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर इरादे बुलन्द हों दृढ़निश्चय हमारा हो तो कोई भी लक्ष्य कभी नामुमकिन नहीं होता है। इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीमारू और प्रदेश की चुनौतियों पर न सिर्फ काबू पाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लिए आगे एक रोल मॉडल बन चुका है। 'यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट को लेकर भी चिराग जलता है'। डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर फोकस करते हुए काम कर रही है। योगी सरकार के लिए गरीब, महिलायें, युवा, किसान प्राथमिकता में शामिल हैं। जब आज हम किसान की बाद करते हैं तो आज का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जब इस देश के अन्दर पहली बार किसी किसान नेता ने किसान की आवाज को उठाने का काम किया था ऐसे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को देश के प्रधानमंत्री ने भारत रत्न देकर किसान की जाति को जो सम्मान दिया है, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। आज इन्हें सशक्त करने की दिशा में मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। यह बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं का ध्यान रखने वाला बजट है। हमारी सरकार का यह बजट न सिर्फ जरूरतों को पूरा करने वाला है बल्कि आकांक्षाओं को एक नई उड़ान भी देने वाला है। आज हमारे इस बजट में डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन से प्रतिबन्ध हटने से 1 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 63 हजार करोड़ की धनराशि 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। अभी एक विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमने गन्ने का क्या भुगतान किया है ? 46 लाख गन्ना किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान यदि किसी सरकार ने किया है तो हमारी ही सरकार ने किया है। आज चाहे वह हैरिटेज टूरिज्म हो, चाहे आस्था के साथ जुड़े हुए अन्य पर्यटन स्थल हों उन सबका विकास करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं पर्यटन मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंन मेरे आग्रह पर मेरी विधान सभा क्षेत्र के एक बहुत ही पौराणिक स्थल मणिकेश्वर महादेव को और पाँच सौ वर्ष पुराने बहुत ही प्राचीन राधा बल्लभ जी के मन्दिर के लिए पर्यटन योजना के अन्तर्गत एक बड़ी धनराशि देकर विकास करने का काम किया है। ऐसे अनेकों आंकड़ें हैं जिन पर मैं और लम्बी बात रख सकता हूँ।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में माता शाकुम्भरी शक्तिपीठ, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की तपस्थली पर देवबन्द के नाम से स्थित है। यह वही देवबंद है जिस देवबन्द को फतवों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आज जब विपक्ष के साथी कहते हैं, कल भी कई लोग चर्चा कर रहे थे, हम राम नाम का विरोध नहीं करते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति के रामलला के प्राण

प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने पर एक फतवा जारी हुआ कि आप वहाँ कहां गए, लेकिन फतवा जारी करने वाले यह भूल गए कि अब देवबन्द को और भारत को फतवों की नगरी के कारण नहीं जाना जाता है। इस उत्तर प्रदेश को पहले से राम और कृष्ण के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह राम और कृष्ण का प्रदेश है। मेरे देवबन्द में, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जिस देवबन्द को न जाने कितनी आतंकवादी गतिविधियों के नाते एक हेय दृष्टि से देखा जाता था, देश की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा था और जब पिछला चुनाव चल रहा था इन्हीं समाजवादी पार्टी के एक नेता ने राष्ट्रीय चैनल पर बोला था कि ए0टी0एस0 सेन्टर की नींव तो रख दी गयी है, वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है। इस सदन में बड़े ही विश्वास के साथ बोलता हूँ और राज्य मंत्री होने के नाते सरकार की तरफ से बोलता हूँ।

2022 में हमने नींव रखी थी और वह पूरा ए0टी0एस0 सेन्टर बनकर तैयार हो गया है। यह मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के उस कथन को तय करता है जिसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार जिसका शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूँ बड़े वरिष्ठ सदस्य सामने से कल बोल रहे थे कि पिछले दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा एक भी नव निर्माण का कार्य नहीं हुआ है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि 2022-23 में 1890 किमी0 के नव निर्माण 1481 करोड़ की लागत से बने हैं। 2023-24 में 2260 किमी0 के नव निर्माण 1796 करोड़ रुपये की लागत से हमने बनाये हैं। सामने के एक माननीय सदस्य ने राम जी पर चर्चा करते हुए दो लाइनें बोली थीं कि 'राम-राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा' मैं बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने मर्यादा ही तो निभाई थी 11 दिन भूमि शयन करके। मर्यादा ही तो निभाई थी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 दिन नारियल पानी पीकर और प्रधानमंत्री जी ने मर्यादा ही तो निभाई थी प्राण-प्रतिष्ठा के दिन सिर्फ चरणामृत पीकर। यह मर्यादा हमने निभाई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी की बात करूं तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मन्दिर निर्माण में एक तपस्वी साधक की तरह काम किया है और आँकड़ों के साथ बताता हूँ। 05 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ 22 जनवरी, 2024 को भगवान की प्राण-प्रतिष्ठा हुई। इन 41 माह 17 दिन में प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 64 बार अयोध्या में जाकर अपने आराध्य के मन्दिर की प्रगति के लिए दौरा किया था।

आपने बात की माता शबरी की, निषादराज केवट की, सन्त शिरोमणि दास की, सन्त तुलसी दास की, महर्षि बाल्मीकि जी की तो आपको बताना चाहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में चाहे डोम राजा हों, वनवासी हों, घुमन्तू हों, बाल्मीकि हों, अनुसूचित जनजाति हो, निषाद समाज हो, मराठा हो इन सब समाज के रूप में प्राण-प्रतिष्ठा में यजमान के रूप में उपस्थित थे। विपक्ष के एक अन्य सदस्य ने डा0 लोहिया के कथन का प्रयोग किया था।

डा0 लोहिया ने कहा था हे प्रभू अगर मुझे कुछ देना तो प्रभु राम की मर्यादा देना। कृष्ण का गर्व देना, शिव का मस्तिष्क देना। देश के प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद प्रभु राम की मर्यादा के वचन को पूरा किया। अयोध्या में मन्दिर बनवाया। शिव को भारत का मस्तिष्क मानकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। चिन्ता मत करिये। योगेश्वर नन्दन श्री कृष्ण को पूरे गर्व के साथ गौरवान्वित कर मथुरा भी सजायेंगे। राम चरित मानस की एक चौपाई में आता है कि 'राम काज कीन्हें बिनु, मोहि कहां विश्राम' वर्ष 2047 तक मेरे प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए कहा है। मैं इस चौपाई को ऐसे कह सकता हूँ कि 'विकसित भारत कीन्हें बिनु, मोदी जी नहीं लेंगे विश्राम' आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए। जय श्री राम। भारत माता की जय।

श्री अजय सिंह-

जय श्रीराम। वर्ष 2024-25 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बहुत यशस्वी वित्त मंत्री जी ने जो 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ का बजट पेश किया। यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को, वंचित वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। अटल बिहारी बाजपेई जी की कुछ पंक्तियां इसी सन्दर्भ में हैं-

'टूटे हुए तारों से निकले बसन्ती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आये नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची की अरुणिमा में रेख देख पाता हूँ, गीत मैं गाता हूँ।'

टूटे हुए सपनों का यह बजट टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी अन्तर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता-मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। जो सरकार का संकल्प है प्रधानमंत्री जी व मुख्य मंत्री जी का संकल्प है, और हमारी सरकार का जो संकल्प है उनको पूरा करने वाला यह बजट है। अधिष्ठाता महोदय, यह लोकतंत्र का मंदिर है और 25 करोड़ जनता का यह प्रतिनिधित्व करता है। मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आज कृषि के महान वैज्ञानिक एम0 एस0 स्वामी नाथन जी को भी भारत रत्न दिया गया है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ और सबसे बड़ी बधाई अगर किसी को देता हूँ तो वह श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी मैं उनको भी बधाई देता हूँ। उसके साथ-साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी नरसिंह राव को भी भारत रत्न दिया गया है उनको उसके लिए बधाई, लेकिन वह जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो इसी विधान सभा में बाबू जी कल्याण सिंह जी यहां के मुख्य मंत्री थे।

आज मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ अगर पी0वी0 नरसिंहा राव जी को भारत रत्न मिल सकता है तो बाबू जी कल्याण सिंह जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए यह मेरी

अपनी सोच है। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जब सन् 1949 से ले करके भगवान श्रीराम अयोध्या में जो जन्म भूमि थी वहाँ पर अवतरित हुए थे तबसे लेकर सन् 22 अक्टूबर, 1990 में अगर पहला शहीद कोई है तो हमारी विधान सभा क्षेत्र के कुंवर सत्यभान सिंह, रमेश गुप्ता और जयराज यादव जी पहले शहीद थे जो समाजवादी पार्टी के अपने उसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की अत्याचारी सरकार ने गोलियों से भून दिया था और कोई मुआवजा नहीं दिया था। उनके घर पर जाकर अशोक सिंघल जी ने जो आज हमारे बीच में नहीं है और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने इन सभी लोगों ने जा करके उन परिवारों को एक-एक लाख रुपये दिये थे जो पहले शहीद थे और हमको यह भी गौरव प्राप्त है हमारी जो पीढ़िया हैं उसमें साढ़े तीन लाख लोग शहीद हुए। हम लोगों से ज्यादा गौरवान्वित कौन हो सकता है। भारत के 142 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग आज गौरवान्वित हैं, क्योंकि अयोध्या धाम में भगवान रामलला विराजमान हो गये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहां जो भगवान राम के पुत्रेष्ठक स्थली मखधाम मखोड़ा जहां पुत्रकामेष्ठि यज्ञ हुआ था। आज जो 84 कोस की परिक्रमा का प्रारम्भ स्थल है वह भी रोड बन रही है। उसके साथ-साथ जो अयोध्या से मखोड़ा धाम और मखोड़ा धाम से श्रृंगीनारी के लिए राम अवतरण कारिडोर का प्रस्ताव मा0 मुख्य मंत्री जी ने कर दिया है। मैं उनको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह जो बजट है जिस पर हम लोग मंथन व चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं।

आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केन्द्र भारत है और भारत के आकर्षण का केन्द्र उत्तर प्रदेश है। क्योंकि राम राज की जो परिकल्पना है और भगवान राम जब अयोध्या लौटते हैं तो यह होता है कि सभी हर्षित हो जाते हैं। किसी में कोई बैर नहीं है किसी में कोई विषमता नहीं है किसी में कोई राग नहीं है और सभी आपस में परस्पर प्रेम करते हैं सभी अपने-अपने धर्म पर चलते हैं। कोई दरिद्र नहीं होता है, कोई दुखी नहीं होता है, कोई बुद्धिहीन नहीं होता है और कोई लक्षण से हीन नहीं होता है। जो एक परिकल्पना होती है तब क्या होता है नये भारत में बना उत्तर प्रदेश और उसमें क्या होता जब हम एक गरीब को घर देते हैं तो उसे बिजली भी देते हैं उसे हम प्रकाश भी देते हैं उसे हम गैस का कनेक्शन भी देते हैं। उसे हम एक शौचालय भी देते हैं। इस नाते कम हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो सामूहिक विवाह की व्यवस्था बनाई है। आज छोटे से घर में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भी देते हैं, हम किसान को साल में 6000 रुपये सम्मान राशि भी देते हैं, हम पेंशन की व्यवस्था भी करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अब आप बैठिये। माइक बन्द कर दिया जाये।

***आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु')-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के इस बजट पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूँ। मैं अपने यशस्वी माननीय वित्त मंत्री आदरणीय खन्ना जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस देश के ग्रोथ का इंजन बनने की तरफ जा रहे उत्तर प्रदेश को एक ऐसा ऐतिहासिक बजट दिया है, जो निश्चित ही सपनों को पूरा करने का काम करेगा। भगवान रामलला के इस प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में उस दिन जब सारा विश्व, सारा देश और सारा उत्तर प्रदेश खुश हो रहा था तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी विशेष तौर पर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। उसकी खुशी के पीछे यह कारण था कि जब इस देश में आज से 500 सौ साल पहले धर्म और संस्कृति खतरे में थी और मुगलों का राज था तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना के लिए काशी को अपना घर बनाया था। उस दौर में रामचरित मानस के बारे में लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि कभी इस देश के लोगों के धर्म और संस्कृति के जागरण की यह ऐसी पुस्तक बनेगी कि दुनिया में कोई भी सनातनी होगा तो उसके घर में एक रामचरित मानस अवश्य होगी। हम इसके लिए बाबा को प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं। उन्होंने सिर्फ रामचरित मानस की रचना ही नहीं की। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन भगवान शंकर की नगरी काशी को इस बात का नाज है कि आराध्य भगवान राम की लीलाओं का सर्वाधिक मंचन दुनिया में अगर कहीं होता है तो वह काशी नगरी में होता है। तुलसी दास द्वारा स्थापित जो चित्रकूट रामलीला है वह काशी के हर मुहल्ले में अपने 500 सौ वर्ष पूरे कर चुकी है।

आज काशी की गलियाँ, रामलीला की कमेटियाँ और रामलीला के पात्र भी खुश होंगे कि उनके आराध्य राम विराजे हैं। काशी में रामनगर की रामलीला दुनिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित रामलीला है। निश्चित ही भगवान राम के आराध्य अगर भगवान शंकर हैं और काशी नगरी में भगवान शंकर हर घर में हैं तो आपको इस बात को बताते हुए मुझको खुशी होगी कि भगवान शंकर की उस नगरी के हर घर में भगवान राम का दरबार है। काशी नगरी भी आज आह्लादित है। एक और खुशी की बात है कि जब भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हो रही थी तो देश खुश था कि उनके प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा की जा रही थी। भगवान राम जब लंका की चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने रामेश्वर में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया था। इतिहास कैसे दोहराता है कि जब भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हो रही थी तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं, वह काशी के सांसद और काशी के एक बेटे के रूप में भी राम लला की उस प्रतिष्ठा में शामिल थे, जिसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक प्रश्न है कि चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, चाहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहन मायावती जी हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, उनको जब शासन करने का मौका मिलता है तो वह लोग सत्ता के मद में किस कदर मशगूल हो जाते हैं कि जो काम करना है वह नहीं कर पाते और जो नहीं करना है वह सारे काम करते हैं। किसी को छः महीने रहने का मौका मिलता है, किसी को दो साल रहने का मौका मिलता है

(इस समय 06 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, हम बधाई देना चाहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए दो लाइनें कहना चाहते हैं कि हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया और कुछ लोग जुगनुओं की चमक में भी मगरूर हो गये। यह लोग यह भूल जाते हैं कि सत्ता किस बात के लिए मिली है। इनको जब एयरपोर्ट बनाने का अवसर मिलता है तो इनको सैफई दिखाई देता है। सैफई एयरपोर्ट की दशा, अगर आपको मौका मिले तो वहाँ की तस्वीरें मंगा लीजिएगा, वहाँ गाँव के लोग खलिहान करते हैं, वहाँ पर गाँव के लोगों द्वारा गोबर पाथे जाते हैं। आप परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को पीने का शुद्ध पानी जल जीवन मिशन के द्वारा उपलब्ध कराने के लिए हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। इनको जब अवसर मिला तो इन्होंने सैफई में स्वीमिंग पूल बनाये जिसमें भैंसे नहाया करती हैं। यह इस शासन और सत्ता का दुर्भाग्य है। जब अस्पताल की चर्चा होती है तो यह नाराज होते हैं। इनके दौर में हम डॉक्टरों को पांच लाख रुपया तनख्वाह देकर उत्तर प्रदेश में नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एवं इण्डो-क्राईनोलॉजिस्ट हॉयर करते हैं तो इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके दौर में डॉक्टर पांच लाख रुपया महीना रंगदारी दिया करते थे।

इनको वह दौर याद नहीं है। उद्योग एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात होती है तो यह हमारा उपहास करते हैं। इनको क्या पता कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितने लाख करोड़ रुपये आए। इनका इस बात से वस्ता नहीं है, इनका वास्ता इस बात से है कि इनके दौर में अपरहण, वसूली एवं रंगदारी के उद्योग लगा करते थे। इनको यह उद्योग दिखाई नहीं देते हैं। यह अपने आपको भगवान श्रीकृष्ण के वंशज कहते हैं, यह कहते हैं कि हम भगवान श्रीकृष्ण के यदुवंश से आए हैं। यह गाय की बात करते हैं। स्लाटर हाउस में गायों को कटवाकर गायों की संख्या को ही खत्म कर दिया। अब गायों की चिन्ता करते हैं और हम गायों के लिए घर बना रहे हैं, गायों के राशन की चिन्ता करते हैं वह विषय इनको दिखाई नहीं देता है। भगवान श्रीकृष्ण को भी भुला दिया, इन्होंने गाय को भी भुला दिया। किसी ने कहा कि 'शोहरत की बुलन्दी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वह टूट भी सकती है'। जब-जब इनको अवसर मिला तो इनकी डालें टूटती रहीं। इस देश में 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं, लेकिन यह इनको दिखाई नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ गरीबों के आवास बनते हैं, लेकिन जब इनको शासन और सत्ता मिली तो इन्होंने सिर्फ अपने घर बनाये हैं। समाजवादी पार्टी के एक परिवार के लोगों के घर हिन्दुस्तान के हर शहर में गिन लिए जाएं, लखनऊ में

कितने आवास हैं। यह सत्ता में होते हुए मंत्री, सांसद एवं विधायक थे। यह शायद अपनी संख्या नहीं बता पायेंगे। इनको घर बनाने का अवसर मिलता है तो यह गरीब का घर नहीं बनाते हैं, यह अपने घर बनाते हैं। आप इनकी बड़ी-बड़ी हवेलियां गिन सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब इनको समय मिलता है तो यह लोग शासन और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और इसको हम देखते हैं, समाज देखता है, उत्तर प्रदेश की जनता एवं वोटर देखता है। यह कागज पर कहते हैं कि पांच बार की सत्ता, छः बार की सत्ता एवं चार बार की सत्ता को गिनाते हैं। हम इतिहास रचने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बधाई देते हैं। वर्ष 2014 में केन्द्र में सरकार बनी जिसको 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इनकी सरकार जब वह वर्ष 2014 में थी, मैं आयुष विभाग का मंत्री हूँ, हमारा मंत्रालय बनाने के लिए जब उत्तर प्रदेश के मुखिया से कहा गया तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय तीन वर्ष बनने नहीं दिया। जब वर्ष 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आई तब आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना।

हमको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम 38 वर्ष बाद लगातार किसी दूसरे मुख्य मंत्री को मौका मिलने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार बनाते हैं। हम आजादी के बाद के पिछले 70 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी मुख्य मंत्री का कार्यकाल लगातार रहा हो तो वह योगी आदित्यनाथ जी का सात साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हमको मौका मिलता है तो हम ऐसे काम करते हैं। हम दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे और हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए कहना चाहते हैं कि 'हम समुन्दर के साथ गाते हैं, हम लहरों पर घर बनाते हैं और ठण्ड लगती है जब पहाड़ों को बीनकर बिजलियां जलाते हैं'। ऐसे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। इनके जितने भी विषय हैं, गरीब की बात करो तो भी उपहास करते हैं, सड़क की बात करो तो उपहास करते हैं, उद्योग की बात करो तो भी उपहास करते हैं। आपको भी गरीबों का दिल जीतने का मौका मिला था, आपको किसानों के आंसू पोंछने का मौका मिला था।

उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को क्या हो गया है ? जिस किसान की ये बात करते थे, पूरे देश के किसानों को आपने किसान सम्मान निधि देकर अपना बना लिया, दलित की बात करते थे, आपने गरीबों को मुफ्त राशन एवं मकान देकर पूरे देश के दलितों को अपना बना लिया। कर्पूरी का नाम लेते थे, आपने उन्हें भारत रत्न देकर वह विषय भी छीन लिया। हम बधाई देना चाहते हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर यह विषय भी इनसे छीन लिया। आपने रोटी, कपड़ा, मकान का इनका नारा छीन लिया, अब ये नारे क्या लगायेंगे। आपने इनका जो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था जिसके बूते ये सत्ता पाते थे, आपने गिरीश मोहन यादव को मुख्य मंत्री बनाया तो हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाते हैं। जब उत्तर प्रदेश का मुसलमान रामलला का दर्शन करने जाता है, जब रामलला

के मंदिर में अल्पसंख्यक भाई जाता है, तो इनकी छाती फटने लगती है कि कहीं मुसलमान इनसे अलग न हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद मंत्री जी, प्लीज आपका समय पूरा हो गया है।

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

मा0 अध्यक्ष जी, केवल दो लाइनें कह दूं, उत्तर प्रदेश के उन दलितों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों की तरफ और अपने गरीबों की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ कि-

हमने इज्जत भी दी, हमने अजमत भी दी
राहतें दिल भी दीं और मोहब्बतें भी दीं
इतनी कुर्बानी के बाद आंसू मिले
या खुदा तेरी दुनिया में क्या लोग थे।
जय हिंद, जय भारत।

[06:33] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज सुबह नियम-56 के अन्तर्गत मा0 विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी ने एक विषय उठाया जिसमें मैंने मा0 विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात के लिए कहा था कि वे आज ही उसके ऊपर रिपोर्ट मंगाकर सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। शायद वह रिपोर्ट मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के पास यदि आ गयी हो और वे प्रस्तुत करना चाहें तो मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर बतायें।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी मान्यवर, मैंने रिपोर्ट की बात कही थी, पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट भेज दी है। इसको आपके पास भेज दें या पढ़कर सुना दें ?

श्री अध्यक्ष-

अगर कोई बात आप उस पर कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है जैसा आप उचित समझें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो मुकदमा 52/2024, पुरानी वाली रिपोर्ट का अंग है, उसको तो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बाद वाला जो पैराग्राफ है, मु0अ0सं0-52/2024 धारा-147, 323, 352, 427, 506, 507 भादवि बनाम 06 अज्ञात पंजीकृत किया गया। यह पहली रिपोर्ट में भी था, इसलिए

उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-386 भादवि की वृद्धि की गयी। संकलित किये गये साक्ष्यों व भेजे गये अभियुक्त नीरज सिंह के बयान के आधार पर उपरोक्त घटना में पंकज सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह, ग्राम उमरी, थाना जगतपुर जनपद रायबरेली एवं उनके पुत्र पार्थ एवं नीरज सिंह पुत्र राकेश सिंह, निवासी लालूपुर चौहान, थाना महाराजगंज, जनपद रायबरेली का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान दिनांक 07-02-2024 को अभियुक्त नीरज सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। विवेचना से संकलित साक्ष्यों एवं अभियुक्त नीरज सिंह से की गयी पूछताछ एवं की गयी जानकारी के आधार पर अभियुक्त पंकज सिंह के थाना जगतपुर स्थित निवास पर दबिश दिये जाने पर पंकज सिंह व उनका पुत्र दस्तयाब नहीं हुआ। इनके ग्राम जामों जनपद अमेठी (ससुराल) में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली से पुलिस टीम द्वारा उनके ससुराल जाकर दबिश की गयी, परन्तु यह वहाँ नहीं मिले। इनके द्वारा अभियुक्तों के जनपद रायबरेली में होने की सम्भावना जताई गयी, जिसके बारे में जानकारी हेतु अभियुक्त पंकज सिंह के सालों को कोतवाली नगर, रायबरेली पुलिस द्वारा लाया गया, जिसका अंकन जी0डी0 में रपट नं0 23 समय 10:40 पर है। आस-पास के लोगों ने पूछताछ में यह बताया कि पंकज सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह, ग्राम उमरी, थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली मा0 विधायक ऊंचाहार के प्रतिनिधि हैं। अब तक की जांच के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि पंकज सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह, ग्राम उमरी, थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली मा0 विधायक ऊंचाहार के प्रतिनिधि नहीं हैं।

मान्यवर, यह उन्होंने खण्डन किया है। पूर्व में भेजी गयी जांच जिसमें यह अंकित था कि पंकज सिंह मा0 ऊंचाहार विधायक के प्रतिनिधि हैं, का खण्डन किया जाता है और इस बात का रायबरेली पुलिस को खेद है। विवेचना प्रचलित है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है, पुलिस अधीक्षक रायबरेली।

मान्यवर, उन्होंने दो फोटो भी भेजी हैं, मैं इनको आपके पास भेज रहा हूँ। यह फोटो कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर है। मान्यवर, माननीय विधायक राकेश जी की बात तो आ गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो फोटो भेजी है, एक मिनट मैं उसको देख लूँ।

जो यह फोटो भेजी है, जैसे लोग होर्डिंग्स लगा रहे थे, क्या वह आधार होता है, किसी को प्रतिनिधि बनाने का या न बनाने का ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने माननीय राकेश जी की बात सुन ली थी।

श्री अध्यक्ष-

मनोज कुमार पाण्डेय जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज यह प्रकरण नियम-56 के अन्तर्गत माननीय विधायक, श्री राकेश प्रताप सिंह के द्वारा लाया गया था और उन्होंने अपनी सूचना में यह बताया था कि उनकी विधान सभा क्षेत्र के 03 ग्रामीण को जो साधारण परिवार के हैं, किसान हैं, उनको रात में लगभग 1:00 बजे रायबरेली कोतवाली की पुलिस उनके घर पहुँची, वहाँ पर उनकी बूढ़ी माँ थीं, उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की, दरवाजा तोड़ दिया और तीन लोगों को लेकर रायबरेली पुलिस चली आयी।

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी, आज सुबह यह राकेश जी बता चुके हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बताया है, उसी के ऊपर अपनी बात रखें।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जो सूचना आयी है। उस सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक रायबरेली की यह रिपोर्ट आयी है कि उसमें 323, 504, 506 के मुकदमें में जिन पंकज सिंह को प्रकाश में लाया गया है, हालांकि आपने माना कि वह नामजद नहीं थे, प्रकाश में लाया गया है। वह श्री मनोज कुमार पाण्डेय, विधायक, ऊँचाहार के प्रतिनिधि हैं। मान्यवर, यह वक्तव्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली की रिपोर्ट के आधार पर शून्यकाल प्रहर के समय दिया गया। यह पूरा हाउस यहाँ बैठा था, पूरी मीडिया बैठी थी और जैसा आपने लगातार इस हाउस को अपग्रेड किया है, पूरी मीडिया ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जिज्ञासा रहती है कि आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में क्या कार्यवाही हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उसको देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। उस रिपोर्ट में यह कहा गया, मैं कई बार का मान्यवर, विधायक हूँ, 02 बार का मैं मंत्री भी हूँ और आज मैं अपने दल का मुख्य सचेतक हूँ। उस बयान में अगर एक आई0पी0एस0 अधिकारी, कोई एस0ओ0 नहीं, एक आई0पी0एस0 अधिकारी जाँच करके यह रिपोर्ट भेजे, नियम-56 में जो माँगा जाता है, उसमें जाँच करके रिपोर्ट दी जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि सरसरी निगाह से देखकर किसी ने रिपोर्ट भेज दिया। मान्यवर, उन्होंने जाँच करके ही यह रिपोर्ट दी कि उसमें जो एक अभियुक्त हैं, वह श्री मनोज कुमार पाण्डेय, विधायक, ऊँचाहार के प्रतिनिधि हैं। मान्यवर, कप्तान साहब की जो पहली रिपोर्ट हैं, वह भी हम लोगों के पास है और जो दूसरी रिपोर्ट अभी उन्होंने भेजी है, उसमें उन्होंने लिखा कि जब हमने इसकी पुनः जाँच की और पता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया, पंकज सिंह, श्री मनोज कुमार पाण्डेय के प्रतिनिधि नहीं हैं। मैंने त्रुटिपूर्ण गलत सूचना दे दी थी, मैं उसका खण्डन करता हूँ और उन्होंने लास्ट में लिखा कि मुझे खेद है। मान्यवर, सवाल मनोज पाण्डेय का नहीं है, आप हम सबके संरक्षक हैं और इस पीठ को प्रणाम करके हम सब अन्दर आते हैं। सवाल है, विधायिका का संस्था का, इन्स्टीट्यूशन का। बहुत सारे मनोज पाण्डेय आये हैं और गये हैं, लेकिन विधायिका अटल है, अटूट है। सवाल है कि उसके प्रति जो लोगों का सम्मान है, वह रहेगा कि जायेगा ?

केवल यह कह देने से कि हमें खेद है, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के माध्यम से जानेंगे। एक विधायिका का जो अपमान किया है, एक गलत सूचना देकर के कि वह मनोज कुमार पाण्डेय के प्रतिनिधि थे और एक घण्टे के बाद यह रिपोर्ट देकर के यह कहा जाए कि नहीं वह त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट थी। मैं समझता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश की विधायिका की गरिमा की बात है, मनोज पाण्डेय की नहीं है हमको आप जो निर्देश करेंगे हम मान लेंगे। या जो यह सदन निर्णय कर देगा हम मान लेंगे, चलिए जो मान-अपमान हमारा हुआ, वह हुआ। लेकिन सवाल यह है मा0 अध्यक्ष जी हम आते और जाते रहेंगे, यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा विधायक ही रहेंगे, लेकिन विधायिका रहेगी अगर लोकतंत्र रहेगा तो। यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र और जो कांस्टीट्यूशनल पद है विधायिका इसका कहीं न कहीं ह्रास हो रहा है और इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि खेद से इस विधायिका का सम्मान वापस नहीं आना है। पुलिस अधीक्षक महोदय को हाउस में या आप अपने कक्ष में उन्हें बुलाईये और जो सीनियर विधायक हैं, वह रहें और यह सुनिश्चत हो कि इस तरीके से किन परिस्थितियों में विधायिका का अपमान किया गया ? यह मनोज पाण्डेय के अपमान का कोई सवाल नहीं, विधायिका का अपमान क्यों किया गया, मैं इसलिए संरक्षण चाहता हूँ और हम सभी अपने सदस्यों से निवेदन करेंगे कि यह सवाल विधायिका का है, इसमें संरक्षण दें इसके लिए सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरा आपसे विनती और निवेदन है कि विधायिका को संरक्षण दीजिए और इसका सम्मान बचाईये।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो बात मा0 मनोज पाण्डेय जी ने कही है कि सवेरे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़ी थी, आज की तारीख में जिस प्रकार से टेक्नालॉजी ने एडवांसमेण्ट की है और यू0पी0 की विधान सभा उस नाते से अपग्रेड हुई है, तो सवेरे लोगों ने यह भी देखा और अभी लोग यह भी देख रहे हैं कि उन्होंने खेद व्यक्त किया है और आप हैं, यह भी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सवेरे जिन लोगों ने देखा था, अब उन्होंने इस पक्ष को नहीं देखा। कल की अगर सुर्खियां होंगी तो यह भी होंगी कि उन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी और उन्होंने बाद में खेद व्यक्त किया। मैं भी नहीं चाहता कि कोई निगेटिव मैसेज जाए, उस मैसेज को पॉजिटिव करने की ही बात बता रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलती की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह मैसेज तो इसमें भी गया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जो बात आप कहना चाहें, तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप अपनी बात कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, पुलिस अधीक्षक की जो रिपोर्ट आई थी, मैंने वह रिपोर्ट पूरी पढ़कर सदन के सामने सुनाई, उसमें मेरा अपना कोई निजी मत, निजी कोई जानकारी नहीं थी। इसमें मेरे मत का कोई सवाल ही नहीं था तो पुलिस अधीक्षक ने जिस आधार पर रिपोर्ट दी उनको यह रिपोर्ट नहीं देना चाहिए था, उन्होंने जो फोटो भेजी उसमें एक जगह पर लिखा है प्रतिनिधि पंकज सिंह। इनकी बात सुन ली आपने। आप पुलिस अधीक्षक की भी बात सुन लें कम से कम उनकी भी जानकारी हो जाए, उनको भी सुन लिया जाए, उन्होंने इसमें खेद व्यक्त किया है और मैं समझता हूँ कि जिस परिस्थिति में भी उन्होंने भेजी है, उसका उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है और लिखित रूप से आया है, हमने आपको वह रिपोर्ट भेज भी दिया है, अब इसमें आपको ही निर्णय लेना है और इनकी बात सुन ली गई, अब उनकी भी बात सुन ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं कल उनको बुलाकर उनकी भी बात सुन लेता हूँ।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, विषय हमारे क्षेत्र के उठाए गए थे और विषय हो गया मनोज पाण्डेय जी का। उन तीन नौजवानों और बच्चों के साथ क्या होगा ? उनकी 80 साल की माँ के साथ क्या होगा ? जो उनको ले जाकर पीटा गया और फिर थाने में बंद कर दिया गया उनका क्या दोष है, जहाँ तक पुलिस मैनुअल का मामला है अपने मुख्यालय से इतनी दूर ले जाकर फिर वही पुलिस ले जाकर उनको घर छोड़ती है जब यहाँ पर मामला उठता है। 30 किलोमीटर से दूर यदि कोई पुलिस थाना, कहीं दबिश दे रहा है तो उस जनपद को सूचित करना होगा उस जनपद के पुलिस अधीक्षक को और उस लोकल थाने को सूचित करना होगा बिना सूचित किये उस थाने को और न तो पुलिस अधीक्षक को, लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर से 3 नौजवान बच्चों को उठा लाते हैं उनको पीटा जाता है और उसके घर पर उनकी माँ को पीटा जाता है और लाकर लॉकप में बन्द कर दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और फिर पुलिस थानाध्यक्ष उसको ले जाकर अब और बात नहीं कहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर बोल चुके है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री उस पर जवाब दे चुके हैं। वह सारी उसमें आ जाएगी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

जो बेगुनाहों पर कार्रवाई हुई है, जो बेगुनाहों के साथ अभद्रता हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई यह सदन सुनिश्चित करेगा या नहीं करेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 राकेश सिंह जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना जो मा0 मनोज पाण्डेय जी का नाम बीच में आया था उसके सन्दर्भ में जो दूसरी रिपोर्ट, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा सदन के अन्दर जो रिपोर्ट आई है वह पढ़ी गई आपने जो बात कही है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की ऐसी अपेक्षा है कि मैं उनको बुलाकर उनसे बात कर लूँ तो मैं उनके भी पक्ष जानकारी कर लूँगा, जो भी विषय होगा मैं उसको बताऊँगा चूँकि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको मैं अग्राह्य करता हूँ।

[06:47] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

आज विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति के दिनांक 09 फरवरी, 2024 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गई :-

1-दिनांक 10 फरवरी, 2024 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाए-

1-उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024

2-उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024

2-दिनांक 10 फरवरी, 2024 को सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11:00 बजे के स्थान पर सुबह 10:00 बजे प्रारम्भ की जाएगी।

तो कल की विधान सभा की कार्यवाही सवेरे 10:00 बजे प्रारम्भ होगी। 10 बजे कार्यवाही प्रारम्भ होगी इसलिए 10 फरवरी, 2024 को केवल पूर्वाह्न 9:30 बजे तक नियम-51 और 301 की सूचनाएँ ली जाएंगी। शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[06:48] नियम-103 के अन्तर्गत संकल्पों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुबह कहा था कि जो संकल्प कभी उनके ऊपर चर्चा नहीं होती थी, उन पर चर्चा जारी रहेगी। मैं जिन मा0 सदस्यों का नाम लूँगा वह घड़ी देखकर, अगर किसी को भी यह कहना पड़े कि आपका समय समाप्त हो गया है तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरे भी स्वभाव में यह नहीं है कि मैं यह कहूँ, इसलिए अपनी बात 5 मिनट में कहेंगे तथा 5 मिनट से ज्यादा किसी को भी अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा।

जनपद-कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं इस पर चर्चा

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वागीण विकास कराया जाये।

मान्यवर, औद्योगिक दृष्टि से मेरा विधान सभा क्षेत्र सिराथू बहुत ही पोटेंशिएल रखता है। यहाँ से जी0टी0 रोड निकलती है, ट्रान्सपोर्ट हेतु रेलवे लाइन भी है। उद्योग के लिए यह क्षेत्र सभी अर्हताएँ पूरी करता है और सबसे बड़ा पोटेंशिएल यह है कि इस क्षेत्र ने दो बार इस प्रदेश को डिप्टी सी0एम0 देने का काम किया है वह बात अलग है कि एक बार जनता के आशीर्वाद से और दूसरी बार जनता के द्वारा नकारे जाने पर कम से कम अब तो इस क्षेत्र का विकास जरूर कराया जाना चाहिए। मान्यवर, बेरोजगारी इस क्षेत्र में चरम पर है, जिस कारण पलायन का रेट भी बहुत ज्यादा है। अतः मैं सिराथू क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में रखकर सर्वांगीण विकास करने के लिए सदन से आग्रह करती हूँ ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राथमिकता में मिल सके और पलायन रोका जा सके।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि उक्त विधान सभा क्षेत्र के निकट जनपद प्रयागराज में यू0पी0सी0डा0 द्वारा पूर्व में औद्योगिक क्षेत्र नैनी विकसित किया गया और मान्यवर, यह 777 एकड़ में यह क्षेत्र विकसित किया गया है। एवं इसके अतिरिक्त इसी जनपद में सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना विकसित की जा रही है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1138.40 एकड़ है। यह औद्योगिक क्षेत्र कौशाम्बी जिला से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा जनपद फतेहपुर में मल्लावां औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उक्त के अतिरिक्त उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा भी छोटे-छोटे औद्योगिक स्थान पूर्व में ही जनपद

कौशाम्बी में विकसित किये गये हैं। वर्तमान में उक्त जनपद में नये औद्योगिक स्थान की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गये उत्तर के आलोक में आप अपना संकल्प वापस ले रही हैं।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इस सन्दर्भ में माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी ने भी अपनी बात कही और माननीय राज्य मंत्री जी ने भी उसका पूरा विवरण दिया है, उन्होंने बताया है कि उसके आस-पास के क्षेत्र जहां पर काफी बड़ी संख्या के अन्तर्गत लैण्ड उपलब्ध है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए तो वहाँ पर सम्भावनाएं हैं।

प्रश्न यह है कि सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री जवाहर लाल राजपूत नहीं है। अतः इस संकल्प को विलोपित कर दिया जाय।

श्री जवाहर लाल राजपूत (अनुपस्थित)-

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध करायी जाय।'

जनपद-गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रासिंग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प उनकी अनुपस्थिति में (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय सिंह नहीं है। अतः इस संकल्प को विलोपित कर दिया जाय।

श्री अजय सिंह (अनुपस्थित)-

'इस सदन का सुनिश्चिच मत है कि जनपद-गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रासिंग का निर्माण कराया जाय।'

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमसिन ड्रेन आदि का पुनरुद्धार कराये जाने विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 आर0 के0 वर्मा जी।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमसिन ड्रेन आदि का पुनरुद्धार किया जाये।'

मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 7 ऐसी ड्रेन हैं जो वर्षा काल में जलभराव की वजह से उसके आस-पास की जो ग्राम पंचायतें है वह बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं, उनकी खेती-बाड़ी प्रभावित हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, उनको आर्थिक नुकसान होता है और साथ-ही-साथ वहाँ पर जो विकास के कार्य हैं, वह जल भराव की वजह से नष्ट हो जाते हैं। जिसमें पहली ड्रेन, उमरन ड्रेन के नाम से जानी जाती है जो जनपद प्रतापगढ़ की सीमा से निकल करके जनपद प्रयागराज की मनसैता नदी में जा करके मिलती है। मान्यवर, इस ड्रेन पर कई सड़क हैं और सड़क पर पुल बने हुए हैं। पुलों का जो बेड है वह ऊपर होने की वजह से जो स्लोप मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है जिससे जलभराव होता है जो पानी डिस्चार्ज हो करके नदी में जाना चाहिए वह नहीं जा पाता है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत- दमदम, धीनापुर, अतरी, सुजहा, जाजापुर, खाखापुर, प्रतापगढ़ की सीमा में हैं ये जलमग्न हो करके इनकी फसलें खराब हो जाती हैं। वहीं पर प्रयागराज की सीमा पर जो गाँव है निझूरा, कहली, करनाईपुर, महुली, करकटेपुर, सुल्तानपुर, रिसालगढ़ होते हुये मनसैता में जाती है, इन गांवों की फसलें भी जलभराव की वजह से खराब होती है। वहीं पर दूसरी एक ड्रेन कमाशिन ड्रेन के नाम से जानी जाती है, जो रानीगंज विधान सभा क्षेत्र के पूर्वी सिरे से जौनपुर में इसका डिस्चार्ज होता है, बसुई नदी में जा करके इसका डिस्चार्ज जाता है और जब इसमें मैंने स्वयं निरीक्षण किया था तो वहाँ पर जलकुंभी के अलावा और कुछ नजर नहीं आया था और जलभराव होने से आस-पास की जो ग्राम पंचायते हैं जिसमें ग्राम भीट, कमाशिन, डिघवत, नरायनपुर कला, मेड़आडीह, नई कोट, कतरौली, कलीमुरादपुर, बोर्रा, करका होते हुए बसुई नदी

में जाती है। इन सभी ग्राम पंचायतों की फसलें खराब हो जाती हैं जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

मान्यवर, वर्षाकाल में आवागमन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। मान्यवर, तीसरा एक चनौरा ताल के नाम से जाना जाता है। मान्यवर, यह अयोध्या और प्रयागराज राजमार्ग बनने के बाद जो डिस्चार्ज पूर्वी हिस्से का पश्चिम में जाता था। हाई-वे बनने की वजह से अन्दर के ड्रेन बन्द हो गये, जिसकी वजह से चनौरा तालाब में जलभराव होता है और जलभराव होने से जो आस-पास की ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें खरवई, देल्हूपुर, मल्हूपुर, वरसण्डा, भिखनापुर, तौकलपुर, पवारपुर आदि ग्राम पंचायतों की फसलें खराब हो जाती हैं। उनका आवागमन बाधित हो जाता है। इन ग्राम पंचायतों में जलभराव की वजह से एक-एक फीट पानी भर जाता है और वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत समस्या होती है और उन लोगों को जलमग्न सड़क से हो करके, कच्ची सड़क से हो करके बाहर निकलना पड़ता है। चूँकि अब हाई-वे बन गया है तो ड्रेन को उस हाई-वे को पार करना मुश्किल है। लेकिन पास में बकुलाही नदी है, अगर इस चनौरा ताल का एक ड्रेन बना करके बकुलाही नदी से जोड़ दिया जायेगा तो जो जलभराव की स्थिति पैदा होती है, वह नहीं होगी और वहाँ के जो निवासी हैं, खुशहाल हो सकेंगे। मान्यवर, इसी तरीके से एक धरी ड्रेन के नाम से जानी जाती है, जिसका मैंने स्वयं निरीक्षण किया था। उसमें भी जलकुम्भी है और विगत दस वर्षों से कोई भी काम नहीं हुआ था, कोई सफाई नहीं हुई थी। उसमें जलभराव की वजह उसके आस-पास की जो ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें पूरे गोसाई, धरी, मसौली, पटहतियाकला, नौड़ेरा, साढ़ आदि क्षेत्रों की जो फसलें हैं, वह खराब हो जाती हैं और इस ड्रेन का डिस्चार्ज भी जौनपुर के हिस्से में जाता है। मान्यवर, इसी तरीके से एक ड्रेन, लपकन ड्रेन के नाम से है। यह छोटी ड्रेन है छोटी ड्रेन होने की वजह से विभाग की नजर प्रायः उस पर नहीं जाती है और शारदा सहायक नहर की वजह से पानी इस पार से उस पार भी नहीं जा पाता है। इस ड्रेन के आस-पास की जो ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें शेखूपुर, लपकन, थरिया, आमापुर, बोरी, इन ग्राम पंचायतों के किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मान्यवर, एक और ड्रेन, जो रोहखुर्द ड्रेन के नाम से जानी जाती है। मान्यवर, रोहखुर्द ड्रेन का हमने स्वयं निरीक्षण किया था। वहाँ पर विगत दस वर्षो से कभी भी सफाई का काम नहीं हुआ था और वर्षाकाल आते ही वह पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। वहाँ पर किसान अपने खेत में फसल नहीं लगा पाते हैं। रोहखुर्दकलां, रामापुर, मदरा, महमदपुरपाली, जगतपुर आदि ग्राम पंचायतों में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, धन्यवाद।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अपने संकल्प में दो ड्रेन की बात कही है। एक उमरन ड्रेन और एक कमसिन ड्रेन, शायद आपको लेटेस्ट जानकारी नहीं है, इसका काम पूरा हो चुका है।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, केवल उमरन ड्रेन का काम पूरा हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अभी आप उमरन ड्रेन के बारे में भी बोल रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

वह बोलने के लिए बोल रहे थे, काम करवाने के लिए नहीं बोल रहे थे।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, यह संकल्प पहले का है। यह संकल्प जब से आ रहा है, उमरन ड्रेन के लिए हमने माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करके उसका समाधान कराया है।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा भी करवा लेते, संकल्प की जरूरत क्या थी, चलिए अब आप इसको वापस ले लीजिए।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, उमरन ड्रेन का संकल्प वापस हो सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे पास जो रिपोर्ट है, यह काम पूरा हो गया है। उमरन ड्रेन और कमसिन ड्रेन दोनों की मेरे पास लिखित रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष-

दोनों का काम पूरा हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं पढ़कर सुना दूँ, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन एवं कमसिन ड्रेन (कमासिन ड्रेन) के पुनरुद्धार, सफाई का कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण कराया जा चुका है। यह लेटेस्ट जानकारी है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आप संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ?

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, उमरन ड्रेन का पुनरुद्धार हुआ है, उसको वापस ले सकते हैं। बाकी जो ड्रेन हैं, वह संकल्प में जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 वर्मा, मैं आपको तरीका बता दूँ, वैसे आपको तरीका बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ हैं। आप संकल्प वापस ले रहे हैं ?

डा0 आर0 के0 वर्मा-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने संकल्प वापस ले लिया है, इसलिए विलोपित हुआ। वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने संकल्प वापस ले लिया है।

विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) की स्थापना कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैक) की स्थापना करायी जाये।

मान्यवर, यह मेरा पैतृक गाँव है और वहाँ करीब 15 हजार की आबादी है और वहाँ कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। बोरिंग के द्वारा सीधी पानी की सप्लाई की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

क्या पीने की व्यवस्था नहीं है। (सदन में हँसी)

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, पानी पीने की जब कोई व्यवस्था नहीं है और जो बोरिंग लगा हुआ है उसको चलाने के लिये गाँव वाले खुद उसको चलाते हैं, अगर उसमें कोई खराबी हो जाती है तो गाँव के लोग चन्दा इकट्ठा करके उसकी मरम्मत कराते हैं। इस सदन के माध्यम से मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा गाँव पनवारी जो कि इण्टरनेशनल लेवल फेम का ग्राम है। उसमें

ओवरहेड टैंक बनवा दें जिससे जनता को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाये। मेरा यही आपसे अनुरोध है।

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री रामकेश निषाद)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन फेस फोर में आगरा सतही स्रोत आधारित ग्राम स्वरूप पेयजल योजना आगरा वन, आगरा टू स्वीकृत निर्माण लागत क्रमशः 2 हजार 210 करोड़ एवं 1219 करोड़ के अन्तर्गत जनपद आगरा के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल से (नल के माध्यम से) जलापूर्ति की जानी प्रस्तावित है। विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली के विकास खण्ड अछनेरा का राजस्व ग्राम पनवारी भी प्रस्तर अछनेरा में सम्मिलित है योजनान्तर्गत निर्माण कार्य मिशन मोड में सम्पादित कराये जा रहे हैं यथा शीघ्र समस्त ग्रामवासियों को हर घर जल नल से पहुंचाया जाना लक्षित है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप वापस ले रहे हैं कि नहीं।

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है अगर ओवरहेड टैंक नहीं बनेंगे तो पानी कैसे आयेगा। मान्यवर, हर गाँव में दो इंच, डेढ़ इंच की पाइप लाइन बिछाई जा रही है। मान्यवर, 15 हजार की आबादी में बिना ओवरहेड टैंक के बनाये, पानी की सप्लाई कैसे होगी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है वह इसी दिशा में है कि उनके यहाँ वास्तव में पानी की आवश्यकता है और उन्होंने कहा है कि हर घर जल के हिसाब से लक्षित है। मान्यवर, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। मान्यवर, यह आश्वासन बन गया है, जब आश्वासन बन गया तो इस संकल्प की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आश्वासन तब बनेगा जब वह वापस लेंगे, नहीं तो ड्राप हो जायेगा।

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी आपके कहने से वापस तो ले लेंगे लेकिन ओवरहेड टैंक तो बनवा दो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, श्री बाबूलाल जी ने संकल्प वापस ले लिया है। यह ड्राप हो गया।

जनपद-कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोही एवं कोर्रो क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की आवासीय योजना सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 पल्लवी पटेल।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, आपकी अनुमति से इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोही एवं कोर्रो क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की आवासीय योजना सुनिश्चित करायी जाये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जो नया क्षेत्र बढ़ता है उसमें लोगों की आवश्यकता के हिसाब से इस पर विचार किया जा सकता है। अभी यह नया क्षेत्र बढ़ा है अभी इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं है और इस प्रकार की जब आवश्यकता होगी तभी उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अभी इस सम्बन्ध में कोई डिमांड नहीं है। मान्यवर, इसलिए इसको आगाह्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस समय वहाँ कोई डिमांड नहीं है क्योंकि आवास विकास परिषद की जो योजनायें बनती हैं तो आवास विकास परिषद उसका सर्वे कराता है कि वहाँ पर लैंड एक्विजीशन एक्ट के अन्तर्गत कौन-सी लैंड एक्वायर की जा सकती है। उसके आधार पर उसकी कास्टिंग होती है और डिमांड के हिसाब से आवासीय कॉलोनी बसाने का काम आवास विकास परिषद् अपनी प्रक्रिया के अन्तर्गत करता है, अभी इस प्रकार की कोई योजना वहाँ पर नहीं है। क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष

जो संकल्प डॉ0 पल्लवी पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि आवास विकास परिषद् द्वारा अभी डिमांड न होने के कारण ऐसी कोई योजना नहीं है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि जनपद-कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोही एवं कोर्रो क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चित करायी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

जनपद-फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कर दिया सुनिश्चत कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभि, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)

(सदस्या डॉ0 सुरभी का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसको ड्राप किया जाता है।

डॉ0 सुरभि (अनुपस्थित)-

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कर दिया जाय।

जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी।

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करती हूँ कि इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराये जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद जौनपुर सिराज-ए-हिन्द के नाम से मशहूर रहा और यहां का इत्र पूरे देश में मशहूर रहा। अध्यक्ष जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री एमएसएमई की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जौनपुर जनपद में 35 लाख की आबादी में अभी तक अगर हम इण्डस्ट्रियल एरिया में डेलीवेजिज पर काम करने वालों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 हजार लोग हैं जिन्हें नौकरियां मिली हैं और अगर हम माइक्रो एण्ड स्माल इण्टरप्राइजेज की बात करें तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है वह बताता है कि 8 हजार लोग हैं जिन्हें रोजगार मिला है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी तक लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र में बुलन्द दरी के लिए प्रोत्साहन दिया गया है काम को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी एक्सपोर्ट के

नाम पर कुछ भी नहीं है। एमएसएमई के डाटा में जो रीजन्स आये हैं कि अभी तक औद्योगिक विकास क्यों नहीं हो पाया है तो उसमें दो कारण आये हैं पहला यह है कि बिजली की समस्या है और दूसरा प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। मा0 अध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्री जी भी यहां हैं, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी भी यहां हैं अगर मेरे जनपद में दो विभागों का प्रॉपर समन्वय हो जाय और इंटीग्रेटेड वे में काम किया जाय तो जो यह पलायन हो रहा है लोग दूसरे स्टेट और दूसरे देश में जाने को मजबूर हैं। आपका ही डाटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष में 30 लाख लोग हैं जो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गये हैं। इसको गम्भीरता से लेते हुए लोगों को रोजगार वहीं दिलवायें ताकि लोग अपने घरों में रह जाएं। महीने में जब हम वहाँ पर जाते हैं तो कई ऐसे गाँव है जहां महिलाएं ही महिलाएं हैं उनके बेटे, पति, पिता सभी पुरुष बाहर गये हैं, जब उनसे बात करते हैं तो उन महिलाओं की आंखें भर आती हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि-महीनों में कभी-कभी तो घर आते हैं, न जाने किस घड़ी किस पहर खाते हैं, यह सत्ता की बेरुखी समझो या मजबूरी, वरना कौन अपना घर छोड़ दूसरे शहर जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी दूर करने हेतु सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), जौनपुर के अन्तर्गत अधिग्रहीत 508 एकड़ में अवस्थापना सुविधाओं सहित औद्योगिक भू-खण्डों का विकास किया गया है। वर्तमान में 443 आवंटित औद्योगिक भू-खण्डों के सापेक्ष लगभग 262 भू-खण्डों पर इकाइयां क्रियाशील हैं। प्राधिकरण क्षेत्र की प्रमुख एवं प्रतिष्ठित ईकाई मै0 वरुण वेवरेज लि0, मै0 एचआईएल लि0, हॉकिन्स कुकर लि0, मै0 सिद्धार्थ रोलिंग एण्ड एनर्जी प्राईवेट लि0, मै0 अमित ऑयल लि0, मै0 पीसीआईओ, मै0 कलर कोम, मै0 माडर्न फोम, आरके प्रिन्ट एवं पैक्ट मैसर्स गणेश लक्ष्मी सीमेंट आदि प्रमुख औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, निकट भविष्य में कटरिया पाईप्स, मैसर्स एपेक्स पैट्रो इण्डस्ट्रीज एवं कॉमन बायो मेडिकल वैस्ट्रन ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल फैसेलिटीज की इकाई शीघ्र क्रियाशील होने की सम्भावना है। उक्त ईकाइयों में लगभग 5 हजार रोजगार सृजित हैं, अवशेष भू-खण्डों पर ईकाइयां स्थापित होने के उपरान्त रोजगार सृजन की सम्भावनाएं उत्पन्न होंगी। उक्त के अतिरिक्त सीडा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकारी बोर्ड के निर्देशन अनुसार तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के अन्तर्गत औद्योगिक विकास हेतु 1 हजार एकड़ भूमि अर्जित कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यू0पी0 सी0डा0 द्वारा जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर भदोही से लगभग 7 किमी0 की दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र सिंगवा स्थापित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 48.01 एकड़ है। औद्योगिक क्षेत्र में 52 औद्योगिक एवं 17 व्यवसायिक भू-खण्ड हैं। जिसमें से 48 औद्योगिक आवंटित हैं, जिस पर इकाइयां संचालित हो रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र सिंगवा में मुख्यतयः कालीन

उद्योग से सम्बन्धित सीमेंट, स्टील, फेब्रीकेशन, मिनरल वॉटर का उत्पादन से सम्बन्धित इकाइयां स्थापित हैं, जिनके द्वारा रुपये 7 हजार 762.11 लाख का निवेश हुआ है और महोदय इसके साथ मैं यह भी बताना चाहुंगा कि जौनपुर के सभी उद्योगों को पर्याप्त बिजली भी सुनिश्चित की जा रही है, इसलिए मा0 सदस्या से यह मेरा आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लेना चाहे तो वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आप संकल्प वापस ले रही हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब यह आपके संज्ञान में आ गया इसको आप वापस ले लें।

डॉ0 रागिनी-

हां मान्यवर मैं संकल्प वापस ले रही हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान से सटे हुए 60-70 गावों में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माईनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराये आने विषयक श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इस संकल्प को वापिस ले लिया गया और यह विलोपित हुआ।

श्री बाबूलाल-

मान्यवर संकल्प के द्वारा सदन को अवगत कराना है और यह सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान से सटे हुए 60-70 गावों में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माईनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराया जाये।

महोदय राजस्थान सीमा से लगे यह 60-70 गाँव हैं और वहाँ पर सिचाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, मैंने कई दफा सदन में भी उठाया, मा0 मंत्री जी से भी मिला। मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको कैसे भी करके किसानों के हित में पानी की व्यवस्था करा दें और माईनर को 5-6 किमी0 बढ़ावा दें। 60-70 गावों के लोग बहुत-बहुत आभारी होंगे और जनता सराहना करेगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारे यहां पर नहर की व्यवस्था हुई।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी अभी जो मा0 बाबूलाल जी ने विषय उठाया है, इसका हम परीक्षण करवा लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनकी यह मंशा पूरी हो जाए पानी की। कैसे देंगे यह हमारे ऊपर छोड़ दें, सरकार के ऊपर छोड़ दें, हम इसका परीक्षण जरूर करवायेंगे और हम इनसे कहेंगे की यह संकल्प वापिस ले लो, यह आश्वासन बन गया आपका।

श्री बाबूलाल-

ठीक है मान्यवर हम संकल्प वापिस लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद बाबूलाल जी, इस संकल्प को वापिस ले लिया गया और यह विलोपित हुआ।

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन, तहसील सदर उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)

(सदस्य श्री आशुतोष शुक्ल का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस संकल्प को विलोपित किया जाता है।

आशुतोष शुक्ल (अनुपस्थित)-

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन, तहसील सदर उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण कराया जाय।'

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम कूकनगर ग्रांट में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)

(सदस्य श्री प्रभात कुमार वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस संकल्प को विलोपित किया जाता है।

प्रभात कुमार वर्मा (अनुपस्थित)-

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम कुकनगर ग्रंट में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।'

जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत तहसील बीघापुर (पाटन) में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)

(सदस्य श्री आशुतोष शुक्ल का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस संकल्प को विलोपित किया जाता है।

आशुतोष शुक्ल (अनुपस्थित)-

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत तहसील बीघापुर (पाटन) में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।'

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।''

अध्यक्ष जी, अभी मैं डेटा पढ़ रही थी, फीमेल फोएटिसाइड (भ्रूण हत्या) की बात है। यह बात बड़ी शर्मसार करती है कि उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है।

(मंत्री जी के बैठे-बैठे कुछ बोलने पर।)

महोदय, आप डेटा पढ़ लीजिएगा। मैं वह डेटा अभी आपको टेबल भी करा देती हूँ। अध्यक्ष जी, आज भी जो बच्चियाँ हैं और जगह-जगह पर जो टेस्ट हो रहे हैं, लोग बच्चियों को नहीं चाहते हैं। उस समय भी कहा था और फिर से कहती हूँ कि चाहे देश हो या प्रदेश हो, उसका सर्वांगीण विकास तभी हो पायेगा, जब आधी आबादी को वह अवसर मिलेगा, जो अवसर उन्हें नहीं मिला। आज इस संकल्प के माध्यम से उस अवसर के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्य के यह कहने पर कि पार्लियामेंट ने कर तो दिया है।)

महोदय, अभी तो मैं उसको पूरा भी नहीं मानती कि पार्लियामेंट में हमें अवसर मिला है। जिस दिन पक्के तौर से यह हो जायेगा कि हम लोग आ गये हैं।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यगण द्वारा यह कहने पर कि आप तो पहले से ही आ गयी हैं।)

महोदय, अभी कितने लोग आये हैं। हमारा प्रतिशत तो देख लीजिए। आधी आबादी होने के बावजूद भी अगर हमारा प्रतिशत इस विधान सभा में 403 विधायकों में सिर्फ 9 प्रतिशत है, तो यही दर्शाता है कि हम कितने आ गये हैं। साथ ही साथ अगर प्रदेश में बच्चियों को फीमेल फोएटिसाइड (भ्रूण हत्या) हो रहा है, तो ये भी दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं उसका कारण यही है। अगर हम बात करें मेल-फीमेल रेशियो की, तो दो तरह के रेशियों हैं। अगर हजार की तुलना में महिलाओं व बच्चियों को देखें, तो 913 हैं, लेकिन नीति आयोग ने जो रिसर्च की है, वह बताता है कि महिलाओं व बच्चियों की संख्या 896 आ गयी है। अध्यक्ष जी, ऐसा न हो कि बहुत देरी हो जाए। इसलिए मैं फिर से यह कहना चाहूँगी कि विद-इन रिजर्वेशन को करते हुए महिलाओं को सरकारी नौकरियों में। साथ ही साथ अब तो पी0पी0पी0 मॉडल चलने लगा है, आउटसोर्सिंग होने लगी है, उसमें भी 33 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, डा0 रागिनी जी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जब केन्द्र में आरक्षण बिल आया था, तो विरोध किसने किया था, उसको पूरे देश ने देखा था। मान्यवर, उस आरक्षण बिल को छीन-छीन कर फाड़ा गया था।

श्री अध्यक्ष-

किसने विरोध किया था।

(मंत्री श्री गिरीश चन्द्र यादव के कुछ बोलने पर।)

मा0 गिरीश जी, उन्हें बोलने दीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं ? मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, डा0 रागिनी जी बहुत पढ़ती-लिखती हैं। इनका अध्ययन भी बहुत है और ये अध्ययन के आधार पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर बोलती भी हैं, लेकिन इनको यह मालूम होगा, तभी ये बोल नहीं रही हैं। अगर ये तब आ जाता, तो आपको आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती।

श्री अध्यक्ष-

ये लाइब्रेरी में था कि नहीं। क्या आप इसको वापस ले रही हैं ?

डा0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप वापस क्यों दिलवा रहे हैं ? अगर आपकी सरकार वापस दिलवा रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। जिन्होंने फाड़ा, उन्होंने फाड़ा, आप तो समर्थन दे दीजिए। हम लोगों को हक इतने वर्षों से नहीं मिला।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इन्हें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि मा0 प्रधानमंत्री जी ने इतनी पुरानी माँग को अलग से पार्लियामेंट का सत्र बुलाकर 33 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया। उसके लिए इन्होंने एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 रागिनी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के आरक्षण के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार के द्वारा किये गये निर्णय के सम्बन्ध में हमें जानकारी दी है, उस आलोक में मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी में मंडौली माइनर एवं जहानपुर गूल का विस्तार एवं चौड़ीकरण राजस्थान सीमा तक कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री बाबूलाल।

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी में मंडौली माइनर एवं जहानपुर गूल का विस्तार एवं चौड़ीकरण राजस्थान सीमा तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।''

मान्यवर, हम प्रश्न तब तक लगाते रहेंगे, जब तक हमारा कार्य नहीं हो जायेगा। साहब, आप कहेंगे, तो हम प्रस्ताव वापस ले लेंगे, लेकिन किसानों को पानी की व्यवस्था करा दो, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बोल तो दिया है कि किसानों को पानी की व्यवस्था कराएंगे। मा0 मंत्री जी, आपके आश्वासन से उन्होंने यह संकल्प वापस ले लिया, क्योंकि आपने कह दिया है कि किसानों के लिए आप पानी की व्यवस्था कराएंगे।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

डा0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।''

जैसाकि मैने पहले भी कहा कि सिराथू अपने आपमें बहुत ही पोटैंशियल क्षेत्र है और यहां पर बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है। विभिन्न खेल प्रतिभाओं में गोल्ड मेडल जीतकर वह अपना वर्चस्व देश और विदेश में बनाए हुए हैं। चाहे वह सुनीता सरोज हों, चाहे मोहम्मद तालिब हों। ऐसी ही अनगिनत नई आने वाली प्रतिभाओं को धार देने के लिए मैं यह माँग करती हूँ कि वहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना करायी जाए।

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्या को अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद कौशाम्बी में एक स्पोर्ट स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जहां पर मुख्य खेल का मैदान, प्रशासकीय भवन, बहुद्देशीय हाल, क्रीड़ा हाल एवं डॉरमेट्री निर्मित है। उपरोक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जनपद कौशाम्बी की सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(सदस्या डा0 पल्लवी पटेल द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको आउटडोर चाहिए ?

डा0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आउटडोर स्टेडियम चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

वहाँ पर आउटडोर भी होंगे ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर ऑनरोड आउटडोर बना हुआ है।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, इंडोर बना हुआ है। मैंने जाकर देखा है। आपने भी बोला है कि इंडोर है और आउटडोर की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

इंडोर है या आउटडोर है ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आउटडोर है।

डा0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, वह इंडोर है। मैं जाकर देखकर आयी हूँ। मेरे क्षेत्र में ही है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, खेल का मैदान तो पूरा आउटडोर होता है, खेल का मैदान तो पूरा खुला हुआ रहता है, ढका नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष-

आउटडोर भी होगा, इंडोर भी होगा। शायद दोनों होंगे।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, बैडमिंटन में क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। इंडोर और आउटडोर की परिभाषा अलग-अलग होती है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों आलरेडी बने हुए हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि सिराथू कौशाम्बी से ठीक सटा हुआ बनारस जिला है, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम आलरेडी पी0पी0पी0 मॉडल पर बन भी रहा है, इसलिए वहाँ और कोई स्टेडियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप अपना संकल्प वापस ले रही हैं ?

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, वापस क्यों लूँ, जायज माँग है।

श्री अध्यक्ष-

अरे वापस ले लीजिए, गुस्सा मत करिये। मैंने डॉ0 पल्लवी पटेल जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना। मा0 मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया है कि वहाँ पर इंडोर स्टेडियम भी है और आउटडोर स्टेडियम भी है। उसके साथ में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बगल में ही बना है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। अतः मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर चर्चा :-

जो संकल्प आज प्रस्तुत किये जायेंगे इसको हम आगे चर्चा में लेंगे। प्रस्तुत करने के लिए मैं नाम बुलाऊँगा। जो मा0 सदस्य आज यहां पर उपस्थित होंगे, उनका संकल्प प्रस्तुत माना जाएगा, जो मा0 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, उनका संकल्प ड्रॉप माना जाएगा।

तहसील जसराना के कस्बा एका की सी0एच0सी0 केन्द्र को उच्चीकृत कर सौ शैय्या अस्पताल बनाया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि तहसील जसराना के कस्बा एका की सी0एच0सी0 केन्द्र को उच्चीकृत कर सौ शैय्या अस्पताल बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री सचिन यादव जी उपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर, स्थित ग्राम पंचायत ताजपुर को नगर पंचायत बनाया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री राम अवतार सिंह-

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर, स्थित ग्राम पंचायत ताजपुर को नगर पंचायत बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री राम अवतार सिंह जी उपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

बुन्देलखण्ड में संचालित स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों/महिलाओं एवं अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु बालिनी डेयरी के उत्पादों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर भी सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

श्री जवाहर लाल राजपूत-

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड में संचालित स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों/महिलाओं एवं अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु बालिनी डेयरी के उत्पादों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर भी सुनिश्चित कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री जवाहर लाल राजपूत जी उपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के युवाओं का रोजगार के अभाव में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित कराये जाने विषयक डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के युवाओं का रोजगार के अभाव में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करायी जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य डॉ0 आर0 के0 वर्मा जी भी उपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र-30, बिलारी में राजकीय गर्ल्स डिग्री कालेज बनाया जाना सुनिश्चित कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित संकल्प (व्यपगत)

श्री मौहम्मद फहीम इरफान (अनुपस्थित)-

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र-30, बिलारी में राजकीय गर्ल्स डिग्री कालेज बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री मौहम्मद फहीम इरफान जी अनुपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प को ड्रॉप किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा (नत्थी-ग)। नियम-103 के प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा जो पुराने थे, मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर भी चर्चा करा ली जाए। मा0 सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात सीमित समय में कह देंगे तो उचित रहेगा।

जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भाँति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

डॉ0 नीरज बोरा (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भाँति घाटों का निर्माण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य डा0 नीरज बोरा जी अनुपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प को ड्रॉप किया जाता है।

बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री जवाहर लाल राजपूत।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाय। क्योंकि वास्तव में बुन्देलखण्ड में आज भी अत्यधिक कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खादों का कम उपयोग हुआ है। इसलिए प्राकृतिक खेती का हब बनाया जा सकता है। सिर्फ ध्यान आकर्षण कराना था।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, मा0 सदस्य ने ध्यान आकर्षण करा लिया और उन्होंने अपना संकल्प वापस ले लिया।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह प्रस्ताव भी डॉप होता है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकासखण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्री वीर विक्रम सिंह (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य डॉ0 वीर विक्रम सिंह जी अनुपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प को ड्रॉप किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्री बेचई सरोज (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नवनिर्माण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

श्री बेचई सरोज जी अनुपस्थित हैं, इसलिए इनके संकल्प को ड्रॉप किया जाता है।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री महेन्द्रनाथ यादव जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवां में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराया जाय। मुण्डेरवां क्षेत्र में अक्सर गर्मी के सीजन में सुदूर इलाका आग लग जाने से तमाम लोगों का घर भी जल जाता है और गेहूँ के सीजन में गेहूँ की फसल का हर बार बहुत नुकसान होता है। शार्ट सर्किट से और तमाम चीज से बस्ती से जब तक वहाँ दमकल पहुँचता है तब तक बहुत सारा इलाका जल जाता है, यह वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप बोलिए।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसका परीक्षण कराना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसका परीक्षण करा लेंगे। इसमें महेन्द्र नाथ यादव जी मा0 मंत्री जी ने कहा है कि इसका परीक्षण करा लें। परीक्षण करवाने का एक शब्द का मतलब है आश्वासन। तो क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ? अगर वापस लेंगे तो यह ड्रॉप हो जाएगा। आप समझ लीजिए क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

मान्यवर, मैं वापस नहीं लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आप वापस नहीं ले रहे हैं तो उसके ऊपर प्रश्न कर देते हैं। तो प्रश्न करने के बाद आपके आश्वासन का स्वयं विषय समाप्त हो जाएगा।

श्री महेन्द्रनाथ यादव-

मान्यवर, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

चलिए संकल्प वापस लिया। उसका नियम है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि जब आपने वापस ले लिया तो वह सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है अब हम अगला संकल्प लेते हैं। महेन्द्र नाथ यादव जी ने अपना संकल्प वापस ले लिया। यह विलोपित हो गया।

जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा जी अनुपस्थित हैं, इसलिए इनके प्रस्ताव को ड्रॉप किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री सचिन यादव जी अब आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था की जाये'।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा क्षेत्र जसराना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है रूरल क्षेत्र है, वहाँ पर न नगर पालिका है, न कोई बड़ा टाउन है, बड़ा ही रूरल क्षेत्र है। वहाँ पर पढ़ने-लिखने वाले बच्चे रहते हैं उन बच्चों को दूर-दूर अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है या अच्छे स्कूल में पढ़ने जाना है तो उन्हें बाहर के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है या आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि इन रूरल क्षेत्रों को ध्यान देते हुए वहाँ पर एक स्पेशल टाउनशिप बना दी जाये जहां पर अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छे स्कूल जो बड़ी चेन्स हैं हमारी इंडिया की उनको वहाँ पर जमीन मिल पाये जिससे वह वहाँ पर यूनिवर्सिटीज और स्कूल बना सकें यह आपसे अनुरोध है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वहाँ पर भेज दिया जाये सब कुछ मेरे जसराना में। यह आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसका भी परीक्षण कराना पड़ेगा इसकी वजह यह है कि मेरे पास इसकी जानकारी आई नहीं है। बिना परीक्षण कराये हम इस समय कुछ कह नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि नियम-103 के अन्तर्गत जो प्रस्तावित चर्चा है कदाचित इसमें जो सम्बन्धित विभाग के मा0 मंत्री जी लोग हैं उनको किस कारण से उनको सूचना नहीं हो पाई है। किसी कन्फ्यूजन में यह रह गया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो शेष नियम-103 की चर्चाएं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो लोग नहीं हैं उनका तो ड्रॉप ही कर दें।

श्री अध्यक्ष-

जो नहीं है उनका ड्रॉप कर देंगे और जो लोग हैं उन लोगों को आगे चर्चा के लिए अग्रेतर रखे रहेंगे। श्री सचिन यादव इसको आगे चर्चा के लिए जारी रखें।

जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराया जाये।'

श्री अध्यक्ष-

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी इसको चर्चा के लिए जारी रखेंगे।

जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्री मौहम्मद फहीम इरफान (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाये।'

श्री अध्यक्ष-

श्री मौहम्मद फहीम इरफान जी अनुपस्थित हैं, इसलिए इसको ड्रॉप करते हैं। श्री अभय सिंह जी आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, आश्वासन दे दीजिए कोई दिक्कत नही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आश्वासन जानकारी होगी तब दे पायेंगे।

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ अघोसित बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराया जाय'।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप कुछ बताएंगे कि जो इन्होंने पढ़ा है वहीं है। जो जर्जर लाइनें हैं उनको ठीक वैसे ही करा रहे होंगे।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, रिवैम्प योजना के अन्तर्गत लगभग सभी जगह यह तो हो ही रहा है, तो यह भी स्वतः अपने आप ही हो जाना है।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी कह दें कि हम दिखवा लेंगे।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह स्वतः अपने आप होना है, लेकिन अगर मा0 सदस्य चाहते हैं तो हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अभय सिंह जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अभय सिंह-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी की तरफ से आश्वासन आ गया है और मा0 अभय सिंह जी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है, तो इसे ड्राप करते हैं।

जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

डॉ0 नीरज बोरा (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण किया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य डॉ0 नीरज बोरा जी। मा0 नीरज बोरा जी उपस्थित नहीं हैं। अतः यह प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

डॉ0 रागिनी-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान की जायें।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 डा0 रागिनी जी, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव-निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव-निर्माण कराया जाये।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी, आपके प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाये।'

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य के प्रस्ताव का उत्तर मेरे पास उपलब्ध है।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मा0 बेचई सरोज जी, आप पहले अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री बेचई सरोज-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल किया जाये।'

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था के लिये मैंने कई बार कहा है। वह 100 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अखिलेश यादव जी द्वारा बनवाया गया था और वहाँ पर मात्र एक ही सफाई कर्मी है, जिस कारण वहाँ पर सफाई नहीं हो पाती है। पिछली बार भी मैंने सदन के माध्यम से माँग की थी, लेकिन अभी तक वहाँ

पर अतिरिक्त सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं हो पायी है और वहाँ पर काफी गन्दगी और कूड़ा रहता है, जिससे बीमारी फैलती है। मैंने कई बार निवेदन भी किया है, लेकिन आज तक वहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पायी है। इसलिये आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि उक्त 100 बेड के अस्पताल में स्ट्रेचर, सफाई कर्मी, डॉक्टर आदि की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, लालगंज से आजमगढ़ 50 किलोमीटर दूर पड़ता है और बनारस वहाँ से 65 किलोमीटर पड़ता है, इस कारण से महिलाओं और बहनों को बड़ी दिक्कत होती है। मान्यवर, कटघर में एक महिला अस्पताल था, जो मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय वर्ष 2012 से 2017 में चालू था, लेकिन आज की डेट में आप पता करा लें, वह अस्पताल वर्तमान में पूरी तरह से बन्द है और उसमें जानवर रहते हैं। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। वह अस्पताल वर्ष 2012 से 2017 तक चालू था, लेकिन उसके बाद से वह बन्द पड़ा है। वहाँ पर न तो एक भी महिला डॉक्टर है, न तो नर्स है, इसलिये आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप जवाब दे दें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड का अस्पताल क्रियाशील है। उक्त अस्पताल में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित है। चिकित्सालय में नियुक्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :-

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-1, अधीक्षक परामर्शदाता-1, फिजीशियन-1, चेस्ट फिजीशियन-1, बाल रोग विशेषज्ञ-1, निश्चेतक-1, आर्थोपैडिक सर्जन-3 जिसमें से 2 नियमित हैं तथा 1 वॉक-इन-इण्टरव्यू के आधार पर रखा गया है। इसके अलावा नेत्र सर्जन-1, ई0एम0ओ0-3, दन्त सर्जन-1, चिकित्सा अधीक्षक-1, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डिप्लोमा इन गायनी एण्ड आब्ट्रैटिक्स, बाल रोग विशेषज्ञ-1, ई0एम0ओ0-2, पैरामेडिकल स्टाफ, डेण्टल हाइजीनिस्ट-1, आप्टोमीट्रिस्ट-1, एक्स-रे टेक्नीशियन-1, डार्करूम सहायक-1, चीफ फार्मासिस्ट-1, फार्मासिस्ट-2, स्टाफ नर्स-10 जिसमें से 04 नियमित हैं और 6 संविदा पर हैं। लैब टेक्नीशियन-3 जिसमें 2 नियमित हैं और 1 संविदा पर है। वरिष्ठ सहायक-1, इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि एक्स-रे मशीन, सर्जिकल डायाथर्मी मशीन, वर्टिकल स्टेरिलाईजर, वॉयल्स ट्रॉली, मल्टी पैरामीटर, सेन्ट्रल एक्स-रे एवं दन्त से सम्बन्धित उपकरण आदि उपलब्ध हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आपके हिसाब से आवश्यकतानुसार सब कुछ उपलब्ध है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

जी मान्यवर। सब कुछ उपलब्ध है और क्रियाशील है।

श्री बेचई सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ सी0एच0सी0 था और आप पता करा लें, हमारा लालगंज गाजीपुर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से भी काफी मरीज उस सी0एच0सी0 पर आते थे। उस सी0एच0सी0 के ही डॉक्टर 100 बेड के अस्पताल में कर दिये गये और सी0एच0सी0 आज कार्यरत नहीं है। वह सी0एच0सी0 बन्द चल रही है और एक महिला अस्पताल चल रहा था वह भी बन्द चल रहा है।

मा0 अध्यक्ष जी, आप पता करा लें, मेरी बात यदि सही हो तो उस पर कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री बेचई सरोज जी व मा0 मंत्री जी को सुना क्योंकि मा0 मंत्री जी के द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसमें डाक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट इत्यादि आवश्यकतानुसार उपलब्ध हैं, अतः आगे भी जो आवश्यकता होगी वह बतायेंगे। क्या आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बेचई सरोज-

मान्यवर, लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड का अस्पताल बन्द है, वहाँ पर टाउन एरिया है, तहसील है, लेकिन वहाँ पर सब बन्द है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, की सरकार के समय सब चल रहा था। इसमें आप आश्वासन दे दें कि यह अस्पताल कब तक चालू हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष-

कब तक चालू हो जाएगा यह तो नहीं बता सकते, लेकिन मा0 मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह किसी महिला अस्पताल की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप इसी 100 बेड के अस्पताल पर बात कर रहे हैं ?

श्री बेचई सरोज-

मान्यवर, मैंने 100 बेड के अस्पताल के बारे में तो बात की है, लेकिन उसी से सटा हुआ एक अस्पताल और है, उसे भी चालू करा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य ऐसा नहीं होता है।

श्री बेचई सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, सी0एच0सी0 वाला दिखवा लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप सी0एच0सी0 के लिए अलग से बतायें वह अलग से दिखवा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव में जो लिखा है आप उसकी बात करें, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बेचई सरोज-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी की तरफ से उत्तर आ गया है और मा0 बेचई सरोज जी, ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है, तो इसे ड्राप करते हैं।

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा जारी

श्री जवाहर लाल राजपूत-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद झाँसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 जवाहर लाल राजपूत जी, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा जारी

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराया जाये।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री सचिन यादव, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

मान्यवर, बस 30 सेकेण्ड लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

फिर मुझे वोटिंग करानी पड़ेगी।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

मान्यवर, आप वोटिंग मत कराना, बस एक चीज सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

सुनने के बाद मुझे कोई न कोई निर्णय देना पड़ेगा, फिर आगे चर्चा जारी नहीं रहेगी। आप बोलना चाहते हैं तो बोल लें। उसके बाद मुझे उसका निस्तारण करना पड़ेगा। चाहे मैं वोटिंग करवाऊँ या आप वापस लें। अगर चर्चा जारी रहेगी तो मा0 मंत्री जी उपस्थित रहेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसका जो प्रोसीजर है वह मैं आपको बता रहा हूँ।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

ठीक है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

श्री सचिन यादव जी के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू, अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

डॉ0 पल्लवी पटेल-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू, अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करायी जाये।'

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 पल्लवी पटेल, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी, उपस्थित नहीं हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम 'अंदावा की मड़ैया' को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव उनकी अनुपस्थिति में (व्यपगत)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेबा के ग्राम 'अंदावा की मड़ैया' को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुये सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुये सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

श्री महेन्द्र नाथ यादव, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0, मोराना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्री चन्दन चौहान (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0, मोराना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री चन्दन चौहान जी उपस्थित नहीं हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जय प्रकाश अंचल-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

श्री जय प्रकाश अंचल जी, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्रीमती रेखा वर्मा (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाया जाय।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्रीमती रेखा वर्मा जी उपस्थित नहीं हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

डॉ0 रागिनी-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।'

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

डॉ0 पल्लवी पटेल-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करायी जाये।'

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 पल्लवी पटेल, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप बोलें।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से 'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करायी जाये।'

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम सरकार को और विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव को आपने स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहती हूँ कि मैंने अपना प्रस्ताव विधान सभा क्षेत्र सिराथू के लिए लिखा था, लेकिन मुझे जो भी विभाग में डाक्यूमेंट उपलब्ध कराये गये हैं उसमें केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना में क्षेत्र बदल दिया गया है और प्रस्ताव मेरा लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वहाँ बच्चे भिजवा दीजिएगा। अगर आपकी बात हो गयी हो तो क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रही है ?

डॉ0 पल्लवी पटेल-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 पल्लवी पटेल जी, अपना प्रस्ताव वापस ले रही हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना के तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना के तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना करायी जाये।'

श्री अध्यक्ष-

श्री सचिन यादव, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव (व्यपगत)

श्री मौहम्मद फहीम इरफान (अनुपस्थित)-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना करायी जाये।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री मौहम्म्द फहीम इरफान जी उपस्थित नहीं हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

डॉ0 रागिनी-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराए जायें।'

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री रामरतन कुशवाहा-

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना करायी जाय।'

श्री अध्यक्ष-

श्री रामरतन कुशवाहा, आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे कि चर्चा जारी रखेंगे।

श्री रामरतन कुशवाहा-

मान्यवर, वापस ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री रामरतन कुशवाहा जी अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। अतः इनका प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

[07:40] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 09 फरवरी, 2024 को नियम-301 के अन्तर्गत 51 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री चन्द्र प्रकाश लोधी की जनपद फतेहपुर के सांतोपीत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण शहीद सैनिक हसरत अली के नाम पर किए जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की मिर्जापुर के अन्तर्गत कोन ब्लॉक में बने पीपा पुल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया में सड़क का पुनर्निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी में गुरसराय ब्लॉक में धसान नदी पर सोनकपुर में लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ गोहन माधौगढ़ में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नदी के ऊपर कतिपय पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद लखनऊ के सेक्टर-4 विकास नगर में बिजली के तार बदले जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राम सिंह पटेल की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम सभा कुकुआर में नाले का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री कविन्द्र चौधरी की जनपद बस्ती के अन्तर्गत कप्तानगंज में फ्लाईओवर बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री मो0 ताहिर खान जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ग्राम सभा आलामऊ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा जोगापुर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रयागराज की महिला को फर्जी मुकदमे से न्याय दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट में शमशान घाट बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के सकलडीहा में अमिलाई माइनर पर सैदपुर सम्पर्क मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के अन्तर्गत टेला में विद्युत सब-स्टेशन बनाए जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अशोक कुमार की जनपद रायबरेली के सलोन में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा के ग्राम बाघरा में कतिपय महाविद्यालय की मान्यता रद्द किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री विवेक कुमार की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री बाबूराम की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्रीमती ओममणी वर्मा की जनपद बांदा के नरैनी में स्टेडियम बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में कतिपय भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना डॉ0 रागिनी की विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में 63 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर के अधिस्ठापन के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या में कतिपय विद्यालय का बिना सहमति भवन बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री विनोद कुमार बिन्द की जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय अयोध्या की निविदा में अनियमितता के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में मार्ग एवं नाले के निर्माण के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान

सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बने एयरपोर्ट के निकट फार्मा कंपनी हब बनाए जाने के सम्बन्ध में है, तथा तैंतीसवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के अन्तर्गत ग्राम उकसी रायपुर में कच्ची सड़क को पक्का कराए जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री विजय पाल (आढ़ती), श्री मनीष रावत, श्री सौरभ सिंह सोनू, श्री राजेशवर सिंह, श्रीमती गीता शास्त्री, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री दिनेश रावत, श्री प्रदीप चौधरी, श्री हरिओम वर्मा, श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री रामचन्द्र यादव, श्री अनिल सिंह, श्रीमती जयदेवी, श्री रविदास मेहरोत्रा, ई0 सरवन कुमार निषाद, श्री मौहम्मद फाहीम इरफान तथा श्रीमती इन्द्राणी देवी।

जनपद फतेहपुर के सांतोपीत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण शहीद सैनिक हसरत अली के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी-

[महोदय, निवेदन करना है कि शहीद सैनिक हसरत अली ग्राम-सांतोपीत, पो0-सांतों धरमपुर, वि0ख0-हसवाँ, तहसील व जिला-फतेहपुर के निवासी हैं। लान्स नायक हसरत अली राजरिफ कश्मीर के कारगिल सेक्टर में तैनात थे, पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए दिनांक 29-08-2001 को साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

अवगत हो कि ग्राम-सांतोंपीत, विकास खण्ड-हसवाँ, जिला-फतेहपुर में शहीद हुए सैनिक के स्मारक स्थल के बगल में शहीद के नाम से अस्पताल का शिलान्यास तत्कालीन सांसद ने किया था। भवन बनकर तैयार हो गया और स्वास्थ्य केन्द्र चालू हो गया लेकिन अभी तक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण शहीद हसरत अली के नाम पर नहीं हुआ है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण शहीद हसरत अली के नाम पर कराये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

मिर्जापुर के अन्तर्गत कोन ब्लॉक में बने पीपा पुल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्रा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मिर्जापुर-296 के कोन ब्लॉक के अन्तर्गत कोलुहा कमासिन से कम्पनी धाक तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में दिनांक 24-12-2021, दिन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शुक्रवार को बने पीपे के पुल का शिलान्यास किया गया। परन्तु इस पुल का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है, जिससे आम-जनमानस को कचहरी आदि निजी कामों पर जाने हेतु 20-25 किमी0 घूमकर जाना पड़ता है, जिससे उनको अधिक समय एवं परेशानी से जूझना पड़ता है। महोदय अगर इस पीपा पुल का निर्माण जल्द करा करके इसे आम-जनमानस के लिये खोल दिया जाय तो जनता को कचहरी जाने में 20 किमी0 का चक्कर बच जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये सक्षम अधिकारी को पीपे के पुल का निर्माण को पूरा कराने का आदेश देकर जल्द आम-जनमानस के लिये खोले जाने का आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद बलिया के बैरिया में सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के अन्तर्गत मानगढ़ पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सड़क मार्ग से वशिष्ठ नगर होकर गोपालनगर तक जाने वाली मार्ग काफी जर्जर अवस्था में है। जिस पर पैदल अथवा गाड़ियो से चलना काफी कष्ट दायक है। जनहित में उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद झाँसी में गुरसराय ब्लॉक में धसान नदी पर सोनकपुर लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

अवगत कराना है कि जनपद-झाँसी की ब्लाक-गुरसराय में किसानों के खेतों की बुआई एवं फसलों की सिंचाई हेतु नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में टेल तक नहीं पहुँच पाता है। जिस कारण से किसानों की फसलें सूख जाती हैं और किसान समय पर अपने खेतों की बुआई तक नहीं कर पाते हैं। धसान नदी पर सोनकपुर लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने की बहुत आवश्यकता है। जनहित में नहरों में उक्त कैनाल का निर्माण कराया जाना बहुत आवश्यक है। उक्त लिफ्ट कैनाल से रानीपुर मुख्य नहर में पानी डाल दिया जाये तो अत्यधिक किसानों के खेतों तक पानी पहुँच जायेगा और रानीपुर मुख्य नहर से टेल के गाँव में पानी पहुंचेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनपद झांसी में गुरसराय ब्लाक में किसानों की सिंचाई की समस्या को देखते हुये जनपद-झांसी में धसान नदी पर सोनकपुर में लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ गोहन माधौगढ़ में मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूलचन्द्र सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कुठौंद से ईंटों गोहन माधौगढ़ होकर एवं मध्य प्रदेश सीमा तक इंटरस्टेट मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवम् सुदृढ़ीकरण कराया जाना आवश्यक है, यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् मध्य प्रदेश सीमा को जोड़ने वाला मार्ग है इस मार्ग का गोहन से माधौगढ़ एवं मध्य प्रदेश सीमा तक चौड़ीकरण एवम् सुदृढ़ीकरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, कुठौंद से गोहन तक चौड़ीकरण एवम् सुदृढ़ीकरण शेष रह गया है, जनहित में अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवम् सुदृढ़ीकरण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्त्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किए जाने की माँग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा लालगंज में नदी के ऊपर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में ग्राम सभा पुरसूड़ी में श्री नारायण विश्वकर्मा के खेत के बगल में गांगी नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना है तथा ग्राम सभा सरायमोहन 'टाण्ड' में श्री लालमन विश्वकर्मा के खेत के सामने बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना है, उक्त दोनों पुलों का निर्माण नहीं होने के कारण हजारों जनता को लगभग बीस किलोमीटर घूम कर आना-जाना पड़ता है। यहां की जनता काफी समय से उक्त पुलों को बनाये जाने की माँग कर रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आम-जनता में शासन/प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में उक्त दोनों पुलों का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के सेक्टर-4, विकास नगर में बिजली के तार बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 पल्लवी पटेल-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर-4 में राधेलाल स्वीट्स के सामने से मकान नं0-709 तक बिजली का तार खुला हुआ है जिस कारण दुर्घटना की आशंका सदैव बनी रहती है। सेक्टर-4 के बिजली के तारों को इन्सुलेटेड वायर में परिवर्तित कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम सभा कुकुआर में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह पटेल-

[महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र पट्टी की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम सभा-कुकुआर में हरिश्चन्द्र के घर से नाला तक लम्बाई लगभग 250 मी0 कच्चा चकमार्ग है। कच्चा मार्ग होने से ग्रामवासियों को बरसात के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त स्थान पर सड़क न होने से आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। सड़क मार्ग न होने से क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति काफी रोष एवं निराशा है। सड़क मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का निर्माण हो जाने से स्थानीय निवासियों को काफी सुविधा होगी।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त स्थान पर सड़क का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[महोदय, मैं जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा, तहसील इटवा, डुमरियांगज में मेरे क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क इटवा व डुमरियागंज बढ़नी मार्ग से ग्राम कमता के पास से सेमरा होते हुए इटवा तक तथा बलुआ से पतिला तक होते हुए तथा महादेव घुरहु से पिरैला से भावपुर मीरा तक तथा विस्कोहर से सिंगारजोत तक तथा महादेव घुरहु से सकतपुर तक बढ़या से कठेला तक बिल्कुल पिछले सात वर्षों से न तो गड्ढामुक्त हो पायी, जिससे यह

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुरी तरह से जर्जर हो गयी, जिस पर चलने लायक नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त इटवा-बांसी मार्ग से टिकुइयां के पास से मेचुकी होते हुए भडवा तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। इस पर बडे-बडे गड्ढे व सडक का अन्तिम तल है सब खत्म हो चुका है। जिससे लोगो को आने-जाने व ट्रैक्टर-ट्राली ले जाने में भी कठिनाई हो रही है, इन कारणों से जनता में रोष है इन सडकों का ठीक न होने से कई बार घटनायें भी हो चुकी हैं और मृत्यु भी हो गयी है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि इन सड़कों को रिपेयर तथा गड्ढामुक्त करने के लिए धन आवंटित करके इसे ठीक कराये जाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त ग्राम मल्हवार से छिताही होते हुए टेलरियाडीह से सरहद तक इसे भी रिपेयर कराने का कष्ट करें।]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय के तरफ दिलाना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में 42 राजकीय नलकूप शासन द्वारा दिये गये थे जिसमें मैने भी अपनी विधान सभा क्षेत्र में कुछ जगह किसानों के यहां राजकीय नलकूप लगाये जाने की संस्तुति की थी, लेकिन मेरी संस्तुति पर एक भी नहीं लगाया गया, जो पूर्णतया गलत है, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि मुझे अवगत कराया जाय कि प्रति विधान सभा क्षेत्र कुल कितने और किसकी संस्तुति पर लगाये गये और मेरे द्वारा संस्तुति को किस आधार पर निरस्त किया गया। ऐसा कृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की माँग सरकार से करता हूँ।]

जनपद बस्ती के अन्तर्गत कप्तानगंज में फ्लाईओवर बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कविन्द्र चौधारी

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज जनपद बस्ती के अन्तर्गत गोरखपुर-अयोध्या-लखनऊ एन0एच0-27 मार्ग पर स्थित कप्तानगंज चौराहे पर ओवरब्रिज

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(फ्लाईओवर) न होने के कारण आवागमन के लिए लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं आयेदिन सड़क पार करते समय दुर्घटना होती रहती है। जनहित में कप्तानगंज चौराहे पर ओवरब्रिज (फ्लाईओवर) का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने एवं उक्त ओवरब्रिज (फ्लाईओवर) का निर्माण कार्य कराये जाने की माँग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय पर दिलाना चाहता हूँ। जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत ग्राम बछरावां लकढ़िया खेड़ा से रैन तक, जोनपुर ब्रान्च भैयापुर हिलहा होते हुए कोटवा मोहम्मदाबाद तक, इसियाड्रेन से मुडियाडीह आश्रम पठान के पुरवा तक की सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में है तथा बहुत गड्ढे हैं जिससे आयेदिन दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा लोग आयेदिन चोटिल होते रहते हैं। सड़कें खराब होने के कारण वाहन भी आयेदिन खराब होते रहते हैं। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य जिला पंचायत स्तर से कराया जाये। सड़क खराब होने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़कों को बनवाये जाने हेतु माँग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ग्राम सभा आलामऊ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 ताहिर खान-

[मान्यवर, अति महत्वपूर्ण विषय पर ग्राम सभा आलामऊ, ब्लॉक बल्दीराय राम बालक के घर से उलका दहन होते हुये बौरहवाँ पारा कच्चा रोड है। आजादी के 76 साल बीत जाने के बावजूद भी यह सड़क नहीं बन पायी है, जिससे गाँव के बुजुर्ग बहुत ही परेशानियों का सामना निरन्तर कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि इस सड़क को अति शीघ्र बनाया जाये, ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके, और इस गाँव के लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें यह पिछड़ा हुआ इलाका है, इस पर त्वरित कर्रवाई की जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा जोगापुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर में ग्राम सभा जोगापुर सुरेश यादव के ट्यूबवेल से सुरेश यादव के घर तक पिच रोड अति जर्जर हो गयी है, जिसके कारण आम-जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आम-जनता में अत्यधिक आक्रोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज की महिला को फर्जी मुकदमे से न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि श्रीमती अपूर्वा सोनकर पत्नी मोहित यादव, निवासी-67/62 तालाब नवल राय बैहराना, थाना कीटगंज, जनपद प्रयागराज की अनुसूचित जाति की महिला जोकि बलात्कार पीड़िता है वह उच्च शिक्षा प्राप्त पी0एच0डी0 की छात्रा है व आरोपी शोभित रस्तोगी के विद्यालय की शिक्षिका है, आरोपी शोभित रस्तोगी प्रभावशाली अभियुक्त है। आरोपी पीड़िता के अश्लील विडियो वाट्सऐप कर, अश्लील हरकत व यौन शोषण करता था, जिसके क्रम में पीड़िता द्वारा थाना जार्जटाउन मु0 अ0 सं0-0179/2020 प्रयागराज में दर्ज कराया गया था पीड़ित व पीड़िता का परिवार पर उक्त बलात्कार के मुकदमे में जबरन सुलह कराने का प्रयास किया जा रहा है और सुलह न करने की दिशा में जान से मारने की धमकी दी जा रही है और विभिन्न थानों में आरोपी द्वारा व आरोपी अपने सहयोगियों द्वारा थाना सिविल लाइन में मु0 अ0 सं0-340/2023, थाना दारागंज में मु0 अ0 सं0-152/2023, थाना दारागंज में मु0 अ0 सं0-204/2023 व थाना कीटगंज में मु0 अ0 सं0-242/2023, थाना कीटगंज में मु0 अ0 सं0-243/2023, थाना धूमनगंज में मु0 अ0 स0-243/2023, थाना कीटगंज में 242/2023 दर्ज कराकर उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़िता अपूर्वा सोनकर को कूटरचित मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजवा दिया गया और अन्य फर्जी मुकदमे से पीड़िता की जमानत को रोका जा रहा है। जिससे इस तरह की कूटरचित उत्पीड़न से समाज में सरकार के प्रति घोर आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महोदय, से उक्त अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में सरकार से वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट में श्मशान घाट बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल प्रधान-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में श्मशान घाटों की बहुत बड़ी समस्या है। जनता को मजबूरीवश अपने ही खेतों में अपने परिजनों का अन्तिम संस्कार करना पड़ता है। ग्राम पंचायत भारतपुर तरांव, बनकट, अशोह, सरधुवा, भैसौंधा, देवकली, शिवरामपुर, पहाड़ी, गढ़ीघाट, घुरेटनपुर आदि ग्राम पंचायतों में श्मशान घाट पंचायती राज विभाग चित्रकूट द्वारा बनवाया जाये। इस वर्ष कई ग्रामों में श्मशान घाट का निर्माण करवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपर्युक्त ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत राज अधिकारी, चित्रकूट द्वारा प्रस्तावित कराकर प्रस्ताव जिलाधिकारी, चित्रकूट के माध्यम से सरकार को भेजवाया जाना जनहित के लिये अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के सकलडीहा में अमिलाई माइनर पर सैदपुर सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान चन्दौली जनपद के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत स्थित अमिलाई माइनर से जमालपुर होते हुए चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग के तरफ दिलाना चाहता हूँ। उक्त मार्ग फोर लेन मार्ग को जोड़ता है वह तहसील व जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है जिसकी लम्बाई लगभग 4 किमी0 है जो लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के प्रा0ख0 के अन्तर्गत आता है। वर्तमान समय में कुछ लम्बाई में खड़न्जा लगा हुआ है, कुछ लम्बाई में लेपन भी हुआ है। वर्तमान समय में उक्त मार्ग बहुत ही जर्जर व खराब हो चुका है। किसान व आम-जनमानस को जिला मुख्यालय व तहसील जाने में काफी असुविधा होती है। मुख्यालय से जोड़ने के लिए उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से किसान हित एवं जनहित में सरकार से अमिलाई माइनर से जमालपुर होते हुए चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग का निर्माण चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के अन्तर्गत टेला में विद्युत सब-स्टेशन बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[महोदय, जिला-प्रयागराज के विकास खण्ड-हण्डिया के अन्तर्गत टेला में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित नहीं होने के कारण क्षेत्र में आये-दिन विद्युत सप्लाई बाधित रहती है, क्षेत्रीय जनता ने कई बार वहाँ विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु अनुरोध किया, परन्तु अभी तक विद्युत विभाग द्वारा कोई यथोचित कार्यवाही नहीं किये जाने से आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में सरकार से ग्राम सभा टेला में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के सलोन में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सलोन, जनपद रायबरेली में ब्लॉक-सलोन के अन्तर्गत ग्राम सभा-दुबहन, ग्राम सभा-लालापुर, ग्राम सभा-अमरूपुर, ग्राम सभा-बगहा तथा सलोन नगर पंचायत के अन्तर्गत औना सदरा, तेरहों, जगतपुर रोड तथा सलोन बाईपास ओवरब्रिज के नीचे कई स्थानों पर कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तित कराये अवैध प्लाटिंग की जा रही है। अनाधिकृत प्लाटिंग में कोई भी तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है, इस प्रकार मिली-भगत करके लाखों रुपये की स्टाम्प चोरी कराकर राजस्व क्षति पहुंचायी जा रही है। जनहित में ब्लॉक-सलोन, जिला-रायबरेली में अवैध प्लाटिंग को रोका जाय, दोषी अधिकारियों एवं अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामशंकर पटेल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-399, मड़िहान जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत 5 प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह प्रमुख मार्ग-1-मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग से बलहरा वया गुलालपुर मार्ग, 2-मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग लालपुर से कलवारी मार्ग,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-कलवारी से ददरा पहाड़ी नहर मार्ग, 4-मड़िहान मिर्जापुर मार्ग तहसील से सुगापांख मार्ग, 5-नुनौटी से इमिलिया, बंधवां (गोल्हनपुर) सम्पर्क मार्ग है। इन मार्गों पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण घन्टों जाम की स्थिति रहती है तथा आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती है। जनहित में इनका चौड़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हे।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के ग्राम बाघरा में कतिपय महाविद्यालयों की मान्यता रद्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मॉट, जनपद-मथुरा के गाँव बाघरा निवासी हरीशंकर शर्मा की पैतृक भूमि पर पास के ही गाँव बरौठ निवासी योगेश कुमार उर्फ भूरा ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और अलग गाटा संख्या पर आगरा विश्वविद्यालय एवं आगरा कमिश्नर के कार्यालय से अनापत्ति एवं महाविद्यालय की मान्यता ली हुई है। महाविद्यालय जिस गाटा संख्या पर निर्मित है वह पीड़ित हरिशंकर वर्मा की पैतृक भूमि है और अनापत्ति एवं महाविद्यालय की मान्यता किसी अन्य गाटा संख्या पर ली हुई है। आगरा विश्वविद्यालय एवं कमिश्नर के यहां जिला प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण की कई बार जांच रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। पीड़ित वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। कई बार तहसील प्रशासन भी उक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों को जांच रिपोर्ट दे चुका है परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अभी तक श्री लोकमणि महाविद्यालय बाघरा नौहझील पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में झूठे, भ्रामक एवं फर्जी तथ्य प्रस्तुत कर महाविद्यालय हेतु प्राप्त की गयी मान्यता को रद्द/निरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर के ब्लाक विलसण्डा से 20 किमी0 की दूरी से आग बुझाने के लिये आते हैं तब तक अप्रिय घटनायें घट चुकी होती हैं। जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जनहित में फायर स्टेशन की स्थापना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूराम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-129 के पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत वि0ख0-पूरनपुर के ग्राम ददौल हरदोई नहर के पास दिलीवारपुर मार्ग पर पुतिया पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त पुल के न होने से जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से अविलम्बनीय वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बांदा के नरैनी में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ओममणी वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद बाँदा के अर्न्तगत विधान सभा-234, नरैनी में सबसे पुरानी तहसील व नगर पंचायत नरैनी व इसके आस-पास कोई स्टेडियम/खेल का मैदान न होने के कारण यहां के युवाओं की खेल प्रतिभायें नही उभर पा रही हैं। स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार यहाँ पर खेल का मैदान/स्टेडियम बनवाये जाने की माँग की जा रही है। मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र सं0-196, दिनांक 11-1-2023 को पत्र लिख कर खेलो इण्डिया खेलो के तहत नगर पंचायत नरैनी या उसके आस-पास मिनी स्टेडियम बनाये जाने की माँग की गयी थी किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति परिलक्षित नही हुयी है। जबकि युवाओं व स्थानीय लोगों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय नरैनी/नगर पंचातय नरैनी में एक स्टेडियम बनाया जाना अविलम्ब आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अर्न्तगत अविलम्ब लोक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त महत्पवूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुये विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय/तहसील मुख्यालय/नगर पंचायत नरैनी मुख्यालय मे एक मिनी स्टेडियम स्वीकृत किये जाने की माँग करती हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में कतिपय भूमि का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली की प्रार्थिनी श्रीमती रानी पत्नी श्री रमेश कुमार ग्राम छोटी टिकरिया हरदी टीकर वि0क्षे0 जगतपुर, जनपद रायबरेली द्वारा कई वर्षों से प्रार्थना पत्र कृषि की जमीन आवंटन हेतु दिया था जिसमें जिलाधिकारी रायबरेली के द्वारा प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी ऊंचाहार से करायी गयी, जांच आख्या के अनुसार आवेदिका भूमिहीन है, और इनके पति विकलांग हैं, उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन करने को विहित प्रकिया है, भूमि प्रबन्धक समिति हरदीटीकर, विकास खण्ड जगतपुर, तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली को विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये नियमानुसार आवेदिका को कृषि भूमि आवंटन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, सुलभ सन्दर्भ हेतु उप जिलाधिकारी ऊँचाहार को जांच आख्या भी प्राप्त है, परन्तु प्रार्थिनी को अभी तक भूमि आवंटन नही की गयी है। उक्त के सन्बन्ध में कई बार प्रार्थना पत्र दिये गये लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 में स्वीकार करने की कृपा करें।]

विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[महोदय, मछलीशहर के ग्राम सभा चतुर्भुजपुर में ट्रांसफार्मर विद्युत भार क्षमता से काफी अधिक है जिसके कारण कम वोल्टेज एवं ट्रांसफार्मर आय दिन खराब होने की समस्या बनी रहती है, 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर को 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि के अधिष्ठापन हेतु हमने पत्रांक-621, दिनाँक 16-11-2023 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण लिमिटेड जौनपुर, खण्ड 2 को अवगत कराया था। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक एवं सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उ0प्र0 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन की माँग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए अवगत चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर की विकास खण्ड नूरपूर के अन्तर्गत चाँदपुर के ग्राम मीरापुर से गाम बहमनसोरा तक का मार्ग कच्चा बना हुआ था जो बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। इस मार्ग में गहरे-गहरे गड्ढ़े बन चुके हैं बरसात के समय यहां से गुजरना असम्भव है। इस मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटना हो रही है। इस मार्ग पर मन्दिर, कॉलेज सहित लगभग सैकड़ों गावों का आवगमन है। मार्ग खराब होने कारण यहां के किसानों, व्यापारियों, आम नागरिकों, छात्रों को बहुत कठिनाई होती है। उकत सड़क का जनहित में निर्माण कराया अति आवश्यक एवं लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार सें वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या में कतिपय विद्यालयों को बिना सहमति बनाये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद-अयोध्या के अति लोक महत्व के सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज रसूलाबाद, जनपद-अयोध्या द्वारा ग्राम सभा-हैंसा, परगना- अमसिन, तहसील- सदर के भूमि गाटा संख्या-01 (नाला), गाटा संख्या-02 (सरकारी स्कूल हेतु सुरक्षित) तथा गाटा संख्या-03 (अन्य ग्रामवासियों के नाम अंकित) पर विद्यालय का भवन बिना किसी सहमति से बनाकर मान्यता प्राप्त करके अद्यतन संचालन किया जा रहा है जो कि पूर्णतया अनियमित है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार शिकायत की गयी है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनियमितता में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार से वक्तब्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड डाकोर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-221, उरई जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के ग्राम हरदोई गुर्जर से दिरावटी तक सड़क निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय अयोध्या में की गई निविदा में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द-

[महोदय, सादर अवगत कराना हैं कि शासन द्वारा दिनांक 26-12-2023 को जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय अयोध्या के उच्चीकरण हेतु निविदा में की गयी अनियमितता/धांधली की जाँच के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। उक्त जाँच में अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई एवं 240 बेडेड कोविड चिकित्सालय गौतमबुद्धनगर की निविदा में अपर निदेशक प्रयागराज मण्डल एवं जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा जाँच रिपोर्ट दिए जाने के उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक हित के महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों एवं मिलीभगत में सम्मिलित फर्मों के खिलाफ गम्भीर कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में मार्ग एवं नाले के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हुँ मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर मे मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं नाला निर्माण तथा मालन नदी पर रपटा बनाकर ग्राम असगरपुर तक सड़क निर्माण कर कस्बा किरतपुर को ग्राम असगरपुर से जोड़ने का कार्य किया जाना है। 2017 से अब तक यह प्रकरण विधान सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे द्वारा नियम-301 एवं नियम-51 के तहत कई बार उठाया गया है। परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिलाधिकारी बिजनौर एवं पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड नजीबाबाद को भी छूटी कड़ी योजना के अनुरूप मैने इसका प्रस्ताव दिया था। यहां के किसान राईन बिरादरी (सैनी) सब्जी उगाने का कार्य करते हैं जोकि पुरे जिला बिजनौर में एवं उत्तरांचल में निर्यात की जाती है, उक्त मार्ग से वहाँ के किसानों को अपनी सब्जी बाजार ले जाने हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं कस्बा किरतपुर का सारा पानी इसी मार्ग के पास से होकर नदी तक जाता है उक्त मार्ग कच्चा होने एवं नाला न होने की वजह से वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कस्बा किरतपुर मे मोहल्ला चमारन के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं नाला निर्माण तथा मालन नदी पर रपटा बनाकर ग्राम असगरपुर तक जिला योजना से सड़क निर्माण हेतु सरकार से माँग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के नुकड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बने एयरपोर्ट के निकट फार्मा कम्पनी हब बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड़-02 क्षेत्रान्तर्गत एयरपोर्ट, सरसावा, जनपद सहारनपुर का शुभारम्भ होने जा रहा है। रेलवे लाइन के दोहरीकरण हो जाने एवं हाई-वे निर्माण के परिणामस्वरूप रेलवे/सड़क मार्ग द्वारा यातायात की सुविधा भी सुगम हो गयी है। उक्त सुविधाओं के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट के समीप यदि फार्मा कम्पनी हब की स्थापना हो जाये तो जनपद सहारनपुर के लिये चिकित्सा क्षेत्र में सुगम एवं प्रभावशाली निर्णय होगा।

अतः नियम-301 के अंर्तगत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मेरी विधान सभा क्षेत्र में फार्मा कम्पनी हब बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के अन्तर्गत ग्राम उकसी रायपुर में कच्ची सड़क को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-नौगावां सादात, ब्लाक व तहसील अमरोहा, जनपद अमरोहा के गाँव उकसी रायपुर से बुडेरना गाँव तक कच्ची सड़क को पक्का कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त मार्ग पर बारिश के दिनों में जलभराव बना रहता है जिससे आये दिन सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

[07:49] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 92 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गईं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पहली सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की विधान सभा क्षेत्र-242, हुसैनगंज फतेहपुर के अन्तर्गत हथगाम से सवंत तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की प्रदेश के अन्दर किसानों को सहकारी समिति की तरफ से यूरिया खाद के साथ जबरदस्ती तरल यूरिया (नैनो) दिये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट) की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्र की कतिपय जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री गुलाम मौहम्मद की जनपद मेरठ में जानी गंगनहर पुल से नगर पंचायत सिवाल खास तक सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री बृजेश रावत की विकास खंड-औरास, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर गोसा में 11 के0वी0ए0 विद्युत की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री बाबूलाल की फतेहपुर सीकरी अन्तर्गत ब्लाक अंकोला के ग्राम कराहरा में कच्चे मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अमिलिया खुर्द में नाले पर पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सक स्टाफ की नियुक्ति/तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री सचिन यादव की विधान सभा क्षेत्र जसराना में मक्खनपुर, प्रतापपुर, हाथवंत, कोटला मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद गाजियाबाद के श्रम विभाग में सामूहिक कन्या विवाह योजना में हुई धांधली एवं अनियमितता के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली नगर पालिका परिषद शामली के कतिपय मार्ग से अवैध दीवार हटवाकर जनमानस के लिये रास्ता चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में गरौठा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरसराय के ग्राम गुढ़ा में धसान नदी पर तपोभूमि विश्वामित्र की जन्म स्थली तक एवं अन्य मंदिरों तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डॉ0 आर0के0 पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर-गोपालपुर-जुड़पुर-जयरामपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ग्राम-सिहारी पट्टी में जनता जूनियर हाई स्कूल (मानपुर रोड लिंक) से इण्टरलॉकिंग खड़ण्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भीतरगाँव में ग्राम पंचायत रार के गाटा सं0-976 (बंजर भूमि) में अनैतिक रूप से काबिज लोगों के द्वारा प्रस्तावित अन्त्येष्टि स्थल न बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में बाईपास पर बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र-290, श्रावस्ती के वि0ख0 इकौना के अन्तर्गत ग्राम भरथापुर एवं वि0खं0 गिलौला के ग्राम चन्द्रखाबुजुर्ग में

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी की विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद बस्ती में ट्रामा सेण्टर सहित 100 बेड का अस्पताल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम विमावल में भीटी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राम सिंह पटेल की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम रेडीगारा में इण्टरलाकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री कविन्द्र चौधरी की जनपद बस्ती के HV कनेक्शन श्रेणी के उपभोक्ताओं को पिछले चार-पांच वर्षों से उनके जमा सिक्योरिटी की धनराशि पर ब्याज नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री अखिलेश की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में ग्राम सभा सलारपुर से चियूटही तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की ग्राम सोनता रसूलपुर, जनपद शामली में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार सिंह, की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में ग्राम पिपरामई से करसौरा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के भवनों के छतों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रयागराज में पीड़ित महिला के ऊपर फर्जी मुकदमे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र गोहना के रामनगर मोड़ तिराहे से महराज की कुटी वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री प्रभु नारायन सिंह यादव की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत रमौली विद्युत सब स्टेशन को अलग लाइन बनाकर 132 धानापुर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की विधान सभा क्षेत्र सदर, आजमगढ़ में मूलभूत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की विधान सभा क्षेत्र किशनी में राजकीय नलकूप लगाये जाने में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत रघुनाथपुर पिच मार्ग सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री महेन्द्र नाथ यादव की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में स्टेट मेडिकल कॉलेज नगहरा चौराहा से देवरिया तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के समस्त ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण से छूटे हुये मजरों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड धनुपुर ग्राम सभा कांगापुर-होलापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा के फर्जी रजिस्टर 1962 को तत्काल बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है,

छत्तीसवीं सूचना श्री संजय शर्मा की विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर (बुलन्दशहर) के ग्राम बिसुन्दरा-ग्राम-पभसरा सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के ग्राम चुनहैटी गाढ़ा में कम्युनिटी यूज की भूमि पर अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद (फतेहपुर) अन्तर्गत गोपालपुर से मेन रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री निर्मल वर्मा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के ग्राम नकेला से गेरुहा सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की विधान सभा क्षेत्र बीकापुर (अयोध्या) में ड्योढ़ी बाजार में नई पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द की विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा (पीलीभीत) टोडरपुर एहतमाली से मझौला-धनकुना मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्रीमती मनीषा की जनपद हमीरपुर की विधान सभा क्षेत्र राठ में सिंचाई विभाग द्वारा ब्लो टेण्डर पर किये गये कार्यों की जाँच के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर (बरेली) की नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में दूषित जल निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री प्रदीप शुक्ला की विधान सभा क्षेत्र सहजनवा (गोरखपुर) के ग्राम महुआ डाबर-चपरहट सम्पर्क मार्ग, रामपुर- मलौली सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ (सुल्तानपुर) की मण्डी परिषद् की सड़कों का निर्माण के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत इकदिल को नवीन विकास खण्ड घोषित करने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्रीमती ओममणी वर्मा की जनपद बांदा के नरैनी में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत छतौनी के निर्माण में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी रायबरेली में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर (बिजनौर), ग्राम मीरापुर-शेखपुरी चौहड़-बास्टा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की UPSIDC द्वारा विधान सभा क्षेत्र सरेनी, जनपद रायबरेली में अवैध आवासीय/व्यापारिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की विधान सभा क्षेत्र रुदौली (जनपद अयोध्या) अन्तर्गत एन0एच0-27 से अख्तियारपुर व भेलसर-रहीमगंज तथा सुजागंज, अलीमनगर, ममरेजनगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा स्थल होते हुये मरौचा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की विधान सभा क्षेत्र सरधना, जनपद मेरठ के कस्बा लावड़ में घरों के ऊपर गुजर रही हाईटेंशन लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना डॉ0 रागिनी की प्रदेश में वेटनरी फार्मासिस्ट तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर

में जिला पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री अभय सिंह की जिला पंचायत अयोध्या द्वारा ग्राम पंचायत रतनपुर तेंदुआ में रामनगर-मऊ सम्पर्क मार्ग से नुवावा-बैदरा मार्ग के सड़क निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम धुगवा खुर्द के बम्बा से लेकर हरदोई गुर्जर ईदगाह तक गाँव की ओर जाने वाली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर) में फैक्ट्रियों के आस-पास स्थित किसानों की भूमि को फ्री-होल्ड कर पुरानी फैक्ट्रियों का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य जनपद फर्रुखाबाद में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जसमई-सिरौली मार्ग के निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ (सहारनपुर) सिंचाई विभाग द्वारा सहारनपुर-नकुड़ रोड, कुम्हाहेड़ रजवाहे की पटरी सहारनपुर-अम्बाला रोड का निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्सठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की विधान सभा क्षेत्र नगीना (बिजनौर) के किरतपुर-मौजमपुर मार्ग से बुडगरा मार्ग पर मालन नदी के पुल से ग्राम बुडगरा तक गन्ना विभाग द्वारा बनाये गये मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने हेतु लो0नि0वि0 खण्ड, नजीबाबाद बिजनौर को आदेशित करने के सम्बन्ध में है तथा बासठवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के गाँव लालू नंगला से नौरायन तक जर्जर सड़कों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्री विजयपाल आढ़ती, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मनीष रावत, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री कमलाकान्त राजभर, श्री चन्दन चौहान, श्री आशीष कुमार सिंह आशू, श्री राजेश्वर सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री अरमान खान, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्रीमती आराधना मिश्रा (मोना), श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री लकी यादव (हस्ताक्षर अस्पष्ट), श्री अनिल सिंह, श्री मनीष असीजा, श्री रमेश सिंह डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, इंजी0 सरवन कुमार निषाद, श्री पंकज गुप्ता, श्री अजय सिंह, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री शहजिल इस्लाम तथा श्री आशुतोष शुक्ल।

नियम-301 की सूचनाओं को पढ़े जाने के सम्बन्ध में निर्देश

श्री अध्यक्ष-

मैं एक निवेदन कर लूँ कि कुछ समय पहले हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा अपेक्षा की गई थी कि नियम-301 की सूचनाएं पढ़ी जायें क्योंकि ऐसी परम्परा थी कि जो माननीय सदस्य इसको पढ़ना चाहते थे वह पढ़ते थे। मैं बहुत सारी बातें इसलिये यहाँ पर बता रहा हूँ

क्योंकि प्रायः चर्चा होती है कि पहले परम्पराएं क्या थीं। जब मुझसे कुछ सदस्यों ने कहा कि इनको पढ़ने की परम्परा थी तो मैंने कहा कि हाँ थी। उन्होंने कहा कि इसे आप भी आगे बढ़ाईये तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैंने कहा कि परम्परा यह थी कि 10 सूचनाएं ली जाती थीं तो फिर क्या उसे भी आगे बढ़ाये। उन्होंने कहा कि उसे आगे मत बढ़ाईये। मेरा कहना है कि इस प्रकार का पिक एण्ड चूज नहीं हो सकता है। अगर मैं 92 सूचनाएं पढ़ने के लिए दे दूँगा तो कम से कम दो घण्टे उसी में लगेंगे, इसीलिये जिन मा0 सदस्यों ने कहा था तो उनकी सूचना को मैं इसलिये एलाऊ नहीं करता कि मैं परम्परा के अनुसार पढ़ने तो दूँगा लेकिन फिर उसे उतनी सूचनाएं ही लेनी पड़ेगी। कल मैंने कार्य-मंत्रणा की सूचना पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि कल सुबह साढ़े नौ बजे तक सूचनाएं ली जायेंगी। आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को लगा कि यह क्या पागलपन है कि इतनी सुबह दस बजे बुलायेंगे। मेरा कहना है कि अगर सुबह दस बजे बुलाया जाता है तो सब लोगों को आना चाहिये और साढ़े नौ बजे तक अपनी सूचना लगानी चाहिये। जितने दिन विधान सभा चलती है उसी के हिसाब से हम सब लोगों को अपनी तैयारी करके आना चाहिये। अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जायेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम-51 की सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना ले ली है। मैंने आपका नाम भी लिया था। आप शायद उस समय राम जन्म भूमि में थे। आपने जैसे यहां पर स्पष्टीकरण दिया था कि मैं राम के साथ हूँ, तो आप परसों साथ हैं या नहीं ?

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, हम अखिलेश जी के साथ जायेंगे।

[07:53] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

मैं उपस्थिति ले रहा हूँ, जो मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी याचिकाएं नहीं ली जायेंगी। जो मा0 सदस्य उपस्थित हैं उनकी याचिकाएं ली जायेंगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत ग्राम पूरे भूपाल सिंह गौरा हरदो में घूरी से थुलरई तक व कतिपय

[†] छापी नहीं गई।

अन्य मार्गो का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम हिम्मतपुर में श्री फोरन सिंह के घर से श्री रविन्द्र सिंह की ठार तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण (लगभग 400 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिविलास सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मऊआइमा की ग्राम पंचायत जमुई में स्व0 श्रीनाथ सिंह पटेल निवास मार्ग से जलालपुर नहर की पुलिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड बाजार शुक्ल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अहमदपुर में रोशन लाल पिच रोड से नहर की पटरी होते हुए पूरे मऊपाली सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत ग्राम बरौआ भदौली में महराजदीन के घर से सुलेमान के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजप्रताप जायसवाल निवासी, जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका†

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड कमालगंज के ग्राम हुसैनपुर नौखण्डा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रामकुमार कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के मकरन्दपुर नहर पुलिया से ग्राम पलिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के कस्बा असोथर में फायर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम गड़ीना में गड़ीना-बातनौर मार्ग से फलावदा मार्ग तक जर्जर सड़क के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबर रिजवी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ग्यासपुर मे बाबू के घर से छज्जूगढ़ी तक लगभग 250 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महोबा, विधान सभा क्षेत्र चरखारी में ग्राम दुलारा से गड़ौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा जनपद की हाथरस से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में ग्राम भडनई से घनोलो तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सहाय व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम तेवड़ा मदरसा से जोली रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इजराइल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर के अर्मापुर सेतु, कानपुर से जनखत मण्डी (विषधन रोड) एक्सप्रेस-वे तक लोअर गंगा कैनाल पर फोर लेनमार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम वैलाना से आजमपुर हुसैनपुर तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के पसका मार्ग के दुरौनी चौराहे से तिवारी बाजार होते हुए माँ बाराही स्थल तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के वि0ख0 बुढ़ाना के पिठलोकर पुल के नगला (रियावली) का बाईपास ल0 लगभग 2 किमी0 का पुल का निर्माण के सम्बन्ध में श्री रियासत व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के जे0के0 कैंसर संस्थान कानपुर को रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली के ग्राम कुड़ाना में शामली भोराकला मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़ाना तक जर्जर मार्ग (400 मी0) का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत एनएच-31 दया छपरा से बुद्धनचक होकर रिंग बांध तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किशुन पासवान व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ग्राम कमसार में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर त्रिपाठी, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र-220, कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा के बरही मोड़ से पथरेहटा मोड़ तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत रामपुर गिरण्ट महरूआ सम्पर्क मार्ग से लक्ष्मनगंज भीटी सम्पर्क मार्ग खडन्जा स्तर को लेपन निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम नरायन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम दखिनारा में होतीलाल दिवाकर के घर से कायम सिंह

† छापी नहीं गयीं।

पुजारी के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होती लाल दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल विकास खण्ड मसौधा के ग्राम पंचायत खानपुर मसौधा के ग्राम भूपति पुरवा को जोड़ने वाला मार्ग प्रयागराज मार्ग से भूपति पुरवा जिसका निर्माण सी0सी0 मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अयोध्या द्वारा 18 वर्ष पूर्व किया गया था के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मराज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र-190, लम्भुआ के अन्तर्गत नदी पर कटसारी में स्थायी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सरोज व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की तहसील व ब्लॉक स्याना के अन्तर्गत ग्राम सुलैला से जलालपुर तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 मार्ग को पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम विलगाँव में नया विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजर्षि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका व्यपग़त हुई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कूकनगर ग्रन्ट के नव निर्माण/वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कप्तान श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के ग्राम इटेलिया बाजा से ग्राम इस्लामपुर तक के मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के महराजगंज के चन्दागुलर भाग से बंजारी पट्टी तक (11 किमी0) शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर 03 मी0 से 07 मी0 चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विकास खण्ड गंगेश्वरी अन्तर्गत ग्राम गंगाचोली में गंगा बांध से प्रा0 स्कूल तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन में उत्पादित मटर का समर्थन मूल्य निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरी चाबोर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के मडियाहूँ मुख्य मार्ग से ग्राम सभा उतिराई तक पिच रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम नहचानी से शमशानघाट तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित चाहर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के ग्राम लखनडीह में पिच मार्ग पर रविन्दर यादव के घर से पूरब से नरियाव दलित बस्ती तक सड़क (1.5 किमी0) निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खालिसपुर व गढागोपालपुर का जीर्णाद्धार तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बरौली की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत फर्म मेसर्स सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा माधौगंज-मटियामऊ मार्ग से करीमपुरवा सम्पर्क मार्ग में हुए गुणवत्ताहीन कार्यों की जाँच करवाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जतिन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा छत्तरपुर में श्री राममूरत गौड़ के खेत के बगल में माइनर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राममूरत गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर की ग्राम सभा हटवा के प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के ग्राम बिगहनी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम मुडेट खादर काठे के पुल से रामू की ट्यूबवेल तक कच्चे मार्ग पर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम मॉडला में एक जूनियर हाई स्कूल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के अन्तर्गत सहादत नगर से जगना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सौरभ सिंह सोनू, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सौरभ सिंह सोनू, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में औरंगाबाद जो कि एन0एच0-730-ए एवं एन0एच0-24 के निकट स्थित है, को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के ग्राम कछौना देहात में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये गए भूमि को कब्जामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्ह कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के परास से होकर जाने वाली सड़क ससुर खदेरी नदी क्रास करते हुए एन0एच0-19 तक रोड

---

† छापी नहीं गयीं।

बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 सैफ व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत पकड़ी-खुटहा, पनियरा बेलटिकरा मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नारद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के ग्राम कैलावर में स्थित अमृत सरोवर कैलावर में सीढ़ी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय सिंह, निवासी जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका†

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के ब्लाक कमासिन में अन्दौरा सम्पर्क मार्ग नहर पुल से जमरेही नाथ तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय यादव व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के वि0ख0 जानी के ग्राम नगला कुम्भा में जब्बार पुत्र वकील के मकान से इरशाद पुत्र बरकत अली के मकान तक नाली व सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तैय्यब अली व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम परास में स्थित आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल की बाउन्ड्री एवं गेट तथा छत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अंजली तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फनगर के हरसौली सम्पर्क मार्ग के किलोमीटर 1 में लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री जियाउल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा में नवनियुक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को आवश्यक आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर में नवदिया धनेश से रम्पुरा फकीरे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरप्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम बम्हौरा से हाजीपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 1 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मु0 गोहना में स्थित चिरैयाकोट आजमगढ़ बाईपास का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रताप यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड कोरावं के बड़ोखर से चिराव मार्ग पर पुलिया का निर्माण तथा सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश आदिवासी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर के अन्तर्गत पार-पट्टी क्षेत्र स्थित विकास खण्ड बढ़पुरा में 132 केवीए पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्दौर के ग्राम गावड़ी से ग्राम पिलाना तक मार्ग का डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी कैलाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत पारा में हंसखेड़ा ग्राम के मोड़ से हंसखेड़ा तिराहे तक सीवर नाला व सीवर पाइप लाइन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के विशेसरपुर से इकौनी-दुलारपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सबिन्दर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा दरगाहशाह रमजान, आलमपुर अखई एवं अमरतल के मध्य एक नये सरकारी नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवा के ग्राम शिवराजपुर मार्ग से कृष्णापुर बम अखाड़ा हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में विकास खण्ड कसमण्डा के अन्तर्गत बेहड़ा बैकुण्डपुर मार्ग पर हो रहे गुणवत्ताविहीन सी0सी0 निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक सरसावा के ग्राम छापुर में एन0एच0-73 से भीकनपुर मार्ग के किमी0-3 में 3/33/0 बाक्स कलवर्ट/पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां के ग्राम नेवादा में हिकमत अली के भट्टे से दिल्ली हाई-वे तक पक्की सड़क (1.25 किमी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिकमत अली व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड 243-खागा के अन्तर्गत धाता हिनौता मार्ग से परीसद्धपुर होकर एरई तक जर्जर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रिजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में लखनऊ शहर के मोहल्ला गीतापल्ली, आलमबाग के गीतापल्ली मजार तिराहे के सामने कृष्णापल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर (शेल्टर होम के बगल से) घरों के सामने लगी अवैध दुकानों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0पी0 श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 मंजू शिवाच सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 मंजू शिवाच सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर के ब्लाक भोजपुर अन्तर्गत एक ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नीरज संगवान व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका†

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय में आडीटोरियम की स्थापना के सम्बन्ध में श्री ब्रिजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगीरी के ग्राम गंगीरी क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में डॉ0 हरिश्चन्द्र कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित याचिका†

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर, ब्लाक जिला पंचायत मार्ग बीरमपुर रोही मार्ग से कान्तीरामपुर तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशांत मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ग्राम पंथुवा से सराय अभैया तक जाने वाली अत्यन्त जर्जर रोड जिसकी लम्बाई लगभग 1200 मी0 है, के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सियाराम व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-216 के जोन नं0 03 के अन्तर्गत आने वाले वार्ड सं0 102, 105, 36, 80 आदि में लगभग 70 साल पुरानी सीवर लाइनों को नये सिरे से निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के वि0ख0 हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा तारागॉव सरकारी नलकूप के पास से होते हुए तारागाँव नये पुरा यादव बस्ती होते हुए हण्डिया लाक्षागृह सम्पर्क जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा के कस्बा खेरागढ़ में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मनीष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत नगर पंचायत मड़ियाहूँ के आस-पास सरकारी सब्जी मण्डी व फूल मण्डी बनवाने के सम्बन्ध में श्री रामधनी पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के भटपुरवा गाँव में जाने के लिए बकुलाही नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री चीनू सागर व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ग्राम बेलमा/बसोवई, बकवांबुजुर्ग, बड़वार के किसानों के कम बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिये 33/11 केवी के सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री के0 पी0 बुन्देला व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में फसल नष्ट कर रहे बेसहारा गौवंशीय पशुओं को गौशाला में संरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम कुसहा फतेहाबाद गेट से शिव मन्दिर तक मार्ग आर0सी0सी0 द्वारा नवनिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत तहसील महाराजगंज में सरकारी बस स्टैंड का निर्माण करवाए जाने एवं तहसील से अन्य जनपदों हेतु बसें संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फिरोज अहमद, निवासी जनपद रायबेरली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम असरा खेड़ा से अनीसा नंगली मार्ग ल0 2.00 किमी0 की विशेष मरम्मत व अबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमगीर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक ईसानगर में ग्राम ईसानगर में गनेशपुर कुरताहिया से खैरी गाँव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णा पोरवाल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक-रामपुर मनिहारन के ग्राम कुराली में हिंडन नदी पर रपटा/काज-वे का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमवीर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के गाँव सठला मेन चौराहे से पेठ मैदान तक लम्बाई 600 मीटर चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तरूण प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-379, जमानियां में जिला मुख्यालय गाजीपुर जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुदरी यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई नगर के विकास खण्ड जालौन के ग्राम शाहजादपुरा में छीटी नदी मंगला नाला गडरिया घाट पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर डागर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका†

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में पम्पनेर से धउआ तक व इटावा- बेवर मार्ग पर शिवालय से नगला रमई होकर नगला गढू तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भईया' सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भईया' सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज की नगर पंचायत उसहेत में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के डुमरी-मझौवा कला-2 का छूटी हुई कड़ी का अवशेष भाग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा की तहसील माँट के ग्राम बाघरों में श्री हरीशंकर शर्मा की पैतृक भूमि पर बने अवैध रूप से महाविद्यालय की मान्यता

---

† छापी नहीं गयीं।

रद्द करने व आवश्यक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र-337, देवरिया सदर के दीनानाथ महिला पी0जी0 कालेज में पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निर्मला गौतम व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा उन्नाव के ग्राम बिसारा व कतिपय ग्रामों में आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में बन्द पड़ी सहकारी कताई मिल में खाली पड़ी भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रुहूल इस्लाम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका†

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा में बीसलपुर रोड से ग्राम पौटा गोटिया तक 300 मी0 लम्बे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बेदीपुर चौराहे से बेदीपुर गाँव तक सड़क मार्ग (1.00 किमी0) का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम इनायतपुर से होते हुए ग्राम भोलापुर लावाखेड़ा शाही स्टेशन मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टंडन बाबू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में ग्राम नाथनगर के जर्जर चिकित्सालय भवन का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के मुगल रोड से इजुरा पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग से आगे संकठन गंगा घाट मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रताप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर हापुड़ के ग्राम धनौरा में दिनेश त्यागी के खेत से चम्पत त्यागी के खेत तक लगभग 500 मी0 सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश, निवासी जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम रामपुर न्यामतपुर में प्राथमिक विद्यालय से सिद्ध बाबा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत कटरा व गिलौला को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-20 लेते हैं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम सभा खेड़ाजट से नगला देबिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मान्यवर, जनपद आगरा के ब्लॉक फतेहपुर सीकरी के ग्राम खेड़ाजट से नगला देबिया तक मार्ग.....

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री जितिन प्रसाद-

[मार्ग की लम्बाई 1.75 किमी0 है, जो कच्चा स्तर का है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, यह बहुत छोटी सड़क है, कुल डेढ़ किमी0 की सड़क है, लेकिन उसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि धन की उपलब्धता के आधार पर बनाया जायेगा। मेरा कहना है कि इससे छोटी सड़क कौन-सी होगी, इसके लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी ?

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, मेरा कहना है कि अगर भूमि उपलब्ध होगी तो जरूर सड़क को बनवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि भूमि उपलब्ध होगी, तो जरूर सड़क बनवा दी जायेगी।

श्री बाबूलाल-

मान्यवर, ठीक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, अयोध्या में हुई अनियमित नियुक्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

मान्यवर, आपका ध्यान जनपद-अयोध्या के अति लोक महत्व के सूचना की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि .....

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है

(माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रीमती गुलाब देवी-

वक्तव्य :-

पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज, खजुरहट, अयोध्या में श्री भूपेश कुमार तिवारी की प्रवक्ता, गणित के पद पर की गयी अनियमित नियुक्ति एवं वेतन भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 16-12-2022 द्वारा शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 19-01-2023 द्वारा प्रकरण की जांच कर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या को निदेशित किया गया। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 22-04-2023 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या के आधार पर प्रकरण में अनियमित नियुक्ति एवं वेतन भुगतान किये जाने हेतु श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद (अयोध्या) को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 05-07-2023 द्वारा उनके विरुद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08-08-2023 द्वारा डा0 महेन्द्र देव, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0 प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित करते हुए श्री पाण्डेय को आरोप-पत्र निर्गत कर अभ्यावेदन मांगा गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अपचारी अधिकारी श्री पाण्डेय के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरांत श्री पाण्डेय (अपचारी अधिकारी) पर अधिरोपित 04 आरोपों में से 03 आरोपों को अप्रमाणित पाया गया तथा 01 आरोप को प्रमाणित पाया गया। उक्त के आधार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-12-2023 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को 'चेतावनी' देते हुए समाप्त कर दिया गया है।

जहां तक श्री भूपेश कुमार तिवारी को वेतन भुगतान किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत संस्था में प्रवक्ता (गणित) के पद पर कार्यरत श्री महेन्द्र देव चतुर्वेदी के दिनांक 14-09-2000 को प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप संस्था में प्रवक्ता (गणित) का पद मौलिक रूप से रिक्त हुआ। रिक्त पद के प्रति तत्कालीन संस्था प्रबन्धक द्वारा श्री भूपेश कुमार तिवारी की नियुक्ति प्रवक्ता (गणित) के पद पर तदर्थ रूप से की गयी। नियुक्ति अनियमित होने के कारण विभाग द्वारा वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान नहीं की गयी।

वेतन भुगतान नहीं होने के कारण श्री तिवारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका सं0-3046 (एस0एस0)/2003 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23-05-2003 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के संस्था में कार्यभार ग्रहण करने तक याची श्री तिवारी को वेतन भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया।

विभाग द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर याची श्री तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में अवमानना वाद सं0-सी0-1510/2003 योजित किया गया, जिसके क्रम में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के पत्र दिनांक 19-11-2003 द्वारा रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश का अनुपालन किये जाने का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या को दिया गया। तत्कम में जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या के पत्र दिनांक 22-11-2003 द्वारा याची श्री भूपेश कुमार तिवारी का वेतन भुगतान आदेश निर्गत किया गया।

रिट याचिका दिनांक 18-03-2020 को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निर्णीत कर दी गयी। मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 18-03-2020 में मा0 न्यायालय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील सं0-8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य के मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित किये जाने तक याची श्री तिवारी को संस्था में कार्य करने दिया जाय एवं याची के विरुद्ध कोई अन्यथा निर्णय न लिया जाय। मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के दृष्टिगत श्री तिवारी के विरुद्ध पृथक से कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

कालान्तर में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित उक्त सिविल अपील सं0-8300/2016 एवं इससे सम्बन्धित मिस0 अप्लीकेशन सं0-818/2021 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-08-2020 एवं 07-12-2021 के समादर में तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 09-11-2023 निर्गत करते हुए तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवाएँ समाप्त किये जाने तथा शासनादेश निर्गमन तिथि तक के वेतन के अवशेष का भुगतान तदर्थ शिक्षक को किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या द्वारा श्री भूपेश कुमार तिवारी को रु0 16,42,867/- (रु0 सोलह लाख बयालिस हजार आठ सौ सढ़सठ मात्र) का भुगतान किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में याची श्री भूपेश कुमार तिवारी की नियुक्ति अनियमित है, जिसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है। श्री तिवारी को किया गया वेतन भुगतान मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन की कार्यवाही है।]

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो नियुक्ति हुई थी वह अवैध थी, अनियमित थी और उस पर जिलाधिकारी की भी रिपोर्ट आई है, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा ने भी रिपोर्ट दी है, लेकिन जो उन्होंने वेतन भुगतान के सम्बन्ध में बताया है और कहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर हुआ है। अवैध नियुक्ति अलग प्रकृति की चीज है और जो मा0 न्यायालय ने निर्देश दिया कि इनका वेतन दिया जाये वह अलग है, दोनों अलग-अलग हैं। नियुक्ति शुरू में ही अवैध हो गयी, जिस डी0आई0ओ0एस0 ने उस समय नियुक्ति की उसे दण्ड के रूप में चेतावनी दी गयी। गलत नियुक्ति के आधार पर करोड़ों रुपये वेतन के रूप में निकल गये और उसको दण्ड के रूप में मात्र चेतावनी दी गयी। चलिए, इस पर कोई बात नहीं, चाहे आप चेतावनी दीजिए या निलम्बित कीजिए, चाहे उसको संरक्षण दीजिए। लेकिन जब नियुक्ति अवैध और अनियमित घोषित हो गयी और जिसके सन्दर्भ में डी0आई0ओ0एस0 ने वहाँ के प्रबन्धक और प्रिंसिपल को चिट्ठी जारी किया कि इनसे रिकवरी किया जाये। उसके बाद मा0 मंत्री जी को वहीं के अफसरों ने गुमराह करके पत्र बनाकर भेज दिया कि मा0 न्यायालय द्वारा उसको पेमेंट किया गया है। हमारा मा0 पीठ से अनुरोध है कि इसकी जांच एक बार फिर से किसी उच्चाधिकारी जैसे डायरेक्टर लेवल से कराई जाये, क्योंकि नीचे के अधिकारियों की मिली-भगत है। अगर ये लोग आयोग से आये हुए अभ्यर्थियों के बारे में बता दिये होते तो उनको उसी समय वर्ष 2003 में पेमेण्ट न हुआ होता, लेकिन उन्होंने अवगत नहीं कराया, जिसकी वजह से लगभग ढाई करोड़ रुपया अवैध पेमेण्ट हो गया और जब जांच में भी डी0आई0ओ0एस0 चिट्ठी जारी की कि आपसे रिकवरी की जायेगी और हमने नियम-51 में वक्तव्य लगाया तो उन्होंने पत्र बनाकर दे दिया कि मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार पेमेण्ट हुआ है, क्योंकि अधिकारियों से रिकवरी की जायेगी, प्रबन्धक और प्रधानाचार्य सस्पेंड किये जायेंगे, इसलिए अपने आपको बचाते हुए गलत तथ्यों से अवगत कराकर मा0 मंत्री जी को पत्र भेज दिया गया। हमारा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी उच्चाधिकारियों से जांच कराई जाये चाहे डायेक्टर से जांच करायी जाये या जे0डी0 से जांच करा दी जाये।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है कि यह नियुक्ति गलत तरीके से की गयी है उसके सम्बन्ध में विभाग ने कार्रवाई की और उसके वेतन के सम्बन्ध में कह दिया गया है कि उनको वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन वह व्यक्ति जिसके बारे में आप कह रहे हैं वह मा0 न्यायालय के समक्ष चले गये और वहाँ से स्पष्ट आदेश हुआ है, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका सं0-3046 (एस0एस0)/2003 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23-05-2003 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के संस्था में कार्यभार ग्रहण करने तक याची श्री तिवारी को वेतन भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया।

श्री अभय सिंह-

मा0 मंत्री जी, उसी सम्बन्ध में तत्कालीन डी0आई0ओ0एस0 को चेतावनी दी गयी है कि उन्होंने कोर्ट को अवगत नहीं कराया कि वहाँ पर आयोग से चयनित अभ्यर्थी आए और हमने उसको भगा दिया। उसी में उन पर कार्रवाई की गयी और उनको चेतावनी दी गयी है। उसी के अनुक्रम में डी0आई0ओ0एस0 ने चिट्ठी जारी की कि ये वेतन भुगतान अनियमित हुआ है ये दिनांक 23-12-2023 की चिट्ठी है। मैं आपको टेबल कर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

उस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय का जो आदेश है, विभाग कोर्ट के समक्ष उन बातों को प्रस्तुत करेगा।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, उसके बाद जांच हुई है, यदि कोर्ट को अवगत करा दिया गया होता, तो जो इसके जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी हैं, तो उन पर कार्रवाई होती। इतना सब कुछ होने के बाद भी, चेतावनी जारी होने के बाद भी, सारे अधिकारी जान रहे हैं, जिला जान रहा है, अखबार जान रहे हैं, उसके बाद भी प्रबन्धक और प्रधानाचार्य ने उनका दोबारा वेतन जारी कर दिया, जो आठ-दस महीनों से रुका हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

कोर्ट के आदेश के आधार पर निकाला गया होगा।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, तब कोर्ट का आदेश नहीं था क्योंकि वह नियुक्ति अवैध थी और उसे जाकर कोर्ट में लगा सकते थे, इसीलिए अपने आपको बचाने के लिए डी0आई0ओ0एस0 ने चिट्ठी जारी कर दी है कि कल को कोई जांच होती है, तो हमारे पर कुछ न हो, प्रबन्धक और प्रधानाचार्य पर हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसके ऊपर विधिक राय ले लें, इसके बाद मा0 न्यायालय के सामने सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिये जायें, उसके अनुरूप कार्यवाही हो। ठीक है मा0 मंत्री जी, बहुत अच्छा।

जनपद फिरोजाबाद बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में परिवहन निगम से प्राप्त आख्या दिनांक 08-02-2024 के आधार पर अवगत कराना है कि फिरोजाबाद बस स्टेशन को आधुनिक बस टर्मिनल के रूप में विकसित...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[कराये जाने का निर्णय परिवहन निगम निदेशक मण्डल की 247वीं बैठक दिनांक 20-12-2023 में लिया जा चुका है। इसके अन्तर्गत पी0पी0पी0 मॉडल पर द्वितीय चरण की कार्यवाहियों में फिरोजाबाद बस स्टेशन को सम्मिलित करते हुए परिवहन निगम के 48 अन्य बस स्टेशन भी चिन्हित किये गये हैं। इन 48 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित कराये जाने के अन्तर्गत प्रक्रिया परामर्शी के चयन की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पादित की जा चुकी है।

फिरोजाबाद बस स्टेशन को पी0पी0पी0 मॉडल पर आधुनिक बस स्टेशन के रूप में विकसित कराये जाने हेतु चयनित प्रक्रिया परामर्शी के माध्यम से निविदा अभिलेख विकसित कराकर विकासकर्ता चयन की निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में आधुनिक बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र संख्या .....

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[08रोपी/शा0/24- 102रोपी/शा0/लखनऊ/ नियम-51/24, दिनांक 07 फरवरी, 2024 में प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उँचाहार, जो प्रयागराज-लखनऊ, नेशनल हाई-वे पर स्थित है, में बस स्टेशन के निर्माण हेतु परिवहन निगम के स्वामित्व में कोई निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः वर्तमान में ऊँचाहार में बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मेरी नियम-51 की सूचना रायबरेली के ऊँचाहार में जो नेशनल हाई-वे पर स्थित है, वहाँ बस स्टैंड बनाये जाने की माँग के सम्बन्ध में थी। इसमें विभाग ने तो यह माना है कि बस स्टैंड बनना चाहिए। लेकिन उत्तर में यह दे दिया है कि कोई जमीन इस समय हमारे पास है नहीं, इसलिए बनाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, आपका ध्यान आकृष्ट करायेंगे, इससे पहले भी यह मामला हाउस में आया था। उसका जवाब हमें 14-07-2021 को मिला था। उसमें आपके विभाग ने लिखा है कि यह अति आवश्यक है। उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि 104 से अधिक बसें चलती हैं, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर डिपो की बसें लखनऊ इसी मार्ग से आती हैं। यह जनहित में बहुत आवश्यक है। यह भी लिखा है कि हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पर आते हैं, उनके रुकने की, उनके खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उत्तर में यह दे दिया है कि कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। उस उत्तर में यह आया था कि ग्राम खोजनपुर, सवैया हसन और जसौली, इन तीन ग्राम पंचायतों में जमीन देखी जा रही है, जमीन मिलते ही इसे बनवा दिया जायेगा। एक दूसरे उत्तर में लिखा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो भूमि क्रय करके भी विभाग निर्माण करा देगा। तो मान्यवर, एक ही विभाग के तीन वर्षों में तीन अलग-अलग उत्तर आए। विभाग यह मान रहा है कि बस स्टैंड की आवश्यकता है और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ग्राम जसौली में लगभग 02 एकड़, पट्टीरईस कैथोल में 07 बीघे जमीन और ग्राम खोजनपुर, ये तीनों बस स्टैंड के बगल में हैं, 200-300 मीटर में, यहाँ पर भी ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध है। केवल अधिकारी यह लिखकर भेज देते हैं कि उत्तर आ जाय कि बनना जरूरी है, लेकिन बनायेंगे नहीं। इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि पिछले दो उत्तरों को संज्ञान में लेते हुए, केवल यह कि हम लिखकर दे देंगे आवश्यकता है, आप भी ऊँचाहार जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाते हैं। आप वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जानते हैं। मान्यवर, वहाँ पर हम बस स्टैंड अपने लिए नहीं बनवा रहे हैं, सब लोगों को बस स्टैंड की जरूरत है, तो बस स्टैंड बनवा दीजिए। आपके सारे विभागों में जी0ओ0 है 2236 कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जमीन क्रय करके भी हम बनायेंगे। यह लिख देना की जमीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तीनों जगह जमीन उपलब्ध करा देंगे, जहाँ आप कहेंगे। इसलिए मान्यवर, इसको इस दृष्टि से देखिए। यह आपका ऐसा हाई-वे है, जिसमें ऊँचाहार से होकर ही सारे डिपो की गाड़ियाँ लखनऊ आ रही हैं। इसलिए मान्यवर, आप वहाँ बस स्टैंड बनवा दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, किसी भी ग्राम सभा की जमीन अगर किसी विभाग को देना हो तो एल0एम0सी0 का प्रस्ताव आवश्यक है। आप एल0एम0सी0 का प्रस्ताव करा दीजिए और जहाँ तक क्रय की बात है, अगर विभाग क्रय करेगा तो किसी की व्यक्तिगत जमीन क्रय करेगा। लेकिन उत्तर आया है कि अभी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, जो दूसरे उत्तर हैं, नियम-51 में ही, वही मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने माना है कि जमीन उपलब्ध है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

जो उत्तर आया है, उसमें है कि जमीन उपलब्ध नहीं है और प्रॉपर टाउन में जमीन है नहीं बिल्कुल।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, कोई जरूरी नहीं है कि टाउन में ही बस स्टैंड बने। टाउन तो केवल साढ़े तीन सौ मीटर में है, ऊँचाहार। लेकिन उसके बाद ग्राम खोजनपुर, एकदम उसी टाउन से लगा हुआ है, हाई-वे पर जमीन है उसमें, ठीक उसके बगल में सवैयाहसन 500-700 मीटर पर है और उससे 300 मीटर आगे अरखा और पट्टीरईस कैथोल में भी जमीन उपलब्ध है। आप केवल इतना ही स्वीकार कर लीजिए, जमीन का हम प्रस्ताव भिजवा देंगे, ग्राम समाज से दिलवा देंगे और जिलाधिकारी को आप निर्देश कर दीजिए कि अगर जमीन उपलब्ध हो जा रही है, तो वह जमीन का प्रस्ताव भेज दें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

विभाग कह रहा है कि निःशुल्क जमीन उपलब्ध नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, ग्राम समाज की जमीन निःशुल्क मिलती है। आप इस पर कुछ वक्तव्य दे दीजिए कि बनवायेंगे या नहीं।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, इसमें साफ-साफ लिखा है कि निःशुल्क जमीन उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध हो जायेगी तो अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, अगर निःशुल्क जमीन उपलब्ध हो जायेगी तो बनवा देंगे ?

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

बिल्कुल, अगर निःशुल्क जमीन मिल जायेगी तो अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

बनवा देंगे ?

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

निःशुल्क जमीन उपलब्ध होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। निःशुल्क जमीन उपलब्ध नहीं है, निःशुल्क जमीन उपलब्ध होगी तो अग्रेतर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

पहले जमीन मिलेगी फिर उसका सर्वे होगा, फिर उसका स्टीमेट बनेगा, फिर स्वीकृति होगी, फिर फाइनेन्शियल स्वीकृति होगी, फिर टेण्डर होगा।

जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामों के ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ के वित्तीय वर्ष 2010 से वर्तमान तक के अनियमित कार्यों की विशेष जांच दल गठित कर कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह के खड़े होने पर)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है :-

[आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र दिनांक 08-02-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री अशोक कुमार सिंह, उपायुक्त (श्रम रोजगार), जनपद अमेठी के द्वारा दिनांक 02-03-2023 को ग्राम पंचायत, सूखी बाजगढ़ में भूपेन्द्र प्रताप सिंह के घर आने-जाने के रास्ते हेतु सम्पर्क मार्ग/पक्की सड़क से रमाकान्त सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग (कच्चा कार्य) का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा द्वारा दिनांक 15-05-2013 को दी गयी थी। प्रश्नगत कार्य हेतु श्रमांश मद में रुपये 0.616 लाख एवं सामग्री मद में रुपये 8.735 लाख, कुल रुपये 9.351 लाख का भुगतान किया गया है।

2-उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष रुपये 8.707 लाख का अधिक भुगतान किया गया है। सन्दर्भित प्रकरण में दोषी पाये गये तकनीकी सहायक श्री रावेन्द्र श्रीवास्तव की संविदा जिलाधिकारी, अमेठी के कार्यालय आदेश दिनांक 03-06-2023 द्वारा समाप्त की जा चुकी है। अनियमित भुगतान के लिए श्री रामलाल, तत्कालीन ग्राम प्रधान से रुपये 290337.63 एवं श्री रावेन्द्र श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक से रुपये 290337.63 अर्थात् कुल रुपये 580675.34 का वसूली आदेश दिनांक 18-04-2023 द्वारा जारी किया गया है। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, जामों द्वारा उक्त प्रकरण में श्री रावेन्द्र

श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक एवं श्री रामलाल, तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध थाना जामों में दिनांक 19-04-2023 को सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

3-खण्ड विकास अधिकारी, जामों द्वारा पत्र दिनांक 19-12-2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित विवेचना अधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-105/23 धारा-419, 420, 467, 468, 471, 409 व 201 आई0पी0सी0 में दिनांक 14-11-2023 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण वर्तमान में मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

श्री रावेन्द्र श्रीवास्तव, तत्कालीन तकनीकी सहायक एवं श्री रामलाल, तत्कालीन प्रधान द्वारा दिनांक 18-04-2023 को निर्गत वसूली आदेश के क्रम में धनराशि जमा न करने पर खण्ड विकास अधिकारी, जामों के पत्र दिनांक 01-02-2024 द्वारा उक्त धनराशि की भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, अमेठी को पत्र प्रेषित किया गया है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही करते हुए तकनीकी सहायक की संविदा समाप्त की जा चुकी है। दोषी तकनीकी सहायक एवं तत्कलीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी। दर्ज एफ0आई0आर0 में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है। दोषी तकनीकी सहायक तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान से अधिक भुगतान की गयी धनराशि की भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही जिला कलेक्टर, अमेठी के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़, विकास खण्ड जामों में कराये गये कार्यों की जांच हेतु जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा जिला विकास अधिकारी, अमेठी, उपायुक्त (श्रम रोजगार), अमेठी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अमेठी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा तथा अधिशाषी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमेठी की 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 05 सदस्यीय कमेटी द्वारा की गयी जाँच में 06 कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी, अमेठी के कार्यालय द्वारा श्री छेदी लाल, वर्तमान ग्राम प्रधान सूखी बाजगढ़, श्री आशीष रंजन, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री रावेन्द्र श्रीवास्तव, तत्कालीन तकनीकी सहायक को जिलाधिकारी, अमेठी के कार्यालय पत्र दिनांक 25-11-2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ की पी0डब्लू0एल0 सूची में कुल 259 लाभार्थियों का नाम था, जिनका सत्यापन कराने पर 185 लाभार्थी पात्र पाये गये 74 लाभार्थी अपात्र पाये गये। अपात्र पाये गये 74 लाभार्थियों में से 17 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी नहीं की गयी है। प्रथम किस्त प्राप्त 57 अपात्र लाभार्थियों के खातों पर पत्र दिनांक 03-03-2023 के द्वारा रोक लगा दी गयी है तथा अपात्र 57 लाभार्थियों को धनराशि वापस करने हेतु नोटिस जारी की गयी है। अपात्र लाभार्थियों के चयन के लिये दोषी श्री आशीष रंजन, ग्राम विकास अधिकारी को जिला विकास अधिकारी, अमेठी के कार्यालय आदेश दिनांक

03-03-2023 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान को पंचायत राज अधिनियम की धारा-95 (1) (छ) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुये, थाना जामों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी गयी।

मा0 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र, गौरीगंज द्वारा प्रस्तुत पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 185 लाभार्थियों के सूची में 116 लाभार्थियों के नाम के सम्मुख अपात्र दर्शाया गया है। अपात्र दर्शाये गये 116 लाभार्थियों का सत्यापन पुनः जिला विकास अधिकारी, अमेठी, उपायुक्त (श्रम रोजगार), अमेठी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अमेठी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा तथा अधिशाषी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, अमेठी से संयुक्त रूप से करायी गयी। जांच समिति द्वारा लाभार्थियों के आवासों का सत्यापन मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के बयान व लाभार्थियों द्वारा दिखाये गये उनके आवास के आधार पर करते हुए 49 लाभार्थियों को आवास हेतु अपात्र पाया गया। अपात्र पाये गये 49 लाभार्थियों में से 03 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी नहीं की गयी है। प्रथम किस्त प्राप्त 46 अपात्र लाभार्थियों को धनराशि वापस करने हेतु नोटिस जारी की गयी है। खण्ड विकास अधिकारी, जामों के पत्र दिनांक 07-02-2024 के माध्यम से दोनों जाँच टीमों द्वारा की गयी जाँच में कुल 103 अपात्र पाये गये लाभार्थियों से अवमुक्त धनराशि की वसूली कराने हेतु तहसीलदार, गौरीगंज से अनुरोध किया गया है।

मा0 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र, गौरीगंज द्वारा ग्राम प्रधान सूखी बाजगढ़ के विरुद्ध वर्ष 2010 से अब तक कराये गये विकास कार्यों में अनियमितता विषयक प्रकरण की विस्तृत जांच जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त (श्रम रोजगार), परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा तथा अधिशाषी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, अमेठी द्वारा संयुक्त रुप से करते हुए आख्या पत्र दिनांक 29-11-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। आख्यानुसार वित्त आयोग से कराये गये कार्यों में पूर्व प्रधान के कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 में कराये गये कार्यों में मु0 599120 रुपये तथा गठित त्रिसदस्यीय समिति के कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2020-21 में मु0 6997441 रुपये एवं वर्तमान प्रधान के कार्यकाल 2021-22 से 2022-23 तक कराये गये कार्यों में मु0 8053053 रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत कतिपय कार्यों में मु0 1284000 रुपये का प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। उक्त प्रकार पायी गयी अनियमितता के लिये पूर्व प्रधान श्रीमती सविता सिंह तथा तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत श्री मनीष सिंह वर्तमान पद सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) मु0 599120 रुपये हेतु, त्रिसदस्यीय समिति के सदस्यगण व श्री आशीष रंजन (निलम्बित) सचिव ग्राम पंचायत मु0 6997441 रुपये एवं मु0 8053053 रुपये तथा मनरेगा की धनराशि मु0 1284000 रुपये हेतु वर्तमान प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आशीष रंजन उत्तरदायी पाये गये। उत्तरदायी सचिव को जिला पंचायतराज अधिकारी के पत्र दिनांक 13-12-2023

तथा त्रिसदस्यीय समिति सदस्यगण, वर्तमान प्रधान एवं पूर्व प्रधान को जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से पत्र दिनांक 19-12-2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, किन्तु जिला पंचायतराज अधिकारी के स्तर से सम्बन्धित को अनुस्मारक-पत्र दिये जाने के बाद भी श्री मनीष सिंह, तत्कालीन सचिव एवं छेदीलाल वर्तमान प्रधान को छोड़कर अन्य किसी के द्वारा नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में संयुक्त जांच समिति की आख्यानुसार आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। इस प्रकार संयुक्त जाँच समिति की आख्यानुसार प्रथम दृष्टया पायी गयी अनियमितता हेतु पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान एवं त्रिसदस्यीय समिति सदस्यगण के साथ-साथ श्री आशीष रंजन, सचिव ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। चूंकि प्रकरण में पूर्व प्रधान, त्रिसदस्यीय समिति सदस्यगण के साथ-साथ वर्तमान प्रधान, ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ ग्राम पंचायत अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता व पदेन दायित्वों के निर्वहन में चूक बरतने के दोषी पाये गये हैं। इसलिए उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानों एवं सदस्यों को हटाया जाना) जाँच नियमावली 1997 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रकरण की अन्तिम जाँच कराये जाने, साथ ही वर्तमान प्रधान श्री छेदीलाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित 1994) की धारा 95 (1) छः (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबन्धित कर ग्राम पंचायत के निर्वाचित 3 सदस्यों की समिति गठित कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्तिम जाँच कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत के ग्राम निधि के खातों से धनराशि के आहरण पर भी रोक लगायी गयी है।

जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा गठित 05 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, अमेठी को निर्देशित किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट का शासन स्तर से परीक्षण किया जायेगा। रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त दोषी पाये गये समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य सम्बन्धितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-51 के तहत मुझे अनुपूरक पूछने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत आभार। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सदन में बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूँगा कि इसको आज की वर्तमान सरकार अपने से न जोड़े तो इसमें न्याय हो जाएगा, जो प्रकरण मैं लाया हूँ और इस प्रश्न को जिसमें पूरे जवाब आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में कहा गया कि सपा की सरकार में घोटाला हुआ और बसपा सरकार में घोटाला हुआ और भाजपा सरकार में पिछले सात साल से घोटाला हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी,

नियम-51 का तीसरा मेरा प्रश्न है, मैंने फरवरी में लगाया, अगस्त में लगाया और फिर अभी फरवरी में लगा है। मा0 अध्यक्ष जी, एक भूपेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम सभा सूखीबाजगढ़ में दो एप्लीकेशन देते हैं कि उनके घर की रोड नहीं बनी है, वह बना दिया जाए और उस पर बिना एक ईंटा रखे 9 लाख रुपए निकाल लिया जाता है और काम नहीं होता है। 28-03-2023 को जिलाधिकारी, अमेठी को मैं पत्र लिखता हूँ कि इस-इस तरह से अनियमितता की गई है, भ्रष्टाचार की गई है और 31-03-2023 को जिलाधिकारी पांच सदस्यीय टीम बनाकर मुझे पत्र लिखते हैं कि 15 दिन में पूरी जांचकर आपको इस कार्यवाही से अवगत करा दिया जाएगा।

मा0 अध्यक्ष जी लगभग 11 महीना बीत गया है, एक साल से पांच सदस्यीय टीम केवल एक साल की जांच कर पाई है और एक साल में लगभग 93 लाख रुपए केवल वर्ष 2022-23 में उस ग्राम पंचायत में घोटाला हुआ है, जिसको जिलाधिकारी के पत्र में उसे लिखकर अवगत कराया है। एक साल में अगर 93 लाख रुपए का और मैंने उस ग्राम पंचायत में वर्ष 2010 से लेकर अब तब वर्तमान वित्तीय वर्ष तक जांचकर कार्यवाही की माँग की है। जिस ग्राम पंचायत में जिलाधिकारी लिख रहे हों कि वर्ष 2022-23 में 92 से 93 लाख का घोटाला हुआ है और अनियमितता पाई गई है और मा0 अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकारी लिख रहे हैं कि राजस्व विभाग के नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है, यह 11 महीने पहले इन्होंने लिखकर मुझे पत्र दिया है और इसी एक फरवरी को फिर पत्र रिमाइण्डर होता है, बाकी 11 महीनों में हमारे जिले के अधिकारियों को याद नहीं आता कि मुझे इतनी बड़ी वसूली करनी है। सरकार के राजस्व को बढ़ाना है, सरकार की मदद करना है, मैं मा0 अध्यक्ष जी सरकार से माँग करता हूँ कि जिन अधिकारियों को वर्ष 2010 से 2023 वित्तीय वर्ष तक जांच करना था, उन्होंने क्यों नहीं किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इन 13 सालों में जितना भ्रष्टाचार हो, उन सब भ्रष्टाचारों की रिकवरी होनी चाहिए और मा0 अध्यक्ष जी मैं इसी ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 में त्रिस्तरीय कमेटी बनाई जाती है, लगभग 32 लाख की रिकवरी का आदेश किया जाता है और पत्रावली गायब की जाती है और त्रिस्तरीय कमेटी बनने के बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है और पुनः चुनाव हो जाता है और उसी के साथ दूसरा प्रधान निर्वाचित कर दिया जाता है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि एक विशेष दल गठित कर इस पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे, नहीं तो हो क्या रहा है उस गाँव में।

राज्य वित्त के काम को 13वें, 14वें और 15वें वित्त में दिखा दिया जाता है, मनरेगा में दिखा दिया जाता है फिर उसी ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत का पेमेण्ट कर लिया जाता है, जिला पंचायत का कर लिया जाता है और क्या कारण है कि जिस समय जिलाधिकारी यह लिख रहे हों कि 15 दिन में जाँच कर दी जाएगी ग्यारह महीने में अभी तक जाँच नहीं पूरी की गई और 10 साल की जाँच करनी थी और केवल एक साल की जाँच की गई और उस पर रिकवरी क्यों नहीं जारी की गई यह बता दिया जाए।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही पुराना प्रकरण है, जो मा0 सदस्य ने उठाया है। बार-बार उठाया है और निश्चित रूप से वहाँ पर संज्ञान में लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने जाँच टीम बनाकर जाँच भी करायी है और इसमें तत्कालीन रूप से जो एफ0आई0आर0 हुई थी उसमें कार्रवाई भी हुई है और यह मामला न्यायालय में चला गया है। वहाँ पर राम लाल तत्कालीन प्रधान और तकनीकी सहायक और संविदा कर्मियों को निलम्बित किया गया है और सेवा से निकाला भी गया है और जो पैसा घोटाले में गया है उसकी वसूली के लिए भी कार्रवाई वहाँ जिला प्रशासन को दी गई है, वह जिले में प्रक्रिया के अधीन है और मामला मा0 न्यायालय के पास ही है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जो आरोप-पत्र दाखिल हुआ है उसमें आजीवन कारावास की सजा की धाराओं में सजा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल आरोप-पत्र दाखिल करने से क्या होगा ?

श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम-

मान्यवर, जितनी धाराओं में एफ0आई0आर0 हुई है, निश्चित रूप से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, निलम्बित भी हुये हैं और पैसा भी वापिस कराया जा रहा है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

इसमें गिरफ्तारी करावाएंगी कि नहीं करवाएंगी ? 2010 से अभी तक की जाँच करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, रिकवरी करवाएंगी या नहीं करवाएंगी ? शासन से कोई टीम गठित करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी ? यह बता दीजिए यही जवाब आपने पिछली बार दिया था और यही जवाब इस बार दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उत्तर तो सुनिये आप उत्तर तो सुनना नहीं चाहते हैं। इसमें सिर्फ एक-आध स्पष्टीकरण लिया जा सकता है, इसमें 5 मिनट का भाषण नहीं दिया जा सकता है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, उत्तर तो अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने उत्तर दे दिया है कि जो कार्यवाही होनी है वह कर रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें सिर्फ इतना करवा दीजिए निवेदन है कि एक कमेटी बनवा दीजिए। वह कमेटी जाँच कर ले जो जाँच शासन को भेजी जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आपने क्या कहा है ? एक मिनट संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

ऐसा है मान्यवर, इसमें साफ-साफ जो रिपोर्ट है वह आपने देख भी ली होगी, आपको रिपोर्ट मिल गई होगी कि जिला अधिकारी अमेठी द्वारा गठित पाँच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, अमेठी को निर्देशित किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट का शासन स्तर से परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त दोषी पाये गये समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य सम्बन्धितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से कहा गया है दूसरी बात आप अगर....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

आरोप-पत्र की धारा-456, 461, 471 और 409 इन सभी धाराओं में आजीवन कारावास की सजा है और आज तक एक गिरफ्तारी 11 महीने में नहीं हुई है। आरोप-पत्र दाखिल हो गया है। भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है उनको संरक्षण मिल रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सेकेण्ड लास्ट पैराग्राफ देखिए अन्तिम जाँच कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी यह अपने आप का आश्वासन है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जो एफ0आई0आर0 हुआ है आज से 11 महीने पहले, उसमें आजीवन सजा की धाराओं में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कह दिया है कि उसको दिखवा लेंगे।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु')-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना में प्रदेश .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(आयुष राज्य मंत्री का वक्तव्य, उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के समस्त राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु चिकित्सालयवार स्वीकृत पदों का अद्यतन चिन्हांकन विषयक नवीनतम शासनादेश जारी करने तथा प्रोन्नत प्राप्त समस्त उच्च अधिकारियों की तैनाती के समयबद्ध आदेश पृथक से निर्गत किये जाने हेतु वक्तव्य की माँग की गई है इस सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

बिन्दु-1 शासनादेश दिनांक 30-07-1990 एवं शासनादेश दिनांक 26-12-2007 द्वारा क्रमशः 53 एवं 18 कुल 71 महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद सृजित किये गये थे। शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग हेतु किये गये नये पुनर्गठन में महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व समान होने, ज्येष्ठता सूची एक होने आदि के फलस्वरूप उक्त दोनों पदों को जोड़ते हुए कुल 1610 पदों में 1173 पद होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी तथा 437 पदों को आस्थगित/उच्चीकृत/समाप्त करते हुए 408 पद वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, 05 पद जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, 18 पद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (होम्योपैथी), 02 पद उप निदेशक, 02 पद संयुक्त निदेशक तथा 02 पद अपर निदेशक के सृजित किये गये हैं।

बिन्दु-2 वर्तमान में 1585 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित हैं। इन चिकित्सालयों हेतु 1182 चिकित्साधिकारियों तथा 408 वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों को मिलाकर कुल 1590 पद सृजित हैं।

बिन्दु-3 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, ध्रुवनगर, विधान सभा क्षेत्र बिठूर, जनपद कानपुर नगर जो मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा से खुला था, में पद सृजन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिन्दु-4 शासनादेश संख्या-2904/सेक-4-इकहत्तर-2000-184/87, दिनांक 18 जनवरी, 2001 द्वारा प्रदेश के 38 जनपदों के जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय के रूप में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालयों के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 35 पद तथा 03 जनपदों में जनपद मुख्यालय के निकटस्थ होम्योपैथिक चिकित्सालयों के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 3 पद कुल 38 पदों को आस्थगित करते हुए 38 जनपदों में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों का सृजन किया गया।

बिन्दु-5 शासनादेश संख्या-1128/71-आयुष-2-2014-952/97, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा चिकित्साधिकारी के 437 पद उच्चीकृत करते हुए वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 408 पद जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 05 पद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के 18 पद, उप निदेशक के 02 पद, संयुक्त निदेशक के 02 पद तथा अपर निदेशक के 02 पद इस प्रकार कुल 437 पदों का पुनर्गठन कर विभागीय संरचना बनाई गई है। 437 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों में से 408 पदों को उच्चीकृत करते हुए वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं जो शासन के पत्र संख्या-56/2018/1778/96-आयुष-2-2018-952/97, दिनांक 10 मई, 2018 द्वारा चिन्हांकित किये जा चुके हैं, अवशेष 29 चिकित्साधिकारी के पदों को जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 05 पद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के 18 पद, उप निदेशक के 02 पद, संयुक्त निदेशक के 02 पद तथा अपर निदेशक के 02 पदों पर उच्चीकरण के फलस्वरूप 29 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के चिन्हांकन किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु-6 वर्तमान में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 02 पद एवं वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का 01 पद (कुल 03 पद) तथा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मा0 मुख्य मंत्री आवास, लखनऊ में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 02 पद एवं वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 02 पद (कुल 04 पद) सृजित हैं।

बिन्दु-7 शासनादेश दिनांक 18-01-2001 द्वारा 38 जनपदों में 38 पदों को आस्थगित करते हुए 38 जनपदों में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों का सृजन किये जाने से पूर्व तत्समय प्रदेश के 70 जनपदों में से शेष 32 जनपदों में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पूर्व में ही सृजित थे एवं उक्त जनपदों के जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 01-01 पद सृजित थे। इस प्रकार 32 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी एवं होम्योपैथिक

चिकित्साधिकारी का 01-01 पद सृजित/स्वीकृत है, जिसके आधार पर शासन/निदेशालय द्वारा अधिकारी की तैनाती की जाती है, जिसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है।

बिन्दु-8 437 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों में से 408 पदों को उच्चीकृत करते हुए वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं जो शासन के पत्र संख्या-56/2018/1778/96-आयुष-2-2018-952/97, दिनांक 10 मई, 2018 द्वारा चिन्हांकित किये जा चुके हैं, अवशेष 29 पदों के चिन्हांकन किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु-9 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् यथा आवश्यकता समय-समय पर शासन द्वारा तैनाती के आदेश निर्गत किये गये हैं एवं शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तद्नुसार मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सन्दर्भ में प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु चिकित्सालयवार स्वीकृत पदों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 18-01-2001, दिनांक 10 मई, 2018 द्वारा किया गया है अवशेष 29 चिकित्साधिकारी के पदों (जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 05 पद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के 18 पद, उप निदेशक के 02 पद, संयुक्त निदेशक के 02 पद तथा अपर निदेशक के 02 पद) पर उच्चीकरण के फलस्वरूप 29 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के चिन्हांकन किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा प्रोन्नत प्राप्त समस्त उक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है सात तारीख को मा0 अध्यक्ष जी मेरा नियम-51 के तहत आर0एम0एल0 मेडिकल कालेज और के0जी0एम0यू0 में आरक्षण की अवहेलना करते हुए जिस तरह से इण्टरव्यू हो रहे हैं उस पर जिस तरह से मुझे आश्वासन मिला था कि आज उसका उत्तर आएगा और अध्यक्ष जी, सदन में कही हुई बात को यदि पूरा नहीं किया जाए तो यह तो सही नहीं है। अध्यक्ष जी यह मैंने नियम-51 में लगाया था कि आर0एम0एल0 और के0जी0एम0यू0 में जो आरक्षण है उसकी अवहेलना करते हुए इण्टरव्यू किये जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

और यह भी है न, जो उत्तर आज आपके पास आया है।

डॉ0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह तो है ही, लेकिन जो आज उत्तर आने वाला था पहले उसको आना था उसके बाद इसकी बारी आती है और आपने भी आश्वासन दिया था कि 09 तारीख को इसका उत्तर आएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नहीं कहा था मंत्री जी ने कहा था।

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु')-

आप दूसरे विषय की चर्चा कर रही हैं। अभी आज के विषय होम्योपैथ पर चर्चा नहीं कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप बैठिए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी डॉ0 रागिनी ने यह विषय व्यवस्था के अन्तर्गत उठाया है कि आर0एम0एल0 और के0जी0एम0यू0 में इण्टरव्यू से सम्बन्धित कोई सूचना इनके द्वारा दी गई थी जिसकी सूचना परसो यहाँ पर आनी थी, लेकिन वह नहीं आई थी तो मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह आज लगेगा, वह आज भी नहीं लगा शायद यह कहा उन्होंने।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

आपने कहा था कि 10 को लगाना है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने न 9 बोला न 10 बोला।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, सदन में एक चीज की चर्चा जब हो जाती है तो फिर उसी विषय में दुबारा चर्चा नहीं होती है। इसके ऊपर काफी डिटेल में चर्चा हो चुकी थी। यह वही इश्यू है जिस पर माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो कोई जवाब नहीं आया था, और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप हुए थे और दूसरी बात अध्यक्ष जी इसी सदन में मुझे सुनिश्चित किया गया था, मुझे आश्वासन दिया गया था कि आज मुझे उसका जवाब मिलेगा और आज भी जवाब नहीं मिला है। सदन में कही हुई बातों पर अगर इस तरीके से जवाब नहीं आयेगा तो फिर क्या रह जायेगा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

9, 10 दोनों तारीख कही गयी थी, आप उसको देख लीजियेगा, लेकिन उसी दिन नियम-56 में वही सेम विषय आया था और उसका जवाब पूरा दे दिया गया था। एक ही सेम विषय इसमें नहीं आ सकता।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लीजिये उसमें आज के दिन 9 तारीख के लिए आवश्वासन हुआ था कि आज जवाब मिलेगा और मैं उसी की आशा भी करती हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आर0एम0एल0 और के0जी0एम0यू0 का विषय था जिस पर आज बात भी हुई थी, डिप्टी सी0एम0 साहब ने उसका जवाब दिया था।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये सब लोग या तो जवाब दे लें, डॉ0 रागिनी आप बैठ जायें, बाकी लोग बोल लें। उनको बोलने दीजिये जिसका विषय है।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, नियम-51 के तहत के0जी0एम0यू0 और आर0एम0एल0 में आरक्षण का जो मुद्दा था उसको मैंने उठाया था, क्योंकि वहाँ के वाइस चांसलर के द्वारा बार-बार अवहेलना की जा रही है। विधान परिषद् में मौखिक रूप से केशव प्रसाद मौर्या जी ने भी कहा था कि इस मैटर में जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कोई भर्तियां नहीं होंगी और इसके लिए मैंने नियम-51 के तहत यह मुद्दा उठाया था और सदन में उस दिन, जिस दिन 7 तारीख को वक्तव्य आना था, मुझे आश्वासन मिला था कि आज के दिन उसका जवाब दिया जायेगा, परन्तु आज भी जवाब नहीं दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

9 या 10 को जवाब देने की बात हुई थी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो आप उसे सुनिये। ऐसा न करिये।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

आप कार्यवाही देख लीजियेगा 9 या 10 की बात हुई थी। जब निरस्त करने की बात हुई थी तो आपने कहा था कि कब लगाना है तो हमने कहा 9 या 10 में।

श्री अध्यक्ष-

9 को नहीं लगा तो इसका मतलब 10 को लगेगा। मेरे द्वारा उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं दी गयी थी। आपने कहा था कि 9 या 10 में आयेगा। आज नहीं आया तो इसका मतलब 10 में आ सकता है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अग्रेतर उसमें यह बताना है कि इस सत्र में इसी सदन में सेम विषय उठाया जा चुका है, उसका जवाब भी दिया जा चुका है। अब नियमों के अन्तर्गत सेम विषय, सेम सत्र में नहीं लाया जा सकता है।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष जी, आर0एम0एल0 और पी0डी0ए0 जैसे मुद्दे पर इन्होंने आश्वासन दिया और आज जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज उसका जवाब दिया न, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है।

डॉ0 रागिनी-

नहीं अध्यक्ष जी, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आपसे अनुरोध है कि इसका जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष-

सरकार को जवाब देना है, मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

डॉ0 रागिनी-

डॉक्टर के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अध्यक्ष जी, फिर सदन में कही हुई बातों का मान ही नहीं रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आयुष पर आपको कुछ पूछना है। आज वाले विषय पर आपको कुछ पूछना है। आपको नहीं पूछना है तो मैं आगे चलूंगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर सदन में व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपने 9 और 10 कहा था तो 10 तारीख को ये वाली बात बता दीजियेगा, जो अभी बता रहे हैं। ये वाली बात बता दीजियेगा कि लिया जा सकता है या नहीं। कल बता दीजियेगा क्योंकि आज लिया नहीं गया। मद संख्या-25 में आपको कुछ पूछना है।

डॉ0 रागिनी-

नहीं आज वाले में कुछ नहीं पूछना है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं पूछना है, बात खत्म हो गयी।

विधान सभा क्षेत्र-221, उरई जनपद जालौन के ग्राम रिनियाँ बड़ा गाँव एवं मडौरा होते हुये उरई, जालौन मार्ग तक बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, रिनियाँ क्रासिंग (एन0एच0-25 पुराना) .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[से बोहदपुरा (एस0एच0-21) तक उरई बाईपास की लम्बाई 10.300 किमी0 में निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड सरोजनीनगर के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्रथमिक विद्यालय एवं कम्पोजिट विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया]

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 12-12-2023 को मुख्य विकास अधिकारी को डी0सी0 मनरेगा के माध्यम से जनपद के ग्रामीण बाउण्ड्री विहीन विद्यालयों में बाउण्ड्री बनवाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। विकास खण्ड सरोजनीनगर के जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में आ गये हैं, उनके लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम जनपद लखनऊ को पत्र दिनांक 05-12-2023 एवं ग्रामीण क्षेत्र स्थित बाउण्ड्री विहीन विद्यालयों में बाउण्ड्री बनवाने हेतु पत्र दिनांक 02-02-2024 जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित किये गये हैं। इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र ही प्रश्नगत विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।]

ग्राम पंचायत मंगापुर, विकास खण्ड सांगीपुर तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया]

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[सूचना के सम्बन्ध में महानिदेशक, युवा कल्याण विभाग से आख्या प्राप्त की गयी। महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2021 द्वारा ग्राम पंचायत-मंगापुर, विकास खण्ड-सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने हेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रु0 1435.59 लाख का प्रस्ताव महानिदेशक, युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ में प्राप्त हुआ था। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में दिये गये निर्देश, जिसके बिन्दु संख्या-1 के प्रस्तर-ब में यह उल्लिखित था कि यदि आगणन रु0 10.00 करोड़ से अधिक का है, तो समिति के माध्यम से उसका पुनः परीक्षण कराकर प्रेषित किया जाए। महानिदेशालय के पत्र दिनांक 28 मई, 2021 द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुक्रम में कमियों का निराकरण कराकर रु0 10.00 करोड़ तक का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रस्ताव वापस कर दिया गया है, किन्तु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत-मंगापुर, विकास खण्ड सांगीपुर, तहसील लालगंज में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने हेतु उपरोक्त कमियों का निराकरण कराकर पुनः प्रस्ताव अभी तक महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल को उपलब्ध नहीं कराया गया है।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के कतिपय प्लाटिंग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पत्र ....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[दिनांक 08-02-2024 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार दिनांक 08-02-2024 को राधा स्वामी सत्संग व्यास, दिल्ली रोड सहारनपुर का सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अधिकरियों की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में प्लाटिंग/सड़कों का निर्माण आदि कोई निर्माण/विकास कार्य विद्यमान नहीं पाया गया है। निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित राधा स्वामी व्यास, दिल्ली रोड, सहारनपुर के सेवादार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संस्था द्वारा आंशिक भूमि का विक्रय किया गया है। विक्रय की गयी भूमि में संस्था द्वारा पूर्व में कराये गए कार्यों (पार्किंग, मिट्टी भराव, शेड का निर्माण) को संस्था द्वारा स्वयं हटाया जा रहा है तथा विक्रय के उपरान्त विभाजित शेष भूमि की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चहारदीवारी का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि मौके पर की गयी है। राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्था से लगी हुई अन्य किसी भूमि पर कोई भी निर्माण/विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। भविष्य में प्रश्नगत स्थल पर बिना कोई मानचित्र स्वीकृति के निर्माण/विकास कार्य पाये जाने पर उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्मित पानी की टंकियों के निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेकानन्द पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के अन्तर्गत...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[भुजौली बुजुर्ग पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत कराया गया है, निर्माण के उपरान्त से ही योजना पर नियमित जलापूर्ति की जा रही थी। वर्तमान में योजना से आच्छादित भुजौली पूरबटोला में पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण पूर्व में जलापूर्ति बाधित थी, जिसके मरम्मत का कार्य पूर्ण कराकर वर्तमान में जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। उधो छपरा पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है। उक्त पेयजल योजना से कुल 03 राजस्व ग्राम यथा-बहेलिया, रुद्रपुर एवं उधो छपरा आच्छादित है, जिसमें से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है तथा पाइप लाइन में लीकेज के कारण शेष ग्रामों में जलापूर्ति बाधित है, जिसके मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। ग्राम सभा बिशुनपुरा पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है। निर्माण वर्ष के उपरान्त से ही योजना पर नियमित जलापूर्ति की जा रही थी। पेयजल योजना में कुल 07 टोले यथा-बिशुनपुरा बुजुर्ग खास, दखिन टोला, खेरहवा, कुशवाहा टोला, पूरब टोला, उत्तर टोला एवं भगतिन टोला आच्छादित हैं, जिसमें वर्तमान में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु कार्य प्रगति पर है। धरनीपट्टी

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है। निर्माण वर्ष के उपरान्त ही योजना पर नियमित जलापूर्ति की जा रही थी। पेयजल योजना में कुल 05 टोले यथा-धरनीपट्टी खास, बीब टोला, दखिन टोला, प्रधान टोला एवं पूरब टोला आच्छादित हैं। वर्तमान में योजना पर मोटर जल जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। मरम्मत हेतु ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है। बुलहवा पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है, निर्माण वर्ष के उपरान्त से ही योजना पर नियमित जलापूर्ति की जा रही थी। वर्तमान में योजना नगर पंचायत खड्डा को हस्तगत है, जिसके संचालन एवं रख-रखाव का कार्य नगर पंचायत खड्डा द्वारा किया जाता है। विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा मडार बिन्दवलिया पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है। निर्माण वर्ष के उपरान्त से ही योजना पर नियमित जलापूर्ति की जा रही थी। उक्त पेयजल योजना पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में जलापूर्ति बाधित है, जिसे ठीक कराया जा रहा है। विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा के नेबुआ रायगंज सहित कई गांवों में पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मेसर्स एन0सी0सी0 लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। नव निर्मित पानी की टंकियों में प्रयुक्त की जा रही पाइप की जांच सीपेट (केन्द्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान, लखनऊ) द्वारा कराया गया है एवं अन्य सामग्री की जांच व गुणवत्ता राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा नामित टी0पी0आई0 द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही उपयोग में लायी जा रही है। विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के समस्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने, गृह संयोजन प्रदान करने एवं अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिसे मार्च, 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 10:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन के 10:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 09 फरवरी, 2024 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-13-17 पर)

उ0प्र0 विधान सभा के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु श्री अनिल प्रधान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 की अनुपूरक सामग्री।

होमगार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के कुल पद 1,18,348 स्वीकृत हैं। वर्तमान में 78021 होमगार्ड स्वयंसेयक व अवैतनिक अधिकारी रोल पर है तथा 40327 पद रिक्त चल रहे हैं। होमगार्ड्स अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश संख्या-59/2019/1834/पन्चानबे-19-46 रिट/15 टी०सी० III, दिनांक 23-09-2019 की छायाप्रति।

संख्या-59/2019/ 1834/पन्चानबे-19-46 रिट/15 टी0सी0 III

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक : 23 सितम्बर, 2019

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के क्रम में होमगार्डस स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के समान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

[illegible] मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विशेष अपील संख्या-735/2016 में पारित आदेश 06.12.2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2264/2017 एवं 5853/2017 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 06.12.2016 से होमगार्डस स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन रू0 18,000/- को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रू0 600/- एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोडते हुए अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का नकद भुगतान 01 सितम्बर, 2019 से किया जायेगा। एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1428/दस-2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

.....2

संख्या-59/2019/1834(1)/पन्चानबे-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट/लेखा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
8. बजट सहायक/गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

नत्थी (ख)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-32 पर)

क्रम-संख्या—133 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 जून, 2022

आषाढ़ 8, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग—2

संख्या 1305/36-2—2022-08-2004-टी0सी0

लखनऊ, 29 जून, 2022

अधिसूचना

प०आ०—155

चूँकि चीनी उद्योग के कर्मकारों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में, चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति द्वारा माननीय श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिनया गया था;

और चूँकि, राज्य सरकार के आदेश संख्या 1232/छत्तीस-2-2019, दिनांक 4 सितम्बर, 2019 द्वारा श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया, जिसमें विचार हेतु पाँच बिन्दु निर्दिष्ट किये गये थे;

और चूँकि, राज्य सरकार को उक्त त्रिपक्षीय समिति की सिफारिश प्राप्त हो गयी है;

और चूँकि, राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जन-जीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रांतीय अधिनियम संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निमनलिखित आदेश देती हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन निदेश देती हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

आदेश

1—यह आदेश निम्नलिखित पर लागू होगा :—

(क) राज्य के समस्त वैक्यूम पैन चीनी कारखाने;

(ख) चीनी कारखानों के समस्त कर्मकार जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "कर्मकार" की परिभाषा के अधीन आच्छादित हों;

(ग) ऐसे समस्त कर्मकार, जो कारखानों में संविदाकार द्वारा नियोजित किए गए हों;

(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त मशीनों को साफ करने या भू–गृहादि के किसी भाग को साफ करने के लिये या कोई अन्य कार्य, जो उनसे आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित हो;

(ङ) विनिर्माण प्रक्रिया, जिसमें कारखानों के भू–गृहादि के भीतर कच्चा माल, स्टोर सामग्री तथा तैयार माल को निपटाना, लादना या उतारना भी सम्मिलित है;

(च) चीनी कारखानों के किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत संयंत्र और मशीनों तथा भवनों के मरम्मत और अनुरक्षण में लगाए गए समस्त कर्मकार;

(छ) समस्त चिकित्सा, पराचिकित्सा और शैक्षिक कर्मचारिवृंद, जो वैक्यूम पैन चीनी कारखानों से सम्बद्ध हो।

2–यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :–

(क) खांडसारी या गुड़ विनिर्माण ओर सहबद्ध उद्योग; या

(ख) पेय या अपेय अल्कोहल उद्योग; या

(ग) मिष्ठान विनिर्माण उद्योग; या

(घ) कारखाना के बाहर का गन्ना फार्म या गन्ना के परिवहन हेतु नियोजित ठेका श्रमिक; या

(ङ) शिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा आच्छादित या नियंत्रित शिक्षु ; या

(च) श्रम कल्याण अधिकारी जिनकी सेवा शर्तें, उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली, 1955 द्वारा शासित होती हैं।

3–कर्मकारों की श्रेणी :–

(क) आपरेटिव–अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल "ख", कुशल "क", अतिकुशल।

(ख) लिपिकीय श्रेणी–चार, लिपिकीय श्रेणी–तीन, लिपिकीय श्रेणी–दो, लिपिकीय श्रेणी–एक।

(ग) पर्यवेक्षक श्रेणी "ग", पर्यवेक्षक श्रेणी "ख", पर्यवेक्षक श्रेणी "क"।

पुनरीक्षित वेतनमान

आपरेटिव	वेतनमान
अकुशल	16775–180–18575–195–20525
अर्द्धकुशल	16940–185–18790–200–20790
कुशल "ख"	17160–190–19060–205–21110
कुशल "क"	17325–195–19275–210–21375
अतिकुशल	17495–200–19495–215–21645
लिपिकीय	
श्रेणी–चार	17160–190–19060–205–21110
श्रेणी–तीन	17325–195–19275–210–21375
श्रेणी–दो	17495–200–19495–215–21645
श्रेणी–एक	17610–205–19660–220–21860
पर्यवेक्षक	
श्रेणी–ग	17610–205–19660–220–21860
श्रेणी–ख	17725–210–19825–225–22075
श्रेणी–क	17930–215–20080–230–23380

4–अन्य भत्ते :–

(क) नियत भत्ता–निम्नलिखित श्रेणी के कर्मकारों को सरकारी अधिसूचना संख्या 1427/36–2–09–8–04, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 एवं संख्या 965/36–2–2010–04, दिनांक 25 जून, 2010 के अनुसार निम्नलिखित नियत भत्ता संदेय होगा और समस्त प्रयोजनों के लिए कुल मजदूरी का भाग होगा :–

अकुशल कर्मकार	267/– रुपये प्रतिमाह
अर्द्धकुशल कर्मकार	177/– रुपये प्रतिमाह
कुशल श्रेणी "ख" और लिपिक श्रेणी–चार	55/– रुपये प्रतिमाह

(ख) प्रतिधारण भत्ता–अधिसूचना संख्या 1427/36–2–09–8–04, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 द्वारा नियत प्रतिधारण भत्ते की दर को निम्नानुसार पुरनीक्षित किया जायेगा :–

अकुशल कर्मकार	पेराई सत्र के समाप्त होने के चार माह तक 20 प्रतिशत की दर से एवं तदोपरान्त नये पेराई सत्र के प्रारम्भ तक 25 प्रतिशत की दर से।
अर्द्धकुशल कर्मकार	पेराई सत्र के समाप्त होने के चार माह तक 30 प्रतिशत की दर से एवं तदोपरान्त नये पेराई सत्र के प्रारम्भ तक 35 प्रतिशत की दर से।
कुशल "ख" से अतिकुशल, लिपिकीय श्रेणी–चार से एक तथा समस्त श्रेणी के पर्यवेक्षकों	मजदूरी के 50 प्रतिशत की दर से (पूर्ववर्ती देय दरों पर)

(ग) परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता–परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960–100) के आधार पर किया जायेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6414 अंक तक के परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का विलय मूल वेतन में कर दिया गया है। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना 6414 से ऊपर 6703 अंक तक रू0 2.35 प्रति अंक की दर से तथा 6703 अंक के ऊपर रू0 2.50 प्रति अंक की दर से किया जायेगा। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण पूर्ववत त्रैमासिक आधार पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, और 1 अक्टूबर को किया जायेगा।

(घ) विविध भत्ते–चिकित्सा भत्ता, शिफ्ट भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, धुलाई भत्त, तौलाई भत्ता जैसाकि पूर्ववर्ती विभिन्न श्रेणी के कर्मकारों को भुगतान किया गया था वैसे ही भुगतान किया जाता रहेगा।

5–सेवा अधिमान :–

चीनी कारखानों में कार्यरत ऐसे कर्माकर, जिन्हें उनकी सेवाओं में पदोन्नति नहीं दिया गया है, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के कर्मकार को उसकी सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उसके वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि कर दी जायेगी। उपर्युक्त सुविधा प्रत्येक स्थायी व मौसमी स्थायी कर्मकार को उसकी सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् दी जायेगी।

6–फिटमेन्ट फार्मूला :–

ऐसे कर्मकारों को पूर्ववर्ती वेतनमान में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को और पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को भुगतान किए जा रहे मजदूरी के दृष्टान्त का विवरण निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है :–

क–अकुशल कर्मकार

पुराना वेतनमान	10745–118–11925–131–13235
पुनरीक्षित वेतनमान	16775–180–18575–195–20525

मान लीजिए कोई अकुशल कर्मकार पुराने वेतनमान में दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को मूल वेतन रु0 11335.00 आहरित कर रहा है, तब ऐसे कर्मकार को नियत भत्ता, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है :–

मूल वेतन	11335.00 रुपये
नियत भत्ता	267.00 रुपये
परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	4468.00 रुपये
माह अक्टूबर, 2015 से अतिक्त वेतन वृद्धि	300.00 रुपये
योग	16370.00 रुपये

ऐसे कर्मकारों का मूल वेतन जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नवत होगा :–

मूल वेतन	11335.00 रुपये
माह अक्टूबर, 2015 से अतिरिक्त वेतन वृद्धि	300.00 रुपये
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5121 अंकों तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	1088.00 रुपये
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6414 अंकों तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	3039.00 रुपये
एकमुश्त मजदूरी वृद्धि	1600.00 रुपये
अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि	180.00 रुपये
योग	17542.00 रुपये

उपरोक्तानुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को पुनरीक्षित नये वेतनमान में पुनरीक्षित मूल वेतन 17542.00 रुपये होगा, जिसे अगले प्रक्रम पर 17675.00 रुपये पर नियत किया जायेगा तथा ऐसे कर्मकार को देय कुल मजदूरी दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से निम्नवत देय होगी :–

मूल वेतन	17675.00 रुपये
नियत भत्ता	267.00 रुपये
परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (6703 अंकों तक) (रु0 2.35 की दर से)	679.00 रुपये
योग	18621.00 रुपये

7–(क) जिन कर्मकारों की मूल मजदूरी उपरोक्त संगणना के अनुसार उनके वेतनमान की अधिकातम सीमा से भी अधिक आती है, ऐसे कर्माकरों का वेतन उनके वेतनमान के अधिकतम में अतिरिक्त वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् नियत किया जायेगा तथा इस आदेश के प्रवृत्त रहने तक उसी दर से अग्रतर वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(ख) वे कर्मकार, जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाते हैं, इस आदेश के जारी रहने तक उनके वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि मिलती रहेंगी।

8–कर्मकारों को चिकित्सा सुविधा :– चीनी उद्योग की इकाईयों में उनके कर्मकारों के नियोजकों द्वारा वर्तमान में प्रदत्त चिकित्सा सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु गम्भीर बीमारियों (Critical diseases) के कर्मकारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये प्रत्येक नियोजक अपने श्रमिकों हेतु न्यूनतम 50.00 रुपये प्रतिमाह की दर से एक निधि स्थापित करेगा। इस निधि के प्रबंधन हेतु एक पृथक खाता खोला जायेगा तथा इस निधि की प्रबंध समिति में नियोजक अथवा उसके प्रतिनिधि के सिवाय उस इकाई में प्रत्येक कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यापार संघ द्वारा एक–एक प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिससे समिति में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की संख्या समान रहे।

प्रबन्ध समिति श्रमिकों को गम्भीर बीमारियों हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने के लिये किसी बीमा सेवा प्रदाता के माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा बीमा योजनाओं से आच्छादित कर सकती है जिसमें गम्भीर बीमारियों (Critical diseases) के मामलों में चिकित्सा सुविधा दिया जायेगा और प्रबंध समिति विचारोपरान्त गम्भीर बीमारियों की दशा में निधि का उपयोग कर सकती है और श्रमिकों को गम्भीर बीमारी के उपचार हेतु किस्तों में समेकित धनराशि का उपबन्ध कर सकती हे। गम्भीर बीमारियों की योजना श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति–पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे तथा आश्रित माता–पिता ही आच्छादित होंगे। प्रबंध समिति निधि के विनियमन हेतु नियमावली बनायेगी तथा किसी विवाद की दशा में मामला क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9–सामान्य अनुदेश :–

(क) उपरोक्त मजदूरी पुनरीक्षण के फलस्वरूप समस्त संदत्त एरियर का भुगतान नियोजकों द्वारा इस आदेश के दिनांक से प्रत्येक माह को चार बराबर किस्तों में किया जायेगा।

(ख) चीनी कारखानों के कर्मकारों द्वारा इस आदेश के पूर्व से प्राप्त किये जा रहे समस्त हितलाभ, भत्ते एवं अन्य प्रसुविधायें यथा, निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क आवास, निःशुल्क बिजली सुविधायें यथावत उन्हें दी जाती रहेंगी और उनका समायोजन किसी पुनरीक्षित मजदूरी एवं भत्ते से नहीं किया जायेगा।

(ग) यदि निमनतर श्रेणी का कोई कर्मकार उच्चतर श्रेणी के कर्मकार के स्थान पर कार्य करता है, तो ऐसा कर्मकार अपने उसी पद पर रहते हुये कार्यरत रहने की अवधि के दौरान उच्चतर मजदूरी और भत्ते पाने का हकदार होगा।

(घ) चीनी कारखानों तथा सम्बद्ध इकाईयों में कार्यरत समस्त कर्मकार अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करते हुये अधिकतम उत्पादन करेंगे और उत्पादकता बनाये रखेंगे।

(ङ) ऐसे समस्त कर्मकार अपना बहुआयामी व्यक्तित्व बनाये रखते हुये कार्य प्रणाली में गुणात्मक सुधार एवं नवीनतम तकनीक हेतु सदैव तत्पर रहेंगे जिससे उद्योगों का विकास हो सके।

(च) ऐसे समस्त कर्मकार अपने नियोजन के दौरान अनुशासन एवं कार्यकुशलता का उच्चतम स्तर अनुरक्षित रखेंगे जिससे सद्भावनापूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध अनुरक्षित रह सके।

10–पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मजदूरी व विभिन्न भत्तों की प्रसुविधाएँ दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से दी जायेंगी और दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक लागू रहेंगी।

11–यह आदेश इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवर्तित होगा और समस्त प्रसुविधायें उक्त दिनांक से दो माह के भीतर दी जायेंगी।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा,

अपर मुख्य सचिव।

क्रम-संख्या–161 (क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 3 अगस्त, 2022

श्रावण 12, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–2

संख्या 2156788/2022-श्रम-2

लखनऊ, 3 अगस्त, 2022

अधिसूचना

प०आ०–320

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्तीय अधिनियम संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 1305/36-2–2022-08-2004-टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2022 में संशोधन करती हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन निदेश देती हैं कि इस संशोधन की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में पैरा 9 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) उपरोक्त मजदूरी पुनरीक्षण के फलस्वरूप कर्मकारों के एरियर का भुगतान नियोजकों द्वारा अधिसूचना लागू किये जाने के दिनांक से चार माह के अन्तराल पर चार बराबर किस्तों में किया जायेगा।"

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा,

अपर मुख्य सचिव।

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-54-55 पर)

संलग्नक

समयसारणी–1

अम्बेडकरनगर से जहांगीरगंज, राजेसुलतानपुर			राजेसुलतानपुर से जहांगीरगंज, अम्बेडकरनगर		
क्र. सं.	समय	मार्ग का नाम	क्र. सं.	समय	मार्ग का नाम
1	12:30	अम्बेडकरनगर से जहांगीरगंज, राजेसुलतानपुर	1	6:00	राजेसुलतानपुर जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर आजमगढ़
2	16:00	अम्बेडकरनगर से जहॉगीरगंज	2	6:15	देवरिया, जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर
3	16:30	अम्बेडकरनगर से जहॉगीरगंज (देवरिया राजेसुलतानपुर)	3	6:30	राजेसुलतानपुर जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर आजमगढ़
4	17:00	अम्बेडकरनगर से जहॉगीरगंज राजेसुतलानपुर सिंघल पट्टी	4	7:00	राजेसुलतानपुर जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर बस्ती
5	17:30	अम्बेडकरनगर से जहॉगीरगंज देवरिया राजेसुलतानपुर	5	8:00	राजेसुलतानपुर जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर
6	18:00	अम्बेडकरनगर से बूढ़नपुर राजेसुलतानपुर	6	8:30	राजेसुलतानपुर जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर कौशाम्बी
7	18:30	अम्बेडकरनगर से जहॉगीरगंज राजेसुलतानपुर	7	16:30	राजेसुलतानपुर जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर कानपुर

समयसारणी–2

कम्हरियाघाट	अम्बेडकरनगर	अयोध्या	लखनऊ	अयोध्या	अम्बेडकरनगर
6.30	8.00/8.30	10.00/10.15	13.15/14.00	17.00/17.15	18.45/19.30

अम्बेडकरनगर	अयोध्या	लखनऊ	अयोध्या	अम्बेडकरनगर	कम्हरियाघाट
6.00	7.30/7.45	10.45/12.00	15.00/15.15	17.00/18.00	20.30

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-56-57 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र-2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्रीमती पिंकी सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-23 का संलग्नक/विवरण :-

(1) परिवहन निगम की आय, व्यय एवं लाभ/हानि का वर्षवार विवरण।

(2) अनुबन्धित बसों की संख्या व उनसे प्राप्त आय का विवरण।

संलग्नक : यथोक्त।

U.P. State Road Transport Corporation

Year wise statement of Income, Expenditure, Profit/ Loss

(Rs. In Crore)

Year	Total Income	Total Expenditure	Profit/Loss
2018-2019	4601.38	4561.53	39.85
2019-2020	4727.75	4585.05	142.70
2020-2021	3922.70	3950.52	-27.82
2021-2022	4557.38	4536.17	21.21
2022-2023	5026.21	5119.64	-93.43

HIRED BUSES FLEET

S.NO	MONTH	AVG. BUSES
1	APR 2022 TO MAR 2023	2357
2	DEC 2023	3201

SCHEDULE I — DI[illegible]ES

(Figures in ₹)

Particulars		Per KM.	2021-22	Per KM
Upfront Fees & Processing Charges	-	-	-	-
Interest on Debentures				
Interest on other loan	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SCHEDULE J — INTEREST ON CAPITAL

Particulars	2022-23	Per KM.	2021-22	Per KM.
State Government	10,53,346	-	10,53,346	-
Union Government	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL	10,53,346	-	10,53,346	-

SCHEDULE K — PROVISIONS

Particulars	2022-23	Per KM.	2021-22	Per KM.
Income Tax	-	-	-	-
Development Rebate Reserve	-	-	-	-
Bad & Doubtful Debts	-	-	-	-
Clearence of stock Adjustment a/c	-	-	-	-
Clearence of Assets Adjustment a/c	-	-	-	-
Other Provisions	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SCHEDULE L — INCOME FROM PASSENGERS

Particulars	2022-23	Per KM.	2021-22	Per KM.
Income from Nigam Buses	33,47,11,59,357	26.08	28,13,33,97,698	22.81
Income from Hired Buses	10,34,27,86,650	8.06	8,59,45,52,282	6.97
Income from MST	24,76,18,352	0.19	17,95,53,256	0.15
Road Way/Toll Tax	3,63,93,87,612	2.84	2,62,37,65,367	2.12
Other	-	-	-	-
TOTAL	47,70,09,51,971	37.17	39,53,12,68,603	32.05

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-59 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-83-85 पर)

क्रम-संख्या–133 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 जून, 2022

आषाढ़ 8, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–2

संख्या 1305/36-2–2022-08-2004-टी0सी0

लखनऊ, 29 जून, 2022

अधिसूचना

प०आ०–155

चूँकि चीनी उद्योग के कर्मकारों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में, चीनी मिल मजदूर संघर्ष समिति द्वारा माननीय श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिनया गया था;

और चूँकि, राज्य सरकार के आदेश संख्या 1232/छत्तीस–2-2019, दिनांक 4 सितम्बर, 2019 द्वारा श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया, जिसमें विचार हेतु पाँच बिन्दु निर्दिष्ट किये गये थे;

और चूँकि, राज्य सरकार को उक्त त्रिपक्षीय समिति की सिफारिश प्राप्त हो गयी है;

और चूँकि, राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जन–जीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रांतीय अधिनियम संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निमनलिखित आदेश देती हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन निदेश देती हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

आदेश

1–यह आदेश निम्नलिखित पर लागू होगा :–

(क) राज्य के समस्त वैक्यूम पैन चीनी कारखाने;

(ख) चीनी कारखानों के समस्त कर्मकार जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "कर्मकार" की परिभाषा के अधीन आच्छादित हों;

(ग) ऐसे समस्त कर्मकार, जो कारखानों में संविदाकार द्वारा नियोजित किए गए हों;

(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त मशीनों को साफ करने या भू–गृहादि के किसी भाग को साफ करने के लिये या कोई अन्य कार्य, जो उनसे आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित हो;

(ङ) विनिर्माण प्रक्रिया, जिसमें कारखानों के भू–गृहादि के भीतर कच्चा माल, स्टोर सामग्री तथा तैयार माल को निपटाना, लादना या उतारना भी सम्मिलित है;

(च) चीनी कारखानों के किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत संयंत्र और मशीनों तथा भवनों के मरम्मत और अनुरक्षण में लगाए गए समस्त कर्मकार;

(छ) समस्त चिकित्सा, पराचिकित्सा और शैक्षिक कर्मचारिवृंद, जो वैक्यूम पैन चीनी कारखानों से सम्बद्ध हो।

2–यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :–

(क) खांडसारी या गुड़ विनिर्माण ओर सहबद्ध उद्योग; या

(ख) पेय या अपेय अल्कोहल उद्योग; या

(ग) मिष्ठान विनिर्माण उद्योग; या

(घ) कारखाना के बाहर का गन्ना फार्म या गन्ना के परिवहन हेतु नियोजित ठेका श्रमिक; या

(ङ) शिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा आच्छादित या नियंत्रित शिक्षु ; या

(च) श्रम कल्याण अधिकारी जिनकी सेवा शर्तें, उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली, 1955 द्वारा शासित होती हैं।

3–कर्मकारों की श्रेणी :–

(क) आपरेटिव–अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल "ख", कुशल "क", अतिकुशल।

(ख) लिपिकीय श्रेणी–चार, लिपिकीय श्रेणी–तीन, लिपिकीय श्रेणी–दो, लिपिकीय श्रेणी–एक।

(ग) पर्यवेक्षक श्रेणी "ग", पर्यवेक्षक श्रेणी "ख", पर्यवेक्षक श्रेणी "क"।

पुनरीक्षित वेतनमान

आपरेटिव	वेतनमान
अकुशल	16775–180–18575–195–20525
अर्द्धकुशल	16940–185–18790–200–20790
कुशल "ख"	17160–190–19060–205–21110
कुशल "क"	17325–195–19275–210–21375
अतिकुशल	17495–200–19495–215–21645
लिपिकीय	
श्रेणी–चार	17160–190–19060–205–21110
श्रेणी–तीन	17325–195–19275–210–21375
श्रेणी–दो	17495–200–19495–215–21645
श्रेणी–एक	17610–205–19660–220–21860
पर्यवेक्षक	
श्रेणी–ग	17610–205–19660–220–21860
श्रेणी–ख	17725–210–19825–225–22075
श्रेणी–क	17930–215–20080–230–23380

4–अन्य भत्ते :–

(क) नियत भत्ता–निम्नलिखित श्रेणी के कर्मकारों को सरकारी अधिसूचना संख्या 1427/36–2–09–8–04, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 एवं संख्या 965/36–2–2010–04, दिनांक 25 जून, 2010 के अनुसार निम्नलिखित नियत भत्ता संदेय होगा और समस्त प्रयोजनों के लिए कुल मजदूरी का भाग होगा :–

अकुशल कर्मकार	267/– रुपये प्रतिमाह
अर्द्धकुशल कर्मकार	177/– रुपये प्रतिमाह
कुशल श्रेणी "ख" और लिपिक श्रेणी–चार	55/– रुपये प्रतिमाह

(ख) प्रतिधारण भत्ता–अधिसूचना संख्या 1427/36–2–09–8–04, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 द्वारा नियत प्रतिधारण भत्ते की दर को निम्नानुसार पुरनीक्षित किया जायेगा :–

अकुशल कर्मकार	पेराई सत्र के समाप्त होने के चार माह तक 20 प्रतिशत की दर से एवं तदोपरान्त नये पेराई सत्र के प्रारम्भ तक 25 प्रतिशत की दर से।
अर्द्धकुशल कर्मकार	पेराई सत्र के समाप्त होने के चार माह तक 30 प्रतिशत की दर से एवं तदोपरान्त नये पेराई सत्र के प्रारम्भ तक 35 प्रतिशत की दर से।
कुशल "ख" से अतिकुशल, लिपिकीय श्रेणी–चार से एक तथा समस्त श्रेणी के पर्यवेक्षकों	मजदूरी के 50 प्रतिशत की दर से (पूर्ववर्ती देय दरों पर)

(ग) परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता–परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960–100) के आधार पर किया जायेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6414 अंक तक के परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का विलय मूल वेतन में कर दिया गया है। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना 6414 से ऊपर 6703 अंक तक रू0 2.35 प्रति अंक की दर से तथा 6703 अंक के ऊपर रू0 2.50 प्रति अंक की दर से किया जायेगा। परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण पूर्ववत त्रैमासिक आधार पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, और 1 अक्टूबर को किया जायेगा।

(घ) विविध भत्ते–चिकित्सा भत्ता, शिफ्ट भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, धुलाई भत्त, तौलाई भत्ता जैसाकि पूर्ववर्ती विभिन्न श्रेणी के कर्मकारों को भुगतान किया गया था वैसे ही भुगतान किया जाता रहेगा।

5–सेवा अधिमान :–

चीनी कारखानों में कार्यरत ऐसे कर्मकर, जिन्हें उनकी सेवाओं में पदोन्नति नहीं दिया गया है, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के कर्मकार को उसकी सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उसके वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि कर दी जायेगी। उपर्युक्त सुविधा प्रत्येक स्थायी व मौसमी स्थायी कर्मकार को उसकी सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् दी जायेगी।

6–फिटमेन्ट फार्मूला :–

ऐसे कर्मकारों को पूर्ववर्ती वेतनमान में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को और पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को भुगतान किए जा रहे मजदूरी के दृष्टान्त का विवरण निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है :–

क–अकुशल कर्मकार

पुराना वेतनमान	10745–118–11925–131–13235
पुनरीक्षित वेतनमान	16775–180–18575–195–20525

मान लीजिए कोई अकुशल कर्मकार पुराने वेतनमान में दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को मूल वेतन रू0 11335.00 आहरित कर रहा है, तब ऐसे कर्मकार को नियत भत्ता, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है :–

मूल वेतन	11335.00 रुपये
नियत भत्ता	267.00 रुपये
परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	4468.00 रुपये
माह अक्टूबर, 2015 से अतिक्त वेतन वृद्धि	300.00 रुपये
योग	16370.00 रुपये

ऐसे कर्मकारों का मूल वेतन जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नवत होगा :–

मूल वेतन	11335.00 रुपये
माह अक्टूबर, 2015 से अतिरिक्त वेतन वृद्धि	300.00 रुपये
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5121 अंकों तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	1088.00 रुपये
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6414 अंकों तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	3039.00 रुपये
एकमुश्त मजदूरी वृद्धि	1600.00 रुपये
अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि	180.00 रुपये
योग	17542.00 रुपये

उपरोक्तानुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को पुनरीक्षित नये वेतनमान में पुनरीक्षित मूल वेतन 17542.00 रुपये होगा, जिसे अगले प्रक्रम पर 17675.00 रुपये पर नियत किया जायेगा तथा ऐसे कर्मकार को देय कुल मजदूरी दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से निम्नवत देय होगी :–

मूल वेतन	17675.00 रुपये
नियत भत्ता	267.00 रुपये
परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (6703 अंकों तक) (रु0 2.35 की दर से)	679.00 रुपये
योग	18621.00 रुपये

7–(क) जिन कर्मकारों की मूल मजदूरी उपरोक्त संगणना के अनुसार उनके वेतनमान की अधिकातम सीमा से भी अधिक आती है, ऐसे कर्माकरों का वेतन उनके वेतनमान के अधिकतम में अतिरिक्त वेतनवृद्धि जोड़ने के पश्चात् नियत किया जायेगा तथा इस आदेश के प्रवृत्त रहने तक उसी दर से अग्रतर वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(ख) वे कर्मकार, जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाते हैं, इस आदेश के जारी रहने तक उनके वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि मिलती रहेंगी।

8–कर्मकारों को चिकित्सा सुविधा :– चीनी उद्योग की इकाईयों में उनके कर्मकारों के नियोजकों द्वारा वर्तमान में प्रदत्त चिकित्सा सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु गम्भीर बीमारियों (Critical diseases) के कर्मकारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये प्रत्येक नियोजक अपने श्रमिकों हेतु न्यूनतम 50.00 रुपये प्रतिमाह की दर से एक निधि स्थापित करेगा। इस निधि के प्रबंधन हेतु एक पृथक खाता खोला जायेगा तथा इस निधि की प्रबंध समिति में नियोजक अथवा उसके प्रतिनिधि के सिवाय उस इकाई में प्रत्येक कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यापार संघ द्वारा एक–एक प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिससे समिति में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की संख्या समान रहे।

प्रबन्ध समिति श्रमिकों को गम्भीर बीमारियों हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने के लिये किसी बीमा सेवा प्रदाता के माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा बीमा योजनाओं से आच्छादित कर सकती है जिसमें गम्भीर बीमारियों (Critical diseases) के मामलों में चिकित्सा सुविधा दिया जायेगा और प्रबंध समिति विचारोपरान्त गम्भीर बीमारियों की दशा में निधि का उपयोग कर सकती है और श्रमिकों को गम्भीर बीमारी के उपचार हेतु किस्तों में समेकित धनराशि का उपबन्ध कर सकती है। गम्भीर बीमारियों की योजना श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति–पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे तथा आश्रित माता–पिता ही आच्छादित होंगे। प्रबंध समिति निधि के विनियमन हेतु नियमावली बनायेगी तथा किसी विवाद की दशा में मामला क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9–सामान्य अनुदेश :–

(क) उपरोक्त मजदूरी पुनरीक्षण के फलस्वरूप समस्त संदत्त एरियर का भुगतान नियोजकों द्वारा इस आदेश के दिनांक से प्रत्येक माह को चार बराबर किस्तों में किया जायेगा।

(ख) चीनी कारखानों के कर्मकारों द्वारा इस आदेश के पूर्व से प्राप्त किये जा रहे समस्त हितलाभ, भत्ते एवं अन्य प्रसुविधायें यथा, निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क आवास, निःशुल्क बिजली सुविधायें यथावत उन्हें दी जाती रहेंगी और उनका समायोजन किसी पुनरीक्षित मजदूरी एवं भत्ते से नहीं किया जायेगा।

(ग) यदि निमनतर श्रेणी का कोई कर्मकार उच्चतर श्रेणी के कर्मकार के स्थान पर कार्य करता है, तो ऐसा कर्मकार अपने उसी पद पर रहते हुये कार्यरत रहने की अवधि के दौरान उच्चतर मजदूरी और भत्ते पाने का हकदार होगा।

(घ) चीनी कारखानों तथा सम्बद्ध इकाईयों में कार्यरत समस्त कर्मकार अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करते हुये अधिकतम उत्पादन करेंगे और उत्पादकता बनाये रखेंगे।

(ङ) ऐसे समस्त कर्मकार अपना बहुआयामी व्यक्तित्व बनाये रखते हुये कार्य प्रणाली में गुणात्मक सुधार एवं नवीनतम तकनीक हेतु सदैव तत्पर रहेंगे जिससे उद्योगों का विकास हो सके।

(च) ऐसे समस्त कर्मकार अपने नियोजन के दौरान अनुशासन एवं कार्यकुशलता का उच्चतम स्तर अनुरक्षित रखेंगे जिससे सद्भावनापूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध अनुरक्षित रह सके।

10–पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मजदूरी व विभिन्न भत्तों की प्रसुविधाएँ दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से दी जायेंगी और दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक लागू रहेंगी।

11–यह आदेश इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवर्तित होगा और समस्त प्रसुविधायें उक्त दिनांक से दो माह के भीतर दी जायेंगी।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

क्रम-संख्या–161 (क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 3 अगस्त, 2022

श्रावण 12, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–2

संख्या 2156788/2022-श्रम-2
लखनऊ, 3 अगस्त, 2022

अधिसूचना

प०आ०–320

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्तीय अधिनियम संख्या 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 1305/36-2–2022-08-2004-टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2022 में संशोधन करती हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन निदेश देती हैं कि इस संशोधन की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में पैरा 9 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) उपरोक्त मजदूरी पुनरीक्षण के फलस्वरूप कर्मकारों के एरियर का भुगतान नियोजकों द्वारा अधिसूचना लागू किये जाने के दिनांक से चार माह के अन्तराल पर चार बराबर किस्तों में किया जायेगा।"

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 64 विधान सभा (85)-12-07-2024-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।